राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 1] सप्तम विधान सभा के प्रथम सत्र का 33वां दिवस [संख्या 16

मंगलवार

दिनांक 5 अगस्त, 1980.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.03 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री सी. पी. जोशी।

नाथद्वारा शैली तथा हवेली संगीत को संरक्षण

321. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चित्रकला में नाथद्वारा शैली तथा संगीत में हवेली संगीत की विधा भारत में प्रसिद्ध है ?

(2) यदि हां, तो सरकार इसके संरक्षण के लिए क्या प्रयत्न कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) :
(1) जी हां।

(2) राजस्थान ललित कला एवं राजस्थान संगीत नाटक अकादमियों द्वारा अन्य शैलियों एवं संगीत विधाओं के साथ-साथ इनको भी संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जाता रहा है।

श्री सी. पी. जोशी : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि आज दिन तक नाथद्वारा शैली को कितना संरक्षण ललित कला अकादमी ने दिया और हवेली संगीत की कितनी रिकार्डिंग संगीत कला अकादमी ने की ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने हवेली संगीत की आधा घंटे की रिकार्डिंग की है और 125 बंदिश रिकार्ड की गई हैं।

श्री सी. पी. जोशी : नाथद्वारा चित्र शैली और हवेली संगीत की विधा सारे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है। पखावज के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकार हैं। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बुलाया जाता है। संसार भर में पखावज के जानकारों को इन्वाइट किया जाता है। इसके अलावा नाथद्वारा की चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। नाथद्वारा की पिछवाई अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा बिकती है। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री महोदय स्पेसिफिक रूप में बतायें कि कितना अमाउण्ट भविष्य में इस पर खर्च करेंगे ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : यह दोनों अकादमियों से सम्बन्धित प्रश्न है। दोनों ही अकादमियों के पुनर्गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जैसे ही पुनर्गठन होगा, इन अकादमियों को निर्देश दिया जाएगा कि जो भी उचित सहयोग दिया जा सके, दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री सी.पी. जोशी : एक अन्तिम प्रश्न और।

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि टेम्पल बोर्ड इसमें सहायता देने को तैयार हों तो क्या इसकी शिक्षा के लिए आप कोई स्कूल खोलेंगे ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : सम्भावना के ऊपर कोई बात कहना कठिन है। यदि कोई प्रस्ताव उन की ओर से भिजवायें तो उस प्रस्ताव की सब तरह से जांच करनी होगी। उसके बाद ही निर्णयात्मक कुछ कहा जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री श्रीराम गोटेवाला।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रश्नकर्ता उपस्थित नहीं हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृपया मुझे अनुमति दें प्रश्न पूछने की।

श्री अध्यक्ष : आपके पास ऑथोरिटी है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : इसका तो यदा कदा उपयोग करते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : ऑथोरिटी मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

वैद्य, हकीम, होम्योपैथ, प्राकृतिक चिकित्सक व विवेचक के वेतनों का पुनरीक्षण

322. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) [श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) की अनुपस्थिति में] : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दिनांक 21 अप्रेल, 1977 को वैद्य, हकीम, होम्योपैथ, प्राकृतिक चिकित्सक व विवेचक के वेतन एवं पदोन्नति के प्रश्न पर कुछ निर्णय लिये थे किन्तु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया ?

(2) यदि हां, तो उन निर्णयों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या अब पुनः सरकार शासन में आने पर उन निर्णयों को लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : (1) 21-4-77 को इस विषय पर विचार-विमर्श हुआ था किन्तु कोई राज्यादेश जारी नहीं किया गया।

(2) कोई आदेश प्रचलित नहीं हुए। अतः प्रति सदन के पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) यह मामला वेतन आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : बहुत बढ़िया जवाब है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा की विद्या की महत्ता और औषधालयों की मांग को देखते हुए, क्या सरकार शीघ्र निर्णय करेगी ? उनके वेतनमान, उनकी पदोन्नतियों आदि के मामले जो आपके विचाराधीन हैं, उन पर आप शीघ्र निर्णय लेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि वेतन आयोग अपाइन्ट कर रखा है, वह पे-कमीशन सारे मामले को देख रहा है। उसकी रिपोर्ट आने पर विचार करेंगे।

श्री राम सिंह विश्नोई : उसकी रिपोर्ट कब तक आने की आशा है ? आप कब तक निर्णय कर लेंगे ? छः महीने, 12 महीने, कोई निश्चित टाइम तो बतायें। विचाराधीन रखने की तो आपकी पुरानी आदत है। आप पर्टीक्यूलर डेट बतायें कि बारह महीने में, छः महीने में, दो साल में, कब तक निर्णय कर देंगे ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य ने मेरे पर आरोप लगाया है कि मेरी पुरानी आदत है, मैं इस का प्रतिवाद करता हूं। आपने मेरी कौन सी पुरानी आदत देख ली है ? मेरी काहे की पुरानी आदत है ? आपने कब पुरानी आदत देखी ?

श्री रामसिंह विश्नोई : आपसे मतलब सरकार से है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने आपकी पुरानी आदत का पता लगा लिया है।

श्री राम सिंह विश्नोई : अक्सर ऐसा होता है कि जो भी काम नहीं करना होता है तो उसको यह कह कर लटका देते हैं कि यह विचाराधीन है। विचाराधीन कितने सालों तक रहेगा ? इसमें हजारों आदमियों के जीवन मरण का मामला है, उनकी पदोन्नतियों का मामला है। उनकी दिक्कतों को आपको देखना चाहिए। इसलिए आप पर्टीक्यूलर डेट बतायें कि अगले छः महीनों में, बारह महीनों में सरकार निर्णय ले लेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि सारा मामला पे कमीशन के विचाराधीन है। पे कमीशन की रिपोर्ट आने पर शीघ्र ही कार्यवाही की जावेगी।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सरकार के विचाराधीन कब से है और कब तक विचाराधीन रहेगा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने शुरू में ही अर्ज किया कि 21-4-77 को केबिनेट के अन्दर इस बारे में बात हुई थी। उसके बाद वह मिनिस्ट्री खतम हो गई मई के महीने में। उसके बाद फिर दुबारा यह मामला जनता सरकार के सामने आया तो उसके पहले ही 21-5-79 को बेरी पे कमीशन अपाइन्ट हो गया। इसलिए फाइल पर यह आर्डर दे दिया कि यह मामला पे कमीशन को भेज दिया जावे। अब पे कमीशन के पास यह विचाराधीन है। पे कमीशन की रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जावेगी।

प्रश्न संख्या 323

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री विष्णुप्रकाश बजारी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक जानकारी करनी है। माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि सन् 74 में बीस सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ। तो वह कौनसा बीस सूत्री कार्यक्रम है जो 1974 से लागू हुआ ?

श्री राम सिंह विश्नोई : प्रश्नकर्ता तो हाजिर ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केवल जानकारी के लिए पूछ रहा था कि सन् 1974 में कौनसा बीस सूत्री कार्यक्रम था ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रश्नकर्ता हाजिर ही नहीं है तो फिर आप किस ऑथोरिटी से पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती उजला अरोड़ा।

रेडियोग्राफर्स का वेतनमान

324. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेडियोग्राफर्स का प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रशिक्षण से पूर्व चयन करने हेतु गत वर्ष 1979 में समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि रेडियोग्राफर की ग्रेड 470–830 रुपये होगी ? कृपया विज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि यह प्रशिक्षण 18 माह का होता है तथा प्रशिक्षण काल में केवल 60 रुपये प्रतिमाह वृत्तिका दी जाती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि विज्ञापन में ग्रेड 470–830 विज्ञापित करने के बावजूद भी नियुक्ति कर यह ग्रेड नहीं दी जाकर कम ग्रेड दी जाती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(5) क्या सरकार प्रशिक्षण के पश्चात् सेवाकाल में ग्रेड 470–830 देने का पूर्व निर्णय ही कायम रखना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि हां, तो यह ग्रेड कब से लागू करना चाहती है ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। वर्ष 79 में प्रकाशित कराये गये विज्ञापन की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। विज्ञापन में इस तरह की कोई ग्रेड प्रकाशित नहीं की गई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) पूर्व का कोई निर्णय नहीं था। अब मामला विचाराधीन है।

(विज्ञापन के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती थी कि वर्तमान में इस पदधारी को क्या ग्रेड दी जा रही है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह 355-570 की ग्रेड है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है। लेकिन जो इस पद पर काम कर रहे हैं, वह टैक्निकल काम कर रहे हैं। जो ग्रेड अभी प्रकाशित विज्ञापन में की गई है, उसको परिवर्तित करने का विचार है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मेरे खयाल से पे कमीशन की रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री देवी सिंह।

ग्राम जैसलमेर में सघन पशु-प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित क्वार्टर्स

325. श्री देवीसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले के ग्राम जयमलसर में सघन पशुप्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने वर्ष पूर्व क्वार्टर्स बनाये गये थे ?

(2) क्या डाक्टर के रहने के क्वार्टर्स के अलावा पशुओं के रहने के शेड व पीने के पानी का कुण्ड बना हुआ था ? यदि हां, तो क्वार्टर्स व पशुओं के शेड्स किसके आदेश से तोड़े गये ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश, बीकानेर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से लागत मूल्य का अनुमान लिये बिना क्वार्टर्स व शेड्स तोड़ने की अनुज्ञा दे दी और लागत मूल्य की राशि भी जमा नहीं करवाई ? क्या वे इस हेतु अधिकृत थे अथवा सरकार के ऐसे आदेश थे ?

(4) क्या यह भी सही है कि क्वार्टर्स के संलग्न लगभग सवा बीघा जमीन पर भी किसी व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है ?

खाद्य मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने के लिए कल लैटर पहुंच गया है, इसे स्थगित करें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसका कारण क्या है ? अध्यक्ष महोदय, कल भी मेरा प्रश्न था, वह स्थगित कर दिया गया है। जब दस दिन पहले सूचना दे दी थी तो आज तक इसका जवाब क्यों नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दिया गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके विरोध में सदन त्याग करता हूं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह आम बात हो गई है। प्रश्नों के उत्तर बराबर नहीं आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं, तो पूरे नहीं आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप मंत्री महोदय को निर्देश दें कि प्रश्नों के उत्तर बराबर आयें इस प्रकार के प्रशासनिक आदेश दें। जो प्रश्न प्राप्त हों, उनके बाकायदा उत्तर मिलें इस प्रकार की व्यवस्था करें।

(6)

श्री अध्यक्ष : यही कोशिश कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यदि आप इसको देखेंगे तो इसमें कोई बहुत बड़ी सूचना एकत्र करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि सरकार चाहती तो सूचना एकत्रित हो सकती थी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। उत्तर दिलवाने की कोशिश करेंगे। आपको अनुभव है, साधारण प्रश्न होता है, उसका उत्तर भी प्राप्त नहीं हो पाता है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या इसी सत्र में इसका उत्तर आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : यही कोशिश की जायेगी। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 326।

श्री लच्छू राम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री समर्थ लाल।

शिक्षकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति

327. श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शिक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? क्या उसी नीति के आधार पर स्थानान्तरण किये जा रहे हैं ?

(2) क्या सरकार पिछले अनुभवों के आधार पर कोई नई तर्क संगत नीति बनाने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिए बनी नीति संलग्न है। यथा सम्भव नीति को ध्यान में रखकर ही स्थानान्तरण किये जाते हैं।

(2) जी नहीं।

(स्थानान्तरण की नीति के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री समर्थ लाल : जो आज तक राज्यादेश दिये गये हैं, क्या इसी नीति के अनुसार दिये गये हैं ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जो नीति बनी हुई है, जो राज्य के आदेश हैं, उन आदेशों का ही उपयोग किया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्ता।

श्री समर्थ लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, राज्यादेशों के द्वारा अध्यापकों के 7,500 स्थानान्तरण किये गये हैं और शिक्षा अधिकारी और जोइण्ट डाइरेक्टर, जो हैडक्वार्टर पर हैं, के द्वारा करीब 14,000 स्थानान्तरण हो चुके हैं। मैं मानता हूं, जो स्थानान्तरण हुए हैं, वह सरकार की नीति के विपरीत हुए हैं, और राजनैतिक कारणों से हुए हैं। क्या शिक्षा मंत्रीजी जवाब देने का कष्ट करेंगे कि इतने जो स्थानान्तरण हुए हैं, आपने जो नीति बना रखी है, क्या उसके आधार पर हुए हैं ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जो 7500 की संख्या बताई गई है, वह ठीक नहीं है।

श्री समर्थलाल : आप बता दीजिये, सही संख्या क्या है ?

एक माननीय सदस्य : यह आपने पूछा नहीं है। अलग से पूछिये।

श्री समर्थलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार इतने स्थानान्तरण हुए हैं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आपके द्वारा दी गई संख्या ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इस नीति में एक वाक्य और जोड़ दिया गया है कि दो कांग्रेस के विधायकों से दस्तखत कराके देवें तो स्थानान्तरण हो जायेगा ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि ऐसे कागज भी विभाग में पहुंचे हैं, जो विधायकों ने हस्ताक्षर करके मंत्री महोदय को दिये हैं कि अमुक-अमुक स्थानान्तरण कर दिये जायें और उस पर माननीय मंत्री महोदय ने लिख दिया "Order may be issued".

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यदि जन प्रतिनिधियों की बात को ध्यान में रख कर कोई तत्काल आदेश दिये जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई अपराध है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या शिक्षा मंत्रीजी को एक ऐसा पत्र दिया गया था, जिसमें यह लिखा था कि मैं अमुक-अमुक अध्यापकों के स्थानान्तरण करने के आदेश देता हूं और मंत्री महोदय ने उस आदेश पर अपना आदेश दिया, "Order may be complied ?"

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने जन प्रतिनिधियों का आदेश माना तो कोई गुनाह नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या यह सही है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में विधायकों का हस्तक्षेप करना मिस कन्डक्ट है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : डे टू डे विधायकों के हस्तक्षेप का आपको मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मालूम, आपसे ज्यादा है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आपको मालूम नहीं है। यदि कोई जन प्रतिनिधि अपनी बात कहे, मैं समझता हूं राज्य सरकार ठीक समझती है तो वह मानी जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि चार-चार स्थानान्तरण अध्यापकों के किये गये हैं और चारों विधायकों के कहने से किये गये हैं ?

(व्यवधान)

(8)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह आर्डर···

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आपके पास आदेश हो सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रक्रिया यही रही है कि झूठे पत्र तैयार कराये जायें और इस तरह के व्यक्तियों से हस्ताक्षर कांग्रेस के सदस्यों या आपके प्रतिनिधियों द्वारा करवाये जायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : और आप उनकी बात मान लेते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी (जोधपुर) : इन्होंने पचास-पचास हजार तबादले किये हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, ये ट्रान्सफर करते हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : पचास-पचास हजार ट्रांसफर किये हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ××× स्थानान्तरण किये गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या कह रहे हैं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री राज बहादुर।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : श्रीमन्, कुछ दिन पहले मैंने एक प्रश्न उठाया था इस सन्दर्भ में कि क्या कोई नीति है स्थानान्तरण की ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस तरह से यह सरकार चलने की भी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। इतने उत्तेजित न हों।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टीचर्स के ट्रांसफर्स का व्यापार करने वाली यह पापी सरकार है।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : ये ××× हैं।

(व्यवधान)

×××अभिव्यक्ति एवं शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। काफी समय व्यवधान में चला गया है। पूरक प्रश्न पूछ नहीं सकते।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : × × ×

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर सरकार को डुबोयेंगे तो ये प्रभाकर जी डुबोयेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। अब मुझे बाध्य होकर...

(व्यवधान)

मुझे नियमों का आश्रय लेना पड़ेगा। काफी देर हो गई। स्वाभाविक है कभी कोई पूरक प्रश्न पर उत्तेजना हो जाय, मगर उत्तेजित होने की कोई सीमा होती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सीमा ट्रांसफर्स की होती है।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : आसन पांवों पर है।

श्री खेतसिंह राठोड : अध्यक्ष महोदय, स्थानान्तरण की नीति का प्रश्न...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कौन होते हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। इसमें 20 मिनट का समय...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। मुझे बाध्य होकर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ेगी। एक आध पूरक प्रश्न भी आने दीजिये। कभी नाराजगी भी हो जाती है तो उसकी भी सीमा होती है। 20 मिनट का समय चला गया।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : आसन पांवों पर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : + + +

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + +

श्री सुखलाल सेणचा : + + +

श्री भगवान दास शास्त्री : + + +

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : + + +

श्री गुलाबचन्द कटारिया : + + +

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(१०)

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रश्न को लेकर काफी उत्तेजना है। सैंकड़ों शिक्षक तबादलों को लेकर परेशान हैं। वे यहाँ बरामदे में घूम रहे हैं। मेरी आपसे डेमोक्रेसी के नाम पर विनती है कि इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा के लिए समय नियत कर दें····

(व्यवधान)

मैं प्रार्थना करता हूं, आप इस प्रश्न को बिगाड़िये मत। अध्यक्ष महोदय, एक शिक्षक ने दुखी होकर शेर कहा है :

कभी गिरती थी बिजली इत्तफाकन आशियाने पर

(व्यवधान)

मगर अब तो चमन में यह तमाशा रोज होता है।

श्री सूरजपाल सिंह : तुम्हारे काले कारनामों से तो तुम इधर आकर बैठो हो। तुम्हारे × × × का स्थानान्तरण हो गया तो शोर कर रहे हो। यह आपके काले कारनामों का फल है।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : शर्म करो। हजारों लोगों को तुमने बेघरबार कर दिया था उसी का यह परिणाम है।

(व्यवधान)

श्री अहमद बख्श सिन्धी : इनकी बात नहीं चलेगी। हमारी बात चलेगी।

श्री भगवान दास शास्त्री : आप तो मत कहिये, आप तो दलबदलू हैं।···

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : बदले की भावना से उनको बाहर भेज दिया गया है···

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : तुमने हजारों ट्रान्सफर्स कर दिये थे तो···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जनता पार्टी ने जितने ट्रांसफर्स किये थे वे सब बदले की भावना से किये थे।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ×××है और ट्रान्सफर्स किये जाते हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। काफी हो गया है। मेरे ख्याल से सभी माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। अब आपकी अनुमति हो तो अगला प्रश्न लिया जाये। काफी गहराई से इस प्रश्न पर विचार विमर्श हो चुका है। मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी माननीय सदस्य शायद ही बचा हो जिसने अपनी राय व्यक्त न की हो। इसलिये अगला प्रश्न लिया जाये। अगर किसी माननीय सदस्य को वास्तव में कोई पूरक जानकारी लेनी हो तो मैं अनुमति दे सकता हूं।

कुमारी पुष्पा जैन। महिला है।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी एक सवाल के उत्तर में शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने जन प्रतिनिधियों के कहने पर स्थानान्तरण किये हैं तो कोई गुनाह नहीं किया···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि···

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : दलबदलू बैठ जाइये।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपको शर्म आनी चाहिये। खड़े होने से पहले, दलबदलू जी।

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मेरे ख्याल से ये सब पुष्पा जी बन गये हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने पुष्पा जी को अनुमति दी थी···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह चलने दीजिये। वह तालियां बजायें तो यह कैसे चलेगा। हाथ हमारे भी हैं···

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : हम नहीं चलने देंगे, अगर ये बोलते रहेंगे तो। इस बात को कान खोलकर सुन लीजिये···

(व्यवधान)

ढाई साल के बाद भी आपने XXX बोलना नहीं छोड़ा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपने गरीब शिक्षक को ही पकड़ा, और कोई नहीं मिला आपको···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको इसलिये तकलीफ है क्योंकि आर. एस. एस. की शाखायें अब बन्द हो गयी हैं। पहले आप···

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जांच करें कौन मना कर रहा है···

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : सरदारजी, 12 बजने में अभी 12 मिनट बाकी हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हमने भी 3 साल तक सरकार चलायी है, हमने भी ट्रान्सफर्स किये हैं पर किसी ने नहीं कहा कि हमने XXX है। आपके XXX बाहर घूम रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : आपने चोरी की इसका परिणाम यह है कि आप आज इधर

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैंरूसिंह गुर्जर)
बैठे हैं। आपने जो किया उसका परिणाम है यह....

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : आप खड़े हैं और स्पीकर बैठे हैं। आपने हाउस के डेकोरम को बरबाद किया है। आपको तो डूब कर मरना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जितने टीचर्स के ट्रान्सफर्स हुए हैं वे××× किये हैं...

एक माननीय सदस्य : आपने तो भ्रष्टाचार पनपाया है और अब हमको कह रहे हो। आपने××× ट्रान्सफर किये हैं...

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : बेचारे सरकारी कर्मचारी को बाड़मेर भेज दिया जाता है। उसका ट्रान्सफर बाड़मेर किया जाता है और फिर××× उसका ट्रान्सफर कैंसिल किया जाता है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हमने कोई ट्रांसफर नहीं किये हैं।

(व्यवधान)

इन्होंने फौज खड़ी की है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री अहमद बख्श सिंधी : मैं बताता हूँ इन्होंने क्या क्या किया है....

(व्यवधान)

ये गैर जिम्मेदार लोग हैं।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : यह तानाशाही नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

श्री भैंरूसिंह गुर्जर : हनुमान प्रसाद प्रभाकर.....

एक माननीय सदस्य : जिन्दाबाद।

श्री भैंरूसिंह गुर्जर : हनुमान प्रसाद प्रभाकर...

एक माननीय सदस्य : जिन्दाबाद।

श्री भैंरूसिंह गुर्जर : ×××नहीं चलेगी। ××× नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तानाशाही नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : वह×××को राज नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

××× अभिव्यक्ति व शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ××× आरोप लगाये जा रहे हैं ....

(व्यवधान)

श्री भैरू सिंह गुर्जर : यह ××× नहीं चलेगी। नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, कृपया। आपके बहुत ही अमूल्य सुझावों के लिये धन्यवाद। मैं समझता हूं सदन के सभी पक्षों ने जो सुझाव दिये ट्रान्सफर्स के बारे में, उनकी गाइडेंस लेकर राज्य सरकार....

(व्यवधान)

12.00 बज गये हैं, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नीति तो आप बना कर गये हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरू सिंह गुर्जर : ××× नीति नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब भूमिहीनों को आवंटित भू-खण्डों का पट्टा देना

323. श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1973-74 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत देलवाड़ा पंचायत, नून्दरी पंचायत, सेहूदरीया पंचायत के अन्तर्गत गरीब भूमिहीन लोगों को 105 रुपये लेकर लिखित पट्टों पर करीब 2000 भू-खण्ड दिये गये ? यदि हां, तो क्या उनका कब्जा दे दिया गया ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या क्रियान्वयन के बारे में अधिकारी स्तर पर कोई त्रुटि थी ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(क) ग्राम पंचायत देलवाड़ा में वर्ष 1972-73 में 851 व्यक्तियों को 105/– रुपये लेकर पट्टे दिये थे। इस आवंटन में भूमि संबंधी विवाद होने के कारण पंचायत एक्ट की धारा 75 (1) के अनुसरण में ग्राम पंचायत देलवाड़ा की ओर से की गई भूमि विक्रय की कार्यवाही अवैध होने के कारण आवंटित प्लाटों का विक्रय जिलाधीश द्वारा निरस्त किया गया। इसकी अपील नम्बर 5575 राजस्व अधि-

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(पंचायत मंत्री)

कारी, जयपुर के कोर्ट नं. 1 में विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत नून्दरी में आबादी भूमि में रामपुरा मेवातियान कालोनी बसाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा 292 प्लाट 102/- रुपये में वर्ष 1973-74 में नहीं देकर वर्ष 1972-73 में रजत जयंती के अवसर पर दिये गये थे। इन 292 प्लाटों में से 38 प्लाट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को रियायती दर पर दिये गये, उनका बेचाननामा नियमित माना गया। शेष 254 प्लाट नियमित रूप से कार्यवाही नहीं करने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 75 के तहत निरस्त किया गया।

(ख) ग्राम पंचायत सेहदरीया के द्वारा इस अवधि में कोई प्लाट नहीं दिये गये।

(2) जी नहीं।

नगरपालिका बिसाऊ द्वारा सड़कों की मरम्मत कराया जाना

326. श्री लच्छू राम (मण्डावा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नगरपालिका, बिसाऊ (झुन्झुनू) द्वारा बहुत वर्षों से सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है? यदि हां, तो कब तक इन सड़कों की मरम्मत करा दी जायेगी?

उत्तर

जी नहीं। यह सही नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य पथ परिवहन निगम के पास स्वीकृत बसेज

296. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अन्तर्गत कुल कितनी बसें स्वीकृत हैं, जिनमें कुल कितनी बसें कार्यरत हैं? कृपया जिलावार बताया जावे।

(2) निगम द्वारा स्वीकृत बसों की कमी की पूर्ति हेतु क्या योजना है? इस कमी की पूर्ति निश्चित रूप से कब तक कर दी जावेगी?

(3) राज्य में कुल कितनी डीलक्स अथवा वातानुकूलित बसें किस किस रूट पर चल रही हैं?

उत्तर

(1) राज्य परिवहन निगम के पास 2254 वाहन हैं व आगारों की अनुसूचित सेवाओं के संचालन हेतु 2145 वाहनें स्वीकृत की हुई हैं इनमें से दिनांक 30-7-80 को 1623 वाहनें कार्यरत थीं। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) निगम द्वारा आगार इकाइयों को अनुसूचित सेवाओं के संचालन हेतु पर्याप्त वाहनें आवंटित की हुई हैं लेकिन टायरों की कमी तथा कतिपय कल-पुर्जों के उपलब्ध नहीं होने के कारण वाहन संचालन योग्य नहीं हैं। इस प्रकार संचालन में कम हो रही वाहनों की पूर्ति के लिए टायरों की खरीद हेतु प्रयास

(यातायात मंत्री)

किये जा रहे हैं। कल-पुर्जों के लिए भी मुख्य भण्डार नियन्त्रक को क्रय करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। जैसे-जैसे टायर प्राप्त होते जावेंगे, वाहन संचालन हेतु लगा दी जावेंगी।

(3) निगम द्वारा निम्नलिखित मार्गों पर उनके नाम के आगे अंकित संख्यानुसार डीलक्स सेवाएं संचालित की जा रही हैं:—

जयपुर	दिल्ली	6
जयपुर	आगरा	2
जयपुर	जोधपुर	4
जयपुर	कोटा	1
जयपुर	उदयपुर	2

निगम द्वारा किसी भी मार्ग पर वाता-नुकूलित बस नहीं चलाई जा रही है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

पथ परिवहन निगम की बसों में रखी शिकायत पुस्तिका में दर्ज शिकायतें

297. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में रखी गई शिकायत पुस्तिका के आधार पर विगत वर्ष 1979–80 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) बसों के आकस्मिक निरीक्षण हेतु कितने उड़नदस्ते कार्यरत हैं? क्या यह पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो इस हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979–80 की अवधि में शिकायत पुस्तिकाओं के आधार पर कुल 356 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 250 शिकायतें निष्पादित की गई और शेष 106 विचाराधीन हैं।

निष्पादित की गई शिकायतों से संबंधित कर्मचारियों, जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, को चेतावनी दी गई, कार्यशाला में विलम्ब से आने वाली वाहनों के सम्बन्ध में प्रभारी कार्यशाला को समय पर वाहन संचालित करने हेतु निर्देश दिये गये, रास्ते में वाहन न रोकने से संबन्धित शिकायतों पर सम्बन्धित डिपो मैनेजर को आदेश दिये गये एवं कन्सेशन से सम्बन्धित शिकायतों के संदर्भ में प्रधान कार्यालय स्तर पर नीति-निर्धारण करने हेतु प्रसंग किया गया।

(2) वाहनों के आकस्मिक निरीक्षण हेतु वर्तमान में 63 उड़न दस्ते कार्यरत हैं। वर्तमान संचालन की दृष्टि से उपरोक्त उड़न-दस्ते पर्याप्त हैं।

पाली बस स्टेण्ड से विभिन्न रूट्स पर चालित बसेज

298. श्री सुखलाल सेंसचा (रायपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली बस स्टेण्ड से प्रति दिन कौन-कौन सी कितने कितने समय से, किस किस रूट पर रोडवेज की कितनी बसें चल रही हैं ?

(श्री सुखलाल सेणचा)

(2) पाली से प्रतिदिन करीब कितने यात्री रोडवेज की बसों में सफर करते हैं ? क्या सरकार यात्रियों की परेशानी तथा संख्या को देखते हुए बसें बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पाली से प्रतिदिन औसतन 1200 यात्री परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते हैं। गत वर्ष के यात्री भार को देखते हुए ग्रीष्म काल में 58 सेवायें विभिन्न मार्गों पर संचालित की जा रही है। क्योंकि वाहनें भिन्न-भिन्न आगारों से पाली होते हुये गुजरती हैं अतः कभी कभी विलम्ब हो जाने के कारण किसी में अधिक यात्री हो जाते हैं तो किसी में कम उपलब्ध होते हैं। यात्री भार को देखते हुए यदि आवश्यक होगा तो वाहनें और बढ़ायी जायेंगी।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

नगरपालिकाओं को सडकों के रखरखाव हेतु आवंटित धनराशि

299. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नगरपालिकाओं को नगर की सड़कों को सुधारने व नई सड़कें बनाने के लिये कुछ राशि प्रति वर्ष आवंटित की जाती है ?

(2) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में सोजत व बिलाड़ा को कितनी राशि दी गई, तथा इसमें से कितनी राशि खर्च हुई ? सोजत व बिलाड़ा नगरपालिका में दिनांक 30 नवम्बर, 79 को कितने कर्मचारी कार्यरत थे तथा उनका कुल मासिक वेतन कितना खर्च होता था ?

(3) क्या यह भी सही है कि काफी बड़ी मात्रा में नई नियुक्तियां की गईं ? यदि हां, तो क्या ये सब नियुक्तियां नियमानुसार की गई थीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सोजत व बिलाड़ा को गत पांच वर्षों में सड़क एवं नालियों के निर्माण हेतु क्रमशः 85,000/- व 2,88,000/- रु. राशि दी गई एवं खर्च क्रमशः 2,42,500/- रु. व 98,000/- हुआ। दिनांक 30-11-79 को नगरपालिका सोजत में कुल 112 कर्मचारी कार्यरत थे जिनका मासिक वेतन रुपये 30,694.81 पैसे था एवं नगरपालिका बिलाड़ा में 59 कुल कर्मचारी कार्यरत थे उनका कुल मासिक वेतन व्यय 16,622/- रु. था।

(3) यह सही नहीं है कि काफी बड़ी मात्रा में नियुक्तियां की गईं। सोजत नगरपालिका में 6 सब-नाकेदारों की नियुक्तियां कीं, नियमितता की जांच की जा रही है। शेष नियुक्तियां नियमानुसार किया जाना पाया गया है।

जिला टौंक के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरना

300. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

टौंक जिला के मिडिल एवं सैकन्डरी स्कूलों में कितने अध्यापकों के कहां-कहां पर कब से पद रिक्त हैं ? उन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

टौंक जिला के मिडिल एवं सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची संलग्न है। रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

केशोरायपाटन का सैकण्डरी स्कूल

301. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केशोरायपाटन, जिला बूंदी में सैकण्डरी स्कूल है ? यदि हां, तो यह स्कूल कब खोला गया ?

(2) उक्त स्कूल में कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं तथा भवन में कितने कमरे है तथा किन किन विषयों का शिक्षण होता है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) केशोरायपाटन क्षेत्र में कितने प्राइमरी, मिडिल व सैकण्डरी स्कूल्स हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह विद्यालय 1944 में मिडिल स्कूल से प्रारम्भ हुआ और सन् 1947 से हाई स्कूल में क्रमोन्नत हुआ।

(2) इस स्कूल में 543 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इस विद्यालय में 11 कमरे, 1 हाल, 5 अन्य कमरे हैं। इस विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों की सूची संलग्न है।

(3) इस क्षेत्र में 105, प्राथमिक, 25 उच्च प्राथमिक तथा 7 माध्यमिक विद्यालय हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

नगरपालिकाओं के केशियरों के पदों पर नियुक्ति

302. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगरपालिकाओं के केशियर के पद पर कार्यरत एवं नई नियुक्ति हेतु कोई योग्यता निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सही है कि केशियर के पद पर पालिकाओं में मिडिल पास व्यक्तियों को तथा नाकेदार की सीधी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जा सकती है ?

उत्तर

(1) नगरपालिकाओं में केशियर का अलग से पद नहीं है। इस पद पर कनिष्ठ

(स्वायत्त शासन मंत्री)

लिपिक/वरिष्ठ लिपिक को लगाया जाता है। कनिष्ठ लिपिक के पद के लिये मैट्रिक या इसके समकक्ष योग्यता होना आवश्यक है। वरिष्ठ लिपिक का पद पदोन्नति से भरा जाता है।

(2) नियमानुसार नाकेदार के पद के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है। नाकेदार को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है, तत्पश्चात् ही वह केशियर बन सकता है।

पंचायत समिति, नागौर एवं मूंडवा क्षेत्र में खोले गये अकाल राहत कार्य

303. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) इस वर्ष पंचायत समिति, नागौर तथा मूंडवा क्षेत्र में कितनी कितनी लागत के कौन कौन से अकाल राहत कार्य खोले गये? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) अधूरे रहने वाले अकाल राहत कार्यों के लिये सरकार क्या कर रही है?

(3) किन किन अकाल राहत कार्यों के लिये मजदूरी 30 दिन बाद मिली और देरी का क्या कारण है?

उत्तर

(1) इस वर्ष पंचायत समिति क्षेत्र, नागौर में 38,93,924 की लागत के 232 अकाल राहत कार्य एवं पंचायत समिति मूंडवा क्षेत्र में 23,53,121.00 की लागत के 157 अकाल राहत कार्य खोले गये, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऐसे अधूरे कार्य, जिन्हें काम के बदले अनाज के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले साधनों के द्वारा पूरा किया जा सकेगा, अवश्य पूरे किये जा सकेंगे। शेष कार्यों को सेफ लेवल तक छोड़ा जाना आवश्यक होगा। जहां तक सम्भव हो सकेगा ऐसे कार्यों को अन्य विभागों की योजना के अन्तर्गत लेने का भी प्रयत्न किया जावेगा।

(3) पंचायत समिति क्षेत्र, मूंडवा में जिन अकाल राहत कार्यों के लिए मजदूरी का भुगतान 30 दिन बाद किया गया उनकी सूची मय देरी का कारण दर्शाते हुए परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। पंचायत समिति क्षेत्र, नागौर में किसी की अकाल राहत कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान 30 दिन बाद नहीं किया गया।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सांचौर की सहकारी समितियों का आडिट

304. श्री धनकराज मेहता (सांचौर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या सांचौर तहसील की सभी सहकारी समितियों का अद्यावधि अंकेक्षण हो चुका है? यदि नहीं, तो किस किस का नहीं हुआ, व क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

30-6-80 तक सांचौर तहसील में 89 सहकारी समितियों का अंकेक्षण होना था जिसमें से 81 सहकारी समितियों का अंकेक्षण

(सहकारिता मंत्री)

हो चुका है। अंकेक्षण से शेष रही 8 सहकारी समितियों में से 4 सहकारी समितियों का रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है। 2 सहकारी समितियों का रिकार्ड सी. आई. डी. ब्रांच के पास गया हुआ है एवं 1 सहकारी समिति का रिकार्ड बालोतरा कोर्ट में गया हुआ है। एक सहकारी समिति का रिकार्ड निरीक्षक खादी बोर्ड द्वारा ले जाया गया है। अतः अंकेक्षण से शेष रही 8 सहकारी समितियों की सूची मय कारण के संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत राजकीय एवं अनुदान प्राप्त छात्रावास

305. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति विकास योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत कितने राजकीय एवं अनुदान प्राप्त छात्रावास चल रहे हैं? तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन छात्रावासों की छात्र संख्या कितनी कितनी है?

(3) क्या सरकार उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1980-81 में नये छात्रावास खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कहां कहां? नये छात्रावासों की छात्र संख्या कितनी होगी?

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत चल रहे राजकीय एवं अनुदान प्राप्त छात्रावासों की सूची संलग्न है।

(2) छात्रावासों की स्वीकृत छात्र संख्या सूची में अंकित है।

(3) वर्ष 80-81 में 4 नये छात्रावास क्रमशः सावला (डूंगरपुर), कुशलगढ़ (बांसवाड़ा), चावण्ड (उदयपुर), कोटड़ा (उदयपुर) में खोले जाने के प्रस्ताव हैं जिनकी प्रत्येक की छात्र संख्या 25 होगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिये चयनित कृषि पर्यवेक्षक

306. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या संयुक्त निदेशक, कृषि, श्री गंगानगर ने हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिये कृषि पर्यवेक्षक पद के लिये मई, 1980 में आवेदन आमन्त्रित किये थे? यदि हां, तो इन पदों के लिये क्या शैक्षणिक योग्यता निर्धारित थी? कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए? कृपया सूची मय नाम, जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता सदन के पटल पर रखें।

(2) कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया? कृपया सूची मय नाम, जन्म तिथि व शैक्षणिक योग्यता सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। इन पदों के लिए योग्यता सैकण्डरी कृषि एवं हायर सैकण्डरी कृषि मांगी थी। कुल 317 उम्मीदवारों के नाम नियोजन कार्यालय, गंगानगर द्वारा भेजे गए एवं छः प्रार्थना पत्र अनुसूचित

(कृषि मंत्री)

जाति/जन जाति के सीधे प्राप्त हुए। सूची परिशिष्ट 'अ' में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 42 उम्मीदवारों का चयन किया गया। सूची परिशिष्ट 'अ' में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

ग्राम स्वास्थ्य रक्षक योजना

307. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भूतपूर्व सरकार ने ग्राम स्वास्थ्य रक्षक योजना आरम्भ की थी? यदि हां, तो उसमें कितने ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता नियुक्त किये गये थे और आज कितने कार्यरत हैं?

(2) क्या यह योजना वर्तमान में चल रही है? यदि नहीं, तो क्यों? यह फिर कब से प्रारम्भ की जायेगी?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार की योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का वेतन बकाया है? यदि हां, तो कितने कार्यकर्ताओं की कितनी राशि बकाया है और उसका कब तक भुगतान किया जायेगा? कृपया जिलेवार जानकारी दी जाय।

उत्तर

(1) जी हां।

इस योजना में 6196 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया था जो अपने स्वयं के कार्य के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को छोटी मोटी बीमारियों की जानकारी उपचार एवं स्वास्थ्य शिक्षा दे सकें।

अब केवल 6046 कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं।

(2) जी हां।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

(3) कुल 6046 कार्यरत कार्यकर्ताओं में से 2031 कार्यकर्ताओं के भत्ते की राशि 4,13,850/- रुपये बकाया है।

कार्यकर्ताओं के भत्ते की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को वांछित धन राशि मई, 1980 में आवंटित कर दी गई है। जिलेवार उपलब्ध जानकारी की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

नगरपालिका, प्रतापगढ़ क्षेत्र में निर्माण कार्य

308. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नगरपालिका, प्रतापगढ़ में दिनांक 22 अगस्त, 79 व 1 सितम्बर, 79 को निर्माण कार्य के लिये टैण्डर आमन्त्रित किये गये थे? यदि हां, तो टैण्डर की शर्तें क्या थीं? क्या यह निर्माण कार्य टैण्डर की शर्तों के अनुसार पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। टैण्डर की शर्तें संलग्न हैं। अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं परन्तु कुछ

(स्वायत्त शासन मंत्री)
कार्य डामर व सीमेंट समय पर नहीं मिलने के कारण अभी पूर्ण नहीं हो सके हैं जैसे-जैसे मैटीरियल उपलब्ध हो रहा है, कार्य पूर्ण करवाया जा रहा है।

(टेण्डर की शर्तों के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

लूणकरणसर क्षेत्र की पाठशालाओं की क्रमोन्नति

309. श्री मालूराम लेघा (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक शालाएं 1. मण्डी खाजूवाला उर्फ बेरी वाला 2. मोटोलाई 3. नोरंग देशर 4. धीरेश गोंव को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने हेतु कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी ?

(2) राजकीय प्राथमिक शालाएं 1. धुलभेरा स्टेशन 2. कानोलाई 3. लाखूसर 4. कंकराला 5. वेलासर को उच्च प्राथमिक शालाओं में कब तक क्रमोन्नत किया जायेगा ?

उत्तर

(1) ऐसे सभी प्रस्तावों पर राज्य सरकार स्थान विशेष की आवश्यकता, अन्य स्कूलों की दूरी, भवन, भौगोलिक स्थिति तथा उपलब्ध वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुऐ नये विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्तावों पर विचार करेगी।

(2) ऐसे सभी प्रस्तावों पर राज्य सरकार स्थान विशेष की आवश्यकता, अन्य स्कूलों की दूरी, भवन, भौगोलिक स्थिति तथा उपलब्ध वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए नये विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्तावों पर विचार करेगी।

भूमि विकास सहकारी बैंक, सवाई माधोपुर द्वारा किसानों को कुओं के लिए प्रदत्त ऋण

310. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा सन् 1979 व 1980 में किसानों को कितने नये तथा कितने पुराने कुओं के लिये कर्जा दिया गया है ? कृपया सूची प्रस्तुत करें।

(2) इस वर्ष जो कर्जा कुओं के लिये दिया गया है वह अब तक पूर्ण हो गये हैं या अपूर्ण पड़े हैं ? यदि अपूर्ण हैं तो उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा सन् 1979 व 1980 में किसानों को 1093 नये कुओं के निर्माण तथा 167 पुराने कुओं की मरम्मत/गहरा कराने हेतु ऋण दिया गया है जिनकी सूची संलग्न है।

(22)

(सहकारिता मंत्री)

(2) सन् 1979 व 1980 में इस बैंक द्वारा जो कर्जा नये कुओं के निर्माण व पुराने कुओं की मरम्मत/गहरा करने हेतु दिया गया, उसकी स्थिति निम्न प्रकार है:--

	नये कुए	पुराने कुए
1. कुछ केसेज की संख्या जिनमें कर्जा दिया गया	1093	167
2. कुछ केसेज की संख्या जिनमें कार्य पूर्ण हो चुका है	428	63
3. कुछ केसेज की संख्या जिनमें कार्य अपूर्ण है	665	104

इस प्रकार वर्तमान में कुल 665 नये कुओं के व 104 पुराने कुओं के कार्य अपूर्ण हैं। इन कार्यों के अपूर्ण रहने के कारणों की विगत निम्न प्रकार है:-

	नवीन कूप	पुराने कूप
1. प्रार्थियों द्वारा कार्य प्रारंभ न करने के कारण अपूर्ण पड़े हुए केसेज की संख्या	277	82
2. प्रार्थियों द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है किन्तु बैंक से प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है और कार्य चालू है ऐसे केसेज की संख्या	388	22
	665	104

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सवाई माधोपुर जिला को कृषि हेतु आवंटित सीमेंट

311. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष में कृषि के लिए सरकार द्वारा कितना सीमेन्ट सवाई माधोपुर जिला में दिया गया तथा उसको किन-किन कामों में बांटा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा काश्तकारों को कुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सीमेन्ट नहीं मिलने से कुओं की बरबादी हो गई है ? यदि हां, तो उसके लिए कौन दोषी है ?

(श्री हंसराज शर्मा)

(3) इस वर्ष सीमेन्ट के नहीं मिलने से कितने कुओं को कितना नुकसान हुआ है? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में कृषि कार्य के लिए 2108 टन सीमेन्ट उपलब्ध कराया गया। 703 टन काम के बदले अनाज योजना के तहत एवं 1405 टन कुओं के निर्माण हेतु दिया गया।

(2) जी नहीं।

(3) सीमेन्ट नहीं मिलने से कुओं को नुकसान नहीं हुआ है। सीमेन्ट की कमी से कुछ कुएं अधूरे जरूर हैं।

पीपल्दा क्षेत्र में कैचमेन्ट कार्य

312. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र में कैचमेंट कार्य चल रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कार्य हो चुका तथा कहां होना है? निम्न सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

1. नाम
2. पता
3. कुल जमीन
4. खर्च—(अ) ड्रेन (ब) धोरा (स) लेवलिंग (द) अन्य (य) कुल
5. कुल मुआवजा
6. कितना चुका दिया?

(2) क्या इन कैचमेन्ट से स्थानीय किसान सन्तुष्ट हैं और क्या इनकी पूर्व सूचना किसानों को दी जाती है?

(3) क्या कैचमेंट से सम्बन्धित किसानों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार इस भारी खर्चे से किसानों को ऋणी होने से बचाने हेतु खर्चा कम करने पर विचार करेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" व "ब" में प्रस्तुत है।

(2) परिशिष्ट "अ" व "ब" में अंकित है।
(3)
(4)

(5), (6) दिनांक 31-7-80 तक काश्त के मुआवजे की स्थिति निम्न प्रकार है :–

नाम कैचमेंट	कुल देय मुआवजा	चुकाई गई राशि
1. लुहावद	2,78,406/-	2,30,145/-
2. अरनिया	1,94,430/-	1,21,178/-
3. फतेहपुरा	3,51,774/-	2,80,838/

प्रथम

शेष दो कैचमेंट्स फतेहपुरा, II व सती में मुआवजा देय नहीं है।

(कृषि मंत्री)

(2) किसान सन्तुष्ट हैं, कैचमेंट प्रारम्भ होने के पूर्व किसानों से कृषि विस्तार सेवा तथा राजस्व सेवा के माध्यम से सम्पर्क किया जाता है तथा इनकी योजना और अनुमानित खर्च की पूर्ण जानकारी दी जाती है। अधिकांश किसानों की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही भूमि सुधार कार्य प्रारम्भ किये जाते हैं।

(3) कुछ शिकायतें नालियों के निर्माण, लेवलिंग, अधिक व्यय, डीजल बिक्री आदि के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थीं।

परन्तु पानी देने हेतु नालियां धरातलीय स्तर के अनुसार बनाई गई हैं, जोत (लेवलिंग) सही किया गया है, अधिक व्यय व डीजल के बेचने से सम्बन्धित शिकायतें सही नहीं हैं। व्यय क्षेत्र की स्थिति व कार्य को देखते हुए अधिक नहीं हैं।

(4) कुछ सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

तहसील प्रतापगढ़ में कार्यरत पशु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

313. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़ तहसील में कितने कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्यरत हैं? इन केन्द्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान पद्धति का कितने पशुपालकों को लाभ पहुंचा है?

(2) क्या भविष्य में नस्ल सुधार के लिये नये पशु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कहां कहां?

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ तहसील में एक ग्राम आधार केन्द्र कार्यरत है, जिसके 6 कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र है (क्रमशः प्रतापगढ़, कुलमीपुरा, चूपना, खैराट, सुहागपुरा व वरमण्डल)।

इन उप केन्द्रों के माध्यम से वर्ष 1979-80 में 1,046 पशु पालकों को लाभ पहुंचा है।

(2) भविष्य में नस्ल सुधार के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में कोई भी गर्भाधान केन्द्र खोलने का प्रावधान नहीं है, किन्तु 36 नये उप केन्द्र खोलने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, एवं 150 पशु स्वास्थ्य केन्द्र मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी खोले जाने का प्रस्ताव है, जिन पर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जावेगा। इसमें से 4 उप केन्द्र प्रतापगढ़ तहसील में खोले जाने की सम्भावना है।

आवासीय भूमिहीनों का सर्वेक्षण

314. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने ऐसे आवासीय भूमिहीन व्यक्तियों का, जिनके स्वयं के आवास नहीं है, कोई सर्वेक्षण कराया है? यदि हां, तो ऐसे कितने परिवार हैं?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी अभी नहीं।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, केशोरायपाटन के स्थानान्तरण का प्रकरण

315. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका केशोरायपाटन में कार्यरत अधिशासी अधिकारी का स्थानान्तरण राजसमन्द से केशोरायपाटन में किया गया था ? यदि हां, तो कब ? आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी का राजसमन्द नगरपालिका से स्थानान्तरण केशोरायपाटन होने पर अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र केशोरायपाटन भेज दिया गया ? यदि हां, तो कब ? कृपया प्रमाण-पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) नगरपालिका केशोरायपाटन में कार्यरत अधिशासी अधिकारी को पालिका द्वारा क्या वेतन भुगतान किया जा रहा है अथवा जो वेतन भुगतान किया जा रहा है वह नियमानुसार अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 4-2-80 को आदेश जारी किए गए थे। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजसमन्द नगरपालिका द्वारा अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।

(3) इस संबंध में अधिशासी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

शिक्षा मंत्री के कथन से विधान सभा सदस्यों पर आक्षेप

श्री भैरोंसिंह शेखावत : On a point of privilege, Sir.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। कृपया सहयोग दें। काम करने का अमूल्य समय है। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब मालूम है, सरदारजी। मत पूछो मुझे ज्यादा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज। विरोधी पक्ष के माननीय नेता कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऑन ए प्वाइन्ट ऑफ प्रिविलेज, सर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया थोड़ा नियमों का ध्यान रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल समाप्त हुआ। इस प्रश्न काल में एक गम्भीर बात सामने आई। वह बात हमने उत्पन्न नहीं की····

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह बात आपने उत्पन्न की।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अगर नहीं बोलने देना चाहते तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, आप सुनना चाहें तो उसके लिये भी तैयार हूं। यह बात मुख्य सचेतक जी तय कर दें कि वे बोलने देना चाहते हैं या नहीं बोलने देना चाहते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : हम तो सुनना चाहते हैं, लेकिन आप हमको भी सुनें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री अहमदबक्श सिन्धी : एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आप यह बता दें आपका प्लान फेल हुआ है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप इनको आदेश दें। हम तो आपके आदेशों की पालना कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुख्य सचेतक जी से पूछ लीजिये। वे कहें तो बोलूंगा नहीं तो नहीं बोलूंगा।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठोड (मुख्य सचेतक) : बोलिये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। उस प्रश्न के ऊपर मुझे कोई चर्चा नहीं करनी है। मौका आयेगा तब उसको उठाया जायेगा। लेकिन इस प्रश्न काल में माननीय मन्त्री महोदय ने एक बात कही उसका रिफ्लेक्शन इस सदन के 200 माननीय सदस्यों पर आता है। मैं इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा की दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूं··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह भी कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ने कहा कि मैंने विधायकों के कहने से स्थानान्तरण किये हैं।

एक माननीय सदस्य : बिलकुल सही बात है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधायकों के कहने से···

(व्यवधान)

सरदारजी, बिराजिये। ज्यादा उत्तेजित मत होइये। अब मैं यह नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों ने इस प्रकार की मांग की हो,····

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी के भी आये थे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में जिन-जिन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय सदस्यों ने कहा उनकी बात तो दूसरी है लेकिन जिन माननीय सदस्यों, चाहे सत्तारूढ़ दल के हों या विपक्ष के, ने इस प्रकार की मांग नहीं की उनके ऊपर भी इसका रिफ्लेक्शन आता है। माननीय खेतसिंह जी गवाह हैं, एक बार मथुरादास जी माथुर ने नेशनल टैक्स्ट बुक बोर्ड को एक चिट्ठी लिख दी थी उस पर सदन में 6 महीने तक डिबेट चली। मुदगल का केस आपको मालूम है। प्रशासन में एम. एल. ए. का हस्तक्षेप मिसकण्डक्ट की परिभाषा में आता है, यह मैं नहीं कहता, पर मुदगल के केस में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में एक बार भाषण दिया था कि प्रशासन में विधायकों या संसद सदस्यों द्वारा दखल किया जाता है तो वह मिसकण्डक्ट की परिभाषा में आता है। अभी माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ने कहा कि एम.एल.एज. के कहने से स्थानान्तरण किये हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं ....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये लोग नहीं समझ सकते।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के माननीय नेता को अपनी बात कहने दें।

श्री हरिसिंह : अगर किसी एक माननीय सदस्य की बात सुनते हैं तो दूसरे को भी बोलने दीजिये, अगर किसी को नहीं बोलने दें तब तो ठीक है कोई नहीं बोलेगा..

(व्यवधान

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम नहीं बोलने देंगे पहाड़िया जी को भी सदन के नेता भी देखेंगे कैसे बोलते हैं।

(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता से पूछना चाहता हूं। आपने 17-18 हजार स्थानान्तरण किस आधार पर किये थे ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह आपकी सरकार है, उससे पूछिए ...

(व्यवधान)

अगर गलत किया तो उन्होंने गलत किया हमने क्या गलत किया है।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर सर, ...

श्री नाथू सिंह : यह विरोधी दल के सदस्यों को बोलने नहीं देंगे।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही आधा घंटा के लिए स्थगित कर दी जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं ....

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

कहने से हम नहीं करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

(28)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : On a point of Privilege, Sir.

(व्यवधान)

It should get precedence when there is a point of privilege. अगर आप हाउस में इन्तजाम नहीं कर सकते तो आप हाउस एडजोर्न कर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : दोनों पक्षों के माननीय सदस्य . . .

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप हमारे माननीय सदस्यों को बोलने नही देंगे तो.....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : तब हाउस कैसे चलेगा। यह मैं खास तौर से कहूंगा विरोधी दल के नेता से...

एक माननीय सदस्य : कोड़े लगाओ इनके कोड़े तब मानेंगे ये।

(व्यवधान)

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : विरोधी दल के नेता इशारा करके अपने आदमियों से कहते हैं तो कैसे हाउस चलेगा ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप को-आपरेशन दीजिए। आपने काफी समय एक सवाल में ले लिया। प्रश्नकाल समाप्त हो गया इसमें हम इसलिए शामिल नहीं होते कि सदन का समय बरबाद न करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप शांत रहकर कृपया प्रोसीडिंग चलायें।

श्री नाथूसिंह : यह परिपाटी सदन में अच्छी नहीं है . . .।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : कौनसी वजह है कि आप परिपाटी को . . .

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं, इनको बोलने नहीं देते। आप पाइन्ट आफ आर्डर उठायें।

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज प्रश्न नियमों के अन्तर्गत है, उसमें क्या लास हुआ है। चाहे विरोधी पक्ष के नेता महोदय हों अथवा अन्य कोई माननीय सदस्य हों उनको नियमानुसार हमें सूचित करना चाहिये। उसके बाद में उसके लिए समय निश्चित किया जा सकता है और उसके पश्चात् उस पर विचार किया जा सकता है। यकायक प्रश्न उठाया जाता है, ठीक बात है पर उसको नियमानुसार लायें उस पर विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नियम मैं भी जानता हूं पर सदन की परंपरा क्या रही है। हाउस में दो प्रकार के प्रिविलेज मोशन होते हैं। एक ऐसा कि जिसको इमिजियेटली उठा नहीं सकते। उसके लिए रूल्स में कहा गया है कि उसका नोटिस देंगे, उसमें जांच करेंगे, उसमें आपका निर्णय होगा, निर्णय होने के बाद समय निश्चित होगा और उसके बाद प्रिविलेज मोशन लिया जायेगा।

एक ऐसा जैसे कल हाउस का ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ दो आदमियों ने हाउस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में पर्चे फेंके। उसके लिए मैं भी आपत्ति कर सकता था। माननीय सदस्य रूल 276 को रिलेक्स करने का प्रस्ताव ला सकते थे। लेकिन हमने रिलेक्सेशन की मांग नहीं की और इसीलिये नहीं की क्योंकि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ; हाउस का अपमान हुआ। आज वही स्थिति इस प्रस्ताव में है। मैं प्रिविलेज मोशन उठाना चाहता हूं। मैं समझता हूं, प्रिविलेज मोशन से मैं परिचित हूं हाउस में जो रूलिंग हुई है उनसे भी परिचित हूं। थोड़ा बहुत लोक सभा या अन्य विधान सभाओं में जो रूलिंग हुई हैं उनसे भी मैं परिचित हूं। हाउस में एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उठाने की आवश्यकता है। इस प्रिविलेज मोशन और जो रूटीन में प्रिविलेज मोशन उठाया जाता है उसमें अन्तर है। हमने कल भी उस अन्तर को देखा है जब दो आदमियों ने पर्चे फेंके और हाउस में इस प्रकार का मोशन मूव किया। तो आपकी व्यवस्था पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। व्यवस्था जो आप देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से विचार करें।

आज मान लीजिये, हाउस के अन्दर कोई आपस के अन्दर मारपीट हो जाती है। आप यह कहेंगे कि मुझे लिख कर नोटिस दिया जाये ? आप कहेंगे कि इसमें रूल कोट किया जाये ? मैं समझता हूं उस समय रूल कोट करने की बात नहीं कहेंगे। उस समय रूल के अनुसार नोटिस देने की बात नहीं कहेंगे। इमिजियेट कॉज यदि कोई बनता है तो उस समय हाउस में माननीय सदस्यों को अधिकार है मोशन उठाने का वह माननीय सदस्य चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने उस आधार पर ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन की बात कही। यदि आप अनुमति देंगे तो मैं बोलूंगा, यदि नहीं देंगे तो नहीं बोलूंगा।

एक माननीय सदस्य : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं इन्होंने, विपक्ष के नेता महोदय ने जो प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक प्रश्न उठाना चाहता हूं यदि आप इजाजत दें तो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। मंत्री जी।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता ने जो बात कही है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है यह बात सही है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन बनता ही नहीं लेकिन मैं इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि एक ब्रीच आफ प्रिविलेज वह होता है जो कल हुआ है। उसमें डिसप्यूट नहीं होता। आउट राइट ब्रीच आफ प्रिविलेज यूं नहीं बनते जो ब्रीच आफ प्रिविलेज सही है उसके लिए हाउस के अन्दर बात आई है और उसका फैसल हुआ। लेकिन जो डिसप्यूटेड होता है, उसके बारे में नोटिस देना चाहिए। नोटिस देने के बाद आप जो कहेंगे, उसका जवाब हम देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने कहा कि इस मामले में माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य के अन्दर या अपने तर्क के अन्दर कोई बात कही। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कभी किसी मिनिस्टर या मन्त्री ने सदन के अन्दर चाहे लोक सभा में, चाहे किसी राज्य विधान सभा के अन्दर अगर गलत बयानी की तो उसके अंदर रेगुलर नोटिस देना पड़ेगा। इसमें ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन नहीं हो सकता। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप चाहे रूल्स देख लें।

मैं विरोधी पक्ष के नेता से कहूंगा कि कोई रूल्स, कोई नियम कोट करें, यह इमीजियेट काज नहीं है जो सदन के अन्दर लाया जा सके। यह मेरा निवेदन है इस मामले के अन्दर।

श्री खेतसिंह राठोड़ : जो रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनेस हैं राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली के उनमें क्वेश्चन आफ प्रिविलेजेज का चैप्टर है 19 जिसका रूल है 157 Question of Privilege...

"A member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee thereof."

दूसरा है 158 Notice of question of privilege.

"A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be raised ...." यह आपने दिया नहीं। आप रूल्स को जानते हैं, फिर भी रूल्स की अवहेलना कर रहे हैं। दो अलग-अलग प्रिविलेजेज बनाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सदन गुमराह नहीं होता। ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है तो बाकायदा नोटिस दें। स्पीकर महोदय देखेंगे, अगर रूल्स के तहत प्रिविलेज बनता है

(व्यवधान)

तो प्रिविलेजेज कमेटी को रेफर कर देंगे, उसमें प्रिविलेजेज कमेटी अपने आप एक्शन लेगी। लेकिन जिस प्रकार से सदन में प्रिविलेज का सवाल लाकर आप बाधा डाल रहे हैं, यह उचित नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मोशन आफ प्रिविलेज की आड़ में सरकार को धमकी है। और कुछ नहीं है, एक मात्र धमकी है जिससे कि मंत्री महोदय धमकी के आगे झुक जाएं। प्रिविलेज का कतई प्रश्न नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धमकी है या नहीं, सुनने के बाद अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि धमकी है तो मान लूंगा लेकिन मैंने जो कुछ कहा उसको सुना नहीं और आपने अनुमान लगाया कि धमकी है। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, माननीय खेतसिंह जी को तो जानकारी नहीं है, विधान सभा में आते हैं और कई बार बाहर रहते हैं, इसलिए इनको पूरी जानकारी नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दोनों बराबर हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा था कि कई जागरूक माननीय सदस्यों को जानकारी होगी, आज से छः वर्ष पहले लोक सभा में एक प्रश्न उठा था । प्रश्न इस बात का था कि एक लोक सभा सदस्य ने 30-40 संसद सदस्यों के हस्ताक्षर करवा कर स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्रा को एक कागज दिया । उस कागज के आधार पर एक क्वेश्चन दिया । यह क्वेश्चन बड़ा हिस्टोरीकल है, आपकी जानकारी के लिए भी कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, बाधा उपस्थित न करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा था कि उस समय मैं राज्य सभा का सदस्य था । एक प्रश्न आया श्री चंद्र शेखर का । शायद उनका नाम तुल मोहन राय था । जब प्रश्न आया उस समय चट्टोपाध्याय मंत्री ने उत्तर दिया कि जो परमिट दिया गया है अमुक अमुक सदस्यों के हस्ताक्षरों के कारण दिया गया है, यह उत्तर उनका स्पष्ट था जो फैक्ट्स थे वह चट्टोपाध्याय जी ने आउट कर दिए । उसी समय चंद्र शेखर खड़े हुए, उन्होंने कहा सदन की मानहानि . .

(व्यवधान)

आप थोड़ा खोल कर रखें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरदारजी, मैंने कहा कानों पर जो पट्टी लगा रखी है उसको खोल दें । मैंने विभाग का नाम नहीं लिया ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी मिली भगत नहीं चलेगी ।

एक माननीय सदस्य : आप ××× बोल रहे हैं । सदन में आप ××× बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप गुमराह कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने जो कहा वह कार्यवाही से बाहर निकाल दें । यह सदन की मानहानि है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा था उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री चंद्र शेखर ने आपत्ति की । आपत्ति इस बात की की कि माननीय मंत्री ने जिन सदस्यों के नाम लिए हैं कि इनकी सिफारिश पर मैंने इस प्रकार का इम्पोर्ट लाइसेंस दिया है, पहले मंत्री महोदय को उन सदस्यों से जानकारी करनी चाहिए थी । यदि वे इसकी हां भरते उसके बाद में इस सदन में उसकी जानकारी दी जा सकती थी । उस समय ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन मूव किया ।

(व्यवधान)

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने केवल उदाहरण दिए हैं वह इसलिए दिए हैं कि सदन में यदि कोई मामला उठता है तो उस विषय पर हाउस काग्नीजेन्स ले सकता है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि उसमें अनुमति नहीं है, मुझे चिंता नहीं होगी लेकिन मेरा केस यह है कि जिस समय मंत्री महोदय ने यह कहा कि मैंने विधायकों के कहने से स्थानान्तरण किए, तो उन विधायकों में सदन के 200 सदस्य आते हैं, एक सदस्य नहीं आता है, 200 सदस्य आते हैं, बहुत सदस्य आते हैं· जैसे डॉक्टर हरिसिंह ने सिफारिश नहीं की हो· · ·

(व्यवधान)

मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने कोई सिफारिश नहीं की होगी···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन्क्वायरी रिपोर्ट· · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : आपके भ्रष्टाचार की रिपोर्ट बहुत है।

एक माननीय सदस्य : चोरों को बचा रहे हो।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्यादा अच्छा है, अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति नहीं दें। मैं कल मूव कर दूंगा, मुझे आपत्ति नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मामला सीरियस है। इस सदन के विरोधी पक्ष· · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

विपक्ष के नेता ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है उस पर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं। उस पर बाद में निर्णय दे दूंगा। अभी जो नियम मैंने देखे हैं उनमें एक ही तरीका है कि नोटिस के माध्यम से उठायें। यदि पहले कोई ऐसी परम्परा रही है· · ·

(व्यवधान)

कि सदन के अन्दर कोई मामला हुआ है और उसको उसी वक्त उठाया गया तो उस पर भी विचार किया जाएगा।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन की कार्यवाही में बाधा

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी तक यह देखा गया है कि जब भी इधर से कोई माननीय सदस्य बोलता है तो उसको ××× करके बोलने नहीं दिया जाता है। विरोधी पक्ष के नेता महोदय बैठे बैठे इशारा करके यह करें कि· · ·

(व्यवधान)

××× शब्द, माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)
अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से कोई भी बोलें तो नहीं बोलने दिया जाता है। इधर से भी बोलें तो उनको हल्ला गुल्ला करके बोलने नहीं दिया जाता है। अगर इस तरह हल्ला गुल्ला की हालत रहती है तो फिर क्या किया जाय। इसके लिये मैं व्यवस्था चाहूंगा कि आप अपनी इसके ऊपर व्यवस्था दें। कोई भी सदस्य बोलता है तो उसको बोलने दें। केवल आप यह चाहें कि भैरोंसिंह जी बोलें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया अध्यक्ष को बाहर रहने दें।

श्री हरिसिंह : तो, अध्यक्ष महोदय, आप ऐसी व्यवस्था करें कि कोई बीच में नहीं बोले।

श्री अध्यक्ष : इस कार्य के लिये आप कम से कम अध्यक्ष को तो इसके बाहर ही रहने दीजिये।

श्री सुखलाल सेगवा : अध्यक्ष महोदय, सदन में बैठे विरोधी दल के नेता यों यों करते हैं। यह परम्परा पड़ गयी है, इशारा करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यों यों क्या ? करता नहीं हूं अगर करता हूं तो मैं तो आपकी वाहवाही करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं हरिसिंह जी के बारे में तो यह कह सकता हूं कि जब वह मेरे साथ थे और मैं उनका नेता था तो वह इसी प्रकार की हरकतें किया करते थे।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस कर्मचारियों द्वारा पिछली बार किये गये आन्दोलन के दौरान बरखास्त किये गये कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद सेवा में वापस न लेने के विषय में,

(2) श्री त्रिलोकसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले के कुडली गांव में पागल कुत्ते के काटने से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

(3) श्री महावीर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से अकाल के तहत काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य कराये गये थे उनको गत 31 जुलाई से बन्द कर देने के विषय में,

सदन में आज अकाल राहत कार्यों पर चर्चा की जा रही है और माननीय सदस्य

(श्री अध्यक्ष)
उस समय इस पर चर्चा उठा सकते हैं, अत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) सर्व श्री गुलाबचन्द कटारिया, रघुवीर सिंह कौशल व नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि अभियान्त्रिकी की ट्रैक्टर ट्रेनिंग के चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी मुकेश माथुर के 18 जून, 80 से हिसार से लापता होने के विषय में,

(5) सर्व श्री मालाराम व घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम रंवा का बान्ध टूट जाने से गांव में पानी भर जाने के विषय में,

(6) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्या, विधान सभा की ओर से मोती डूंगरी स्थित दादाबाड़ी जैन मन्दिर जयपुर से गत 2 अगस्त को दो दुर्लभ जैन मूर्तियों के चोरी हो जाने के विषय में,

(7) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 27 जुलाई को अजमेर नगर से राजकीय स्कूल राणावास जिला पाली के एक अध्यापक व उसके साथियों द्वारा सिलाई केन्द्र डिग्गी से कुमारी ईश्वरी नामक महिला को फरार करने की घटना के विषय में,

(8) सर्वश्री हंसराज शर्मा व चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर क्षेत्र में वन कर्मचारियों द्वारा जानवरों की चराई पर रोक लगाने के विषय में;

(9) श्री बन्शीलाल पटवा, सदस्य, विधान-सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर की प्रताप नगर बस्ती में अशुद्ध पेयजल के वितरण के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

इसके अलावा आज कई माननीय सदस्यों ने ऐसे स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है जो इस व्यवस्था में शामिल करने के लायक नहीं। अत: मैं इनके बारे में कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं। इनमें से कुछ माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जिन्होंने एक से अधिक स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है।

(1) सर्वश्री घनश्याम तिवाड़ी व जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में कुछ स्थानों पर उल्टी व दस्त से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के विषय में।

इस विषय में सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जावेगा।

(2) सुश्री पुष्पा जैन व 4 अन्य माननीय सदस्यों की ओर से राज्य में खरीफ की बुवाई के लिये तकावी वितरण न करने के विषय में।

आज अकाल राहत की मांग पर माननीय सदस्य इस विषय में भी चर्चा उठा सकते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से सिकराय क्षेत्र में छोई नामक नदी के बहाव के कारण गांव में पानी भर जाने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं यह उचित नहीं समझता कि इनको स्वीकृति प्रदान की जाय।

इसके साथ-साथ कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनके एक से अधिक स्थगन प्रस्ताव हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से स्थगन प्रस्ताव की परिधि में नहीं आते हैं। उन माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्थगन प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर दिये जाते हैं। माननीय सदस्य एक-एक ने 15-15 और 20-20 और 25-25 स्थगन प्रस्ताव दे दिये हैं जब कि स्थगन प्रस्ताव एक माननीय सदस्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर एक ही बार सदन में उठा सकते हैं। कई माननीय सदस्यों ने सदन में तीन-तीन चार-चार बार स्थगन प्रस्ताव उठाये हैं। इस तरह मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि कई मसले ऐसे हो सकते हैं जो कि कोई दुखद दुर्घटना के सम्बन्ध में हो सकते हैं, पर शायद वह सार्वजनिक अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हों। पर अगर कोई सार्वजनिक महत्व का हो तो मैं उसको रिजेक्ट तो नहीं करूंगा आपको बोलने की उसके बारे में अनुमति दे दूंगा। पर स्थगन प्रस्ताव सदन में वही स्वीकृत होंगे जो कि अविलम्बनीय लोक महत्व के होंगे।

उन सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:–

1. श्री त्रिलोकसिंह
2. श्री रामकिशोर मीणा
3. श्री हीरालाल आर्य
4. श्री बालचन्द्र आर्यवीर
5. श्री अनंगकुमार
6. श्री भगवानदास शास्त्री
7. श्री नाथूसिंह
8. श्री समर्थलाल
9. श्री छीतरलाल आर्य
10. श्री रघुवीरसिंह कौशल
11. श्री दाऊदयाल जोशी
12. श्री चुन्नीलाल जेलिया
13. श्री हंसराज शर्मा
14. श्री रतनलाल ताम्बी

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, यह क्या तरीका है कि मैं बोल रहा हूं और आप बीच में व्यवधान कर रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आज रखा है। राजस्थान पत्रिका में भी छपा है कि रोडवेज के तीन परिचालकों ने एक विधवा के साथ बलात्कार किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप स्थान ग्रहण करें। यह आपने यकायक सदन में कैसे उठा दिया है।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। कृपया शान्त रहें। मैं यकायक आपको इस तरह सदन में प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। यह कोई बात नहीं हुई कि आप बोलने खड़े हो गये। आपने अगर स्थगन प्रस्ताव दिया है तो उस पर आपको व्यवस्था दूंगा। उसके ऊपर अगर आपको कोई शक शुबाह हो तो आप मुझ से आकर मेरे चेम्बर में मिल सकते हैं। अगर वास्तव में वह प्रश्न कोई अविलम्बनीय लोक महत्व का होगा तो मैं उसके लिये आपको अनुमति दूंगा और यहां पर सरकार के द्वारा वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था करूंगा। पर इस तरह मैं आपको सदन में चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्तावों पर
सरकार द्वारा जानकारी देने में विलम्ब

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों के बारे में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जो अविलम्बनीय लोक महत्व के स्थगन प्रस्ताव हम सदन में रखते हैं उनके कारण चाहे कोई हों पर सरकार की तरफ से हमें कोई रेस्पोन्स नहीं मिलता है। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार न तो स्थगन प्रस्तावों के लिए विजिलेन्ट है, और न ही हमारे यहां क्या हो रहा है इसके लिए विजिलेन्ट है। अभी प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उठाया। इस घटना के बारे में राजस्थान पत्रिका में भी छपा था। होना तो यह चाहिए कि राज्य सरकार विपक्ष को मौका ही नहीं दे और खुद अपनी तरफ से ही पहल करके सदन में स्टेटमेन्ट ऐसी घटनाओं के बारे में दे दे। पर चूंकि सरकार विजिलेन्ट नहीं है इसलिए हमें सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर राज्य सरकार का ध्यान घटनाओं की ओर आकर्षित करना पड़ता है। पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि न तो सरकार विजिलेन्ट है न सरकार किसी प्रश्न का प्रोम्पटली जवाब देती है और न ही अपनी रेस्पान्सिबिलिटी ही समझती है। ऐसी हालत में हम क्या करें। अध्यक्ष महोदय, 36 घण्टे और 72 घन्टे व्यतीत होने के बाद भी सरकार की तरफ से उत्तर नहीं आता है जब कि आपकी व्यवस्था है कि 24 घन्टे में राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त हो जाना चाहिए। आखिर हमारे सत्र की सीमा है। मैं मुख्य सचेतक महोदय से कहूंगा कि वह माननीय शिक्षा मंत्री जी को विजिलेन्ट करें, इनके तो विजिलेन्ट होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, जो विरोधी दल के नेता ने कहा है मेरे बारे में उसके बारे में आपका निर्णय चाहूंगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप अपने शब्दों को वापस लो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुछ कार्यवाही सुनने तो दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विजिलेन्ट न होने से मेरा मतलब किसी तरह के एसपर्शन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से नहीं है। आपका विभाग नहीं है तो नेचरली आप विजिलेन्ट पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में नहीं हो सकते लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं, जो होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं वह चाहे चीफ मिनिस्टर हों या डिप्टी मिनिस्टर हों उनको निश्चित रूप से विजिलेन्ट होना चाहिए इसमें किसी तरह का शक नहीं है। इसमें प्रभाकर जी को उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताने की कोशिश की है शिक्षा मंत्री के नाते आपको विजिलेन्ट नहीं होना चाहिए, विजिलेन्ट होना चाहिए होम मिनिस्टर को, कन्सर्न्ड मिनिस्टर को। वह यहां पर मौजूद भी नहीं हैं। आज राजस्थान पत्रिका में जिस तरह का समाचार छपा है मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के लिए वह शोभा की चीज नहीं है। आपको अपनी तरफ से स्टेटमेन्ट देना चाहिए था कि हमने इस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया है और हमने इस तरह की कार्यवाही की है। यदि आप कार्यवाही कर लेते तो विरोधी दल के हथियार ठंडे हो जाते। हम तो अपने हथियारों को म्यान में रखना चाहते हैं लेकिन यह सरकार उनको निकलवाना चाहती है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने कुछ बातें कही। यह बात तो सही नहीं है कि राज्य सरकार की ओर से उत्तर आता ही नहीं है। उत्तर आता है···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेट

श्री अध्यक्ष : यह भी बात नहीं है। कभी 24 घण्टे में आता है, कभी 48 घण्टे में आता है और कभी 72 घण्टे में भी आता है··

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आप माफ करना, अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है 24 घण्टे की। आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि 48 घण्टे में आता है तो मैं मान कर चलता हूं कि यह व्यवस्था सही नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : लाखों रुपयों की सम्पत्ति राजस्थान पत्रिका को भैरोंसिंह जी ने ही दी है····

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां दी है। मैंने मकान दिया, आप में हिम्मत हो तो ले लो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने सात दिन पहले एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उस पर आपने अभी तक व्यवस्था नहीं दी है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। इस तरह नहीं आयेगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप बार बार आसन की अवहेलना कर रहे हैं।

(व्यवधान)

(38)

(श्री अध्यक्ष)

ऑर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरे प्रश्न का उत्तर कल नहीं आया, आज नहीं आया · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का कल ही फैसला हुआ था आज आप भूल गए।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोकसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कातरे के संबंध में · · ·

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(व्यवधान)

इस तरह से व्यवधान उपस्थित करेंगे तो मैं किसी को भी अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। · ·

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

अंकित न हो।

श्री बालचन्द आर्यवीर : ×××

श्री अध्यक्ष : अब श्री महावीर प्रसाद को · · · ·

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। आज अकाल राहत पर जब चर्चा होगी उस समय काम के बदले अनाज के संबन्ध में बोलने की आपको अनुमति दे दूंगा। माननीय सदस्य, उस समय बोलें।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

कृषि अभियांत्रिकी की ट्रैक्टर ट्रेनिंग के चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी मुकेश माथुर के लापता होने के विषय में।

श्री नाथूसिंह : On a point of order, sir.

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर पाइन्ट आफ आर्डर अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर आप अलाऊ क्यों नहीं करेंगे? हमने एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है उस पर आपने व्यवस्था नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, कल दिया है और आप कहते हैं कि परिधि में नहीं आता है। परिधि में क्यों नहीं आता है, किस नियम के तहत वह नहीं आता है? · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। अंकित न हो

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप कार्यवाही रोकना चाहते हैं ? इस तरह से नहीं होगा । अंकित न हो

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । अंकित नहीं हो ।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : व्यर्थ में समय जा रहा है। अंकित न हो ।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री ईश्वर लाल सैनी : यह आसन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। इन्हें सदन से बहार निकाला जाये ।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री नाथूसिंह : × × ×

मैं रूल 50 कोट करके · · ·

श्री अध्यक्ष : रूल्स सब जानते हैं। मैंने सोच समझ कर व्यवस्था दी है ।

श्री नाथूसिंह : क्यों नहीं आता परिधि मे, मैं जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : वह अलग से प्रश्न है । आर्डर, आर्डर ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह आदेशों की अवहेलना है इसलिए इन्हें बाहर निकाला जाये । यह अपनी बात जबरदस्ती कहे जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है ।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज · ·

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह बड़ी चौपड़ पर जाकर भाषण क्यों नहीं देते हैं, छोटी चौपड़ पर जाकर भाषण क्यों नहीं देते हैं । हम भाषण सुनने के लिए नहीं आये हैं हम सदन की कार्यवाही चलाने के लिए आये हैं। यह सदन को गुमराह करना चाहते हैं। इनको बाहर निकाला जाये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो । मैं नहीं सुन रहा हूं ।

आसन की आज्ञा को क्रिटिसाइज करने के लिए यहां अलाउ नहीं करूंगा । आप मुझसे चेम्बर में बात कर लें । इस तरह से आप कार्यवाही नहीं थोप सकते । मैं अलाउ नहीं करूंगा ।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

व्यवस्था का प्रश्न

आसन के आदेश के उपरांत बोलते रहने पर अंकित न करने के आदेश

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी आज्ञा के विरोध में कोई बोले उसको रिकार्ड नहीं किया जाये, इस तरह की ब्लैंकेट आथोरिटी आसन को देने के लिए हम तैयार नहीं हैं· ·

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कौन हैं देने वाले ? रूल्स के हिसाब से होगा। आप कोई तानाशाह या हिटलर नहीं हैं। आप व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप रूल कोट कीजिए। अंकित न हो यह ब्लैंकेट आथोरिटी हम आसन को नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विरोधी पक्ष के नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम : मैं विरोधी दल के नेता महोदय से कहना चाहता हूं कि आज आप को क्या हो गया है ? किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं· · · ·

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अध्यक्ष महोदय की ओर आपकी दया पर निर्भर नहीं हूँ· · ·

(व्यवधान)

आप जो भी व्यवस्था दें मुझे शिरोधार्य है। लेकिन आपकी व्यवस्था यदि स्वीकार नहीं करें, मान लिया जाये कि इस तरह की कोई स्थिति रहे कि हम दुबारा आपके सामने चीज रखें, उसे आप स्वीकार नहीं करें और यह आदेश दें जो कुछ मैंने व्यवस्था दे दी, उसके बाद में बोलेंगे तो वह रिकार्ड नहीं होगा तो आप· ·

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी व्यवस्था के ऊपर वे बोले जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सदन में किसी तरह डिसआर्डर हो। डिसआर्डर के समय यदि आप आदेश दें, या सदन में डिसआर्डर हो रहा है और कतिपय माननीय सदस्य अध्यक्ष की व्यवस्था को मंजूर नहीं कर रहे हों उस स्थिति में यदि आप यह समझें कि हाउस की प्रोसीडिंग्स में वह रिकार्ड नहीं होना चाहिए तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में सदस्य बोल नहीं सकें और कोई बोलें तो रिकार्ड न हो, इस व्यवस्था को मैं नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हम मानने को तैयार नहीं हैं · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। मैं कुछ निवेदन कर दूं।

ऐसा है कि अभी जो व्यवस्था दी थी, उसके मायने यह नहीं हैं कि हमने जो हुक्म दे दिया, वह नादिरशाह का हुक्म है, उसके बाद में कोई बोल नहीं सकता। ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। लेजिस्लेचर में डिबेट का जो राइट है उस पर हम किसी तरह का

(श्री अध्यक्ष)

अंकुश नहीं लगाना चाहते। प्रातःकाल से जैसी परिस्थिति चल रही है, वह मैं नेता महोदय को बता दूंगा, चेम्बर में। विभिन्न विषयों पर जितने स्थगन प्रस्ताव आते हैं, उनमें से जिनको क्योंकि हमने व्यवस्था में अस्वीकार कर दिया, इसलिए उन सब पर बोलने का अधिकार दे दिया जाय तो सदन का अधिकतर समय उसी में चला जायेगा। यह मिस-अन्डरस्टैन्डिग विपक्ष के नेता महोदय और सभी माननीय सदस्य दिमाग से निकाल दें कि मेरा कोई ऐसा इरादा है कि जो लेजिस्लेचर में राइट आफ डिबेट हैं माननीय सदस्यों का उसके ऊपर मैं कोई बंदिश लगाना चाहता हूं या उनका मुह बन्द करना चाहता हूं। अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी है उसके बाद कोई बोल ही नहीं सकता ऐसा मेरा इरादा नहीं, न तो कभी था न आज है और न कभी रहेगा।

स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था व परम्परानुसार विचार व्यक्त करने का अधिकार

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय दो व्यवस्थाओं के ऊपर सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर और दूसरा कन्वेन्शन। इस सदन में कई बार चर्चा हुई है और उस चर्चा के आधार पर यहां रूल्स आफ प्रोसीजर आम तौर से लोगों ने छोड़ दिये हैं, वहां कन्वेशन प्रिवेल करते हैं। यह मैं समझता हूं माननीय सदस्य खेतसिंह जी भी स्वीकार करते हैं कि रूल्स हमारे आब्संलिट हो चुके। राजस्थान विधान सभा के जो रूल्स हैं, रूल्स आफ बिजनेस है वह बिल्कुल ठीक है। मैं इसका विरोध, जब मैं सत्ता पक्ष में था, उस समय भी करता था और इस समय भी कहने को तैयार हूं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप बैठिये, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, बोल लेना, बाद में, मुझे आपत्ति नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आज भी मैं कहता हूं कि रूल्स बिलकुल आब्सलिट हो चुके। पिछली बार रूल्स कमेटी के माननीय श्री खेतसिंह जी सदस्य थे, माननीय हरिदेव जोशी जी सदस्य थे, माननीय परसराम जी मदेरणा सदस्य थे, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई सदस्य थे। मैं बिना पूछे यह बात कहने को तैयार हूं कि पिछली बार जो रूल्स कमेटी, जिसके खेतसिहजी, हरिदेव जोशी जी और कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्य थे, ने जो व्यवस्था दी उसको हम स्वीकार करते हैं। आपकी हिम्मत हो तो····

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : तब आपने स्वीकार नहीं की।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप सुनिये तो सही।

सत्य हमेशा सत्य रहता है, आज से दो वर्ष पहले माननीय खेतसिह जी ने बिल्कुल सही बात कही वह आज भी सही है, दो वर्ष पहले भी वह सही थी। मुझे इस बात का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अफसोस होता है कि आज सत्ता पक्ष के लोग जिस समय विरोध पक्ष में बैठे थे, उस समय उनका ख्याल दूसरा था, आज सत्ता में चले गये तो बदल गये। मैं समझता हूँ, खेतसिंह जी आपके जीवन में इस प्रकार का प्रकरण नहीं आया लेकिन मैं आपको एक सिद्धान्त की बात कहना चाहता हूं, सत्य अमर है। आपने दो वर्ष पहले जो कोई बात कही वह आज भी सत्य है। इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, हम कन्वेन्शन से चल रहे हैं। इन कन्वेन्शन के बारे में इस सदन के अन्दर एक बहुत अच्छा भाषण हुआ था और वह माननीय परसराम मदेरणा जी का हुआ था। मैं आज भी उनकी प्रशंसा करूंगा कि आज के दो वर्ष पूर्व उन्होंने कन्वेन्शन के आधार पर पार्लियामेंट और राज्य विधान सभा की जितनी भी कन्वेन्शन्स थीं, उन कन्वेन्शन्स को एक घण्टे तक कोट करके इस हाउस में यह सिद्ध कर दिया कि जहां रूल्स वर्क नहीं करते वहां कन्वेन्शन्स वर्क करेंगी।

(व्यवधान)

उन्होंने इसी हाउस में कन्वेन्शन बतायीं और हाउस में कन्वेन्शन्स बताकर अन्त में यह व्यवस्था करवाई कि जितने भी एडजोर्नमेंट मोशन आते हैं, सरकार को उनका उत्तर देना पड़ेगा और जीरो आवर यदि 5 बजे तक चलता है तो सरकार को बैठना पड़ेगा। यह व्यवस्था प्रोसिडिंग्स में है, मैं जबानी नहीं कहना चाहता उसको आप देख लें और फिर तय कर लें। मैं समझता हूँ पिछले विरोध पक्ष ने इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया था। आज सत्ता पार्टी खेतसिंह जी का अपमान करना चाहे तो मैं कहना नहीं चाहता, हरिदेव जोशी का अपमान करना चाहे तो मैं कहना नहीं चाहता लेकिन जो उनके कमिटमेंट हैं, वह पूरे कराये जायें। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : इसमें मुझे एक निवेदन करना है कि रूल्स कमेटी ने जो रिकमन्डेशन्स की थीं, उस वक्त जो सत्ता पार्टी के मुख्य मंत्री विरोधी दल के नेता श्री भैरोंसिंह थे, हमने रूल्स कमेटी की सिफारिशें सारी की सारी आपके सम्मुख रखी थीं। आपने उन्हें रिजेक्ट किया।

(व्यवधान)

इस वजह से वह लागू नहीं हो सकी। अब चूंकि आप हमारी जगह पहुंच गये और हम यहां आ गये तब आप यह व्यवस्था चाहते हैं कि हम उसे एक्सेप्ट कर लें तो हम भी इसको मानने वाले नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक ही बात कहना चाहता हूं कि जादू वो जो सिर पर चढ़ कर बोले। मुझे इस बात की खुशी है कि खेतसिंह जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जिस समय वे विरोध पक्ष में बैठे थे, उस समय गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करते थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आज जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। आज से दो वर्ष पहले विरोध पक्ष में बैठकर जो मर्यादाएं उन्होंने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कायम की, यदि दम हो और यदि मर्यादाओं में दो वर्ष पूर्व आपका विश्वास था तो वह मर्यादाएं हाउस में रख दें। यह आपके मुंह से निकल गया, यह बहुत अच्छा हुआ कि विरोध पक्ष में बैठे थे, उस समय कुछ और थे और सत्ता पक्ष में बैठकर आप सारी मर्यादाओं को भूल गये। यह मैं समझता हूं आपके लिए बड़ी ही शर्म की बात है। जो सही बात होती है वह मुंह पर आ ही जाती है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप दोनों का राजीनामा करा दीजिए, मनमुटाव की स्थिति नहीं आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बोल रहा हूं। आसन पैरों पर खड़ा है।

विपक्ष के नेता महोदय ने यह बात कही कि नियमों के अनुसार तो इस सदन की कार्यवाही चलती ही नहीं है और पिछले 4-5 सालों में नियमों का उल्लंघन करके जो कार्यवाही चलायी जा रही थी, वही हमारी परम्परा बन गयी है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। आम तौर से यहां कार्य का संचालन नियमों के अन्तर्गत होता है पर जहां तक स्थगन प्रस्तावों का प्रश्न है, स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का प्रश्न है, इसमें कुछ नियमों से हट कर के यहां कार्य संचालन होता रहा है। उदाहरण के लिए यदि कोई स्थगन प्रस्ताव सदन में लिया जाता है तो एक दिन में एक माननीय सदस्य एक प्रस्ताव लाते हैं, हालांकि अध्यक्ष के सम्मुख एक से अधिक प्रस्ताव भी आ सकते हैं लेकिन एक चर्चा के लिए आता है। यदि आसन ने उसको अस्वीकार कर दिया तो तत्पश्चात् उस पर कोई चर्चा नहीं होती, यह है रूल। लेकिन बहुत लम्बे समय तक माननीय सदस्य इस तरह के अस्वीकार हुए प्रस्तावों पर बोलते रहे। बोलते खुद उस स्थिति में थे। आसन उनको बार बार टोकता रहता था, वे बोलते रहते थे तो कार्यवाही एक तरह उन पर थोपी जा रही थी। इसलिए कुछ समय पूर्व एक तरह से दोनों पक्षों ने चीज मान ली कि यदि किसी माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया हो तो 2-3 मिनट के लिए उस प्रस्ताव पर बोलने के लिए उनको अनुमति दे दी जाय। और उसी के अनुसार हम अनुमति देते रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव जब हमारे सामने आते हैं तो तीन-चार तरह की व्यवस्था होती है। किसी को हम समझते हैं यह महत्वपूर्ण है। यह हमारे सोचने की बात है और जैसी हमारी बुद्धि होती है उसी के अनुसार निर्णय करते हैं। जब हम समझते हैं किसी स्थगन प्रस्ताव पर स्टेटमेंट दिलाना पड़ेगा सरकार की ओर से, काफी महत्वपूर्ण घटना होती है तो उसको सरकार के पास जानकारी के लिए भेजते हैं और जानकारी आने के पश्चात् हम उस पर निर्णय लेते हैं चाहे उसके ऊपर सरकार से वक्तव्य दिला दें अथवा यह कह दें कि इसके तथ्यों को देख लिया है। यह उचित नहीं समझते हैं कि सरकार स्पष्टीकरण दे तो उसको अस्वीकृत भी कर देते हैं और माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दे देते हैं कि वह अपनी बात कहना चाहें तो कह दें। दूसरी तरह के स्थगन प्रस्ताव इतने महत्वपूर्ण तो नहीं मानते

(श्री अध्यक्ष)

कि सरकार से जानकारी ली जाय और वक्तव्य दिलाने की तैयार की जाय लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य को कुछ न कुछ शिकायत है, तकलीफ है और कोई सार्वजनिक मामला है इसलिए सरकार के पास सूचनार्थ भेज देते हैं। कोई माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है तो कुछ न कुछ कार्यवाही की जाय। क्योंकि उन्हें यहां अस्वीकृत कर देते हैं इसलिये माननीय सदस्य दो-चार मिनट के लिए अपनी बात सदन में कह देते हैं। तीसरे प्रस्ताव वे हैं जिनके लिये पूर्व में परम्परा रही है कि जब बहुत अधिक संख्या में इस तरह के प्रस्ताव आने लग जाय और एक एक माननीय सदस्य 2-2, 3-3 प्रस्ताव दे दें तो उस स्थिति में न तो सरकार के पास सूचनार्थ भेजे जाते हैं, न कुछ कहने की अनुमति दी जाती है और उन्हें अस्वीकृत कर देते हैं। उनके लिये यदि अवसर भी दें तो सदन का बहुत समय चला जाएगा। हो सकता है उस स्थगन प्रस्ताव में अपने आप में कोई दुःख की घटना हो लेकिन वह अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना से सम्बन्धित नहीं होता है। इसके लिए पूर्व में व्यवस्था की गई है कि यह आवश्यक नहीं है कि आसन यहां पर मेंशन करे।

इसके पश्चात् आज का जहां तक प्रश्न है बहुत अधिक संख्या में, करीब 20-22 स्थगन प्रस्ताव आये हैं जिनमें एक एक माननीय सदस्य ने 2-2, 3-3 प्रस्ताव दिये हैं। घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती हैं लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने से अविलम्बनीय लोक महत्व की नहीं मानी जा सकती है तो उनके लिये हमने व्यवस्था यह की है कि जिनके बारे में हम समझेंगे कि कोई चर्चा चलाई नहीं जा सकती है तो हम कह सकते हैं कि निर्णय ले लिया है, इजाजत नहीं दी जा सकती है। स्थगन प्रस्ताव आया है लेकिन रिजेक्ट कर दिया है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों को एक····

श्री खेतसिंह राठौड़ : पूर्व में ऐसा होता रहा है।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष पद से महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन यह पुस्तिका अपने यहां की है इसके पेज····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है अपनी इस पुस्तिका के साथ सन् 1977 से लेकर अब तक जो अध्यक्ष पद से रूलिंग दी गई हैं, वह भी सचिवालय से मंगा कर देख ली जायं...।

श्री अध्यक्ष : जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं का उल्लेख अध्यक्ष द्वारा सदन में न किया जाय उन्हें अस्वीकृत समझा जाय तथा उनके सम्बन्ध में सदन में विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय ने कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त होने का उल्लेख करते हुए उन पर अपनी व्यवस्था दी तो जिन सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों का उल्लेख नहीं किया गया था, उन्होंने अपने प्रस्तावों के सम्बन्ध में बोलना प्रारम्भ किया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कुछ स्थगन प्रस्ताव जो महत्वपूर्ण हैं उन प्रस्तावों पर माननीय सदस्य विचार रख दें और सम्बन्धित मंत्री महोदय कल या परसों उनका उत्तर दे देंगे।

(श्री अध्यक्ष)

"एक माननीय सदस्य द्वारा अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में पुनः जानकारी चाही गई तो श्री मुरलीधर व्यास ने यह कहा-स्थगन प्रस्ताव पेश करने के नियम हैं। यह प्रस्ताव कितने दिनों पहले आ जाना चाहिये और उसका जवाब कितने दिनों में दिया जाय, इसके नियम हैं।

इस पर श्री अध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी-

माननीय सदस्य नियमों की बात उठाते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि जो अधिकांश प्रस्ताव हैं वे इस प्रकार के हैं कि जो सम्भवतः माननीय सदस्य प्रश्न के रूप में पूछना चाहते थे और प्रश्न के रूप में ही पूछे जाते तो ज्यादा उपयोगी रहते, लेकिन वह तो कर नहीं पाये और अब दो लाइन लिख कर दे दी। उनकी प्रतिलिपियां नियमानुसार दी जातीं मंत्रियों को या मुझे या सेक्रेटरी महोदय को तो उन पर कार्यवाही की जा सकती थी। इसलिये नियमों की बात करें तो तरीके से ही कर सकते हैं फिर भी माननीय सदस्यों की जो भावनायें हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए यहां पर विचार किया जा रहा है। जिन मामलों को मैं अहम समझता हूं मैं स्वतः ही उन मामलों को किसी न किसी तरीके से माननीय सदस्यों को बोलने के लिये प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर माननीय सदस्य अपने प्रस्तावों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो उसकी अहमियत के बारे में मुझे सन्तोष करा दें तो मैं उनके बारे में कोई न कोई उपाय करूंगा अन्यथा यही मान लिया जाय कि वे अस्वीकृत हो गये हैं और उनका सदन में उल्लेख करने की इजाजत नहीं है।"

जिन माननीय सदस्यों के इस तरह से प्रस्ताव रह जायं तो कृपया वे मुझसे चैम्बर में मिल लिया करें। उसके लिये हम अवसर दे देंगे लेकिन विचार करें, यह सम्भव नहीं लगता है। आज 22 प्रस्ताव आये हैं। एक एक माननीय सदस्य ने 3-3, 4-4 प्रस्तावों पर दस्तखत किये हैं। छोटी घटनायें भी हो सकती हैं और सम्भवतः बड़ी घटनायें भी हो सकती हैं। अब चूंकि 50-60 माननीय सदस्यों के प्रस्तावों को मैंने अस्वीकृत कर दिया है और समय सीमा में इजाजत देना बड़ा कठिन कार्य होगा इसलिये आसन को किसी न किसी रूप में व्यवस्था तो देनी ही पड़ेगी ताकि डिबेट हो, समय का सदुपयोग हो और सदन की कार्यवाही सचारुरूप से चले। इसके लिये हम पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरा इरादा कभी यह नहीं रहा है। जो आपका चर्चा करने का अधिकार है, महत्वपूर्ण मसले जिनके बारे में गहराई से विचार करते हैं, को यहां लाने का अधिकार है, सरकार उस पर समुचित कदम उठाये, आप उसको बाध्य कर सकें, इसमें मेरी आपके साथ सहानुभूति रही है। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जिस रूलिंग का रेफरेन्स देकर यह व्यवस्था दी है, माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि रूलिंग ओवर रूल हो जाती है तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। हाई कोर्ट ने कोई रूलिंग दे दी उसको सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल भी कर देता है। इसलिये मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निवेदन कर रहा हूँ आपने जो रूलिंग दी है वह पुरानी रूलिंग के आधार पर दी है। अब 1977 से लेकर 1979 तक की रूलिंग को भी देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : सोच समझ कर दी है, इस रूलिंग का तो सपोर्ट लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, 77 से लेकर 79 तक महारावल साहब जिस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने जो व्यवस्थाएं दी हैं, उनको भी आप देख लें। उसके आधार पर जो व्यवस्था बनती है, उसको हम मानने को तैयार हैं। ज्यादा अच्छा हो विरोधी पक्ष और सत्ता दल बैठ जाये और यह तय कर लें कि किन-किन माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार देना है और किन-किन माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार नहीं देना है तो आपकी कठिनाई का भी समाधान हो जायेगा कि किस विषय में किस माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दें और मैं समझता हूँ सदन का कार्य भी सुचारु रूप से चल सकता है।

श्री अध्यक्ष : इस पर भी मैं विचार करूंगा। यदि दो तीन माननीय सदस्य मुझे असिस्ट करने के लिए तैयार हों तो अलग अलग पक्षों से बात करके इसकी भी व्यवस्था की जा सकती है। यह कोई असम्भव बात नहीं है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय ने जो रूलिंग दी है वह वे पूर्व रूलिंग्स को ध्यान में रखते हुए नहीं दी है ...

श्री अध्यक्ष : अब तो हमारी यह रूलिंग आ गई है। आज से यह लागू होगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज से यह रूलिंग मानी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में मुझे तीन बातें अर्ज करनी हैं। पहली बात तो आपने यह कही कि एडजोर्नमेंट मोशन्स में एक तो ऐसे होते हैं कि जिनमें अनुमति प्रदान नहीं की जाती न ही सदन में बोलने का समय दिया जाता है। दूसरी तरह के एडजोर्नमेंट मोशन वे होते हैं कि जिन पर आपने अनुमति तो नहीं दी, उनको आप अस्वीकार कर रहे हैं लेकिन यहां पर बोलने की अनुमति आपने दे दी है और जिसके लिए सरकार बाध्य नहीं है कि अपनी तरफ से कोई सूचना दे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सदन की ऐसी कोई परिपाटी नहीं है, उसके बारे में सरकार जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरी प्रकार के एडजोर्नमेंट मोशन वे होते हैं जिन पर आपकी अनुमति होती है। उसके आधार पर सदस्य यहां पर मामले उठाते हैं और उन पर सरकार की तरफ से वक्तव्य होता है। ये तीन प्रकार के एडजोर्नमेंट मोशन की परिभाषा आपने बताई है। अध्यक्ष महोदय, आपकी इस व्यवस्था के अन्दर आपने इस प्रकार तीन कैटेगरीज में एडजोर्नमेंट मोशन्स को विभाजित किया है। एडजोर्नमेंट मोशन का जो खास मंतव्य होता है, उसका खास उद्देश्य होता है लोक महत्व का मामला है। और विषय के महत्व को देख कर मान-

(श्री नाथूसिंह)

नीय सदस्य यहां पर एडजोर्नमेंट मोशन रखते हैं। आपने यह भी बताया कि एडजोर्नमेंट मोशन के लिए अर्जेंट मामला होना चाहिए और दूसरा पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मामला होना चाहिए। ये दो चीजें एडजोर्नमेंट मोशन के लिए होनी चाहिए। अब हमें यह कैसे पता चले कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। जो भी एम.एल.एज. हाउस में मामले लाते हैं वे दो ही बातों को ध्यान में रखते हुए लाते हैं विशेष रूप से कि ये अर्जेन्ट हैं और पब्लिक इम्पोर्टेन्स के हैं। इसके अलावा आपने यह रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बुक भी दे रखी है, नियम दे रखे हैं उसमें भी यह दिया हुआ है कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनके बारे में एडजोर्नमेंट मोशन नहीं रखे जा सकते हैं। जब हम कोई भी एडजोर्नमेंट मोशन देते हैं, वे इनकी परिभाषा में आते हैं और आप उनको तीन कैटेगरीज में बांट देते हैं तो हमें कैसे पता चले कि किस कैटेगरी में हमारा एडजोर्नमेंट मोशन आने वाला है। या तो स्पेसिफाई करके यह तय कर दें।

श्री अध्यक्ष : विचार-विमर्श करके ही ऐसा करते हैं।

श्री नाथूसिंह : यदि आप उसको अस्वीकार कर देते हैं तब तो यहां पर बोलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर उनको दूसरी कैटेगरी में लेते हैं तो एडजोर्नमेंट मोशन का जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो उसका महत्व होता है वह महत्व ही समाप्त हो जाएगा। यह हमारी भावनाओं के विपरीत काम होगा। फिर अगर हम मजबूर होते हैं यहां पर चर्चा करने के लिए तो उस समय आप यह कह सकते हैं कि इसके बारे में स्पष्ट व्यवस्था है और आपने तीन कैटेगरीज में बांट दिया है।

श्री अध्यक्ष : आखिर हमको ही निर्णय देना पड़ेगा। पूर्व में भी व्यवस्था है। हम किस आधार के ऊपर निर्णीत करेंगे, वैसे मूल आधार तो जो नियमों की स्प्रिट है, नियमों के पीछे जो भावना है, वही होती है। लेकिन आखिर में उसको निर्णीत तो अध्यक्ष ही करता है। उसका डिस्क्रिशन तो है ही। उसके लिए आप यहां नहीं कह सकते। जिसको आपने महत्वपूर्ण समझ लिया है, यह जरूरी नहीं है कि आसन भी उसको उतना ही महत्वपूर्ण माने।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था का सम्मान करता हूं। लेकिन साथ ही स्थिति यह भी है कि कोई भी एडजोर्नमेंट मोशन लायें हैं, उसके लिए यहां के रूल्स भी पढ़े हैं, मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस भी पढ़ी है, उसके अन्दर कहीं पर भी इस तरह का एडजोर्नमेंट मोशन के लिए मुझे उल्लेख नहीं मिलता, कहीं भी लोक सभा में या राज्य सभा में भी नहीं है। एडजोर्नमेंट मोशन तो एक ही कैटेगरी में आते हैं उनको आपने जो तीन कैटेगरी में बांटा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : परम्परा वही है, नियमों में इतना ही है कि या तो स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य देने के लिए यह दें अन्यथा हम उसको अस्वीकृत कर दें, फिर सदन के अन्दर कोई चर्चा ही नहीं हो सकती। तो आपके फायदे के लिए ही हमने यह किया है कि अगर

(श्री अध्यक्ष)
रिजेक्ट कर देते हैं तो भी आपको कुछ केसेज के अन्दर अनुमति देते हैं कि आप थोड़े में मामले को रखें। यह परम्पराओं के आधार पर, जनहित की दृष्टि से रखते हुए माननीय सदस्यों की जो समस्यायें हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही हमने रिलेक्सेशन दे रखा है। मैं समझता हूं कि इतना ही पर्याप्त है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव था उसकी सूचना समय पर नहीं मिली थी। उस प्रस्ताव को तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लिया जा रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : आपका फर्माना दुरुस्त है, अगर किसी माननीय सदस्य का प्रस्ताव समय पर नहीं आये तो उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको यदि कोई ग्रिवेंसेज हैं तो आप आकर चेम्बर में मिल लें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने आपको काल अटेंशन मोशन दिया था और आपने उसको ध्यानाकर्षण में परिवर्तित कर दिया है, उसके उपरान्त भी विभाग से कोई सूचना नहीं आई है। आपने व्यवस्था दे दी ···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, उस पर डिबेट भी हो चुकी है। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर भी नहीं आता है और प्रस्ताव भी नहीं आता है तो आखिर हम कहां जायं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दी अथवा हमारे सेक्रेटेरियट ने जो भी निर्णय किया है उसकी यहां पर चर्चा नहीं हो सकती है। माननीय सदस्य, थोड़ा नियमों का ध्यान रखें। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आखिर मैं अपनी बात कैसे रख सकता हूं····

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। आप यहां पर नहीं कह सकते।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं चैम्बर में भी मिलने आया····

श्री अध्यक्ष : यह जरूरी नहीं है कि कोई भी फैसला आपके माफिक ही हो।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरे माफिक होता तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं होती। मेरी बात सुनी नहीं गई···

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। अगला विषय। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 31 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था ...

श्री अध्यक्ष : किस बारे में ?

श्री जीतमल जैन : भारत कैमिकल इन्डस्ट्री के बारे में ।

श्री अध्यक्ष : उस पर स्टेटमेंट दिलाया जा रहा है ।

श्री जीतमल जैन : आज पांच तारीख हो गई है ....

श्री अध्यक्ष : रोजाना एक ही आता है उसके हिसाब से एरेंजमेंट किया जा रहा है । आप आफिस में मालूम कर लें ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं अध्यक्ष महोदय, जिस विषय की चर्चा करने जा रहा हूं ...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य । वैसे भी काफी समय चला गया है ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह माननीय प्रश्न है, श्रीमान् । सीकर के जगदीश नारायण माथुर का सुपुत्र मुकेश माथुर उदयपुर विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी विभाग का विद्यार्थी है । वहां के कोर्स के अनुसार ट्रैक्टर ट्रेनिंग कालेज हिसार में एक महीने की ट्रेनिंग करने के लिये जाना पड़ता है । श्रीमान्, उदयपुर विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग को प्राप्त करने के लिये वह हिसार ट्रैक्टर ट्रेनिंग कॉलेज में 2 जून के दिन जाकर अपना काम प्रारम्भ करता है । कुछ दिनों के पश्चात् उसके पिताजी की बीमारी के कारण वह सीकर आया और सीकर से फिर 17 जून को अपने कालेज में पहुंच चुका था । श्रीमान्, उसके पश्चात् 18 तारीख से उस बालक का कोई पता नहीं है । उसके जो सहपाठी विद्यार्थी, क्लास मेट थे उन्होंने सोचा कि पिताजी फिर बीमार हो गए होंगे इसलिए बिना किसी से कहे शायद फिर से सीकर चला गया होगा । पिताजी के दिमाग में यह बात रही कि यहां से अभी लौटा है ट्रेनिंग खतम करने के बाद में लौटेगा । इसी बीच में उसका एक सहयोगी साथी, जो मानाराम नाम का लडका था, 4 तारीख को अपने साथी मुकेश माथुर से मिलने के लिये सीकर आया । सीकर आकर उसने उसके पिताजी से मुकेश के बारे में पूछा । पिताजी ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया कि मुकेश तो ट्रेनिंग में गया हुआ है । उसने जवाब दिया कि पिताजी, मैं वहीं से लौटकर आ रहा हूं । पिछली 18 तारीख से वह वहां पर नहीं है ।

(1.18 म.प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पीठासीन)

श्रीमान्, उसके पिताजी की हालत पुत्र के प्यार के वशीभूत होकर खराब हो गई । वे तुरन्त हिसार गए और उसके बारे में जानकारी की । वे वहां पर इन्सट्रक्टर नाथूसिंह से मिले और मिलकर अपने बच्चे के बारे में जानकारी की तो उन्हें संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला । उन्होंने चंडीगढ़, जहां पर उनके रिश्तेदार रहते हैं, जाकर रिश्तेदारों से जानकारी की लेकिन वहां पर भी उसका पता नहीं लग पाया । श्रीमान्, वहां से लौट कर उन्होंने 14-7 के दिन

(50)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
हिसार पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा लड़का मुकेश ट्रेनिंग के लिए हिसार आया था और तभी से लापता है। उसके पश्चात् सीकर में उसने 16 तारीख को रिपोर्ट की। उसके बाद जयपुर में आकर, राजस्थान की राजधानी में आकर उसने 19 तारीख को अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, श्रीमान। लेकिन आज 5 तारीख तक भी उसका कोई पता नहीं है। चाहे किसी का भी पुत्र हो, चाहे वह इन्दिराजी का पुत्र हो या किसी का हो, जिस तरह का दर्द और वेदना उनको हो सकती है उतनी ही वेदना जगदीश नारायण माथुर को भी अपने पुत्र के लिए है। और वह इस राजस्थान की सरकार से यह प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका स्वाभाविक पूछना है कि मेरा लड़का जो उदयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता था और ट्रेनिंग के लिए हिसार गया, उसका पता लगाया जाय कि वह कहां गया। उन्होंने इस सरकार को भी दरख्वास्तें लिखीं। यह कैसी निकम्मी सरकार है कि आज तक उनको संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया। आज यह बतायें कि आगे क्या किया है। हम खोज कर रहे हैं इस स्थिति को हमें देखना है। पर आप मौन बैठे हैं इस कारण से मैं आज सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उसको संतोष दिलायें। वह लापता हो गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : यह जगदीश नारायण माथुर कौन से हैं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह सीकर के रहने वाले हैं। यह हमारे अध्यक्ष नहीं हैं, उनसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सभापति : आपस में बातें न करें, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में विशेष रुचि दिखाकर उसके दुःखी परिवार को शान्ति दिलाये, उसके परिवार को कुछ आस्था दिलाये, कुछ आशा का संचार कराये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आपका इस बारे में स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री माला राम।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आप बोलना चाहें तो मेरा निवेदन है कि कोई नये फेक्ट्स इस बारे में बताना चाहते हैं तो बोलें। वैसे आपकी इच्छा है, बोलें, मैं आपको रोकूंगा नहीं। अन्यथा किसी दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकारने दीजिये।

श्री मालाराम : माननीय सभापति महोदय रेवा का बांध टूट जाने से उसके पड़ौस में शिमला गांव है, उसमें कम से कम 50 मकान डूब गये, बहुतसा अनाज किसानों का बह गया और कुछ जानवर मर गये परन्तु आज तक वहां एस. पी., तहसीलदार, कलेक्टर कोई भी अधिकारी कोने गयो। तो सरकार से निवेदन है कि तुरन्त जार ऊं बांध री स्थिति ने देखर, जो घटना हुई, घटना स्थल पर जरूर जानो चाहिये और उन लोगां ने मुआवजो मिलनो चाहिजे, जिन लोगां का मकान डूब में आर गिर गया, और जिनका ढोर मर

(श्री मालाराम)

गया, उनको मुआवजा मिलना चाहिये। मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री सभापति : तिवाड़ी जी, आप बोलना चाहेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, रवा बांध खेतड़ी तहसील में है उससे सिंचाई होती है। उसमें बारिश प्रारम्भ होने के पहले एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, इसकी रिपोर्ट एक्स ई.एन. को करा दी गई थी। रिपोर्ट कराने के बाद उन्होंने कहा कि इस साल इस पर पानी नहीं आये, या पानी आये तो यह बांध टूटे नहीं, इसकी व्यवस्था करेंगे। सभापति महोदय, जब वर्षा होने लगी, और पानी आने लगा तो रिपोर्ट कराई गई, इसके अन्दर पानी आ रहा है और थोड़े दिनों में पानी भर जायेगा और पानी भर जायेगा तो बांध टूट जायेगा। सभापति महोदय, उसके बाद भी सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके पश्चात बरसात आई और बांध टूट गया। उसके बाद शिमला और उसके आस पास के गांवों में पानी भर गया। शिमला गांव मे 600 फीट पानी भर गया। उसमें 50 मकान बह गये और 150–200 मकानों में दरारें पड़ गयीं। उसके बाद रिपोर्ट की गई। उसके बाद में भी मौका देखने के लिये उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों की टोली नहीं भेजी, जो इस बात की जांच करती कि इस गांव में कीचड़ भरा हुआ है, संक्रामक रोग हो सकते हैं। राज्य सरकार का कोई भी बड़ा अधिकारी इस बात की जांच करने के लिये नहीं गया। ऐसे वक्त में भी जांच नहीं की गई, जब कि 15-20 दिन पहले रिपोर्ट कर दी गई थी कि बांध टूटने वाला है, अगर वह टूट जायेगा तो वहां पर खतरा हो जायेगा। इसके पश्चात् भी कार्यवाही नहीं की गई तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो अधिकारी रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् भी वहां पर कार्यवाही नहीं कर सके, जिनको कहा गया, जिन्होंने आश्वासन दिया कि इसका वर्षा आने से पहले पहले इलाज करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई और न राज्य सरकार के जन प्रतिनिधियों को वहां भेजा गया।

दूसरा निवेदन है कि आज वहां जिनके मकान फट गये हैं, जिनको मकान बनाने हैं, वह बार-बार जिला प्रशासन के पास जा रहे हैं और सीमेन्ट की मांग कर रहे हैं, वहां एक भी कट्टा सीमेन्ट का नहीं है, अगर फिर बरसात होगी तो वह मकान टूट जायेंगे। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार के जन प्रतिनिधि वहां जायें। जहां बांध टूटा है, वहां जाकर इसकी जांच करें और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिसने कहा था कि बरसात के पहले ठीक करा देंगे, उसके खिलाफ जांच करावें। साथ ही सीमेन्ट और दवाई वहां उपलब्ध करावें ताकि संक्रामक बीमारी नहीं फैले।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित)

श्री भगवान दास शास्त्री।

श्री भगवान दास शास्त्री : सम्माननीय सभापति महोदय, मैंने अजमेर के राजकीय विद्यालय

(श्री भगवान दास शास्त्री):
के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, वह वास्तविक घटना से सम्बन्धित है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि मामूली है पर इसका आगे चल कर एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। एक जागरूक कार्यकर्ता के नाते, चाहे विधायक के नाते मेरा यह कर्त्तव्य रहा है कि इसमें आगे चल कर कोई विस्फोट नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि सम्माननीय पद पर रह कर ट्रेजरी आफिसर अपनी पत्नी जो इन्द्रा दीक्षित है.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आपका प्रस्ताव दूसरा है।

श्री भगवान दास शास्त्री : दो हैं मेरे। एक चार तारीख का और एक पांच तारीख का स्थगन प्रस्ताव है।

श्री सभापति : यह सूचना दी हुई है। जिसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है वह राजकीय स्कूल राणावास, जिला पाली के सम्बन्ध में है। आप वहीं तक इसको सीमित करें।

श्री भगवान दास शास्त्री : सभापति महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है कि अजमेर में 27 तारीख को एक कुमारी ईश्वरी सिलाई घर से वापस लौट रही थी। गजेन्द्रसिंह मीणा, जो कुम्हार जाति के कहलाते थे, व उसके चार साथी भरत कुमार, पप्पू, जो चुंगी विभाग में शायद कपासन में सर्विस करता है, और यह श्रीमती शिक्षण उच्च माध्यमिक विद्यालय, राणावास जिला पाली में है, सम्माननीय सभापति महोदय, इन पांचों ने जब वह कन्या स्कूल से घर जा रही थी तब उसका अपहरण किया। 27 तारीख को यह सूचना पुलिस को दी गई। इज्जतदार परिवार होने के नाते उन्होंने सोचा कि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायी जाये। जब वह मुझसे मिले तो मैंने कहा यह तुम्हारी गलती हुई है। एफ. आई. आर. दर्ज नहीं होगी तब तक इसमें पुलिस पूरी ताकत से इन्क्वायरी नहीं करेगी और न लड़की बरामद होगी। मैंने अजमेर में उनके साथ जाकर एफ.आई.आर. दर्ज करायी। जहां वह सर्विस करता है राणावास, वहां का हैडमास्टर यह तार भेजता है, "Sir. extend leave due to marriage" और नीचे लिखा हुआ है, गजेन्द्र मीणा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बड़े नगर में यह दुःखदायी घटना पहली बार हुई है। एक और 16 वर्ष की कन्या का अपहरण इन्होंने किया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको मामूली घटना नहीं समझें। उसका भाई समाज कल्याण विभाग में सर्विस करता है, उदयपुर में उनके घर टेलीफोन है, उन्होंने थाने में फोन किया। मैंने घर जाकर, एक विधायक के नाते कहा। गोविन्द सिंह जो उसका पिता है, उसकी मां बहिन तीनों को कहा, अगर वह लड़की अकेली तुम्हारे बेटे के साथ जाती तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो यह स्वीकार करता, बेटे के साथ शादी करता। पता लगा कि जब लड़की को पांचों लड़के लेकर आर्य समाज में गये तो उन्होंने विवाह कराने से इंकार कर दिया, क्योंकि उनको शक हुआ कि ये पांचों इसका अपहरण करके लाये हैं और कहीं बेच देंगे या बलात्कार करेंगे। उन्होंने वापस लौटा दिया। तो, सभापति महोदय, हमारे लिए यह कलंक की बात है। मैं कहता हूं, ठीक है वहां के

(श्री भगवान दास शास्त्री)
थानाधिकारी के बारे में कोई शिकायत नहीं, उसने पहल की किन्तु पुलिस विभाग को टेलीफोन करने के बाद भी क्यों नहीं परवाह की। क्यों नहीं उनको पकड़ा गया?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसके लिये थोड़ा सा रोष है। एक कास्मोपोलिटन सिटी कहा जाता है, मैं बार बार कहना नहीं चाहता, आज अंधेर नगरी चौपट राजा की हालत राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में हो रही है। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, उस लड़की को सामने तो बुलाया जाना चाहिये। वह जिन्दा है या मर चुकी या पांचों ने उसके साथ बलात्कार किया या बेच दी गई या पंजाब ले गये। इसका पुलिस वालों को कोई पता नहीं। इसलिए पुलिस के प्रति मेरा काफी रोष है।

सभापति महोदय, दोनों कर्मचारी हैं एक चुंगी विभाग का और एक स्कूल का। अगर शिक्षक बलात्कार करते हैं, सभापति महोदय, तो क्या शिक्षा देंगे। उस लड़की का उस लड़के के साथ कोई संबंध नहीं। सामने गली है जहां आमने सामने रहते थे। किन्तु ये पांच लड़के किसी न किसी बहाने लड़कियों को फन्दे में फंसा कर सामुहिक बलात्कार कर कहीं न कहीं बेच आते हैं। इसलिए पुलिस विभाग उसको कहीं न कहीं से बरामद तो करे। उसकी मां अकेली विधवा है। बाप जिन्दा नहीं है। उस मां को वह कन्या दिलवाई जाय, यही मेरा अनुरोध है।

श्री सभापति : श्री हंसराज शर्मा। जानवरों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा चरने पर रोक लगाने के विषय में।

श्री हंसराज शर्मा : आदरणीय सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सवाई माधोपुर जिले में गोचर भूमि गांव के भूमिहीनों को आवंटित कर दी गई है जिससे ग्रामीण काश्तकारों के मवेशियों को चराने के लिए गांव में एक बीघा जमीन बची हुई नहीं है। जब यह भूमि अलाट हो गई तो उसके पश्चात् उस क्षेत्र के, सवाई माधोपुर के क्षेत्र के काश्तकार जो वहां का वन है, जो सैकड़ों मील लम्बा है, उसमें अपने जानवरों को चराते रहते हैं। किन्तु जब वहां चराने जाते हैं तो सरकारी अधिकारी उनसे चराई ले लेते हैं। चराई लेकर उनके लिए एक निश्चित क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है जो टाइगर प्रोजेक्ट और वन विभाग की सीमा के बीच का होता है। सभापति महोदय, जो सवाई माधोपुर के गांव हैं, जिनकी सीमा टाइगर प्रोजेक्ट में आ गई है उनके काश्तकारों के जानवरों को चराने के लिए परमीशन ले ली गई है। इसी प्रकार सवाई माधोपुर क्षेत्र में जो गांव टाइगर प्रोजेक्ट की सीमा में नहीं हैं उनको हटा दिया गया है। उनको चराने का स्थान खण्डार क्षेत्र में दे दिया है। इसी प्रकार जो खण्डार की पहाड़ी से लगे हुए थे उनको भी जंगल में चराने की परमीशन दे दी गई है। सभापति महोदय, मेनपुरिया, बड़ाणा, रईथा, चकेरी, सैंतू आदि 10-12 गांव हैं इस प्रकार के जिनको वन विभाग के पास रण के डूंगर सीमा में जहां 10 हजार एकड़ भूमि है वहां चराने की परमीशन दी जाती थी और चराई काश्तकारों से वसूल कर ली जाती थी किन्तु इस साल वहां टाइगर प्रोजेक्ट के डाइरेक्टर भागीरथसिंह जी ने जानवरों के प्रविष्ट होने और चराने पर बहुत बड़ी पाबन्दी लगा दी है। मगर ऐसा देखा

(श्री हंसराज शर्मा)

गया है कि उस प्रदेश में किसी न किसी प्रकार काश्तकारों को जानवरों की चराई के लिये परमीशन भी दे दी जाती है जिससे चराई के संबंध में वहां लोगों को भ्रष्टाचार की गन्ध होने का आभास होता है। इसलिये, सभापति महोदय, राज्य सरकार से जो वन विभाग का बहुत बड़ा क्षेत्र है सवाई माधोपुर के दुर्ग, रण के डूंगर नाम से पुकारा जाता है वहां पशुओं को चराई के लिए परमीशन दिलाई जाय और इसकी जांच कराई जाये।

इसी सन्दर्भ में, सभापति महोदय, वन विभाग ने पास में जितनी सीमा में जानवरों को चराने की परमीशन दी है, वहां जानवरों के लिये पीने का पानी नहीं है। जो पीने के पानी का स्थान था, जो गोचर भूमि थी उसको अनधिकृत रूप से सीमा बना कर ले लिया गया है। हजारों जानवरों के लिये मीलों तक पीने का पानी नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जिन क्षेत्रों में चराई की परमीशन दी जाती है वहां मीलों तक जानवरों के पीने का पानी नहीं है वहां पाइप लाइन ले जाकर पानी दे सकते हैं। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जानवर मीलों तक जाकर पानी पीते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इससे बचने के लिये पानी की व्यवस्था करायें तो बहुत ही सुन्दर होगा और जानवर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। सभापति महोदय, जिन जानवरों को चराने की परमीशन नहीं दी गई है उनको चराने की परमीशन दिलाई जाय। मैं यह बात निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जब बरसात हो जाती है तो बरसात के मौसम में वैसे ही जगह नहीं रहती। बरसात के मौसम में जिन क्षेत्रों में परमीशन नहीं दी गई है वहां परमीशन दिलाई जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल जेलिया

(अनुपस्थित)

श्री बंशीलाल पटवा। आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बंशीलाल पटवा : मान्यवर सभापति महोदय, मैंने जो प्रस्ताव दिया वह भीलवाड़ा नगर में पेयजल जो वितरण किया जा रहा है उसके संबंध में है। पिछले कई दिनों से जो जल वितरित किया जा रहा है वह अशुद्ध है, मिट्टी से मिश्रित है, मैला कुचेला है। उस पानी को यदि देखा जाय तो कई लोग तो उसमें कीड़े भी बताते हैं। इस तरह से गन्दा, अशुद्ध पानी, जिसे फिल्टर नहीं किया जाता है, केमिकल से साफ नहीं किया जाता है, निरन्तर कई दिनों से भीलवाड़ा नगर के लोगों को वितरित किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कइयों को डिसेन्ट्री हो गई है और कइयों को आंत्रशोध की बीमारी हो गई है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोई माकूल इंतजाम करने के निर्देश नहीं दिये गये तो मैं सोचता हूं कि गन्दा जल पीने के कारण नगर में भांति-भांति की बीमारियां फैल सकती हैं। यह भी सन्देह किया जा रहा है कि अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो मौतें भी हो सकती हैं। घर-घर में इस तरह की

(श्री बंशीलाल पटवा)
बीमारियां आंत्रशोथ, डिसेन्ट्री, डाईरिया, फैल चुकी हैं। मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां का जो वाटर वर्क्स है उसको कहा जाए, उसको निर्देश दिया जाए कि पाइप लाइन की सफाई करनी हो तो वह उसकी सफाई का इन्तजाम करे। कोई केमिकल नहीं है पानी की सफाई करने के लिए, जैसा कि कहा जाता है कि उनके पास केमिकल्स नहीं हैं, इस कारण से पानी खराब है और उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि उसका इन्तजाम किया जा कर शुद्ध पानी लोगों को दिया जाए और लोगों की जान-माल की रक्षा का इन्तजाम किया जाय।

श्री सभापति : श्री राम कुमार मीणा।

(अनुपस्थित)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

सदन की मेज पर रखा गया पत्र
अधिसूचना

आवासन मंत्री।

श्री हनुमान प्रभाकर (आवासन मंत्री): सभापति महोदय मैं नगर विकास एवं आवासन (ग्रुप-4) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 5 (12) न.वि.आ./79 दिनांक 31 मार्च 1980 सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री त्रिलोकसिंह, श्री गोविन्द आमलिया, श्री रूपलाल परमार, श्री कमला भाई मीणा, श्री देवेन्द्र कुमार मीणा, श्री भैरूलाल, श्री भंवरसिंह, श्री महादेव सिंह (खण्डेला), कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

व्यवस्था का प्रश्न
ध्यानाकर्षण पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, कृषि मंत्री इस समय नहीं हैं।

श्री सभापति : दूसरे मंत्री महोदय सदन में मौजूद हैं। जोइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है। शिक्षा मंत्री वक्तव्य देंगे। आप जारी रखें।

श्री राज बहादुर : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कल-परसों ही ऐसी घटना लोक सभा में घटी है, संबन्धित मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल सदन में नहीं थे, उसके ऊपर लोक सभा में काफी चर्चा हुई है, काफी आपत्ति उठायी गयी है। यह घोर आपत्तिजनक है कि सम्बन्धित मंत्री उपस्थित न हों।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जैसा कि मुझे सूचित किया गया है माननीय मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय की परमीशन लेकर गई है। शिक्षा मंत्री यहां पर मौजूद हैं। वे इसका उत्तर देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी प्रारम्भ करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोइन्ट रेस्पांसिबिलिटी मंत्रिमण्डल की होती है। परन्तु ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए किसी विशिष्ट विभाग, उसकी तकनीकी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसे अवसर पर सम्बन्धित विभाग के मंत्री महोदय का रहना अत्यन्त आवश्यक है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय कृषि मंत्री नहीं हैं, बहुत अच्छा होता कि उन्हीं को इसका जवाब देने के लिए कहा जाता क्योंकि इस क्षेत्र में आगे जो भी कार्यवाही करनी है वह उन्हीं को करनी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप···

श्री सभापति : माननीय सदस्य की भावना को मैं समझ गया हूं। जोइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है। आपकी बात कृषि मंत्री तक माननीय मंत्री महोदय द्वारा पहुंचा दी जाएगी और जो एक्शन लेना होगा वे लेंगे। वे सक्षम हैं। आप आरंभ करें।

श्री हनुमान प्रभाकर (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि उनके पिताजी बहुत ही ज्यादा बीमार हैं। रात को समाचार मिलते ही वे गई हैं। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है।

श्री सभापति : कभी–कभी ऐसी सरकम्सटान्सेज हो जाती हैं जो बियान्ड ह्यूमन कन्ट्रोल होती हैं।

श्री राजबहादुर : अब कुछ नहीं कहना है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान के कई जिलों व सीकर जिले की पांच पंचायत समितियों में कातरे व कीड़े से नष्ट हुई फसल

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कातरा एक भयंकर महामारी के रूप में पिछले डेढ़ महीने से सम्पूर्ण राजस्थान में फैला हुआ है लेकिन विशेषकर 12 जिले ज्यादा प्रभावित हैं और उनमें सीकर जिला सब से ज्यादा प्रभावित है।

श्री सभापति : कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, जैसे महामारी से आदमी मर जाते हैं वैसे ही इस बीमारी से पौधे मर जाते हैं। यह पौधों की महामारी है। मैं जानता हूं कि कातरा क्या है और कैसे उसको पकड़ा जाता है। माननीय सभापति महोदय, मोठ, मूंग, गंवार ये तीन मुख्य पैदावार वहां पर होती हैं। इस समय जो कातरा पैदा होता है वह पौधे को जड़ से काट देता है। ऐसा लगता है कि बीज बोया ही नहीं गया है। बिलकुल ही जमीन को साफ चट कर देता है। यह कातरा सीकर, झुन्झुनूं, नागौर जिला और पश्चिम राजस्थान, विशेषकर शेखावाटी एरिया में काफी भयंकर रूप से फैला हुआ है। सब से पहले कातरे की मां पैदा होती है जिसको तितली भी कहा जाता है। यह तितली अण्डे देती है यह एक हजार से डेढ़ हजार तक होते हैं। जहां पर वह बैठ जाती है, वहीं पर कातरा व्यापक रूप से पैदा हो जाता है। इस कातरे के पैदा होने के कारण, सभापति महोदय, एक बार किसानों ने जो फसल बोई थी, वह नष्ट हो गई है। कातरे को नष्ट करने के लिए दो प्रकार की दवाइयां प्रयोग में ली जाती हैं। एक बी.एच.सी. पाउडर है। यह दवाइयां

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कातरे को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए काम में ली जाती हैं। परन्तु यह दवाइयां कब पहुंची हैं, किस प्रकार उनका उपयोग किया गया है ? जो कातरा फैल गया है किस प्रकार उससे बचाव किया जा रहा है ? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की उदासीनता के कारण जो दवाइयां इन क्षेत्रों में भेजी गई हैं, मेरा यह आरोप है, कल ही मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न के उत्तर में यह फर्माया गया था कि दवाइयां भेजी गई हैं वे बे-असर रही हैं, कातरे के जीवाणु में रोग निरोधक क्षमता पैदा हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो दवाइयां काफी समय बाद में भेजी गई हैं, दूसरे किस प्रकार इन दवाइयों को प्रयुक्त किया जाना चाहिए इसके बारे में किसानों को कुछ नहीं बताया गया। ये दवाइयां बिलकुल ही मिलावटी हैं। मैंने स्वयं ने देखा है। सीकर में हमारे सामने जो प्रदर्शन हुआ था वहां इन दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हो सकता है कि कातरे के अन्दर रोग निरोधक क्षमता पैदा हो गई हो लेकिन, सभापति महोदय, जो छोटी चींटी, मकोड़ी होती हैं, वे तो इस दवाई से तत्काल मर जाती हैं, परन्तु इसके छिड़काव से नहीं मरीं। इस बी. एच. सी. पाउडर में सोप स्टोन मिला हुआ था। यह मिलावटी दवाई सोप स्टोन मिली हुई भेजी गई थी। कातरे में रोग निरोधक क्षमता तो तब पैदा होती है जबकि लगातार छिड़काव किया जाता है। जैसे मच्छर है उसमें रोग निरोधक क्षमता है। मच्छर पानी में जाकर बैठ जाता है इसलिए उस पर दवा का असर नहीं होता है। परन्तु यह कातरा तो बरसात के साथ पैदा होता है डेढ़-दो महीने में स्वयं ही मर जाता है। इसका परमानेन्ट जीवाणु नहीं है। इसलिए इसमें रोग निरोधक क्षमता पैदा नहीं हो सकती। यह जो दवाइयां भेजी गईं इसमें घोटाला है। ये मिलावटी दवाइयां हैं। कुछ दवाइयां तो एक्सपायरी डेट की भेजी गई हैं। जब कातरा पैदा हुआ उसी समय दवाइयां भेजी जातीं तो उचित होता। कातरे के पैदा होने के पहले ही दवाइयां छिड़क दी जातीं तो यह नुकसान नहीं होता। कातरा पैदा होता है, वह दस दिन का हो जाता है तो उस पर कोई असर नहीं होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 12 जिले हैं जिनमें महामारी के रूप में कातरा फैला हुआ है। कुल 12,000 गांव हैं। एक गांव में 200 परिवार रहते हैं, खेती करते हैं। एक परिवार के पास कम से कम 30 बीघा जमीन होती है। वह गंवार, मोठ पैदा करता है और एक दिन में वह कम से कम चार बीघा जमीन हल से जोत सकता है। इस प्रकार एक गांव के अन्दर कम से कम 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और 12 जिलों का नुकसान कम से कम 10 करोड़ रुपये का इस कातरे से हुआ है। सभापति महोदय, दुबारा खेत को बोना पड़ता है। यह जो नुकसान हुआ है यह गलत दवाइयों, मिलावटी दवाइयों, डेट एक्सपायरी दवाइयों के कारण हुआ है। अगर सरकार द्वारा ठीक समय पर सही दवाइयां भेजी जातीं तो यह नुकसान नहीं होता। सरकार के कर्मचारियों की उदासीनता के कारण यह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सभापति महोदय, यह अहम सवाल है। बड़े-बड़े गोदामों में अनाज भरा पड़ा है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इससे सारी फसल खतम हो जाती है। सभापति महोदय, आज भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी हालत में जब किसानों की हर बात प्रकृति पर निर्भर करती है, कब वर्षा होगी, कब कातरा पैदा होगा, सभी कुछ प्रकृति पर आधारित है, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं है। इससे बड़ा नुकसान हुआ है। जो क्षेत्र पहले अकाल से पीड़ित था, उसमें इस पहली दूसरी वर्षा में ही कातरा के प्रकोप से इतना बड़ा नुकसान हो गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दवाइयों में घोटाले किये गये हैं। यह उत्तर आया है कि दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, मैं यह मांग करता हूं आसन के माध्यम से कि इन दवाइयों की जांच कराई जाये। जो दवाइयां मिलावटी हैं, जो दवाइयां खराब हैं, उनकी जांच करायें। किसानों को उनसे जितना नुकसान सहन करना पड़ा उसके मुआवजे की कोई व्यवस्था की जाये। बीमा नहीं है और कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि उनको सहायता मिल सके। आज बाजरे की फसल में रूखडी हो सकती है, उसके लिये पहले से सतर्क रहें, उस पर ध्यान रखना उचित होगा। पिछले जाड़ों में हुआ था। उसको रोकने के लिये, उसको बचाने के लिये दवाइयां पहले से भेजी जायं। जिन लोगों का दोष है, उनको दण्डित किया जाये और करोड़ों के घोटाले की जांच कराये।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बस इसी ओर मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : श्री त्रिलोक सिंह।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, बड़े भारी दुःख की बात है, यह प्रस्ताव मैंने 10 रोज पहले सदन में रखा था कि सारे राजस्थान के खेत में एक ऐसी बीमारी पैदा हो गयी है जिसको रोकने के लिये फौरन एक्शन लें और किसानों की फसल को इस भयंकर बीमारी से बचाया जाय ताकि उनकी फसल नष्ट न हो। यह एक ऐसा मसला था जो देश की रोटी का सवाल है और किसानों की जिन्दगी और मौत का सवाल है। कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा सदन में जिसको इस बात के लिये एतराज हो।

हमारे प्रान्त में वैसे ही जब से यह नयी सरकार और नयी खेती की तकनीक आयी है, फसल खराब और नष्ट हो जाती है। हमारे यहां उत्तरी भाग में ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां पर बाजरे की फसल होती थी वहां अब बाजरा खतम हो गया है। जब से बाजरे का संकर बीज शुरू हुआ है, तब से बाजरा खतम हो गया है। मेरी मांग है कि फसल, जो किसान की जिन्दगी होती है, को बचायें। उसमें बीमारी हो जाती है, कातरा हो जाता है पर सरकार कुछ नहीं करती है। इस नाम पर बड़े-बड़े महकमे हैं, खेती का महकमा है। इसमें बड़े-बड़े आफिसर हैं। एग्रीकल्चर आफिसर हैं जो दौरे करते हैं, जो किसानों के नाम पर पैसा खर्च करते हैं पर हमारे देश में, हमारे प्रान्त में जो फसल के अन्दर यह लट पैदा हो जाती है, कातरा हो जाता है उसके ऊपर कोई खर्च नहीं करते हैं। इस साल यह कातरा पैदा हुआ उसके बाद हमने जिले में मीटिंग की। मीटिंग में कहा था

(श्री त्रिलोक सिंह)

जिला कलेक्टर को मैंने खुद ने, सीकर में 30 जून को मीटिंग लेकर कलेक्टर को कहा कि अपनी सरकार को इस बात की इत्तला कर दो कि लट पैदा होगी, उससे बचाव के लिए इलाज करे। पर वह तो दूर की बात है, सदन में 10 दिन पहले प्रस्ताव दिया था कि जो किसान लोग गांवों में रहते हैं उनकी फसल बरबाद हो जायेगी। वह बरबाद हो गयी और सरकार कुछ नहीं कर सकी। जितना किसानों को दुःख पहुंचा है इसकी आपको परवाह नहीं, किसानों की फसलें बड़े पैमाने पर बरबाद कर दो यह एक तरह से ठगी है और यह सरकार की ठगी है। तमाम फसल नष्ट हो गयी फिर भला गरीब कैसे जीवित रहेगा। जैसा मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 12 हजार किसान प्रभावित हुए हैं। 12 हजार किसानों की फसल बरबाद हो गयी है। सारे जिले में चारे की फसल भी साफ हो गयी। उस किसान का क्या होगा? वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अकाल से किसान पीड़ित था और वह बीज का भी प्रबन्ध नहीं कर सकता था पर उसने वो दिया था तो वह भी नष्ट हो गया। वह उसकी व्यवस्था कहां से करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की उन किसानों को, गरीबों को 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, संबंधी मंत्री से कहना चाहूंगा कि सरकार मुआवजा दे। बड़े-बड़े सरमायेदारों को जो नुकसान हो रहा है, उनको कम्पेनसेशन दे रही है सरकार। एक तरफ तो कातरा से और दूसरी तरफ सूखे के कारण फसल खतम हो जायेगी। सरकार उनके लिए मुआवजा दे जो कि किसान के किसी काम आ सके। आज तमाम किसान उससे लुट गये हैं। 100 में से 90 किसानों की फसल इससे नष्ट हो गयी है। उस किसान की बात आज कोई सुनना नहीं चाहता है। 10 दिन पहले मैंने इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव, कातरा को खतम करने की कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखा था, 10 दिन तक वह नहीं आया और आज भी जिस ढंग से पेश किया गया, इतने हलके ढंग से, हलके तरीके से पेश किया गया है जैसे इसका कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा, मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश के किसानों, जिनकी फसल नष्ट हो गई है, को अपने तहसीलदार और अपने कलेक्टर के जरिये जांच करके पूरा मुआवजा दिया जाये। अगर पूरा-पूरा मुआवजा नहीं दिया जाता है तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वे इस व्यवस्था के खिलाफ आन्दोलन करेंगे। यह भारी अन्याय की बात होगी। काश्तकार की फसल नष्ट हो जायेगी तो देश की रोटी नष्ट हो जायेगी। यह प्रश्न इतना कम महत्व का नहीं है। सीकर, सुजानगढ़ और आसपास का सारा क्षेत्र इस बीमारी से बर्बाद हो गया है। जैसा मैंने जिक्र किया इसकी तुरन्त व्यवस्था का सवाल है। सीकर, सुजानगढ़ और नागौर का एरिया तो बर्बाद हो गया है, अब यह बीमारी ...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इस सारे प्रदेश में फैलेगी। ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री त्रिलोकसिंह : इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं फिर यह कहना चाहूंगा आपके जरिये से कि सरकार किसानों की मदद करे, फसल नष्ट हो गयी है, उसका मुआवजा दे और आयन्दा के लिए इस तरह की कार्यवाही की जाये कि यह बात फिर न हो, इसकी मुकम्मिल व्यवस्था की जाये।

श्री सभापति : श्री गोविन्द आमलिया।

(अनुपस्थित)

श्री रूपलाल परमार (खेरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, बहुत बडे दुःख की बात है कि इस वर्ष अकाल की बदौलत किसान बर्बाद हुआ। उसके बाद मक्की का बीज और बाजरे का बीज खराब था। बडे दुःख की बात है कि इस वक्त मक्की की फसल पर कीड़ा पड़ गया है। यह कीड़ा कई प्रकार के रोग पैदा करता है। यह सारे बीज को और मक्की के पौधे को नष्ट कर देता है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस मौके पर इस कीड़े को मार कर फसल की रक्षा की जाये तो किसानों के लिए लाभदायक रहेगा, नहीं तो किसान को इस वक्त में काम नहीं रहा और आने वाले वक्त में भी काम नहीं रहेगा। सराडा तहसील के आदिवासी दुखी हैं, वे भूखे हैं। भूख की खातिर, रोटी के टुकड़े की खातिर गुजरात का सहारा लेते हैं। यह बड़े दुःख की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मक्की की फसल को बचाने के लिए यहां से अधिकारियों को तुरन्त भेजें। हमारी फसल की तुरन्त रक्षा की जाये। हमारे किसानों की रोटी रोजी का सवाल है। किसानों को बचाया जाये। दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अकाल राहत के काम चलते हैं, वह भी बन्द कर दिये गये हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भूखे किसानों को रोटी-रोजी देने के लिए जब तक नयी फसल तैयार नहीं होती है, उस वक्त तक काम चलाये जायें और मजदूरी दी जाय, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री कमला भाई।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया): माननीय सभापति महोदय, कीड़े के सम्बन्ध में विचार चल रहा है। कल मुझे कुछ किसान मिले थे। उन्होंने बताया कि मक्की में कीड़ा लगा हुआ है। उसके पत्ते बिल्कुल झड़ गये हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सभी भाई काश्तकारों की फसलों को बचाने के लिए मेरे खयाल से जो गांवों में आपके अधिकारी काम करते हैं उनको जागरुक कर दें, ताकि हमारी फसलें बच सकें। हमारे गरीब आदिवासी भाइयों की फसलें अगर नष्ट हो गई, तो उनके लिए अपने घर का पालन पोषण करना गम्भीर समस्या हो जाएगी।

दूसरा प्रश्न यह है कि हमने एक बात और रखी कि हमारे यहां जो पशुधन है, उसमें बीमारी फैली हुई है। बीमारी क्या है कि पशुओं का मुंह सूज जाता है। मुंह सूजने पर दो, तीन दिन तक चलते रहते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सालय के अधिकारियों को कहने का कृपया कष्ट करें। जो मैंने निवेदन किया है, इसके

(श्री कमला भाई मीणा)
लिए शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करें।

तीसरी मेरे क्षेत्र की जो समस्या है, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, वह वन विभाग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप विषयान्तर हो रहे हैं। आप स्थान ग्रहण करें, मैं बोलने का अवसर नहीं दूंगा।

आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है, आप मवेशियों की बीमारी के बारे में, बोल रहे हैं। कहना है कातरे के बारे में वन विभाग के बारे में आप बोल रहे हैं।

श्री कमला भाई मीणा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : मैं आपको वन विभाग के बारे में बोलने का अवसर नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, दस साल से उदयपुर जिले के आदिवासी अकाल से घिरे हुए हैं। भगवान की दया से इस साल अच्छी बारिश हुई, फसलें अच्छी थीं। लेकिन अभी बीच में उधर जिसको टिड्डी और पट्टा भी कहते हैं, उसने आक्रमण किया और आदिवासियों की फसलों का नाश कर दिया। फसलों को खाने के अलावा जो पहाड़ों पर घास थी, वह भी नष्ट कर दी है। मैं जानता हूं हमारा जीवन बड़ी मुश्किल से अकाल की स्थिति से निकलने वाला था। ऐसी हमारी आशा थी, इस साल अच्छी बारिश हुई है, अच्छी फसलें हैं, हम महीने दो महीने गुजारा कर सकते हैं। लेकिन एक महीने में उस सारे इलाके में भयंकर स्थिति हो गई। गये साल मेरे क्षेत्र में भी अकाल था। श्रीमन, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सराड़ा तहसील पहाड़ी एरिया है, जहां आदिवासी छोटे-छोटे खेतों में खेती करते हैं। उनका तीन, चार महीने बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, परन्तु टिड्डी दल का हमला होने के बाद फसल नष्ट हो गई है।

मैं, सभापति महोदय, एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उदयपुर में जनजाति निगम बनाया है। मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या उसने इसकी कोई व्यवस्था की है? सभापति महोदय, ग्राम सेवकों ने भी सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी है कि फसल को कीड़ा लग गया है, जबकि फसल को इस साल भयंकर कीड़ा लगा हुआ है। मैंने इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था। मैं हर एक गांव में जाकर आया हूं, यह मेरा आंखों देखा हाल है। फसल भयंकर रूप से नष्ट हो गई है, इसलिए सरकार को हमारे यहां पर अकाल घोषित करना चाहिए, जिससे लोग मेहनत करके अपना जीवन-यापन कर सकें।

श्री सभापति : श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर-ग्रामीण)–

(अनुपस्थित)

माननीय श्री भंवरसिंह।

श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़): श्रीमान् सभापति महोदय, कातरे का प्रकोप झुंझुनूं जिले में इतना है कि काश्तकार लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और ग्वार और मोठ की फसल बिल्कुल मिट गई है, लेकिन इस हालत में भी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कातरा इस हालत में पहुंच गया है कि उस पर दवा का कोई असर ही नहीं होता। कातरा जब लट के रूप में होता है तब वह दवाई से मर जाता है, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है, तो उस पर दवा का कोई असर नहीं होता है। एल्ड्रिन की पूरी शीशी डाल दो तब भी कातरा नहीं मरता है। शुरू में ही इसको मारने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो आये साल किसानों की फसल नष्ट हो जायगी और वर्षा होने के बावजूद भी किसानों को अकाल का मुंह देखना पड़ेगा। गरीब काश्तकारों के पास छोटे-छोटे खेत हैं, किस प्रकार से वे अपनी रोजी कमायेंगे? लगातार दो-तीन साल से अकाल पड़ रहा है। इस साल अच्छी वर्षा हुई है तब भी फसलों को कातरा लग जाने से वहां पर अकाल की स्थिति पैदा हो गई है, मोठ और ग्वार की फसल से पशुओं के लिये चारा पैदा होता है, वह भी अब नहीं हो सकता। ऊंटों में भूख से मरने का एक रोग हो जाता है जिससे वे मरने लगते हैं। अन्य पशु भी जिन्दा नहीं रहते। मोठ और ग्वार पशुओं के लिये बहुत आवश्यक है। जो दूध देने वाले पशु हैं वह मोठ और ग्वार नहीं मिलने से अच्छी मात्रा में दूध नहीं दे सकते। इसलिए सरकार द्वारा कातरे की व्यवस्था नहीं करने से बहुत ही शोचनीय स्थिति हो गई है।

दूसरा कातरा है, सभापति महोदय, वहां का डी. वाई. एस. पी. जो भी कातरे के रूप में वहां पर लोगों के लग रहा है। जिस प्रकार से कातरा कुतर-कुतर कर खाता है उसी तरह से वहां का डी. वाई. एस. पी. काश्तकारों को जबरदस्ती कुतर-कुतर कर खा रहा है। उसको पैसा दे दो तब तो ठीक है, वरना काश्तकारों के खिलाफ झूठे केसेज लगाये जाते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विषयान्तर न होइये।

श्री भंवरसिंह शेखावत: यह हालत मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। कातरे की स्थिति हमारे पड़ोस के जिले सीकर में भी बहुत भयंकर है।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति: कृपया आपस में बात न करें।

श्री भंवरसिंह शेखावत: इसी प्रकार कातरे के रूप में पुलिस के आफिसर लग रहे हैं उनका भी इलाज करें तो इससे काश्तकारों का हित होगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री महादेवसिंह (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में कातरे की बीमारी हर साल लगती है। इसके बारे में सारे अधिकारियों को, राजस्व अधिकारी, कृषि अधिकारी और विकास अधिकारियों को मालूम रहता है। इसके बावजूद भी इसको शुरू में मारने की कोशिश नहीं की जाती है। अब की

(श्री महादेव सिंह)

बार विकास अधिकारीजी को प्राथमिक सूचना देने के बाद भी इसका इलाज नहीं किया गया। किसान सोचते हैं कि कातरा मर जाता है, लेकिन अधिकारियों को अच्छी तरह मालूम है कि कातरा मरता नहीं है। जिस प्रकार से मेंढक जीवित समाधि लेता है और 15 अगस्त के बाद जीवित हो जाता है, कातरें की हालत भी वैसी की वैसी है। बरसात के बाद वह तितली के रूप में पहली बार आता है, उसके बाद बड़ा हो जाता है तो वह दवाई से भी खतम नहीं होता है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कातरे को शुरू से ही मारने की कोशिश की जावे। इस साल कातरा इतना बड़ा हो गया है कि इसको मारना मुश्किल हो गया है। अतः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्व अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी और विकास अधिकारी को इस बात के लिये निर्देश दिये जावें कि वे तुरन्त इसको खतम करने की कोशिश करें। इस साल सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़, दांतारामगढ़, फतहपुर, इसी प्रकार से खण्डेला, नीमकाथाना और श्रीमाधोपुर इस बीमारी से ग्रसित हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला अधिकारियों को निर्देश दिये जावें कि इस बीमारी को नष्ट करने की कोशिश की जावे। किसान 60 पर्सेन्ट मूंग, मोठ और ग्वार की पैदावार करता है जब कि शेष 40 पर्सेन्ट में बाजरे की फसल उगाता है। तीन चार साल से लगातार अकाल पड़ता आ रहा है, इस बार भगवान की दया से वर्षा अच्छी हुई, लेकिन कातरा लग गया। लाखों किसानों के दिमाग में इस कारण सरकार के प्रति निराशा की भावना पैदा हो गई है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसका कोई इलाज नहीं किया जा रहा है। अतः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस कातरे को मारने की कोशिश की जानी चाहिए।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : सभापति महोदय, कातरे का फसल पर क्या प्रभाव होता है, जिसने इसको देखा है, वही इसको समझ सकता है। मैं समझता हूं मन्त्री महोदय को इसका अवसर नहीं मिला होगा कि कातरे का असर किसी खेत पर जाकर देखा हो। खेद के साथ कहना पड़ता है कि फसल पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है, इसका केवल अनुमान लगाना कठिन नहीं है। इस समस्या को कितनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कृषि मन्त्री महोदय ने अपने प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था कि कृषि अधिकारियों ने उनको सूचित नहीं किया। उनको गांवों के लोगों ने बताया कि इस दवा का असर कातरे पर नहीं होता है। आपने महामारी घोषित की है, किन्तु महामारी को आपने किस दृष्टि से देखा है उसका यहां एक नमूना प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने बी. एच. सी. भेजी, वह बी. एच. सी. कितने पर्सेन्ट आपने भेजा? यह देखा कि 5 पर्सेन्ट या 10 पर्सेन्ट था और

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

10 पर्सेन्ट बी. एच. सी. था तो कौनसी कम्पनी का था ? बी. एच. सी., जो उदयपुर केमिकल्स का था, आज से 5 साल पहले रिजेक्ट कर दिया गया विभाग के द्वारा। मैंने स्वयं प्रयोग करके देखा है वह बेअसर है। दवा जो आपने भेजी वह टाइम बार्ड तो नहीं थी ? महामारी घोषित करने के बाद इन सब बातों को देखने की जिम्मेदारी किसकी आती है ? क्या आपने पेरोथीन भेजा ? क्या वही उदयपुर का बी.एच.सी खरीदा गया ? कहीं बी. एच.सी. खरीदने में भ्रष्टाचार तो नहीं था ?

मेरा यह निवेदन है कि सहकारी से किसानों ने ऋण लिया। ऋण लेकर उन्होंने अपनी फसल बोई उसको कातरा खा गया। जिम्मेदारी किस की है, आप की है या आपके अधिकारियों की है ? किसान क्यों भुगतें इसको ? पिछले साल अकाल से पीड़ित किसान और आज कातरे से पीड़ित किसान और सदा आपके अधिकारियों से पीड़ित किसान, कौन जिम्मेदार हैं ?

मैं एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा सरकार को कि उन्होंने जिलाधीश को महामारी घोषित करने के अधिकार दे दिये ताकि तुरन्त कार्यवाही हो किन्तु जिन अधिकारियों ने, दवा बेअसर है, इसकी सूचना नहीं दी उसके लिए सरकार क्या कर रही है ? क्या उनकी पर्सनल लाइबिलिटी इस बात के लिए फिक्स नहीं की जा सकती कि उन्होंने महामारी रोग की तरफ कैसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा ? आज किसान जिस बी. एच. सी. के कारण बरबाद हो गया यह बी. एच. सी. कहां से आया, कैसा था ?

सभापति महोदय, हमारे यहां पिछली बार कोटा जिले में अलसी में रस्ट का अटेक हुआ। रस्ट पर सल्फर छिड़का, स्प्रे किया गया, डस्ट किया जाता है सल्फर से। कई प्रकार के सल्फर डस्ट किये, कोई असर नहीं हुआ। केवल फाइव स्टार सल्फर डस्ट किया, उसका असर हुआ। आज हमारे सारे कृषि अधिकारी कहते हैं कि फाइव स्टार सल्फर लीजिये। सल्फर में फाइव स्टार लीजिये। तो क्या आपने बी. एच. सी. के लिए कहा कि कौनसा बी.एच.सी. लीजिये और यह नहीं देखा कि बी. एच. सी. कितना असर करता है ?

मुझे मालूम है किसान होने के नाते कि कृषि अधिकारी हमको कहते हैं कि बी.एच. सी. नाकामयाब हो गया है। तो क्या आपने पेराथीन भेजा ? कल मैंने प्रश्न किया था कि यदि बी. एच. सी. बेअसर हो गया है तो क्या आपने दूसरी दवा भेजी, दूसरा कोई और आल्टरनेटिव सोचा ? कृषि मंत्री ने कहा कि इतनी जल्दी क्या हो सकता है। महामारी घोषित कर रहे हैं और आप कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या हो सकता है। एक दिन में खेतों में दवायें पहुंचती हैं। उस दृष्टि से आपने क्या किया ? यह किसान पर जो मार पड़ रही है, इसके लिए आपने क्या किया ? क्या आप किसानों को मुआवजा देंगे ? क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, जिन्होंने उपेक्षा बरती? क्या आपने देखा कि दवाई किसने खरीदी, कौनसी खरीदी ?

यह सब ऐसे मसले हैं, जिन पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। राजस्थान में इस प्रकार की महामारी आये दिन आती है।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

उसमें डिपार्टमेन्ट कितना एक्टिव रहता है ? कौन सी दवायें ठीक काम करती हैं ? यह विचार करने का प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि क्या राज्य सरकार यह साहस करेगी कि आइन्दा इस प्रकार की उपेक्षा न हो ? इस दृष्टि से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी जिन अधिकारियों ने महामारी की समय पर सूचना नहीं दी, जिन्होंने यह नहीं कहा कि यह दवा बेअसर है, किसानों को दूसरी दवा से बचाया जा सकता है ? मैं यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसका उत्तर दे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सरकार इसका उत्तर दे।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, खरीफ की फसल में कातरे का प्रकोप राज्य के कुछ जिलों में गत 3-4 वर्षों से बढ़ रहा है। कीट के इस बढ़ते प्रकोप को एवं फसलों में इसके द्वारा की जाने वाली हानि को दृष्टिगत करते हुए इस वर्ष विभाग ने समय पर इसके नियंत्रण हेतु विशेष प्रयास किये हैं।

माह मार्च में भारत सरकार को इस कीट की एन्डेमिक योजना अन्तर्गत शामिल करते हुए 1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण कार्य करवाने एवं औषधियों की कीमत पर अनुदान देने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया। इसके पश्चात् काल के प्रकोप के संभावित जिलों के कृषि अधिकारी एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक माह अप्रेल के तृतीय सप्ताह में आयोजित कर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर प्रकाश पास क्रिया द्वारा कातरा तितली नियंत्रण उपाय अपनाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किये जाने के व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिये गये। अप्रेल के अन्तिम सप्ताह से "कातरे से फसल को बचाइये" नामक लीफलेट विभाग द्वारा प्रकाशित कर संबंधित जिलों में भिजवाये गये।

माह मई में कातरे की उत्पत्ति को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से कातरे के जीवन-चक्र, हानि एवं नियंत्रण उपाय पर प्रकाश डालते हुए कातरे की तितली, जो अंडे देकर कातरे की लट की संख्या बढ़ाती है, को प्रकाश पास क्रिया द्वारा एवं कातरा लट को रसायन द्वारा नष्ट कराने के लिए परिपत्र जारी कर संबंधित जिलों के अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये गये। जिलों में विभिन्न स्तरों पर (जिला, पंचायत स्तर पर) आयोजित की गई बैठकों में इस कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया और काश्तकार तक इसकी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिये गये। इसके साथ साथ ग्राम काश्तकार को कातरा के जीवन-चक्र, इसके द्वारा फसल को हानि एवं नियंत्रण उपाय की जानकारी पहुंचाने में रेडियो, स्थानीय समाचार-पत्रों व बुलेटिन का भी प्रयोग किया गया।

खण्ड स्तर पर (जिला स्तर पर) पंचायत स्तर पर आयोजित खरीफ प्रशिक्षण के दौरान भी इस पर विस्तृत चर्चा की गई तथा प्रकाश पास क्रिया को सामूहिक रूप से अपनाने पर जोर दिया गया ताकि कातरा तितली को नष्ट कर लट की उत्पत्ति को काफी हद तक रोका जा सके।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

इस वर्ष राज्य के 15 कृषि जिलों की खरीफ फसलों में कातरे के प्रकोप की सूचना विभाग को प्राप्त हुई। इसमें से 11 कृषि जिलों सीकर, झुंझुनूं, नागौर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, दौसा, सिरोही, पाली, जालौर एवं टोंक में कातरे का महामारी के रूप में प्रकोप हुआ। शेष 4 कृषि जिलों हनुमानगढ, चूरू, बीकानेर, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर में इसका प्रकोप साधारण रहा है।

कातरे के संभावित प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए घोषित महामारी में काश्तकार को पौध संरक्षण उपचार हेतु राहत देने के लिए दवाई की कीमत पर 50 प्रतिशत अनुदान देने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इसके अतिरिक्त महामारी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर प्रकाश पास क्रिया द्वारा कातरा तितली एवं रसायन द्वारा लट नियंत्रण हेतु हुए खर्चे को पूर्ण रूप से वहन करने की भी स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। सरकारी जमीन पर नियंत्रण हेतु 5,00,000/– रु. की राशि एवं काश्तकार की जमीन पर नियंत्रण हेतु काम में ली जाने वाली दवाई की कीमत पर काश्तकार को दिये जाने वाले अनुदान हेतु 8.75 लाख रु. का प्रावधान किया है। सरकारी जमीन पर नियंत्रण हेतु कातरे से सघन रूप से प्रभावित जिलों के जिलाधीशों को दायित्व सौंपते हुए निम्न प्रकार से राशि का आवंटन कर दिया गया है :–

1. श्री गंगानगर (हनुमानगढ़ जिले के लिए)	रु. 68,200.00
2. सीकर	रु. 1,34,000.00
3. झुंझुनूं	रु. 1,34,000.00
4. अजमेर	रु. 14,200.00
5. जोधपुर	रु. 11,750.00
6. नागौर	रु. 55,400.00
7. पाली	रु. 44,900.00
8. जयपुर	रु. 11,600.00
योग	4,74,050.00

कातरे के महामारी रूप से फैलने पर सामूहिक रूप से युद्ध स्तर पर नियंत्रण करवाने हेतु राजस्थान कृषि कीट रोग अधिनियम, 1951 के तहत महामारी घोषित करवाने की कार्यवाही में विलम्ब न होने देने हेतु कातरे के सघन रूप से प्रभावित जिलों के जिलाधीशों को राज्य सरकार की ओर से महामारी घोषित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। तथा शेष जिलों में भी कातरे के महामारी रूप से फैलने पर संबंधित जिलाधीश की सिफारिश पर महामारी घोषित के पूर्वानुमान में कार्य करवाने की अनुमति दी है। जिलाधीशों को इस कार्य हेतु जिले में कार्यरत कृषि, विकास, राजस्व इत्यादि विभागों का भी पूर्ण सहयोग लेने के निर्देश दिये हैं। शेष जिलों में इस वर्ष कातरे के महामारी रूप के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए उनके जिलाधीशों को भी सरकार की ओर से महामारी घोषित करने की शक्तियां प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है।

अब तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार महामारी से ग्रसित 11 जिलों की 62 पंचायत समितियों के 8,79,690 हैक्टेयर क्षेत्र में कातरे का प्रकोप हुआ है। इसके अन्तर्गत 4,01,398 हैक्टेयर क्षेत्र में काश्तकारों ने प्रकाश पास क्रिया द्वारा एवं यांत्रिक विधि द्वारा कातरे

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

की तितली नष्ट की है एवं 9,866 हैक्टेयर क्षेत्र में रसायन द्वारा कातरे की लट का नियंत्रण किया है। इसके अतिरिक्त सरकारी जमीन में 525 हैक्टेयर क्षेत्र में रसायन द्वारा कातरे की लट का नियंत्रण किया गया है। सरकारी व काश्तकारों की जमीन पर कातरा लट नियंत्रण कार्य में द्रव्य एवं पाउडर दवा को उचित मात्रा में काम में लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरा लिखित वक्तव्य था, वह दिया। माननीय सदस्यों के विचार मुझे सुनने को मिले। कोई भी व्यक्ति चाहे वह राजनीतिक जीवन में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो यह नहीं चाहेगा कि किसान की उपज किसी प्रकार नष्ट हो। जब देश में एक ओर अन्न की समस्या भयंकर रूप से बढ़ती जा रही है उस समय और खास तौर से भारत में, जो एक कृषि प्रधान देश है, उसमें यदि किसान की समस्या का समाधान उचित समय पर नहीं होता है तो निश्चित रूप से विचारणीय प्रश्न है।

दो मुख्य बिन्दु इस समय सामने लाये गये हैं। एक मुख्य बिन्दु तो यह है कि क्या दवायें ठीक प्रकार की थीं? क्या दवायें एक्सपायरेशन ग्रेड की थीं? क्या उसकी वजह से समाप्त हो गई थीं? यह दो मूल बिन्दु हैं दूसरा यह कि दवायें समय पर किसान के पास पहुँच गई थीं? यह तीन बिन्दु मुख्य हैं जिन पर सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है। मैं राज्य सरकार की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो तीन बिन्दु हैं, उन पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा क्योंकि आखिर में यदि औषधि ठीक नहीं है, उसका उपयोग ठीक नहीं है तो उसका वैज्ञानिक परीक्षण समय-समय पर होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि औषधि का परीक्षण होता रहा होगा। अगर वह नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से किया जाएगा। मैं इतना ही सदन को विश्वास दिला सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, इस बारे में काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अभी दूसरा काफी बिजनेस सामने है, एक आध प्रश्न कोई पूछना चाहे तो पूछ लीजिए।

श्री त्रिलोक सिंह : मंत्री महोदय ने जो रिपोर्ट...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री त्रिलोकसिंह : बिल्कुल गलत रिपोर्ट दी गई है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था नहीं रहेगी इस प्रकार से सदन में। जब आपका नाम पुकारूं तब बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो दवाइयां किस तारीख को भेजीं? दूसरा, दवाइयां कितनी-कितनी मात्रा में भेजी गई? तीसरा, इन दवाइयों के छिड़काव की जो व्यवस्था कराई गई है, वह बिल्कुल गलत और मिथ्या है और बैठ कर केवल अफसरों ने इसको बनाया है।

श्री सभापति : श्री त्रिलोक सिंह।

श्री त्रिलोक सिंह : यह जो रिपोर्ट आई है कि दवाइयां भेजी यह××× है, हम खुद काश्तकार हैं, सीकर, झुंझुनूं, चूरू और नागौर चार जगहें, मैंने खुद पूछा है मेरे इलाके में…

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछें, भाषण न दें।

श्री त्रिलोक सिंह : मैंने खुद आंखों से देखा है, कहीं भी दवाइयां नहीं भेजी गईं, फसल की फसल बरबाद हो गई।

श्री सभापति : श्री रामरघुनाथ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, इस संदर्भ में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं…

श्री सभापति : प्रश्न पूछें।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : पहला प्रश्न मैं यह पूछना चाहता था कि कातरा विशेष परिस्थितियों में पैदा होता है और विशेष परिस्थितियों में रहता है। विभाग को अच्छी तरह से पता है कि किस मौसम में यह पैदा होता है और किस मौसम में यह ज्यादा दिक्कत देता है। क्या इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दवाइयों की व्यवस्था की थी? जैसे बताया गया है एक लाख हैक्टेयर्स के लिए दवाई भेजी गई और 8 लाख हैक्टेयर्स में प्रकोप हुआ तो दवाइयां जो उपलब्ध हुईं 1/8 क्षेत्र के लिये हुईं? दूसरे, इस कातरे पर डस्टिंग ज्यादा असर करता या स्प्रे? स्प्रे अगर ज्यादा असर करता है तो कौनसी मेडीशन्स का? जैसा माननीय सदस्य ने बताया और मंत्री महोदय ने माना कि अमुक डी. डी. टी. कातरा को मारने के लिए काम में आता है, अगर केरोसिन, मिट्टी के तेल का स्प्रे किया जाए जिसका डाइरेक्ट स्किन से कान्टेक्ट होता है तो क्या सीधा असर होता है? जैसे डस्टिंग उसके बालों पर फैलता है और स्किन से कान्टेक्ट नहीं होता है इसलिए डस्टिंग ज्यादा असरदार होता है या स्प्रे ज्यादा असरदार होता है? अगर स्प्रे ज्यादा असरदार होता है तो कौनसा इस पर रिसर्च किया है यह जानकारी है?

श्री सभापति : आपने काफी प्रश्न पूछ लिए, माननीय सदस्य।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैंने फालतू प्रश्न तो नहीं पूछा।

श्री सभापति : और भी माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं, मुझे समय रेगुलेट करना है इसलिए मैंने आपको अवसर दिया।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अन्त में मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि रेडियो से इसका प्रचार किया और पंचायत समिति की बैठकें हुईं। पंचायत समितियों की कोई बैठक नहीं हुई लेकिन जहां तक रेडियो का प्रश्न है, मेरा यह पूछना है कि क्या रेडियो न्यूज के साथ प्रचार या प्रसार किया गया या हर आधे घंटे या घंटे के बाद सूचित किया कि यह बुरी बीमारी है, यह खराब रोग है? क्या एक-एक घंटे रेडियो से लोगों को सतर्क रहने के लिए बार-बार निरंतर कहा? और नहीं कहा तो क्यों नहीं ऐसा किया गया? जब करोड़ों रुपये

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
खर्च करते हैं तो जो आपके पास सामग्री है वह क्यों नहीं यूज की जिससे कि एकाएक घंटे बताते कि इस बीमारी से सतर्क रहें ?

श्री सभापति : श्री हजारी लाल शर्मा।

श्री हजारी लाल शर्मा (पिलानी) : इस कातरे के मामले में यह व्यवस्था है, हमारे वैज्ञानिकों का कन्सेप्शन है वह है प्रकाश पास क्रिया का हमारे वैज्ञानिक समझते हैं कि दवाई से हम इसको मार सकते हैं, तो यह सही नहीं है। यह मरता नहीं है, इसकी मां को मारना जरूरी है। सही बात यह है कि जब उसकी मां पैदा होती है तो पहली वर्षा में यह बाहर निकलती है, अगर सरकारी अधिकारी उसी समय सतर्क हो और प्रत्येक काश्तकार के खेत में व्यवस्था इस बात की करें कि वहां पर आग जला दें और जो चरागाह है उसमें आग लगा दें तो सारी की सारी तितलियां आग में जलकर मर जायेंगी। अगर वह नहीं मरे, उनको नहीं मारा जाय और सोचें कि कातरा पैदा होने के बाद उसको दवाई से मारेंगे तो यह सोचना गलत है।

श्री सभापति : आपका सुझाव अच्छा है। श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कातरा एक जीव है जो बीमारी फैलाता है न केवल फसल को नुकसान पहुंचाता है। बाद में बरसात कई खेतों में नहीं होती है तो वे खेत खाली हो जाते हैं इसलिए बहुत बड़ा नुकसान किसान को होता है। यह सदियों से बीमारी कातरे की चली आ रही है। जो जीव पैदा होता है, क्या राज्य सरकार ने इस जीव को मारने या इसको पैदा न होने देने का प्रोग्राम कोई बनाया है ?

दूसरे, जो यह जीव पैदा होता है, पैदा होने के तुरन्त बाद क्या यह दवाइयों से मर सकता है ? अगर नहीं मर सकता तो जो करोड़ों रुपये खर्च करते हैं वे बरबाद होते हैं। किसान की फसल खराब हो जाती है इसको कातरा खा जाता है इसके बाद राज्य सरकार सब्सीडी देती है और महामारी घोषित करके करोड़ों रुपये खर्च करती है। अधिकारी टी. ए. व डी. ए. लेते हैं इससे राज्य सरकार के कोष को क्षति पहुंचती है। जब आप रोग नहीं रोक सकते, कन्ट्रोल नहीं कर सकते तो क्या इस पर खर्च करना वाजिब है ?

श्री भंवर सिंह शेखावत : कातरे से जिनको नुकसान होता है, क्या सरकार उनको कोई इमदाद देगी ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, जिन जिलों में कातरा हुआ वहां निम्न मात्रा में डस्ट भेजा :–

जिला	बी. एच. सी. डस्ट	पैथोसियन डस्ट
अजमेर	24 टन	10 टन
सीकर	22 ,,	14.50 ,,
झुंझुनू	32 ,,	28 ,,
जयपुर	35 ,,	18 ,,
जोधपुर	125 ,,	11.50 ,,
पाली	40 ,,	40 ,,
सिरोही	20 ,,	1 ,,
जालौर	10 ,,	10 ,,

एक माननीय सदस्य : तारीख बतायें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं आपको इतना ही बता पा रहा हूं :

नागौर	10	28
टौंक	27	8
दौसा	3.50	5

विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग माला भेजी गई वह मात्रा मैंने आपको बता दी। जहां तक मेरी जानकारी है कातरे का प्रकोप हुआ उससे पूर्व दवाइयां भेजी जा चुकी हैं।

जहां तक प्रकाश द्वारा कातरे को मारने वाला प्रयोग है इसका भी इसमें उल्लेख है।

आपने जो जानकारी दी कि पंचायत समितियों की बैठकें नहीं हुईं। अगर स्पेसिफिक घटना हो तो जांच कराने में दिक्कत नहीं होगी।

जैसा मैंने पूर्व में कहा कातरे की बीमारी को रोकना होगा। जहां तक फसल के नुकसान का प्रश्न है, राज्य सरकार की नीति नुकसान को देने वाली नहीं है। क्यों मैं आज कहूं कि विचार करेंगे, तो व्यर्थ बात होगी। कातरे से होने वाले फसल के नुकसान की पूर्ति का कोई प्रावधान इस स्थिति में भी संभव नहीं है और न मेरा ख्याल है कि उचित है। हम और फसल की बात करें जैसे फसल बीमा योजना की बात है या और कोई रास्ता है तो उस पर विचार करेंगे।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया मुझे सहयोग दीजिये। मन्त्री महोदय आपके जिले के हैं आप चाहें तो उनसे जाकर उनके चैम्बर में मिल लें। आप अपनी डिफिकल्टी उनको बता सकते हैं। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

मन्त्री जी का वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

सीकर जिले में वर्षा से हुई तबाही

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (राहत मन्त्री): सभापति महोदय, दिनांक 29-7-80 को सीकर शहर में 190 मिली मीटर वर्षा हुई। जिससे शहर के काफी मोहल्लों व मुख्य रास्तों में भारी मात्रा में पानी भर गया था। वर्षा प्रातः 4 बजे से सात बजे प्रातः तक चालू रही। अधिकतर मोहल्ले व मुख्य रास्तों का पानी तीन घण्टों में नालियों द्वारा निकल गया। शहर के विभिन्न वार्डों में पानी इकट्ठा हो गया। निचले इलाकों में विदावत स्कूल के पास वार्ड नम्बर 9, इकराम शाह का तकिया, वार्ड नम्बर 17, दधिमथि मन्दिर, सम्राट सिनेमा के पास से पानी डीजल पम्प लगाकर निकाला गया।

नगर परिषद, सीकर द्वारा वर्षा से पूर्व एवं वर्षा के दौरान नाली की सफाई, खुदाई बड़े तालाब से मिट्टी निकलवाने, नाली की मरम्मत करवाने, कैचपिट्स की सफाई करवाने पर 33 हजार रुपये खर्च किये गये। दिनांक 29-7-80 को जिला प्रशासन के अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, नगर परिषद

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

के अधिकारियों ने शहर में पानी के निकालने के प्रबन्ध किये। बिदावत का स्कूल वार्ड नम्बर 9 इकरामशाह का नाला, वार्ड नम्बर 17 दधीमथी का मन्दिर, सम्राट सिनेमा के पानी को डीजल इन्जिन लगाकर एवं 7-8 घण्टे चलाये जाकर नीचे स्थानों से पानी को बाहर निकलवाया गया। वार्ड नम्बर 19 जमादारों के मोहल्ले में कच्ची नाली बनाकर पानी निकाला गया। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर वाटर ड्रेनेज के मेनहोल खोल कर पानी को निकाला गया। सड़कों पर आई मिट्टी, कीचड़ व रेत आदि 80 प्रतिशत साफ कर दी गई है एवं शेष हटाई जा रही है। बीमारियों को फैलने से रोकने हेतु नगर परिषद् ने कीटनाशक दवाओं का छिड़काव आरम्भ कर दिया है।

दिनांक 29-7-80 को हुई भारी वर्षा के कारण 50 मकानों में दरारें पड़ गई हैं। 7 पक्के मकान एवं चार कच्चे मकान आंशिक रूप से गिर गये हैं। नगर परिषद् की सड़कों, नाली एवं नालियों की चार लाख रुपये की क्षति हुई। नगर परिषद् भवन एवं को-आपरेटिव सोसायटी के गोदामों का कुल मिलाकर 15,000 रुपये का नुकसान हुआ है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के आवासीय विभाग के आवासीय भवनों में 1.63 लाख तथा गैर आवासीय भवनों को 1.57 लाख रुपये की क्षति हुई है।

लेवी की चीनी की हानि। इस विषय में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति, सीकर की 318 चीनी की बोरियों में भीगने से नुकसान हुआ एवं क्रय विक्रय सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड सीकर की 36 चीनी की बोरियों में हानि हुई है। इस प्रकार लेवी की चीनी की कुल 354 बोरियों की हानि हुई है। इनमें से प्रत्येक बोरी में चीनी की हानि भिन्न है। यह हानि 10 किलो से 95 किलो तक विभिन्न बोरियों में है। इस विषय में राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, जो शेष रही चीनी की तौल आदि करवाकर दिनांक 5 अगस्त को नीलामी की कार्यवाही करेगी। यह चीनी बैंक गोदामों में प्लेज पर रखी हुई है। इसके अतिरिक्त तीस कट्टे सीमेन्ट के भी भीग गये हैं।

सीकर शहर में भूकम्प के झटके आने व उससे नुकसान होने की सूचना नहीं है।

सीकर शहर में जनजीवन सामान्य है एवं लोगों में भय व्याप्त नहीं है।

श्री त्रिलोकसिंह : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है . .

श्री सभापति : आप बिराजें। आप प्रश्न पूछना चाहें तो बाद में पूछ लें।

श्री त्रिलोकसिंह : सभापति महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है।

श्री सभापति : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य घनश्याम जी, आप अब मन्त्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, पहला तो मेरा निवेदन यह है कि जो क्षति मन्त्री महोदय ने सीकर में वर्षा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से हुई बताई है, वह कम है। मेरे पास, सभापति महोदय, 20–30 फोटोज हैं उन मकानों के जो कि बरसात के कारण गिर गये हैं। बाकी की फोटोज मेरे पास अभी नहीं है लेकिन आपने जो मकानों की क्षति बताई है बहुत कम है। सभापति महोदय, वहां पर मकानों की क्षति जो हुई है वह कम से कम पचास लाख रुपये की क्षति है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन मकानों की जो क्षति हुई है, 50 लाख रुपये की वह क्षतिपूर्ति उन मकान मालिकों को राज्य सरकार से कराने की व्यवस्था करें। दूसरे, आपने जो चार लाख रुपये की सड़कों के टूटने की क्षति बतायी है वह ठीक है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नगर परिषद् के द्वारा आज से दो साल पहले सर्वेक्षण किया गया था और एक योजना बनाई गई थी, वह 28 लाख रुपये की थी। उसमें से आठ लाख रुपये तो खर्च हो चुके 15 लाख रुपये और खर्च किये जाने वाले थे। नगर परिषद् ने राज्य सरकार से बकाया रकम की मांग की थी उसके बारे में भी मन्त्री महोदय उत्तर देवें।

तीसरी बात यह है कि जो मकानों की क्षति हुई उसके लिये राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया ? आपने अपने उत्तर में कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया।

इसके अलावा, सभापति महोदय, आज वहां मकानों की क्षति तो हो गई पर जो मकान गिर गये हैं उनको ठीक कराने के लिये राज्य सरकार ने वहां पर सीमेन्ट देने के लिये कोई व्यवस्था की है क्या ? सभापति महोदय, सीमेन्ट सीकर में बिलकुल नहीं है। इसके लिये भी मन्त्री महोदय राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट करें।

श्री त्रिलोकसिंह : सभापति महोदय, सीकर में जो बरसात हुई है उससे जो क्षति हुई है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिलोकसिंह : सभापति महोदय, मेरा सीकर से बहुत ताल्लुक है। मैं वहां पैदा हुआ हूं। मेरी जिन्दगी का बहुत भारी ताल्लुक सीकर से है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। मुझे मालूम है आपका सीकर से बहुत ताल्लुक रहा है पर पहले जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब आने दें फिर आपको भी समय दूंगा। आप भी प्रश्न मन्त्री महोदय से पूछ लेना।

राहत मंत्री जी।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (राहत-मंत्री) : सभापति महोदय, नगर परिषद् की सड़कों एवं बरसाती नालों तथा नालियों का नुकसान हुआ वह इस प्रकार है :–

मौजूदा बने नालों की दीवारें कई एक स्थानों पर टूट गईं जिससे करीबन 50,000 रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। मौजूदा बनी परिषद् की सड़कों के सहारे काफी कटाव पड़ जाने से सड़क मरम्मत तलब हो गई जिस पर 50 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है व डब्ल्यू. बी. एम. सड़कों का करीब 1,50,000 रुपये खर्च का अनुमान है। मौजूदा नालों में मिट्टी आ

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

जाने के कारण अगली वर्षा से पूर्व मिट्टी कटाई का कार्य करवाया जाना आवश्यक है अन्यथा अगली वर्षा के समय भारी नुकसान होने का अनुमान है। उक्त कार्य पर 50 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है।

परिषद् की सड़कों के सहारे बनी साइड नालियों के कटाव के कारण सड़कें टूट-फूट गई हैं जिनकी मरम्मत पर 50 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। अगली वर्षा से पूर्व नगर की कई एक वस्ती, जो लो लेवल पर हैं एवं जिनमें नाले नहीं बने हुए हैं, में नाले बनाये जाने एवं वर्तमान ड्रेनेज को पूरा करना आवश्यक है, जिसके लिए 20 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है तथा मौजूदा बने नाले व नालियों को कवर करने के लिए अन्दाजन 4 लाख रुपये खर्च करने होंगे।

इसके अलावा बजाज रोड के नीचे शहर का मुख्य ड्रेनेज बना हुआ है। बजाज रोड एक मुख्य मार्ग है जिस पर काफी यातायात होता है। उक्त नाले को साफ करवाने के लिए अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से वार्ता करने पर उन्होंने करीबन 5 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान बताया है। इस नाले की सफाई का काम करवाने से इस रोड के ट्रैफिक को डाइवर्ट करना आवश्यक होगा तथा इसकी विस्तृत योजना भी बनानी होगी। अतः यह कार्य अभी करवाया जाना सम्भव नहीं है। वर्षा के पानी का निकास इस नाले से अभी पूरी तरह से हो रहा है।

दिनांक 29-7-80 को नगर के निचले भागों में पानी भर जाने के कारण पी. एच. ई. डी. से पम्प किराये पर लिए जाकर तीन स्थानों पर फिट किए जाकर 7–8 घण्टे लगातार चलाये जाकर वर्षा के पानी की निकासी की गई।

उपरोक्त वर्षा से सड़कों पर आई मिट्टी कीचड़ आदि 80 प्रतिशत साफ कर दी गई है एवं शेष हटाई जा रही है। उक्त वर्षा से कोई जन हानि नहीं हुई है न भयंकर बीमारी फैली। भयंकर बीमारी फैलने के बचाव के काम परिषद् द्वारा हाथ में ले लिए हैं एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव प्रारम्भ कर दिया है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।

श्री त्रिलोकसिंह : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सीकर में नुकसान हुआ उसके लिये क्या उन्होंने कोई कमेटी बनाई जो यह देखे कि कितना बरसात के कारण वहां पर नुकसान हुआ ? दूसरे, जो नुकसान वहां पर लोगों का हुआ है उस नुकसान को पूरा करने के लिये राज्य सरकार क्या करने जा रही है ?

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, राज्य सरकार तुरन्त क्या राहत दे रही है ?

श्री देवेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, फसलों को जो कीड़े लग गये हैं उससे जो फसल का नुकसान हो रहा है····

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, मैंने दूसरे विषय को ले लिया है। आप जो पूछ रहे हैं वह अलग से प्रश्न है। उस पर चर्चा समाप्त हो चुकी है।

(श्री सभापति)
मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है, माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, जो हानि हुई है, माननीय सदस्य ने उसके मुआवजे की बात उठाई है। सभापति महोदय, तीन घण्टे में 190 मिलीमीटर वर्षा हुई। उसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मूल प्रश्न है कि राहत के बारे में आपने क्या किया है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जहां तक राहत का प्रश्न है, सभापति महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कहूं क्योंकि जो नियम बने हुए हैं वह इस प्रकार हैं कि अगर आग लग जावे तो एक मकान के लिये 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक मुआवजा देने का सरकार को अधिकार है। अगर बाढ़ से मकान बह जाय तो राज्य सरकार 25 रुपये से लेकर 250 रुपये तक का मुआवजा दे सकती है प्रति व्यक्ति को मकान के लिये। लेकिन, सभापति महोदय, सीकर जैसी जगह के लिये इस प्रकार के प्रावधानों का कोई महत्व नहीं है। यह जो नियम मुआवजे के बने हुए हैं यह पुराने हैं। इस प्रश्न पर भी हमें बैठ कर विचार करना होगा कि कितना मुआवजा दिया जाय। मैं समझता हूं कभी इस प्रश्न पर सदन में विचार किया जाये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं करें। आसन पैरों पर है। चर्चा समाप्त हुई।

अनुदान की मांगों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की घोषणा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो प्राकृतिक आपदाओं के लिये सीकर नगर परिषद् ने पैसा मांगा ...

(व्यवधान)

सभापति महोदय, नगर परिषद् ने जो पैसा मांगा वह पैसा राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया। वहां पर पानी के बहाव से मिट्टी का कटाव हो गया है, मिट्टी पड़ी है। वहां कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जयपुर में जब वर्षा से कच्चे मकान गिर गये थे तो सरकार के अधिकारी वहां गये और उन्हें तुरन्त राहत दी पर सीकर में इतना नुकसान हुआ फिर भी कोई राहत राज्य सरकार द्वारा क्यों नहीं दी गयी अभी तक ?

श्री सभापति : आपने अपनी बात कह दी। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें अब कृपया।

मंत्री महोदय जब मांग के संबंध में उत्तर देंगे उस समय आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर नहीं करते हैं तो गलत बात है। राजनैतिक भेदभाव है। सीकर शहर में इतनी बड़ी बरबादी हो गयी उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं करना चाहती है ...

श्री सभापति : मैं सरकार को मजबूर नहीं कर सकता हूं आश्वासन देने के लिए अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार का जवाब असन्तोषजनक है। राजनैतिक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भेदभाव के कारण मैं सदन से बहिर्गमन कर रहा हूं। यह सीकर की जनता के साथ घोर अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ और सरकार के राजनैतिक भेदभाव के कारण सदन से मैं बहिर्गमन करता हूं। यह गूंगी बहरी सरकार है . . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(बहिर्गमन)

घोषणा

अनुदान की मांगों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री सभापति : अनुदान की मांगें एवं कटौती प्रस्तावों पर वाद-विवाद के संबंध में प्रक्रिया।

अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में गत कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जावेंगी। मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती हैं और समयाभाव के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

जैसी कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किये हुए समझा जाये और उन्हें सदन में पृथक् से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे किन्तु वे अपनी पार्टी के समय के भीतर ही बोल सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके तो उनके आग्रह पर सरकार की ओर से संबंधित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जाये ऐसा मेरा निवेदन है।

मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिए मोटे तौर पर सरकारी पक्ष को 2 घंटे 25 मिनट, जिसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित होगा। अन्य दलों के लिए समय विभाजन निम्न प्रकार होगा:–

1.	भारतीय जनता पार्टी	35 मिनट
2.	प्रगतिशील विधायक दल	15 मिनट
3.	जनता पार्टी (जे. पी.)	12 मिनट
4.	जनता (एस) चरणसिंह	10 मिनट
5.	कांग्रेस (अर्स)	8 मिनट
6.	निर्दलीय	5 मिनट
7.	सी. पी. आई.	5 मिनट
8.	सी. पी. एम.	5 मिनट

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ समझा जाना

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

श्री सभापति : What is your point of order ? Yes.

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने अभी बताया है कि जितने कटमोशंस हैं वह आलरेडी मूव्ड समझ लिये जायें। मैं समझता हूं कि यह प्रक्रिया किसी भी सदन की नहीं है और न नियमों में ऐसा उल्लेख है कि जो कटमोशंस हैं उनको आलरेडी मूव्ड समझ लिया जाये और पार्टी···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने अध्यक्षीय व्यवस्था पढ़ कर सुनाई है जो कि अध्यक्ष महोदय देकर गये हैं। जैसी कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है···

श्री नाथूसिंह : कोई परिपाटी नहीं रही है।

श्री सभापति : इस बारे में मैं अपना कोई व्यक्तिगत विचार प्रकट करना नहीं चाहूंगा लेकिन यह सदन की परम्परा रही है···

(व्यवधान)

मुझे थोड़ा सुन लें। जो कटमोशन दिये जाते हैं····

श्री देवेन्द्र कुमार : यहां पर वकालत करना चाहते हैं। हमको बोलने का अधिकार है···

श्री सभापति : आपको बोलने का अधिकार है मैं मानता हूं लेकिन व्यवस्था का प्रश्न है उसको तो आ जाने दीजिए।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जितने भी कटमोशंस डिमाण्ड पर दिये जाते हैं उन कटमोशंस को माननीय सदस्य मूव करते हैं उसमें भावना होती है कि कटमोशन के अ... अपने क्षेत्र···

एक माननीय सदस्य : सारे शब्द अंग्रेजी के बोल रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप पार्लियामेन्ट के सदस्य रहे हैं···

श्री सुरजपाल सिंह : यह व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं।

श्री नाथूसिंह : जिन सदस्यों ने कटमोशंस दिये हैं उनको अधिकार है कटमोशन पर बोलने का। कोई भी कटमोशन पर बोलने से उनको रोक नहीं सकता। वह कटमोशन बाकायदा सदन में मूव करें और मूव करने के पश्चात वह अपने विचार प्रकट करें। कहीं भी यह नहीं है कि कटमोशन सदस्य जो देता है उसको मूव मान लिया जाये। कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं दी गयी है और न ही हमारे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों में है। किसी भी नियम के तहत ऐसा नहीं है कि कोई भी हम कटमोशन दें और वह मूव नहीं कर सकें।

श्री सभापति : कृपया माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आपको लोकसभा का भी तजुर्बा है और आप काफी जागरूक सदस्य हैं। मैं आपका आसन द्वारा दी गयी व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाऊंगा। यह पेज 157 पर है 'कटौती प्रस्तावों की सूचना'। यह परम्परा रही है, मुझे इस बारे में काफी जानकारी है इसलिए मैं आपके इस पाइन्ट आफ आर्डर को अस्वीकार करता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 3 बजे गये हैं। अब हमें आगे का कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए।

श्री राजबहादुर : मुझे व्यवस्था का प्रश्न करना है। दो चीजें हैं—एक तो यह है कि मैंने एक प्रस्ताव दिया था वह था अकाल की व्यापक समस्या पर विचार करने के लिए····

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, जिस विषय पर आपने अभी रूलिंग दी है उस पर कुछ कहना चाहूंगा···

श्री सभापति : एक व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फिर आगे की बात शुरू हो जायगी।

श्री सभापति : आपस में तय कर लीजिए। आप व्यवस्था का प्रश्न वापस ले रहे हैं।

श्री राजबहादुर : मैं वापस नहीं ले रहा हूं।

यह आश्वासन दिया गया था कि उस व्यापक प्रश्न की मांग पर विचार के समय रखूं और मुझे समय पर्याप्त मिलेगा। एक चीज तो यह है या तो उस मोशन, जो प्रस्ताव है मेरा, को जीवित रखा जाये····

श्री सभापति : मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है···

श्री राजबहादुर : दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से तीन बहुत ही महत्वपूर्ण डाकूमेंट केन्द्रीय सरकार को दिये गये। एक का नाम है Memorandum submitted to Governmant of India.

श्री सभापति : This is no point of order. I am sorry. ···

श्री राजबहादुर : आपने बात पूरी सुनी ही नहीं··

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य। आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भारत सरकार के मंत्री रहे हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राजबहादुर : आपने बात सुनी ही नहीं।

श्री सभापति : मैं समझ गया। आप फर्मायेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, यह बात सच है कि कटौती प्रस्तावों को मूव किया हुआ मान लिया जाये लेकिन जो समय निर्धारित किया है यह परम्परा के विरुद्ध है। पिछले वर्ष लगातार 12 बजे रात तक बैठते रहे हैं और सब माननीय सदस्यों को प्रस्ताव मूव करने और उस पर बोलने का समय मिला है। इसलिए समय का जो निर्धारण कर रहे हैं यह तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव रख रहे हैं उन पर वह अपने क्षेत्र की समस्यायें रखना चाहेंगे। वह समस्या किसी दूसरे सदस्य के बोलने से हल नहीं होगी। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें और समय जरूर दिया जाये। समय का निर्धारण किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक व्यवस्था का प्रश्न आया है, उस पर व्यवस्था देनी है। मैं निवेदन करूंगा · ·

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, I am sorry. I will not allow.

माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, यह सही है कि जो समय का बंटवारा किया है वह अध्यक्ष महोदय यहां करके गये हैं फिर भी मैं आपकी बात से अवगत करा दूंगा। 2–4 मिनट बोल सकते हैं लेकिन यह कभी नहीं रहा कि सभी माननीय सदस्यों को अवसर दिया हो · ·

(व्यवधान)

आसन की बात को सुनिये, मुझे भी सदन का काफी अनुभव रहा है। सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया हो ऐसा कभी नहीं हुआ · ·

(व्यवधान)

कटौती प्रस्तावों के लिखित उत्तर

एक माननीय सदस्य : सरकार से निवेदन किया जाय जिन कटौती प्रस्तावों के उत्तर नहीं आते हैं, उनके लिखित उत्तर देने के बारे में भी कोई व्यवस्था दी जाय··

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा वे इस बात का ध्यान रखें। पूर्व में यह व्यवस्था रही है, जिन कटौती प्रस्तावों पर बोल नहीं सकें या उत्तर नहीं दिया जा सके उनका लिखित में भिजवाने की व्यवस्था नहीं है।

कटौती प्रस्तावों पर बोलने का अधिकार

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, जिनके कटौती प्रस्ताव के उत्तर सदन में नहीं आये उनको लिखित में भिजवाने की व्यवस्था तो ठीक है लेकिन जो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या को रखना चाहें उनको तो बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : यह संभव नहीं है, यह पार्लियामेंट में भी नहीं होता है.··

(व्यवधान)

I am sorry.

(व्यवधान)

मैं असमर्थ हूं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाय · · ·

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, मैं कुछ कह रहा हूं आप उसे सुनिये। मैं चाहता हूं अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर मिले। आसन इस पर रिजिड नहीं है जितने अधिक माननीय सदस्य अकामोडेट हो सकेंगे, करने की पूरी कोशिश की जायेगी। लेकिन इस तरह के वाद-विवाद में अधिक समय न लिया जाय और चर्चा प्रारम्भ की जाय।

(श्री सभापति)

माननीय मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

माननीय राम रघुनाथ जी, आप स्थान ग्रहण करें।

दल की सदस्य संख्या के अनुपात में समय का बंटवारा

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो व्यवस्था आपने दी है उसके सम्बन्ध में यह निवेदन है कि किसी दल ने बहुत कम कटौती प्रस्ताव मूव किये हैं और कोई दल ऐसा है कि जिसने कटौती प्रस्ताव बहुत अधिक दिये हैं इसलिए आप कटौती प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए कोई उचित व्यवस्था दें।

श्री सभापति : इसका ध्यान रखा जायगा। आसन की फ्लेक्सिबिलिटी भी है लेकिन बाई एण्ड लार्ज समय का बंटवारा है यह अध्यक्ष महोदय ने दिया है...

(व्यवधान)

कटौती प्रस्ताव के क्रमानुसार बोलने का अवसर

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो कटौती प्रस्ताव आते हैं उनको सीरियल नम्बर से रखा जाय और उसी आधार पर चर्चा की जाय ताकि किसी सदस्य को आपत्ति नहीं रहे।

एक माननीय सदस्य : इसका क्रम क्या रहेगा ?

श्री सभापति : मैं आपके सुझाव को माननीय अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दूंगा। मंत्री महोदय।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 28-सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम व मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (अकाल राहत मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28-सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10 करोड़ 80 लाख रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान की राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19 करोड़ 41 लाख 97 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान की राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

मांग से सम्बन्धित प्रतिवेदनों को सदन पटल पर प्रस्तुति

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री राज बहादुर : प्वान ए पाइन्ट आफ आॅर्डर।

श्री सभापति : माननीय ललित किशोर जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो फेमिन रिलीफ और फ्लड्स के विषय में मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उनके विषय में मेरा कहना यह है कि जुलाई, 1979 में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को तीन मेमोरेण्डम प्रस्तुत किये थे, नवम्बर, 1979 में दूसरा मेमोरण्डम प्रस्तुत किया था और हमने फेमिन के बारे में तीसरा मेमोरेण्डम अप्रेल 1980, में प्रस्तुत किया था। ये तीन मेमोरेण्डम प्रस्तुत किये थे। उनकी प्रति सदन की टेबल पर नहीं रखी गई है। मेमोरेण्डम के आधार पर सैन्ट्रल टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश को भेजी है इसलिए यह जब तक सदन की टेबल पर नहीं रखी जाती है तब तक इस बहस के कोई मायने नहीं हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं जो जुलाई, 1979 में फ्लड के बारे में मेमोरेण्डम राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया था, नवम्बर, 1979 व अप्रेल, 1980 में प्रस्तुत किए थे तीनों मेमोरेण्डम में रिलीफ के लिए 59.46 करोड़ की मांग केन्द्रीय सरकार से की थी। फ्लड व फेमिन में 59.46 करोड़ का व्यय हुआ है। सभापति जी, अगर मार्जिन मनी जो पांच करोड़ की हम को मिली है वह उसमें से निकाल भी दें तो 54.46 करोड़ के लिए हमको उनसे मांग करनी है···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवस्था का क्या प्रश्न है इसमें···

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति जी, उनको टेबल पर रखना इसलिए आवश्यक है···

श्री खेतसिंह राठौड़ : कभी नहीं रखा जाता है।

श्री सभापति : उनको अपनी बात कहने दीजिये, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह घाटा सैन्ट्रल दे। सभापति महोदय, तीनों मेमोरेण्डम की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जो सैन्ट्रल टीम है उसने उसके आधार पर रिपोर्ट दी है। 38 करोड़ फ्लड और फेमिन के लिए हमको चाहिये और राज्य सरकार ने 19 करोड़ का प्लान रखा है, यह कैसे सम्भव है, स्वयं मांग कर रहे हैं केन्द्रीय सरकार से और अब कह रहे हैं केवल मात्र 19 करोड़ में काम चला सकते हैं···

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

एक माननीय सदस्य : आप ही बिराजिये।

(3.08 म. प.)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : I am sorry.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मांग का कोई मतलब नहीं, इस बहस का कोई मतलब नहीं, मांग-पत्र का कोई मतलब नहीं, कटौती प्रस्तावों का कोई मतलब नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे जब कि हमको 38 करोड़ चाहिये, तीनों मेमोरण्डम के आधार पर चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है कि सेन्ट्रल टीम की रिपोर्ट सदन की टेबल पर रखी जाय।

श्री सभापति : आपने कहा है, मेमोरेन्डम जो भारत सरकार को सबमिट किये गये हैं, वह और स्टडी टीम की रिपोर्ट को यहां पेश की जाय। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और आवश्यक भी नहीं है, इसलिए निवेदन करूंगा मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : सभापति महोदय, मेरा प्रिविलेज का प्रश्न है · · ·

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : सभापति जी, ये तो अव्यवस्था फैला रहे हैं।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। एक बात को पाइन्ट आफ आर्डर के जरिये उठाया है, इसलिए व्यवस्था देना आवश्यक है और यह व्यवस्था दी है कि इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब बहस को आरम्भ करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपके व्यवस्था देने का प्रश्न नहीं है। हमारी सरकार से मांग है, सरकार क्या कहना चाहती है?

श्री सभापति : यह आप बहस में उठा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके व्यवस्था देने का प्रश्न नहीं है, माननीय सभापति, जो माननीय सदस्य ने पाइन्ट रेज किया है · · ·

श्री सभापति : आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आलोचना का सवाल नहीं है। सीधा सा सवाल है कि बजट में फेमिन रिलीफ का जो प्रोविजन है वह 7.74 करोड़ का है और 7.74 करोड़ के साथ जो मार्जिन मनी है, एडवांस प्लान असिस्टेंस को भी आप इसमें जोड़ दें, तो भी आपको 39 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी इस फेमिन रिलीफ के काम के लिए। आपने जो बजट में प्रोविजन रखा है उस प्रोविजन को निकालने के बाद भी आपको 39 करोड़ की आवश्यकता होगी। वह 39 करोड़ सरकार कहां से लाने वाली है। जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी सरकार को, तब तक फेमिन के कार्य को किस प्रकार से पूरा करेगी, इसकी जानकारी सदन के सामने रखें। सदन के सामने तीनों डाकूमेंट रखें। तीनों डाकूमेंट बहुत रेलेवेंट हैं। मेरी सूचना के अनुसार, यह जो डिमान्ड फार्मूलेट की गई है वह इन तीनों मेमोरेण्डम के आधार पर की गई है जिनको सरकार हमको नहीं बताना चाहती है और दूसरों के पास पहुंच गई है · · ·

श्री सभापति : Demand, are never passed on the basis of memorandums..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो कह रहे हैं यह आपका सुझाव है। सरकार की तरफ से यह उत्तर आना चाहिए कि यह जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। यह व्यवस्था आपको नहीं करनी है। यह व्यवस्था करने का काम अध्यक्ष का नहीं है। यह सरकार और हमारे बीच की बात

(८२)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
है। सरकार पेश करना चाहती है या नहीं करना चाहती, यह जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फेमिन कोई राजस्थान के लिए नई चीज नहीं है। कई वर्षों में कई बार फेमिन राजस्थान में पड़ते रहे हैं और इस प्रकार के मेमोरेंडम पहले भी दिये जाते रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने मेमोरेंडम दिए हैं और स्टडी टीम की रिपोर्ट्स भी दी हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिए यह कोई सरकार के लिए आवश्यक नहीं है कि जो मेमोरेंडम पेश किये गये हैं उनको यहां पर पेश किया जावे। पूर्व में भी कई वार पेश नहीं किये गये हैं एक वात। दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि इस साल स्केयरसिटी खतम हो चुकी है। भगवान की कृपा से निश्चित रूप से जमाना होगा और बम्पर क्रोप होगी। यह जो आपका संदेह है कि यह कैसे होगा तो मेरा निवेदन है कि बम्पर क्राप होने से ऐसी कोई समस्या ही खड़ी नहीं होगी। इसके उपरान्त भी यदि यदा-कदा कोई क्षेत्र रह गए तो जैसा पूर्व में होता रहा है, फिर सैंट्रल टीम आएगी, वह एग्जामिन करेगी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और भारत सरकार से असिस्टेंस मिलेगी। फिर जरूरत होगी तो हम मांग कर सकते हैं। हम अपने रिसोर्सेज से भी इसको मीट आउट कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय मैं क्षमा चाहूंगा, माननीय मुख्य सचेतक महोदय के तो यह वात समझ में आने वाली नहीं है। प्रभाकर जी ने शायद सेवंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी होगी। उसमें स्पष्ट रिकमण्डेशन है। अगर कोई राज्य सरकार इस प्रकार के भारी खर्चों को वहन नहीं कर सकती हो तो सेवंथ फाइनेंस कमीशन में भारत सरकार को कहा है कि एडवांस प्लान असिस्टेंस की जगह उनको टोटल ग्राण्ट मिलनी चाहिए। हम आपका समर्थन करना चाहते हैं। प्लान असिस्टेंस में एडवांस मिलेगा तो उसमें कटौती होगी, उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। हम इस सदन के द्वारा आपके हाथ मजबूत करने वाले हैं कि एडवांस प्लान असिस्टेंस की जगह भारत सरकार टोटल ग्रांट दे। इस प्रकार से आप भारत सरकार से मांग कर सकते हैं। ऐसी नेचरल कैलेमिटी के समय भारत सरकार को संविधान में अधिकार मिला हुआ है। मैं संविधान का चैप्टर तो इस समय कोट नहीं कर सकता लेकिन उसके आधार पर ही सातवें फाइनेंस कमीशन और छठे फाइनेंस कमीशन ने यह सिफारिश की है कि नेचरल कैलेमिटी के लिए व्यवस्था होने के उपरान्त भी अगर भारत सरकार चाहे तो इस प्रकार की नेचरल कैलेमटी में टोटल ग्राण्ट दे सकती है। अगर हम यह नहीं चाहते, खेतसिंहजी की इच्छा हो कि हम भी खर्चा करेंगे, जैसा उन्होंने कहा, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राजस्थान में अकाल और बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं हो लेकिन राजस्थान पर जो वित्तीय भार आ गया है उस वित्तीय भार से राजस्थान सरकार किस तरह से निपटना चाहती है और भारत सरकार से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से सहायता प्राप्त कर सकती है केवल इसी आधार पर इन रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारी पार्टी सरकार को समर्थन देना चाहती है इस प्रश्न पर। इसके उपरान्त भी अगर सरकार की यह मंशा है कि राजस्थान के खजाने से ही पैसा खर्च होना चाहिए और भारत सरकार से ग्राण्ट नहीं लेनी है तो यह दुर्भाग्य है हमारा। मैं समझता हूँ कि सरकार कैसे भी करे मुझे आपत्ति नहीं है।

मांग संख्या 28 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

1. **श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : नागौर जिले में डी.पी.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत हो रही धांधली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

2. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत)
श्री रामसिंह बिश्नोई (लूनी): भू-संरक्षण कार्य को सूखा आशंकित कार्यक्रम के अन्तर्गत लेने हेतु चर्चा के लिये।

3. **श्री सूरजपालसिंह** (भीनमाल)
श्री रतनाराम (रानीवाड़ा) सूखा आशंकित कार्यक्रम के अन्तर्गत जालोर जिले में कृषि क्षेत्र में उन्नति हेतु व्यापक प्रचार एवम् प्रसार न किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

4. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)
श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)
श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)
सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)
श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)
श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): सूखा प्रणत क्षेत्र के स्थायी हल के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

5. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): बीकानेर सूखा प्रणत क्षेत्र के अन्तर्गत गोचर भूमि के ऊपर दीगर लोगों एवं सरकार द्वारा अन्य उपयोग के लिये अवैध कब्जा कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम को वैज्ञानिक स्वरूप देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. **श्री शिवदानसिंह राठौड़** (जैतारण): डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम को गतिशील बनाने हेतु विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार करने हेतु चर्चा के लिये।

8. **श्री भंवरसिंह** (नवलगढ़) : नवलगढ़ क्षेत्र में सूखे से उत्पन्न स्थिति को निपटाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

9. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): डी.पी.ए.पी. कार्यों में उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

10. **श्री बनवारी लाल** (धौलपुर)
श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम को गतिशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद): अजमेर जिले को सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

12. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : तहसील परबतसर जिला नागौर में सूखे से प्रभावित क्षेत्र को सूखे की स्थिति से बचाने के लिये स्थाई प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

13. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम को समाप्त करने बाबत चर्चा के लिये।

14. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने पर चर्चा के लिये।

15. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : डा. पी. ए. पी. कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

16. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत लघु सिंचाई का कार्य अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र में प्रारम्भ न करने पर चर्चा के लिये।

17. श्री हरिसिंह (कुम्हेर): सूखा आशंकित क्षेत्रों में प्रारम्भ किये गये अधूरे कार्य को पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. श्री मोहनलाल (नीमकाथाना): सूखा आशंकित क्षेत्रों में प्रारम्भ किये कार्यों को समय पर पूरा नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये।

19. श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी): बाड़मेर जिले में सूखा आशंकित क्षेत्र के अन्तर्गत पेड़ लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): सूखा आशंकित क्षेत्रों में योजनाबद्ध विस्तृत कार्यक्रम चलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये। सूखा आशंकित क्षेत्र में प्रारम्भ किये गये कार्यों को पूरा किया जावे इस पर चर्चा के लिये।

22. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले को भी सम्मिलित किया जाये इस पर चर्चा के लिये।

23. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : गत वर्ष की अपेक्षाकृत इस वर्ष सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम मे कम राशि आवंटित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में चर्चा के लिये।

24. डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये सिंचाई कार्यों के लिये अपूर्ण राशि के प्रावधान के विषय में चर्चा के लिये।

25. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : सूखा आशंकित क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम में एरिया जोन की योजनाओं को क्रियान्वित न किये जाने पर चर्चा के लिये।

26. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली): सूखा आशंकित कार्यक्रम में गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 34 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 34 मुख्य शीर्षक प्राकृतिक आपदाओं से राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

1. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सूखे से पीड़ित लोगों को बीज एवं खाद की व्यवस्था समय पर न कर पाने पर चर्चा के लिये।

2. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :
श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : राज्य में प्राकृतिक विपदाओं से बचाव के लिये राहत कोष बनाने एवं जगह-जगह छोटे व बड़े बांध बनाने तथा बांधों पर संचार सेवाएं उपलब्ध कराने और मौसम की जानकारी देने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)
श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : जालौर जिले में वर्षा न होने के कारण उत्पन्न अकाल की स्थिति के निराकरण हेतु समय पर राहत-कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

4. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)
श्री जीतमल जैन (अलवर) : जयपुर ग्रामीण में सूखाग्रस्त क्षेत्र में राहत कार्य प्रारम्भ न किये जाने पर चर्चा के लिये।

5. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :
श्री जीतमल जैन (अलवर) : प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को समय पर समुचित राहत न मिलने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

6. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)
श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)
श्री नाथू सिंह (बांदीकुई)
श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)
श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : बाढ़ एवं सूखे से निपटने के लिये स्थायी हल किया जाये इस पर चर्चा के लिये।

7. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को समय पर पर्याप्त मात्रा में राहत नहीं मिलने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

8. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु चर्चा के लिये।

9. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों को उचित राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : पिछले वर्ष आई बाढ़ में जैतारण तहसील में राहत हेतु सब्सिडी व लोन देने में सरकारी अधिकारियों द्वारा किये गये भारी भ्रष्टाचार व घोटाले बाबत चर्चा के लिये।

11. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)
श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूरा करने एवं वसूलियां रोकने हेतु चर्चा के लिये।

12. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल, पीपल्दा, खातोली, तथा इटावा कस्बे को बाढ़ से बचाने के संबंध में कारगर कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

13. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को समय पर समुचित राहत पहुंचाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

14. श्री बिहारी लाल (माण्डल) : निर्वाचन क्षेत्र माण्डल में खोले गये अकाल राहत कार्यों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

15. श्री बनवारीलाल (धौलपुर)
श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार): सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित गांवों में चलने वाले राहत कार्यों को बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

16. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के स्थायी हल के लिये मास्टर प्लान बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

17. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : गत वर्ष बाढ़ से नसीराबाद क्षेत्र में टूटे बांधों की मरम्मत न करने बाबत चर्चा के लिये।

18. श्री छोगाराम बाकोलिया (रेवदर) : सिरोही जिले में प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित व्यक्तियों को राहत देने पर चर्चा के लिये।

19. श्री जेठमल बरबड़ (परवतसर): परबतसर क्षेत्र में पीपलाद से पुष्कर जाने वाली सड़कों के वर्षा से टूट जाने के कारण राहत कार्यों के अन्तर्गत इनकी मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

20. परबतसर क्षेत्र के ग्राम भड़सिया में भारी वर्षा से बाढ़ के कारण भड़सिया बांध के टूट जाने के कारण राहत कार्यों के अन्तर्गत पुनः निर्माण न करने हेतु चर्चा के लिये।

21. श्री चुन्नीलाल (खण्डार)
श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : पंचायत समिति सवाई माधोपुर में किये गये अकाल राहत कार्यों में हुए लाखों रुपये के घोटाले की जांच कराने बाबत चर्चा के लिये।

22. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): अग्नि दुर्घटनाओं में पीड़ित परिवारों को सही समय पर अनुदान राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

23. प्राकृतिक आपदाओं से आहत व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. सिकराय क्षेत्र में छोई नदी में आई बाढ़ से त्रस्त गांवों की समस्या पर सरकार द्वारा अभी तक ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

25. प्राकृतिक आपदाओं से कृषि को होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु बीमा योजना प्रारंभ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : बाढ़ पीड़ित लोगों को पूरी राहत नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

27. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : राहत कार्यों के अन्तर्गत अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ न करने व राहत कार्यों में अनियमितता व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

28. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : प्राकृतिक आपदाओं से राहत देने के लिये प्रारम्भ की गई कोलिया से तोसीना वाया

(श्री उम्मेद सिंह)
खुनखुना सड़क के निर्माण में हुई गड़बड़ी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. **श्री बिहारीलाल** (माण्डल): विधान सभा क्षेत्र माण्डल में अभावग्रस्त घोषित गांवों में राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

30. **श्री बाऊदयाल जोशी** (दीगोद): सूखे से ग्रसित सांगोद तहसील में राहत कार्यों को 2 माह और चालू रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. प्राकृतिक आपदाओं से मरे लोगों के आश्रितों को समय पर कम मुआवजा दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

32. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): अजमेर नगर में आने वाली भयंकर बाढ़ की रोकथाम हेतु बनाई गई योजना की तुरन्त क्रियान्विति कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

33. **श्री मोहनलाल** (नीमकाथाना): बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों को समय पर सहायता व नकद भुगतान न दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

34. **श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना): अतिवृष्टि से पीड़ित लोगों को राहत दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

35. अग्नि पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता न मिल पाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

36. प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों के लिये विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. अतिवृष्टि से पुन्दलोता ग्राम, तहसील डेगाना जिला नागौर में काश्त की भूमि में झील बन जाने से सैंकड़ों कृषक 1975 से भूमिहीन हुए हैं उन्हें राहत पहुंचाने हेतु चर्चा के लिये।

38. **श्री धाराराम** (सिवाणा): सिवाणा क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों के तहत सड़कों को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. **श्री तेजपाल यादव** (चौमूं): ग्राम उदयपुरिया व लोहवाड़ा में वर्षा से हो रही तबाही को रोकने में असफलता पर चर्चा के लिये।

40. **श्री नानालाल** (राजसमंद): बनास नदी पर एनीकट बनाने से रेलमगरा तहसील के कुओं में पानी का स्तर कम हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): बाढ़ पीड़ितों को समय पर समुचित राहत उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

42. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा): अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किये गये कार्यों की मजदूरी का मजदूरों को समय पर भुगतान न करने से मजदूरों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

43. अकाल के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये कार्यों को पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये।

44. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अकाल के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये कार्यों को पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये।

45. अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत मजदूरी कम देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : करौली क्षेत्र के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये राहत कार्यों को शीघ्र पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

47. डा. हरिसिंह (फुलेरा) : फुलेरा के अकाल ग्रस्त गांवों में राहत कार्यों को पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या 28 व 34 पर विचार

श्री सभापति : श्री रामरघुनाथ चौधरी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! चर्चा प्रारम्भ करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम और प्राकृतिक आपदाओं से किस तरह से समय-समय पर लोगों को राहत दी जावे उसके सम्बन्ध में मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस राजस्थान में जैसा कि माननीय मुख्य सचेतक महोदय फर्मा रहे थे कि अकाल कोई नई बात नहीं है राजस्थान के लिये और...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये नए मुख्य मंत्री कौन आ गये ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो घर की बात है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : Please Carry on.

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अकाल कोई नई बात नहीं है। तो सरकार को हमेशा सतर्क रहना चाहिये कि जब कभी भी दुर्भिक्ष पड़े, ऐसी स्थिति हो, उसका सामना किया जावे। अधिक से अधिक राजस्थान के उस वर्ग को जहां इस प्रकार के दुर्भिक्ष पड़े मदद मिलनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार जो अकाल पड़ा था और अकाल राहत कार्य शुरू कराये गये थे, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अकाल कार्य खोलने की घोषणा की गई थी और जिलाधीशों को कहा गया था। जिलाधीशों ने भी यह बताया था कि इस तरह के राहत कार्य खोलने की घोषणा हुई है। लेकिन कार्य शुरू ही नहीं किये गए। जब बरसात हो गई वास्तव में तब भी कार्यों की आवश्यकता थी किन्तु वे कार्य बन्द करने के आदेश दे दिए और अकाल राहत कार्य बन्द हो गए। तो कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी कि जहां अकाल पड़ा वहां लोग मुंह बाये खड़े हुए थे कि इस दुःख के समय में राज्य सरकार हमें मदद करेगी और जीवनयापन के लिये मजदूरी करके

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

कुछ धन और कुछ पैसा हम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन कार्य खुले ही नहीं। तो उनको अपना पेट भरने के लिये न तो खाद्य प्राप्त हुए और न पैसा मिला। विशेषकर मेरे क्षेत्र के अन्दर जो स्वीकृतियां हुई थी उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे यहां अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत दो सड़कों की मंजूरी हुई थी। एक डेगाना से नेंरुला की तरफ और दूसरी बामना से पिछ्वा होते हुए खाटू की तरफ। इन दोनों सड़कों में से किसी भी सड़क का कार्य फेमिन कार्यों के दौरान पूरे समय में शुरू नहीं किया गया। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा, जैसी मुझे जानकारी मिली है, मेरे यहां दो छोटे-छोटे बांधों की भी स्वीकृति हुई थी। एक राजनोता और दूसरा बन्धुआ। राजनोता का कार्य शुरू किया गया। वह तभी शुरू किया गया था जब कि बरसात काफी नजदीक आ गई थी। आप सोचिये कि बड़े तालाब होते हैं उन पर लाखों रुपयों का खर्चा होता है। वह अगर बरसात से थोड़े समय पहले शुरू किये जावें और उनका कार्य पूरा नहीं हो तो बरसात आने के बाद उन सब के धुल जाने की, वह जाने की आशंका रहती है।

(3.17 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पीठासीन)

और यही हुआ। राजनोता का कार्य, उसके एनीकट का कार्य, छोटे बांध का कार्य और उस बांध के तालाब का कार्य, जो किया गया था बरसात के अन्दर धुल गया और लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। बन्धुआ के तालाब का जो काम था वह पिछले कई अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत शुरू किया गया था लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया पता नहीं क्यों राज्य सरकार सौतेला व्यवहार करती जा रही है उस क्षेत्र के साथ में। अगर अकाल राहत कार्य पूरे हो जाते तो इतना ही नहीं कि वहां के लोगों का पेट भरता या जीवनयापन के लिए उन्हें कुछ मिलता बल्कि हमेशा के लिए एक तालाब बनता जिससे कुछ सिंचाई होती और कुछ भूमि में पानी का भराव होता तो वहां भी काश्त करने का मौका मिलता। उससे आज तक वे महरूम रहे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अकाल जब-जब भी आते हैं तो सरकार की यह इच्छा होती है और अवाम की मांग होती है कि वहां पर कार्य खोल कर काम किये जावें। लेकिन जब स्वीकृति दे दी फिर भी कार्य शुरू नहीं हुए तो यह बहुत ही अजीब स्थिति है। इसलिए मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि नागौर जिले में जिन कार्यों की आपने स्वीकृति दी वह शुरू किन कारणों से नहीं हुए इसका पता लगायें। जिन अधिकारियों ने ये कार्य नहीं कराए और जिनके कारण हमें क्षति हुई है उनको सजा दिलाई जावे।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में और पिछले साल जो अतिवृष्टि हुई उस अतिवृष्टि से बहुत से इलाकों में बाढ़ आई थी और उस बाढ़ से कुछ कुए ढह गए, कुछ मकान ढह गए, कुछ सड़कें ढह गई थीं। नागौर जिले में विभिन्न

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने कोई तीस लाख की मंजूरी दी थी। मुझे यह जानकारी मिली है कि जो स्वीकृति आपने दी थी सड़कों की मरम्मत के लिए उसमें से 20 लाख रुपये तो वहां के अधिकारियों ने खर्च ही नहीं किए वापस सरकार को लौटा दिए। यानि मतलब यह हुआ कि जो नुकसान उस क्षेत्र को हुआ था उसके लिए राज्य सरकार ने पैसा दिया था वह पैसा वहां लगा कर कार्य पूरा होना चाहिए था। जनता दुःखी है कि उनका काम नहीं हुआ और सरकार दुःखी है कि पैसा दिया वह खर्च नहीं हुआ। तो फिर इस तरह के जो आपके अधिकारी लगे थे, जो आपके पैसे का सदुपयोग नहीं कर सके उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? क्या ऐसे अधिकारी आपको बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत प्रिय हैं कि आप उनको निरन्तर पैसा दें और जनता को ऐसा महसूस हो कि आपने पैसा दिया। आपका पैसा खर्च नहीं हो और घाटे की व्यवस्था में उस पैसे को लैप्स करा कर उसको एडजस्ट कर लें ? अगर आपका यही विश्वास है तो आप जो राहत राजस्थान की जनता को दे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। यह तो एक लालच दिखाना हुआ। आपने पैसा स्वीकृत किया कि जब भी दुर्भिक्ष हुआ या फ्लड आया तो उसको खर्च करेंगे लेकिन जब फ्लड आया तो उसको खर्च करने दिया नहीं और उसको वापस ले लिया। हमको यह दिखा दिया कि हमने पैसा बहुत मंजूर किया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस तरह से जो स्वीकृति दी जाती है या जो धनराशि दी जाती है वह जिस कार्य के लिये दी जाती है उस कार्य के लिए उसका सदुपयोग हो और समय पर खर्च हो। किन्हीं कारणों से खर्च नहीं करते हैं वहां के अधिकारी या जिला अधिकारी तो उनकी सख्ती से जांच करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय।

विशेषकर मैं एक सड़क के लिए निवेदन करना चाहूंगा। डेगाना गांव से डेगाना स्टेशन, इसी तरह से सांचे साइड में, करनाड साइड में और मेड़ता साइड में स्वीकृति हुई थी। जो फ्लड के बहाव से सड़कें कट गयीं आज उनकी स्थिति ऐसी है कि अगर आज वे नहीं सुधारी गयीं तो उनकी हालत इतनी खराब होने वाली है कि वे सड़कें आपको नयी बनानी पड़ेंगी। उन पर लाखों रुपये खर्च होंगे और तब कहीं जाकर बन सकेंगी।

इसके साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि प्राकृतिक आपदाओं में वे आपदाएं भी हैं जब ग्रामों में लू चलती है और अग्नि-कांड या आग से गांव या घर जलने की शिकायतें होती हैं। जब लू चलती है और ग्रामों में हवा चलती है वह हवा तेज होती है। तो एक दफा आग लग जाने के बाद में गांव में कुछ शेष बचता नहीं। तब यहां से लोगों को मदद दी जाती है। गरीब लोग गांव में होते हैं, अधिकतर उनकी झोंपड़ियां और कच्चे मकानात होते हैं। ऐसे लोगों को मदद देना सरकार का कर्तव्य है लेकिन मदद क्या दी जाती है, सौ रुपये, दो सौ रुपये। आप सोचिये सौ, दो सौ, तीन सौ, चार सौ, पांच सौ रुपये में तो एक छप्पर भी नहीं बनता। जिस परिवार का सब कुछ जलकर नष्ट हो गया हो, न खाने को अनाज बचा हो, न पहनने को कपड़ा बचा हो, न बरतन बचे हों, न उनके रहने का मकान बचा हो तो उन लोगों के लिये कम से कम

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

ऐसी व्यवस्था हो कि कुछ अन्य पैसा मिल जाय, कुछ पैसे के लोन की व्यवस्था हो, ताकि वे फिर से अपने जीवनयापन के लिए मेहनत करके खड़े हो सकें, अपना मकान बना सकें और अपने जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लायक हो सकें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने नियम और व्यवस्थाओं में सुधार कीजिए। इतने पैसे, इतने अनुदान की, ऋण की व्यवस्था कीजिये कि जहां-जहां भी इस तरह के हालात होते हैं और अग्निकाण्ड होते हैं, वहां लोगों को इमीजियेटली मदद देने की ऐसी व्यवस्था हो जाय कि वे अपनी जिन्दगी से टूट न जायें, उनकी हालत ऐसी न हो जाय और वे भिखमंगे बन जायें और खड़े न हो सकें, कुछ मेहनत मजदूरी करके कमाकर न खा सकें।

इसके साथ ही मैं सूखा आशंकित क्षेत्र के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता था। इसके अन्तर्गत डी. पी. ए. पी. में कार्यक्रम चल रहा है। डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने कोशिश की है कि कुछ भेड़ों के लिए फार्म बनें, कुछ इलाकों में छोटे-छोटे बांध बनें, कुछ इलाकों में ट्यूबवैल्स बनें और सिचाई के परमानेन्ट साधन हों। इसके लिए मैंने निवेदन किया था कि हमारे जिले में एक योजना थी, लिफ्ट योजना, गंगा का पानी लाने की। उस योजना का क्या हुआ, वह योजना कहां चली गयी, पता नहीं क्या हुआ। हर बार सदन में हम यह निवेदन कर रहे थे कि अगर यह योजना बन जाती है तो इस योजना से पश्चिमी राजस्थान के काफी इलाके, जो कि हमेशा ही सूखे से ग्रसित रहते हैं, को काफी लाभ होगा, वहां पर एक परमानेन्ट स्कीम बन जाने से कभी ऐसा संयोग हो कि बरसात न हो और कभी सूखा पड़ने की आशंका हो तो गंगा लूनी लिंक का पानी लिया जा सकता है। इससे सुचारु रूप से वहां सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। जब तक आप सिंचाई की व्यवस्था जगह-जगह नहीं करेंगे, तब तक आप चाहे अकाल से लड़ने के लिए राहत कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च कर दीजिये लोग अकाल से राहत प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जब तक कोई योजना बना कर इसका परमानेन्ट सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप इस अकाल से मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो योजना लिफ्ट का बनायी गयी थी, उस योजना को फिर से आप शुरू करायें। उसे पूर्ण करने के लिए जितना भी आपको धन चाहिए, उसको जुटा कर इस योजना को पूरा करके यह दुःख हमेशा के लिए मिटाने का प्रयत्न करें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सीप फार्म खोले, सौ-सौ लेकिन उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मुझे जैसी जानकारी मिली है, राजस्थान सरकार के पास जब वर्ल्ड बैंक वाले आये थे तो आस्ट्रेलिया के बेस पर उन्होंने एक ऐसी योजना बनायी कि अलग-अलग इलाकों में सीप फार्म बनाये जायें। आपने सीप फार्म बनाने के लिए एक सोसायटी बना दी, उस सोसायटी में कुछ सौ भेड़ें आपने ले लीं और भेड़ें लेकर चराते हैं। फार्म में चराते हैं, 25; 50, 60, 70 100 भेड़ें। उन सौ भेड़ों को चराकर क्या आप समस्या को मिटाना चाहते हैं। पूरे इलाके की या गांव की समस्या आपने उससे मिटा दी ? आपको अच्छी तरह से मालूम है

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

मन्त्री महोदय, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिम राजस्थान में 35 लाख भेड़ें हैं, वहां आप छोटे-छोटे फार्म बनाकर चराई की व्यवस्था करेंगे, उससे होगा क्या ? ये जो आपने कोआपरेटिव सोसाइटी बनायी हैं, ये किसी दिन उस जमीन को हड़प जायेंगी, आखिर आप कितने दिन तक खर्च चलायेंगे, कितने दिन तक स्टाफ को लगायेंगे ? आपको तो आखिर तंग आकर वह जमीन उनको सौंपनी पड़ेगी। उनको यह अधिकार भी सौंपना पड़ेगा कि वह फार्म को चलायें, अपनी भेड़ों को वहां चरायें। हमको मालूम यह हुआ कि किसी सोसाइटी में 15-16 या 17 आदमी हैं वह सोसाइटी वाले अपनी भेड़ों को चरा-कर उस सोसाइटी फार्म पर कब्जा कर लें, मनमाने तरीके से उस से आमदनी करें, चाहे अपने पशुओं को चराते हों, चाहे दूसरे के पशुओं को चराते हों, चाहे खेती करें। एक दफा उनको सौंप दिया उसके बाद आप आसानी से कब्जा कर सकेंगे, मुझे तो मुश्किल लगता है। अगर आपकी यह योजना सफल नहीं हो रहीं है तो आप क्यों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं ? गलत खर्चा करते जा रहे हैं तो आप इस पर पुनः विचार कीजिए। यह योजना सफल होने वाली नहीं है। इन जमीनों की देखभाल करके इस योजना को सफल नहीं बना सकते। इनको आप बंद कर दीजिये। इनको आप गांवों को सौंप कर चरागाह बना दीजिए ताकि कोई पर्टीकुलर आदमी, ग्रुप या सोसायटी उस पर कब्जा न करे और आपका जो फालतू खर्च है वह खतम हो जाये।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डी. पी. ए. पी. के जो जिले हैं, वहां आपने भूमि जल के लिए पहले ट्यूबवैल्स बनाये। जहां पर पानी ज्यादा है वहां पर सिंचाई के साधन गांव में बनाये गये। कई इलाकों में पश्चिम राजस्थान में आपने बनाये भी हैं। अब हमें जानकारी मिली है कि आप भू-जल विभाग को तोड़ रहे हैं। भू-जल विभाग को आप क्यों तोड़ रहे हैं यह तो आप जानें, आपका पॉलिसी मैटर है, लेकिन एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यही एक ऐसा विभाग था, व्यक्तिगत तौर से चाहे 5-6 लोगों ने वहां मिल-जुल कर के ट्यूबवैल्स बनाये हैं, चाहे किसी गांव में जहां पानी अधिक हो वहां एक गांव के लिए ट्यूबवैल्स बनाये हों लेकिन यह निश्चित रूप से है कि जहां पानी है और जहां आपने ट्यूबवैल्स बनाये हैं वहां सिंचाई बढ़ी है, उन लोगों को खेती के साधन उपलब्ध हुए हैं और उनकी आय बढ़ी है। एक उनको

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

2-3 मिनट; सभापति महोदय।

मैं निवेदन कर रहा था कि जो सोर्स आफ इन्कम है जिस से अकाल जैसे मामले में किसानों को एक राहत मिल रही थी, उसको हटा कर के आप क्या सोचते हैं ? उस विभाग को आप हटा करके कोई अच्छा काम या समझदारी की बात तो नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पानी है जमीन में वहां अधिक ट्यूबवैल्स बना कर किसानों को सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से ट्यूबवैल्स बना कर फायदा पहुंचायें। इस स्कीम को लागू रखा जाय और उनको फायदा दिया जाय।

इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अतिवृष्टि से मेरे गांव मूंडोता में

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

1975 में एक झील बन गयी 5 स्कवायर मील लम्बी और 30 फीट गहरी। पूरा इलाका उस झील में डूबा हुआ है। राज्य सरकार से पहले भी निवेदन किया था कि यह इतनी बड़ी नैचरल झील बन गयी है उससे जिस जमीन में काश्त होती है, वह 500, 600 लोगों की जमीन है। पहले यह सोचा गया कि जो 1975 में पानी आया वह ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं है जब कि मैं निरन्तर कहता आया था कि वह जमीन नीची है काली है। 1975 से निरन्तर 5 साल हो गये आज 80 हो गया। वहां निरन्तर पानी फैला हुआ है, उस गांव के सारे काश्तकार भूमिहीन की तरह हो गये। उस जमीन के अलावा उनके पास कोई साधन नहीं है इसलिए निवेदन था कि उसकी कोई स्कीम बनायी जाय। एक दफा कांग्रेस सरकार ने एक स्कीम बनायी थी एक करोड़ रुपये की। तब उसको क्रियान्वित इसलिए नहीं किया था कि अगर एक करोड़ रुपये खर्च करेंगे और पीछे से पानी नहीं आया तो क्या करेंगे। चाहे पीछे से पानी आये या न आये लेकिन यह निश्चित रूप से है कि 5 स्कवायर मील में 20 फीट गहरा पानी अगर पड़ा है। एक करोड़ रुपये की लिफ्ट योजना बनाकर टेम्प्रेरी फेज में फरदर इरिगेशन के लिए उस इलाके में देते हैं तो आपका एक करोड़ रुपया तो एक ही साल में आ जायेगा। मेरा यह निवेदन है, मुख्य सचेतक, आपका इशारा है, मैं समझ रहा हूं, इसका उत्तर आपको दूंगा बाद में।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये हमें योजना बनानी चाहिये। योजना बनने से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कम से कम 5 लाख एकड़ भूमि सिंचाई कर सकते हैं, इतना पानी वहां पर है। अगर पांच लाख एकड़ नहीं तो 4 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई कर सकते हैं और करोड़ों रुपया जो लगाया जायगा। वह मिल सकता है।

अन्त में निवेदन करना चाहता हूं अपने सब कटौती प्रस्तावों को मूव करते हुए कि विशेषकर जो यहां काम होता है, उस तरफ राज्य सरकार ज्यादा ध्यान दे और जहां से जिलाधीशों या राज्य सरकार को प्रार्थना-पत्र मिलते हैं, उनको प्राथमिकता दें।

श्री सभापति : कुछ कहना है।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह...

श्री सभापति : अब कटौती प्रस्ताव चल रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव का सवाल नहीं है।

श्री सूरजपाल सिंह : आपका नाम आने दें।

एक माननीय सदस्य : नाम वाम क्या है।

श्री सभापति : मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब माननीय सदस्य ने आसन से बोलने की इजाजत चाही तो आप व्यवधान क्यों कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : इनके बोलते ही व्यवधान हो जाता है।

श्री सभापति : आसन खुद देख लेगा। मेरे पास 42 माननीय सदस्यों के नाम हैं,

(श्री सभापति)

सभी लोग बोल नहीं पायेंगे। प्रत्येक पार्टी के माननीय सदस्य बोल सकें, इसके लिये आप उनके नामों की लिस्ट भेज दें।

श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): सभापति महोदया, डी. पी.ए.पी. प्रोग्राम के बारे में जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है, उसको मूव करता हूं। साथ ही साथ मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो डी. पी. ए. पी. का प्रोग्राम बनाया गया था, इसमें खास करके जो रेगिस्तानी इलाका है, उसके अन्दर जो चालू स्कीम है, उसके हिसाब से रिक्लेमेशन के हिसाब से बनाया गया था। खास कर लघु सिंचाई योजनाएं हैं, दूसरी योजनाएं हैं, उनमें जो बी. सी. रेश्यो था, उसको कम करने के लिए बनाया गया था परन्तु आज तक हमारी जितनी योजनाएं हैं, उनका सर्वे कराते हैं, वह सैंक्शन नहीं हुईं। आज कितनी ही योजनाएं पड़ी हुई हैं। उनका बी. सी. रेश्यो कम रहा है और वह अधूरी पड़ी हुई है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सैन्ट्रल गवर्नमेंट से निवेदन करें उन एरियाज के लिये बी. सी. रेश्यो को और कम किया जाये, ताकि वहां नयी योजनाएं लागू की जा सकें और काम हो सके।

दूसरी बात डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम में कहा है कि ऐसा प्रावधान नहीं था। जिस नदी पर एनीकट्स बनाये जा रहे हैं एनीकट्स से डायरेक्ट फायदा नहीं है। परन्तु इससे जो कुए आसपास हैं, उनका लेवल ऊंचा आ सकता है ताकि अकाल के समय में उन कुओं में पानी रहे और उन कुओं से सिंचाई हो सके। इसलिए जरूरी है कि इस प्रोग्राम में इन दोनों चीजों को एड कराया जाये ताकि यह काम हो सके और गांवों में नदियों पर एनीकट्स बना कर गांव को फायदा पहुंचाया जा सके।

सभापति महोदया, दूब के बारे में एक बात है। पिछले दस-बारह सालों से दूब का भाव वह का वही चला आ रहा है। जो एरिया ज्यादा दूब पैदा करते हैं, इसके लिए आज तक दूब के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। दूब का वही भाव मिल रहा है। किस प्रकार किसान जीयेगा। किसान जानवरों के लिये दूब का स्टोरेज करना चाहे तो कहां से उसके पास पैसा आयेगा। इतनी जो दूब दिल्ली जा रही है उस बावत दिल्ली की आथोरिटीज से बात करके भाव बढ़ाना जरूरी है ताकि उन्हें सही मूल्य उपलब्ध हो सके।

दूसरा डी. पी. ए. पी. में बंजर जमीन को सुधारने का प्रोग्राम है। हमारी सेलाइन जमीन है। उस जमीन में जिप्सम डालने से जमीन को फायदा हो सकता है। चूंकि कुओं का पानी खारा है, इसलिये जिप्सम डालने से वह ठीक हो सकती है। इस तरह कुछ लोगों का विचार जमीन में जिप्सम डालने का है। माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश है कि आप इसको देखें। हमारे इलाकों में जिप्सम सही रेट पर सब्सिडाइज करके पहुंचाया जाये तो जो एरिया बंजर पड़ा हुआ है, वहां घास पैदा हो सकती है, वहां फसलें हो सकती हैं।

इस प्रोग्राम के अन्दर जो हमारे इलाके खास कर पशुपालन में हैं, वहां चमड़ा, ऊन और मीट के उद्योग हैं। आज चमड़े का

(श्री माधवसिंह दीवान)

कारखाना टौंक में लगाया गया है, जो कि जोधपुर में लगाया जाना चाहिये था। वह उधर नहीं लगाकर इधर लगाया हुआ है। इसलिए चमड़े के उद्योग ऐसे एरिया में लगायें, ताकि डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम से लोगों को फायदा मिल सके।

डी. पी. ए. पी. के आप किसी भी आफिस में चले जायें, वहां के लोग एब्सेन्ट मिलेंगे या ताश खेलते हुए मिलेंगे। कोई भी काम वहां पर नहीं है। सर्वे कर लेते हैं। रिपोर्ट पड़ी रहती है। गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट हो रहा है। उसको बन्द किया जाये।

तीसरा डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हर जिले में होता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट आई. ए. एस. के कैडर की नहीं दी जाती है। वहां के एक्स. ई. एन. काम नहीं कर सकते हैं। इसलिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट को अपग्रेड करके ऐसी पोस्ट बनायें ताकि दूसरे विभागों से सहयोग प्राप्त कर सकें और उनको सहयोग कर सकें।

जहां तक बाढ़ का सवाल है, और सूखा आंशकित प्राकृतिक विपदाओं जैसी बात कही गई है, हमारे ललितकिशोर चतुर्वेदी जी मंत्री थे, कितना नुकसान हुआ और कितना नुकसान नहीं हुआ, उनको मालूम है। मुख्य मंत्रीजी तो बाद में पहुंचे उसको देखने के लिये कितना नुकसान हुआ। गुजरात के अन्दर कम से कम 10 प्रतिशत बाढ़ नहीं हुई थी परन्तु इतना प्रचार वहां पर किया गया कि सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से हमसे दस गुना ज्यादा गुजरात वाले ले गये। जैतारण, रायपुर और बिलाड़ा तहसील में जो नुकसान हुआ, वहां कोई भी काम नहीं चल रहा है। अभी हमें बताया कि काम चल रहा है। गवर्नमेंट ने आदेश दिये हैं कि 31 अगस्त और ज्यादा से ज्यादा 15 सितम्बर तक काम बन्द कर दिया जाये। जो काम अधूरे पड़े हैं वह अधूरे के अधूरे रह जायेंगे। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि जो भी एड है उससे जो जरूरी काम हैं, उनको अगर पूरा नहीं किया जा सकता है तो उनको पूरा करने के लिये नयी सैंक्शन दी जाये ताकि वह पूरे हो जायें।

जो बाढ़ के आसपास का एरिया है, वहां एक स्थान है, वह बहुत धार्मिक और पवित्र स्थान है। उसको भारी खतरा पैदा हो गया है। अगर लूणी नदी में फिर कभी बाढ़ आई तो सारा का सारा एरिया तहस-नहस हो जायेगा। उसको बचाने के लिये कोई न कोई कार्यवाही की जाय। जो काम पिछले एक वर्ष में पूरे नहीं किये गये हैं उनके लिये आशा है आप जिलाधिकारियों को निर्देश देंगे ताकि उन बांधों को पूरा करें।

श्री सभापति : श्री रामसिंह।

श्री रामसिंह विश्नोई : Yes। सभापति महोदया, मैंने मांग संख्या 28 और 34 पर कटौती प्रस्ताव पेश किये थे। मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय को अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

राजस्थान प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित इलाका है। जहां प्रतिवर्ष कभी अकाल और कभी अतिवृष्टि से लाखों-करोड़ों रुपये की क्षति सरकार और जनता की होती है। पूरे राजस्थान के बजट से इस समस्या का समाधान करने के लिये, अकाल राहत की

(श्री रामसिंह विश्नोई)

व्यवस्था करने के लिये खर्च करना पड़ता है। इससे राजस्थान का बजट चरमरा जाता है और विकास के कार्य अधूरे रह जाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है, सभापति महोदया, सरकार को कुछ सुझाव केन्द्र सरकार को भेजने चाहिये। जो आपदाओं से ग्रसित इलाके हैं उनके समाधान के लिये कुछ योजना राज्य सरकार को बना कर केन्द्र सरकार को भेजनी चाहिये और उन योजनाओं के द्वारा इस समस्या का समाधान शीघ्र करना चाहिये। 30 वर्ष के बाद भी अगर किसी इलाके में अकाल पड़े या अतिवृष्टि से नुकसान हो तो यह बहुत लज्जा की बात सरकार के लिये होती है।

सभापति महोदया, इसके अलावा हमारा इलाका पशु-पालन के लिये प्रसिद्ध है। जहां हिन्दुस्तान के सबसे अच्छे पशु गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट की अच्छी नस्ल है। उन पर और तवज्जह दी जाती है तो उन में और ज्यादा सुधार आ सकता है। लेकिन, सभापति महोदया, आज तक उन पर तवज्जह नहीं दी गई है। अकाल के कारण हो रहे पशुओं के नुकसान को रोकने के लिये, उनकी हिफाजत के लिये, उनकी नस्ल और सुधारने के लिये किसी प्रकार की कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई है।

मान्यवर, अकाल पड़ता है या अतिवृष्टि होती है उसके कारण पूरे इलाके में जहां आदमी को परेशानी होती है वहां जानवरों को उससे ज्यादा परेशानी होना स्वाभाविक है। तो मेरे कुछ सुझाव है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि राज्य सरकार को प्रति वर्ष की प्राकृतिक आपदाओं से जनता को बचाने के लिए एक 10 करोड़ के राष्ट्रीय कोष की स्थापना करनी चाहिए जिसमें कुछ हिस्सा राज्य सरकार का हो और कुछ केन्द्रीय सरकार का हो। इससे राज्य सरकार के बजट के ऊपर जो भार पड़ता है जिससे विकास के कार्यों में बाधा आती है वह नहीं आयेगी। 10 करोड़ रुपये का राष्ट्रीय कोष होगा तो अकाल और अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का समाधान उस राष्ट्रीय कोष से किया जा सकता है।

दूसरा मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान नहर जैसलमेर तक लाने का प्रावधान है। मैं माननीय सभापति महोदय से कहूंगा कि नागौर, बाड़मेर, जोधपुर सूखा ग्रस्त इलाके हैं वहां पीने के पानी की स्कीमें बना कर या नहरें बना कर पानी लाना चाहिये जिससे पानी की समस्या दूर हो सके। इसके अलावा हजार-हजार फीट के दरमियान ग्रासलैण्ड बनाये जाने चाहिए ताकि जहां सूखा संभावित क्षेत्र हैं, जहां अकाल पड़ता है, जहां अतिवृष्टि से नुकसान होता है वहां पानी की और चारे की समस्या दूर हो सके और जो हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा पशु है उसको अच्छी तरह से बचाया जा सके, उसका विकास किया जा सके और सुधार किया जा सके।

आज हमारी जो डेयरीज हैं, डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम बनाये हुए हैं उनमें 80 प्रतिशत खर्च उनके अधिकारियों, उनके स्टाफ और गाड़ियों के ऊपर होता है और 20 प्र.श. केवल उन लोगों पर खर्च होता है जो प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हैं। यह बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। इससे समाधान नहीं हो सकता। पिछले 30 सालों में जो

(श्री रामसिंह विश्नोई)

कुछ भी कार्यक्रम दिये वे इतने अधूरे रहे कि उन की वजह से कुछ भी फायदा गांव की जनता को, प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त लोगों को नहीं पहुंचा। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे पक्के कार्य किये जाने चाहिए ताकि गांव की जनता को फायदा मिल सके। जहां अच्छे पशु सुधार के जो कार्यक्रम हैं वहां अच्छी किस्म के सांड और भेड़े रखे जाने चाहिए, उनकी चराई की व्यवस्था और हिफाजत की जानी चाहिये। नागौर, बाड़मेर की जो गायें हमारे इलाके में मौजूद हैं, जो भेड़, ऊंट और घोड़े हैं उनकी हिफाजत नस्ल सुधार के लिए जो लोकल व्यवस्था है वह उसी रूप में ढालनी चाहिए ताकि खर्चा भी कम हो सके, राज्य सरकार पर जो भार पड़ता है वह भी बचाया जा सके और नस्ल का भी सुधार किया जा सके।

दूसरे सिंचाई के संबंध में मेरा निवेदन है कि पिछले वर्ष अतिवृष्टि के कारण बिलाड़ा में भयंकर बाढ़ आयी उससे लाखों करोड़ों रुपये की जमीन खराब हो गई, मकान ढह गये, कुए खराब हो गये। उनकी किसी प्रकार की देख-रेख राज्य सरकार की ओर से नहीं की गई। जमीन पर कुओं पर 10-10 फीट बालू रेत आकर पड़ गई लेकिन आज तक उनकी देखरेख के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई। मेरा सुझाव है कि लूणी नदी के किनारे पर जो कुए रेत से बरबाद हो गये हैं, जमीन पर रेत आ गई है उसको हटाने के लिए बुलडोजर की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिल सके। जो उपजाऊ जमीन पर बालू रेत आ गई है उसको नहीं हटायेंगे तो जमीन खराब रहेगी और भारत की जनता इससे महरूम रहेगी इसलिए इसकी योजना बनाई जानी चाहिये।

श्री सभापति : श्री राज बहादुर।

श्री राज बहादुर : सभानेत्री जी, मैं बहुत आभारी हूं, बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। लेकिन मेरा अभिप्राय कटौती प्रस्ताव पर, मांग पर न बोल कर राजस्थान की मौलिक समस्या पर बोलने से है जिससे राजस्थान पीड़ित है, उत्पीड़ित है, आज से नहीं सदियों से। जहां सरस्वती लुप्त हुई वह सरस्वती वापिस कैसे आये यह भी समस्या रघुनाथजी ने कही। गंगा के पानी की हम जब तक नहीं सोचेंगे तब तक हमारे जो साधन हैं उनको हम देखें। मैं थोड़ा बहुत विश्लेषण करना चाहूंगा कि स्थिति क्या है। स्थिति के बारे में और कहीं न जाकर जो प्रोवीजन पेश किये हैं उनके आंकड़ों से मालूम पड़ जायेगा। जो मेमोरेंडम फिफ्थ फाइनेन्स कमीशन को दिया गया उसमें राज्य सरकार ने क्या रखा है:—

"Apart from the revision of D.A. rates, another factor causing imbalances in the State's finance is the huge expenditure which the State is called upon to incur from time to time on famine relief operations. The State had the misfortune of facing three wide spread famines in the last five years due to the failure of monsoons in 1963, 1965 and 1966. While 1967-68 was fortunately a good agriculture year, the rains have again failed miserably in the current year (1968-69) and the

(श्री राजबहादुर)

State is at present in the grip of the worst ever famine in the recent times."

"Amongst all the States in our country, Rajasthan is most vulnerable to visitation of famine, dependent as it is on extremely scanty and precarious rainfall."

"Apart from the shortfall in receipts of land revenue and recoveries of loans and advances, which may be of the order of Rs. 3 to 4 crores in famine year, the State has to incur substantial expenditure on famine relief operations.

यह कहा गया है कि पश्चिम क्षेत्रों में हर ढाई वर्ष में एक फैमिन हो जाता है और अन्य क्षेत्रों में भी हर तीन वर्ष में तो एक फैमिन पड़ ही जाता है। इसका इलाज कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं निवेदन कर दूं केवल रिलीफ का खर्चा ही हमारे ऊपर हो, ऐसी बात नहीं है। रिलीफ के अलावा अनेक खर्चे हमको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। रिलीफ के सम्बन्ध में जो नीति सातवें फाइनेन्स कमीशन ने निर्धारित की है, वह मैं यहां पर निवेदन कर दूं, उसमें स्पष्ट लिखा है :—

"Measures for relief of distress on the occurrence of a natural calamity differ in the case of floods, cyclones, earthquakes and the like from those in the case of serious draughts."

ड्राट्स में रिलीफ मेजर्स यह होंगे और फ्लड्स में रिलीफ मेजर्स यह होंगे। यह अलग-अलग है। मतलब यह है कि जो रिलीफ फ्लड अफेक्टेड लोगों को मिलेगा वह रिलीफ फैमिन अफेक्टेड को नहीं मिलता है। जहां पर फ्लड्स की बात है। वहां पर फ्लड्स प्रोटेक्शन की स्कीम शुरू हो जाती है। मेरा मुख्य अभिप्राय इस डिबेट में शामिल होने का यह है कि मैं यह अन्डरलाइन करूं, इस बात पर बल दूं बहुत ही विनम्रता के साथ, किन्तु बहुत ही मजबूती के साथ मैं यह बात कहूं, आप कृपा करके यह सोचें कि क्या केवल रिलीफ वर्क्स ही आगे चलते रहें और मौलिक समस्या जो है कि इन अकालों से राहत कैसे मिले, छुटकारा कैसे मिले स्थायी रूप से इसका क्या होगा ? Desert reclamation का क्या होगा यह आपने जो मेमोरेण्डम पेश किया है सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट को उसमें आपने स्वयं ने यह लिखा है कि राहत पहुंचाने के लिए ऐसे कार्यक्रम भी शुरू करने पड़ते हैं, जैसे रेगिस्तान में टैक्स बनाने पड़ते हैं और काफी रुपया भी इन पर खर्च हो जाता है और उसके बाद उन टैंक्स का कोई पता नहीं चलता है कि वह कहां गये। मैंने इसके आंकड़े इकट्ठे किए हैं वह मैं आपको बताऊंगा...

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, यह किस प्रस्ताव पर बोल रहे हैं...

श्री सूरजपाल सिंह : इनका नाम कहां से टपक पड़ा। इन कटमोशन्स में तो नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह व्यवस्था है, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा है।

श्री राज बहादुर : मैं आपकी कृपा से यहां पर नहीं हूं। अधिकार से हूं।

(श्री राजबहादुर)

टपका नहीं हूं। बरसा हूं। और बरसूंगा। मैंने एक प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि इस सम्बन्ध की मांग सदन में आने पर मैं बोल सकूंगा। मैं अधिकार से बोल रहा हूं। मैं अपने व्यक्तिगत भले के लिए नहीं कह रहा हूं राजस्थान के भले के लिए कह रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बिना कटौती प्रस्ताव के कैसे बोल सकते हैं ?

श्री सूरजपाल सिंह : Members of the House should be very active in giving cut motions.

श्री राजबहादुर : जो मेरा प्रस्ताव था वह सदन की इस बैठक के पहले का है। मैंने यह प्रस्ताव 24 तारीख को दिया था उस पर यह कहा गया था कि मैं इसकी मांग पेश होने पर बोल सकूंगा। अगर आपत्ति हो तो नहीं बोलूंगा।

श्री सूरजपाल सिंह : You could have very wisely given a cut motion.

श्री सभापति : मैं निवेदन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दी है। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा है। समय नष्ट हो रहा है। इतने में तो बहुत कुछ बोल चुके होते। कृपया बिराजिये।

श्री सूरजपाल सिंह : हम समझ नहीं पाए कि यह कौन सा पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

श्री राज बहादुर : मैं अपना वक्तव्य दे सकता हूं, विनती कर सकता हूं परन्तु मैं आपको समझ नहीं दे सकता। यह तो परमात्मा ही दे सकता है।

सभापति महोदया, मैं आपको पैरा 9, पेज 37 पढ़ कर सुनाऊंगा। इसमें बताया गया है कि आगे क्या व्यवस्था होगी हमारे रिलीफ में ...

"In 1972 this policy underwent a major modification. In practice when the Central Government ceased fixing ceilings on expenditure on relief works, which was by far the largest component of relief expenditure in a draught. The change contributed largely to the enormous increases in relief expenditure in the closing years of the Fourth Plan. As observed by the Sixth Commission, a considerable proportion of the expenditure was probably wasteful. With better planning and organisation the works executed would perhaps have given extra benefits."

मेरा पाइन्ट यह है कि जो रिलीफ में खर्चा होता है, उन रिलीफ के कार्यों के ऊपर किस प्रकार से खर्च होता है, यह जो खर्चा होता है क्या उससे कोई परमानेन्ट असेट्स बनती है। इसके साथ ही यह चीज आती है कि कैसे परमानेन्ट असेट्स बना सकते हैं और जो धन का अपव्यय होता है आगे वह न हो। मुझे यह पढ़ कर राहत हुई कि पहली बार वर्ष 1979 में, 78–79 में यह कोशिश की गई कि रिलीफ के खर्चे से कुछ चीजें बनी हैं जो परमानेन्ट हैं और उनको आगे चालू रखा जा रहा है। सभापति महोदया, फैमिन में, अकाल में लास आफ रेवेन्यू भी होता है, डेमेज आफ क्राप्स होता

(श्री राजबहादुर)

है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पिछले साल अकाल पड़ा था उसमें लगभग 20 लाख 46 हजार टन क्राप्स का लास हुआ है। इसमें कैटल कन्जर्वेशन की बात आती है। आपके इस मेमोरेण्डम में आपने स्वयं ने यह कहा है कि कैटल पापुलेशन लगभग 4 करोड़ 73 लाख है। इतने मवेशी हैं इसके अलावा भेड़, बकरी आदि हैं। राजस्थान की 2 करोड़ 70 लाख की जन आबादी है। इसके अलावा कम से कम 10 करोड़ मवेशी भेड़, बकरी तथा अन्य जानवर का अतिरिक्त बोझ भी हमको बर्दाश्त करना पड़ता है। उनके लिए भी पीने के पानी का प्रबन्ध करना ही पड़ता होगा, उनके लिए खाने का प्रबन्ध करना पड़ता है। इसलिए जो हमारे रिलीफ के काम हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उनको आप इस रूप में देखें कि न सिर्फ आदमियों के लिए बल्कि हमारी कैटल वैल्थ के लिए यह काम हो। पहले यह होता था कि जैसे ही सूखा पड़ता था आदमी भी और मवेशी भी दूसरे प्रान्तों में चले जाते थे। पिछले वर्ष जो हुआ उसका वर्णन आपके इस मेमोरेण्डम में है। उसमें कहा है :

"In the earlier scarcity years in Rajasthan, many labourers would seek employment in the adjoining States. This possibility in the current year has greatly been reduced. In the earlier draughts, cattle migrations to adjoining States was a normal feature. In one of the earlier years (1969—70) almost ten lakhs of cattle head migrated to the neighbouring States.'

मैं निवेदन करूंगा कि जो भी चाहे आवश्यकता हो उसका वह स्टोरेज हो, फोडर का हो चाहे पानी की व्यवस्था हो उस संदर्भ में मैं इस मेमोरेण्डम के आंकड़ों पर आता हूँ। यह मेमोरेण्डम 1980 के मार्च, अप्रैल में सैन्ट्रल गवर्नमेंट को पेश किया गया है। इसके अनुसार रिलीफ के लिए जो मांग की गयी है वह लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की की गयी है। कैटल पापूलेशन की मिला कर यह 2 करोड़ 85 लाख की मांग है। इसमें कैटल कन्जर्वेशन के लिए 3 करोड़ 50 लाख और एम्पलायमेन्ट जनरेशन स्कीम्स के लिए 3 करोड़ 80 लाख और इसी प्रकार से अदर एक्सपेंन्सेज को मिला कर कुल एक्सपेन्सेज 50 करोड़ 65 लाख है। इस 50 करोड़ 65 लाख के मुकाबले में 7 करोड़ 74 लाख का प्राविजन बजट में रखा गया है। इसमें से 2 करोड़ 74 लाख तो फ्लड के लिए है, 5 करोड़ रुपया फैमिन के लिए है। बाकी जो 45 करोड़ रुपया का अनिवार्य खर्चा और बचता है वह सारा खर्चा बर्दाश्त करना होगा स्टेट को। इसमें सैन्ट्रल असिस्टेन्स जो मिली है 5 पर्सेन्ट वह 16 करोड़ 25 लाख रुपये की होगी। इसके बाद कुल 29 करोड़ 40 लाख रुपया का प्रबन्ध और बचता है जो स्टेट के फण्ड से, राज्य सरकार के खाते से, या राज्य की जनता पर करों द्वारा इकट्ठा कर व्यय करना पड़ेगा।

सब से बड़ा प्रश्न यह है यह जो 29 करोड़ 40 लाख का प्रावधान आपने रखा है, इसके लिये धन राशि आप कहां से लाएंगे? इसकी व्यवस्था आपने कैसे की है? किसी प्रकार से नहीं की है। इसकी कोई नीति नहीं है। यह चीज चली आ रही है बराबर

(श्री राजबहादुर)

राजस्थान में जबसे राजस्थान बना है, 1949 से लगातार आज 1980 तक। इस पर 30 करोड़ रुपये का औसत खर्चा होता है तो कम से कम आज तक हम 700-800 करोड़ रुपया, इससे भी कहीं ज्यादा रुपये अकाल पर खर्च कर चुके हैं। इन सब बातों को देखते हुए कुछ अहम् प्रश्न सामने आते हैं। क्या हम केवल ईयर टू ईयर, फैमिन टू फैमिन जिन्दा रहे क्या हम चाहते हैं कि राजस्थान एक अकाल से दूसरे अकाल तक जिन्दा रहे। क्या सरकार के पास इस समस्या का कोई स्थायी समाधान है? इसके लिए हमें एक नये दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। जहां जहां पर पानी के स्रोत हैं उनको डवलप करना होगा और जैसा अभी मेरे साथी राम रघुनाथ ने कहा-हमें गंगा का पानी उपयोग में लेना चाहिए। गंगा में पानी है और उस पानी को बरसात यानी जुलाई से लगाकर अक्टूबर तक काम में आप ले सकते हैं। रावी से आप पानी ले सकते हैं। इसके लिए इन्जीनियर्स द्वारा स्कीम्स बनायी गई है। इसके अतिरिक्त और भी कई सोर्स हैं। रावी के पानी का उपयोग नहीं हो रहा है। उसका उपयोग हो सकता है। इसकी जो आधारभूत बातें हैं वे मैं निवेदन करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान पिछड़ेपन के अभिशाप से निकले, अगर आप चाहते हैं कि यह खर्चा आप मिटाये। जो हर वर्ष 30-50 और 70-80 करोड़ का बोझ पड़ता है उसको वैसे हटाना है या राहत मिल जाये और राहत मिल जाये यह तो परमानेंट बोझा है उसको कम करते तो उसके लिए उचित और सही कदम उठाने होंगे। इस वर्ष के लिए तो विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि जब कि 29 करोड़ रुपयों या इससे ऊपर आपको खर्च करना है आप ही के अनुसार, तो यह कहां से खर्च करेंगे और उसके लिये क्या प्रावधान है। कितनी आशा है करों के द्वारा अथवा कहीं से हो सहायता की और कितनी आवश्यकता है।

अन्त में मैं एक पाईंट फिर दोहराना चाहता हूं आपकी आज्ञा से और वह यह है कि जो जो राहत कार्यों पर खर्चा हो वह परमानेंट असेट बनें इस तरह खर्चा हो। अगर परमानेंट असेट नहीं बनते हैं तो वह पूरा बोझा है। कुछ नहीं करेंगे तो जो ईरिगेशन की संभावना है और शक्ति है भी इस प्रकार की आ रही है। वह केवल यहीं नहीं कि बोझा पड़ता है बाडमेर, जैसलमेर, जोधपुर नागौर या पश्चिमी राजस्थान के लोगों पर तो सारे राजस्थान के लोगों का बोझा है। पर कैपिटा इन्कम को देखिये उस पर पड़ता यह हमारे पांवों की बेड़ियां हैं। अकाल की जो हर ढाई साल और तीन साल में पड़ता है। अब मैं संक्षेप में कह कर आपको धन्यवाद दूंगा। एक सदस्य यह जो आपत्ति उठा रहे थे मैं समझता हूं कि उनको भी अब समझ में आ जायेगी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि सदन की बैठक का समय आज की कार्यवाही होने तक बढा दिया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 28 व 34 पर विचार

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : माननीय सभापति महोदया, मैंने मांग संख्या 28 और 34 पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनकी ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य राजबहादुर ने अभी बाढ़ की तारीख पर बड़ा प्रकाश डाला यह बीच में टपक पड़ने की बात है। जो कार्यक्रम चल रहा था उसके बीच बोले....

श्री राजबहादुर : अब समाप्त करिये। मुझे कोई बुरा नहीं लगा।

श्री सूरजपाल सिंह : समझने की बात है।

श्री सभापति : आप अपने मोशन पर बोलें। समय मैं उतना ही दूंगी।

श्री सूरजपालसिंह : प्राकृतिक आपदाओं के विषय में मैंने जो अपना कटौती प्रस्ताव दिया है उसकी ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा। जालौर जिले के अन्दर बाढ़ की स्थिति हर साल आती है। जालौर जिले के अन्दर सभी नदियां लूणी, जवाई, बांडी और सूकड़ी आकर के खत्म हो जाती हैं। पिछली बार लूणी नदी में बाढ़ से सांचौर तहसील को नुकसान हुआ था। कभी जवाई की बाढ़ से सांचौर तहसील, भीनमाल तहसील के क्षेत्र में कई गांव हैं उनमें नुकसान होता है। मै माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह क्षेत्र, जो लूणी और जवाई का बेसिन पर है का कम्पलीट सर्वे कराकर इसका परमानेन्ट सोल्यूशन निकाला जा सके, इस तरह की योजना बनाई जाये। उस क्षेत्र में जो नदियों के किनारे पर बसे हुये गांव हैं जिनको हमेशा बाढ़ का खतरा रहता है जिन पर बाढ़ की तलवार लटकी रहती है उस बाढ़ का कोई परमानेन्ट हल निकालने के लिये योजना बनाई जानी चाहिये। जालौर जिले के लिए हमारे यहां से 52 लाख की एक स्कीम बनाकर राज्य सरकार को भेजी गयी थी। मैं निवेदन करूंगा कि उस स्कीम को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करके जो बाढ़ की चपेट में स्थान आ जाता है उसको बाढ़ से बचाने का स्थायी हल निकाला जाये।

आग एवं अन्य नुकसान हो जाने की वजह से जो राहत दी जाती है उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा, जब गांवों के अन्दर आग लग जाती है तो पहले अगर किसी का झोंपड़ा जल जाता था तो पंचायत समिति द्वारा 500 रु. की राहत उन्हें दी जाती थी मगर अब यह राहत पंचायत समितियों द्वारा नहीं दी जाती है और जिलाधीश को यह अधिकार दे दिया है। मैं आप से कहना चाहूंगा कि जिस किसी का घर, झोंपड़ा या सामान जल जाता है तो उसको राहत के लिये जिलाधीश के चक्कर काटने पड़ें इस से उचित यह होगा कि यह अधिकार पंचायत समितियों को वापस दे दिया जाये ताकि वह उसको तुरन्त 500 रुपयों की सहायता दे दें। इसके साथ-साथ मेरा एक सुझाव यह भी है कि किसी गांव में प्लाट वगैरह में आग लग जाती है जैसे सांचौर में पिछले साल एक घटना हुई थी उस वक्त फायर ब्रिगेड की व्यवस्था पाली से करनी पड़ी। इस वास्ते मेरा सुझाव यह है कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर तो फायर ब्रिगेड

(श्री सूरजपाल सिंह)

की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि अगर कोई आगजनी की घटना हो जाती है तो लोगों को उचित समय पर राहत मिल सके वरना आग लगने के 12-14 और 15 घण्टे के बाद फायर ब्रिगेड पहुंचता है तो कोई फायदा नहीं होता। मेरा सुझाव है कि कम से कम जिला लेवल पर फायर ब्रिगेड होनी चाहिये।

डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम पर मैंने कट-मोशन दिया था। मेरा सुझाव है कि जालौर जिला कृषि क्षेत्र में काफी अग्रणी है। जालौर जिले में करीब 50 हजार पम्पिग सैट लगे हुये हैं। जालौर जिले में कई जगह विद्युतीकरण की योजना भी पूरी हो गई है। कई जगह इलेक्ट्रीफिकेशन हो गया है पर वहां संबसीडी कम दी जाती है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि पाली वगैरह अन्य जिलों में, जहां एग्रीकल्चर इतना डवलप नहीं है, वर्ल्ड बैंक योजना में लिया गया है तो इस जालौर जिले को क्यों नहीं लिया जाता जहां कृषि का डवलपमेंट हो रहा है। जहां पम्पिग सेट, मैं उदाहरण के तौर पर कहूंगा, 60 प्रतिशत विद्युत् का कन्जम्पशन जालौर जिले का है। उस जिले की कृषि क्षेत्र में उपेक्षा हो रही है। इसकी तरफ सरकार ध्यान दे।

भेड़ परियोजना में डी. पी. ए. पी. के आधार पर हमारे जालौर में 100 हैक्टेयर में 6 फार्म लग गये हैं। मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि हमारा जालौर जिला कृषि के अन्दर आगे बढ़ चुका है और हमारे यहां बिलकुल भूमि वचत में नहीं है। उस क्षेत्र के अन्दर 600-700 बीघा जमीन भेड़ विकास के नाम से ली जाये उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं है पर भेड़ विकास के जो भी प्रोजेक्ट आज से पांच साल पहले लिये थे वे भी आज तक शुरू नहीं हुये हैं। हमारे प्रोजेक्ट अधिकारी ने कहा कि हमें और प्रोजेक्ट के लिये जमीन दिलायें। उनसे भी मैंने यही कहा था कि आपने जो प्रोजेक्ट अन्डरटेक किये हैं, हाथ में लिये हैं उस स्कीम को इम्पलीमेंट कर के सही तरीके से लागू कर के तो दिखायें। भेड़ पालक कहां जायेंगे। कोआपरेटिव सोसायटी रजिस्टर नहीं हो रही है। स्कीम जो सन् 74-75 में शुरू हुई थी वह अभी तक तैयार नहीं हुयी है। इस तरह से हम किस तरह से भेड़ पालकों, को, लोगों को प्रोजेक्ट के लिये जमीन दिलाने के लिये समझा सकेंगे। इन प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनके विकास पर सतर्कता जरूरी है। उस तरफ ध्यान दिया जाये इस विषय में निवेदन यह है कि ये प्रोजेक्ट बाड़मेर जैसलमेर में हों जहां भेड़ पालक रहता है। इसको कन्सीडर किया जाये। वहां ट्यूब वैल लगाकर के भेड़ पालकों की समस्या को स्थायी रूप से हल कर सकते हैं। उनकी समस्या को परमानेन्टली सोल्व करना चाहते हैं तो बाड़मेर, जैसलमेर, जहां के लोगों का मुख्य धन्धा भेड़ पालन का है, मैं इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें तो उसको डेनमार्क के समान बन सकते हैं, आस्ट्रेलिया के समान बना सकते हैं इसकी सही उपयोगिता हो सकती है। बनिस्बत इसके कि जहां पर भूमि उपलब्ध नहीं है। वहां पर तो जितनी पशुओं की संख्या है उसके मुकाबले में भी भूमि कम उपलब्ध है, जमीन नहीं है। हम पूरी तरह से योगदान देंगे जो सहयोग देने को कहेंगे वो देने की कोशिश करेंगे पर उचित यही होगा कि

(श्री सूरजपाल सिंह)

जहां पर ज्यादा जमीन है वहां पर ट्यूब वैल लगा कर कन्सन्ट्रेट करें तो ज्यादा उपलब्धि हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रतनाराम।

(अनुपस्थित)

श्री बुलाकी दास।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदया मैं बजट की अनुदान की मांगों के ऊपर अपने कटौती प्रस्तावों के समर्थन में कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी इलाका जहां प्रत्येक दो साल के बाद निरन्तर सूखा पड़ता है और अब 1956 में अकाल पड़ा था उसकी विभीषिका, इतनी भयंकर थी कि वहां के लोग एक-एक दाने के लिये मोहताज थे। इन सारी विभीषिकाओं के भयंकर परिणामों को ध्यान में रखते हुये सन् 59 में यूनेस्को की तरफ से डाक्टर सी. एस. वत्यान के नेतृत्व में एक स्टेडी टीम भारत आयी थी उसने उत्तर पश्चिम राजस्थान के इलाके बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, झुन्झुनूं आदि 12 जिलों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण किया और इन 12 जिलों को एरिड और सेमी एरिड जोन फैमिन के नाम से इन इलाकों का श्रेणीकरण किया उसका आधार था, अपर्याप्त वर्षा एक्सट्रीम एरेडिटी इसके अलावा इकोनोमिकली पूअरर एण्ड इकोनोमिकली कन्डीशन्स के आधार पर उन्होंने एरिड और सेमी एरिड जोन फैमिन किया और इन क्षेत्रों को सूखा सम्भावित क्षेत्र माना गया। इसी तरह समय-समय पर केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार ने भी सूखे से सम्बन्धित आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण किया और इस उत्तर पश्चिम राजस्थान के 12 जिलों में जिस में 18 उप-खण्डों में से 12 में औसत वर्षा 15 से 30 इंच तक होती है इनको सूखा सम्भावित क्षेत्र बताया।

महोदया जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में बीकानेर जिले में 27 हजार लोग तो 30 वर्ग किलोमीटर कुल भूमि में रहते हैं इसमें 60.9% भूमि कृषि योग्य नहीं है और बंजर भूमि है और केवल 1.02 प्रतिशत भूमि पर चारागाह है। पिछले कुछ दिनों के अन्दर और पिछले 3 सालों के अन्दर हमारे बीकानेर के अन्दर गोचर भूमि पर अवैध रूप से नाजायज कब्जे किये गये हैं। जो लोग कब्जे कर रहे हैं उससे गौ-पालकों को तो मुसीबत हो गयी है। एक तो वह सूखा इलाका है और पानी और घास की कमी है दूसरी तरफ कुछ बड़े लोगों ने कुछ राजनैतिक लोगों ने इस भूमि पर कब्जे कर लिये हैं और जो बीकानेर राठी गायों के मामले में सारे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है और जहां पहले हमारे इलाके में 8 लाख गायें थीं वहीं आज उस इलाके में केवल 3 लाख राठी गायें ही उस इलाके में रह गयी हैं। कितने अफसोस की बात है कि वहां पर कुछ सरकारी विभागों ने भी चारागाह की जमीन पर कब्जे कर लिये हैं जिनमें सैंट्रल आडिट जोन, वन विभाग, उद्योग विभाग और भेड़ पालकों आदि द्वारा समय-समय पर चरागाह का अतिक्रमण किया जाकर भूमि को तहस नहस किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो नाजायज कब्जे

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सरकार के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा किये गये हैं। इससे गोचर भूमि को मुक्त कराया जाय ताकि वहां के पशुपालकों को राहत मिल सके। यदि किसी कारण से वन विभाग ने और सैंट्रल एरिडजोन को भूमि दे दी है और सरकार उसको वापस न दिला सके तो दूसरी जगह चरागाह के लिये जमीन दिलवानी चाहिये।

इसके अलावा एक और प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमारे यहां एक लसाड़िया इलाका है जिसके ऊपर सुरक्षा से संबंधित फायर रेंज का निर्माण किया गया है। यह बीकानेर के करीब है और इससे उसके करीब के बहुत से गांव प्रभावित हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है पर वह गांव के बहुत पास होने से वहां पर 3-4 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है। मैं सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कि गांवों के करीब होने के कारण लोग बिना कारण से अकाल मृत्यु की ओर चले जाते हैं। इसलिये इसे गोचर भूमि से उठाकर कहीं और ले जाना चाहिये।

इसके अलावा वहां पर जो गायें चरा करती हैं उनको वन विभाग के द्वारा फाटक बंद कर दिया जाता है फाटकों में उनको 8-10 दिन तक भोजन और पानी नहीं दिया जाता है उसके कारण वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि फाटक में जो गायें आ जाती हैं उनके चारे पानी की उचित व्यवस्था हो। वन चारागाह के लिये 12 लाख 17 हजार रु. का प्रावधान किया गया है। भेड़ों के विकास के लिये या उनके चरागाह के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भेड़ों के लिये बीकानेर बहुत प्रसिद्ध है। वहां की ऊन सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। भेड़ों के चारागाह के लिये भी कोई व्यवस्था करनी चाहिये।

अब मैं आपका मांग संख्या 34 के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्राकृतिक आपदायें भारतवर्ष की विशेषता हैं। राजस्थान में समय-समय पर अकाल, बाढ़ और अति वर्षा और अग्नि के माध्यम से यह प्राकृतिक प्रकोप आता है। राजस्थान का जन-जन इन समस्याओं से आक्रान्त हो जाता है। ऐसे समय में खासतौर से वर्षा के अभाव की स्थिति की बात करता हूं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कूकड़ फूड़ जो है भोजन पैक कर के सरकार पहुंचाने के बाद सरकार को कपड़ों और दवाइयों की व्यवस्था करनी चाहिये और पानी की व्यवस्था तुरन्त करनी चाहिए। मैंने स्वयं अकाल के अन्दर अध्ययन किया है और मैं स्वयं कपड़े, दवाइयां आदि और डाक्टरों का दल लेकर के गया हूं मैंने यह पाया है समय-समय पर कि वहां पर दवाइयां आदि पहुंच नहीं पाती हैं। जिसके कारण से उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है।

राहत कार्यों के सम्बन्ध में महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं। राहत कार्यों में जो मजदूर लगे रहते हैं उनको समय पर मजदूरी नहीं मिलती है और फैमिन कोड का भी उल्लंघन होता है। अगर अकाल के मजदूरों को एक-एक माह तक मजदूरी न मिले तो उनकी क्या हालत होगी। यह आप अच्छी तरह से जान सकती हैं। राहत कार्यों में जो भ्रष्टाचार होते हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राहत का उपयोग

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री बुलाकी दास कल्ला : महोदया जी, राहत विभाग के अन्तर्गत जो भी कार्य किये जाते हैं उनका मूल्यांकन किया जाना अत्यावश्यक है। अन्य दूरदराज के इलाकों में जहां एक तरफ मजदूरों को वेतन नहीं मिलता है मजदूरी नहीं दी जाती है दूसरी ओर गलत मस्टर रोल बनाये जाते हैं। एक प्रकार से जो राहत कार्यों के लिये पैसे का उपयोग होना चाहिए वह नहीं होता है। इसके अलावा सिचाई योजनाओं का क्रियान्वयन भी तेज गति से नहीं हो रहा है। मैं, माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गजनेर और कोलायत से सम्बन्धित जो लघु सिचाई योजनायें हैं उनको शीघ्र क्रियान्वित करने की कृपा करें जिससे अकाल से पीड़ित जो लोग हैं उनको राहत देने के लिए तुरन्त कदम उठाये जा सकें। इसके अलावा तीन चार तरह की जो ऋणदात्री संस्थायें हैं उनसे ऋण समय पर और तुरन्त दिलवाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे कोआपरेटिव सोसायटीज हैं, लैण्ड मोर्टगेज बैंक हैं, स्टेट बैंक हैं और कॉमर्शियल बैंक हैं वह ऋणदात्री संस्थायें हैं इनके माध्यम से किसानों को ऋण मिलता है। खाद, बीज और उर्वरक के लिये उनको समय पर कृषि ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से अति शीघ्र ऋण दिलवाने की व्यवस्था की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

महोदया, बीकानेर में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी नहीं है। बीकानेर नगरपालिका में फ़ायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाय....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

डिवीजनल हैडक्वार्टर होने से वहां पर नगरपालिका में एक फायर ब्रिगेड का होना अति आवश्यक है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री मेघराज जी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : माननीय सभापति महोदया, मुझे जो कटौती प्रस्तावों पर बोलने का समय दिया गया है उसके लिए आपको धन्यवाद। जो डी. पी. ए. पी. के कार्य हमारे क्षेत्र में चलते हैं, उसके अन्तर्गत जो कृषि कार्यक्रम हैं किसानों को सस्ता बीज ऋण दिये जाने और अनुदान दिये जाने के और जो व्यापारिक या ग्रामीण आंचलिक बैंक हैं, उन बैंकों से जो ऋण दिया जाता है, उसमें एप्लीकेशन देने के बाद भी समय बहुत लग जाता है। जो अनुदान दिया जाता है वह अनुदान समय पर स्वीकार करके डी. पी. ए. पी. वालों से काश्तकारों के पास नहीं पहुंचता है जिससे जब तक अनुदान नहीं दिया जाता है, वह पैसा उनके पास नहीं पहुंचता है तब तक बैंक का ब्याज लगता रहता है। इसी के साथ जो चरागाह प्रोत्साहन प्रोग्राम हमारे क्षेत्र के अन्तर्गत चलते हैं उसके अन्तर्गत काश्तकार लोग जब अपने खेत में बीज बोते हैं तो जो 200 रु. अनुदान का रखा हुआ है वह पैसा काश्तकारों के पास में नहीं पहुंचता है। सरकारी अधिकारी अपने चहेते आदमियों को ही वितरित कर देते हैं और काश्तकारों में इसका प्रचार भी नहीं करते हैं जिससे उनको मालूम नहीं होता है। सरकारी अधिकारीगण अपने

(श्री महाराम चौधरी)

चाहने वालों तक ही सीमित रख कर इस का मिसयूटिलाइजेशन करते हैं।

भेड़ पालन के लिए चरागाह की जो जमीन गांवों के एरिया में है वह सरपंचों के मार्फत लेनी चाहिये। चरागाह की जमीन सीधी ली जाती है जिससे लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। भेड़ पालकों को हमेशा खुली चरने वाली भेड़ें होती हैं इसलिये उनको बड़ी असुविधा होती है। जगह-जगह तारबन्दी कर दी गई है जिससे उनका कोई हित नहीं होता। भेड़ों को खुली चरने के लिये छोड़ना चाहिए जिससे उनका विकास हो सके।

भू-जल सर्वे का कार्य डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत सौंपा गया है। उसके अधिकारीगण गांवों में नहीं जाते हैं और न सर्वे ही करते हैं। पूछने पर सिर्फ यह बता देते हैं, कि ऐसा कोई इन्स्ट्रूमेन्ट या तरीका हम लोगों की जानकारी में नहीं है। हमारे गांव वाले जिन्हें लोग सरावे कहते हैं, वह भी उनसे ज्यादा जानकारी रखते हैं।

दुग्ध परियोजना डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत है। जिन गांवों में दुग्ध सहकारी समितियां बनी हैं वहां इस योजना को चालू किया गया। हमने यह योजना देखी है, यह अच्छी योजना है। इससे सफेद क्रान्ति लायी जा सकती है, लेकिन काम करने वाले आदमी और सरकारी अधिकारियों में भावना कतई नहीं है। न तो दूध देने वाली मोटर समय पर पहुंचती है, और न पशुपालकों को सात दिन में एक बार दवा देने का जो कार्यक्रम सहकारी समितियों में रखा गया है, वह भी नहीं दी जाती है और इसका खर्चा बता दिया जाता है जिससे पशु पालकों को या काश्तकारों को फायदा नहीं हो रहा है।

प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है नागौर जिले में, विशेषकर नागौर क्षेत्र के पास राजस्थान कैनाल जैसी बीकानेर या लूणकरणसर तक आई है, वैसी योजना प्राकृतिक आपदाओं को मिटाने के लिये बनाई जाय और इर्रीगेशन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये तो काश्तकारों को अच्छा फायदा हो सकता है। कई गांवों में इससे इर्रीगेशन हो सकता है और पेयजल भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में यह भी निवेदन है हमारे एरिया में जहां राजस्थान कैनाल है, वहां कच्चे मकान बने हुए हैं, झोंपड़े बने हुए हैं उनमें आग लगने का सबसे ज्यादा अन्देशा रहता है। आग से क्षति होने पर जो आर्थिक सहायता जिलाधीश के द्वारा काश्तकारों को दी जाती है वह कई वर्षों से चली आ रही है, दो सौ या ढाई सौ रुपया बंधा हुआ है वही दिया जाता है। जब कि दूसरी चीजों के भाव इतने बढ़ गये हैं तो यह रकम भी बढ़ाई जानी चाहिए। जिन काश्तकारों के मकान जल जाते हैं उनको इससे राहत मिल सकेगी।

बस इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवदानसिंह।

श्री नाथूसिंह : हमारे भी कट मोशन दिये हुए हैं।

श्री सभापति : आपका नाम बोला जायगा।

श्री नाथूसिंह : इसमें जो क्रम दिया है...

श्री सभापति : आपके व्हिप ने जो नाम भेजे हैं उसी क्रम से बोले जा रहे हैं।

(108)

श्री नाथूसिंह : लेकिन कटमोशन वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

श्री सभापति : आपके व्हिप महोदय ने दिये हैं।

श्री नाथूसिंह : जिस क्रम में नाम दिये गये हैं उस क्रम में कट मोशन पर बोलने का मौका नहीं मिला और समय समाप्त हो गया तो फिर क्या करेंगे ?

श्री सभापति : इसमें दो बातें हो सकती हैं। पार्टी से जिसका पहले नाम आया हो, उसको बुला लें या फिर आपको···

श्री नाथूसिंह : कट मोशन के आधार पर अक्सर नाम पुकारते हुए हम देखते आ रहे हैं वैसे यह हमारे···

(व्यवधान)

आप समझने की कोशिश कीजिये। मैं सभापति महोदय से बात कर रहा हूं, आप से नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : मैं आपका मतलब समझ गई हूं। आपने पहले भी यह सवाल रखा था। जब आपका नाम आयेगा, तब आपको कहा जायेगा। पहले हीरालाल जी का नाम आयेगा।

श्री नाथूसिंह : अब तक जो···

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी। आपने मुझे कहा था। शायद कटौती प्रस्ताव में आपका नाम नहीं है और आपने जो लिस्ट दी है उसमें भी नहीं है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय ने तो अलग से व्यवस्था दी है।

श्री शिवदान सिंह राठौड़: माननीय सभापति महोदया, मुझे जो समय मिला है उसको यह व्यर्थ कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोलिये। आप इनसे मत उलझिये।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदया, मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष मेरे क्षेत्र जैतारण तहसील में बाढ़ आयी और उस बाढ़ के कारण कुएं नष्ट हुए। सरकार ने 4 हजार रुपये का अनुदान और 4 हजार रुपये का ऋण सबको देना स्वीकार किया था। मेरे क्षेत्र की तहसील में कुओं की लिस्ट बनाई गई थी लेकिन उनको पैसा नहीं दिया गया है। उन लोगों को पूरी किश्त नहीं मिलने की वजह से वह कुएं आज तक नहीं बन सके। पाली के जिलाधीश कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा इस मद में नहीं है। उन किसानों को दूसरी और तीसरी किश्त नहीं दी गई। इस कारण वह जो कुएं बने हैं वह अधूरे रह जायेंगे और इस वक्त बरसात में नष्ट हो जायेंगे। इस प्रकार उन लोगों को जो अनुदान और ऋण दिया गया है वह बेकार हो जायेगा। कुछ समय बाद सरकार वह पैसा उनसे वसूल करेगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि उनको तीसरी किश्त दिलाई जाये। अगर सरकार तीसरी किश्त देने में असमर्थ है तो जो पैसा दिया गया है वह माफ किया जाये। अगर यह नहीं किया गया तो किसान बरबाद हो जायेंगे। आगे

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

ही वह बरबाद हुए हैं। यह जो अनुदान और ऋण दिया गया है इससे उनका फायदा होने के बजाय नाश हो जायेगा।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि जिन किसानों के कुएं नष्ट हुए थे, उन किसानों में से आधे किसानों को लोन और ऋण का पैसा दिया गया है। बाकी लोगों को अभी तक नहीं दिया गया है। अगर यह सरकार इस स्कीम को चालू रखती है तो जिन किसानों के कुएं नष्ट हुए, जिनकी क्षति जिलाधीश, उप जिलाधीश और तहसीलदार ने बताई उन सब को ऋण और अनुदान दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही उस वक्त जो जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, उन्होंने अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर जो कुएं नष्ट नहीं हुए उनके नाम से भी पैसा उठा लिया। हमारे वहां जनता पार्टी के महामंत्री नारायण सिंह जी, जिनका कुआं नष्ट नहीं हुआ, ने इस सहायता का लाभ उठाया। सरकारी अधिकारी ने मिल कर हालांकि उनका कुआं नष्ट नहीं हुआ, फिर भी उनको अनुदान और सहायता दी। पाली के जिलाधीश, डिप्टी एस.डी.ओ. और एस.डी.ओ. और तहसीलदार ने मौके पर वेरीफाई किया कि महामंत्री का कुआं नष्ट नहीं हुआ था, मौके पर कुआं ही नहीं था। बिना कुआ नष्ट हुए भी सरकारी अधिकारी ने मिल कर उनको 4 हजार रुपये अनुदान के और 4 हजार रुपये ऋण के दिये।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने बिना कुआं मौके पर होते हुए, नष्ट होने का तो प्रश्न पैदा नहीं होता, अनुदान और ऋण ले लिया। इसकी कलेक्टर ने खुद मौके पर जांच कर ली। उस पैसे को सरकार वसूल करवाये और जो किसान रह गये हैं जिनके कुएं वास्तव में गिरे उनको दिलवायें।

मैं पंचायत समिति का सरपंच हूं। मेरी पंचायत समिति में, नादोती पंचायत में, डोगनी पंचायत में जिनके वास्तव में कुएं नष्ट हुए थे उन्हें आज तक पैसा नहीं दिया गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन गरीब किसानों के, जिनके वास्तव में कुएं नष्ट हुए हैं, जिनको कलेक्टर ने, एस.डी.ओ. ने, तहसीलदार ने मौके पर वेरीफाई किया, को आज तक एक पैसा नहीं दिया गया है। उन्हें यह अनुदान और ऋण दिलाया जाये।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार हमें आश्वासन दे कि जिन किसानों को अनुदान और ऋण दिया है या तो उनको दूसरी और तीसरी किश्त दे ताकि वह उन कुओं का निर्माण पूरा करा सके सरकार अगर नहीं दे सकती है तो जो अनुदान और ऋण दिया गया है उसे माफ करे ताकि वह किसान परेशानी में नहीं पड़ें। सब लोगों के आधे कुएं बने हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं फिर भी कलेक्टर ने कह दिया कि मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं असमर्थ हूं। राज्य सरकार से भी निवेदन किया गया। मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि इस समस्या का तत्काल निपटारा कराया जाये वरना इस बारिश में वहां जो अधूरे कुएं पड़े हुए हैं सबके सब ढह जायेंगे और जो पैसा दिया गया है वह व्यर्थ जायगा। इस प्रकार

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो डी.पी.ए.पी. की स्कीम चल रही है उसके अन्तर्गत जैतारण तहसील में भी एक स्कीम लागू है। 4-5 वर्ष से वहां कार्यालय है जिसका वहां एक फायदा हो रहा है कि कुछ व्यक्तियों को. . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

40-50 आदमियों को नौकरी मिल गई। डी.पी.ए.पी. में एक कम भी आज तक नहीं हुआ। जो स्कीमें बनाई गई हैं वह ऐसी बोगस स्कीमें बनाई गई हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो सकती। जैतारण तहसील में बाढ़ आती है। अगर वहां 4-5 बांध बना दिये जायें तो सारी तहसील इरिगेट हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डी.पी.ए.पी. के अधिकारियों को सरकार यह निर्देश दे कि वहां जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको साथ लेकर मौके पर जो टैक्निकल स्कीम है उनको लागू किया जाये। हमारी तहसील के अन्दर एक बांध है वहां पक्की नहरें बनी हुई हैं उनकी मरम्मत कराई जाये। अगर वह वापस चालू की जायें तो कम से कम 40-50 हजार बीघा जमीन जैतारण की इरिगेट हो सकती है और सारा इलाका इरिगेट हो सकता है। जनता के प्रतिनिधियों को सरकारी अधिकारी साथ नहीं लेते हैं जबकि जिले की जो एजेन्सी है जी.डी.ए. की उसमें दो जिलों के एम.एल.ए. को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हर तहसील के, क्षेत्र के जो भी विधायक हैं, पाली के आठ विधायकों को ही उसमें प्रतिनिधि मुकर्रर किया जाता है। डी.पी.ए.पी. के अधिकारी विधायकों को अपनी समिति में शामिल कर उनकी राय से स्कीमें बनायें और ऐसी स्कीमें बनायें जो सफल हों, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री भंवर सिंह।

श्री भंवर सिंह : श्रीमन्, मैं एक कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलने जा रहा हूं। मुझे ऐसे निर्देश मिले हैं कि अपने सब कटौती प्रस्तावों पर एक साथ बोल लूं। मेरे क्षेत्र में नवलगढ़ के आगे जो सड़क जाती है, वह अकाल राहत के अन्तर्गत बनी है। काफी पहले उसका काम हुआ था लेकिन आज तक उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। रास्ते में पत्थर गाड़ दिये गये, रास्ता भी ठीक नहीं है। 6-7 साल से पत्थर पड़े हुए हैं और वहां के लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अकाल के अवसर पर झुंझुनूं जिले में चारे का बहुत बड़ा अभाव रहा लेकिन चारे की समुचित व्यवस्था नहीं हुई। नवलगढ़ में चारे का डिपो नहीं लगाया गया। इतना बड़ा क्षेत्र है, आसपास गांव हैं, लेकिन चारे के डिपो न लगने के कारण वहां के पशु-धन को बड़ी क्षति हुई। गायें और भैंसें भूखी रहीं इस वजह से ब्यावन भी नहीं हो सकीं। आने वाले समय में काश्तकारों का पशु-धन ब्यायेगा नहीं तो उनको बड़ी दिक्कत रहेगी काश्तकार चारा खरीद नहीं सका और अपने पशु-धन को जिन्दा नहीं रख सका, ऐसी व्यवस्था चारे की झुंझुनूं जिले में रही।

कोलीसिया ग्राम के पास जो नदी आती है उससे कभी भी उसको खतरा हो सकता

(श्री भंवर सिंह)

गई है। अकाल राहत में 2-3 बार उसका कार्य हुआ लेकिन अब तक उसका कम्पलीट कार्य नहीं हुआ। इसलिए कोलिलिया ग्राम को खतरा बना हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस कोललिया गांव के बांध को कम्पलीट किया जाये जिससे वहां के नागरिकों की सुरक्षा हो सके। ग्राम बाप में अकाल राहत के तहत कार्य हुआ लेकिन उसका भुगतान पूरा नहीं हो सका। वहां का सरपंच बराबर परेशान है। तीन दिन की उसने भूख हड़ताल की लेकिन फिर भी पेमेन्ट आज तक मजदूरों का नहीं हो सका। करीब 40-50 हजार रुपया अकाल राहत के कार्य में बकाया पड़ा है लेकिन गरीबों को वितरित नहीं हो सका है।

इसी प्रकार पिछले वर्ष चिसना गांव में भयंकर बाढ़ आई। काश्तकारों का लाखों का नुकसान हुआ, करीब 40 कुए बाढ़ में आ गये; उनकी मोटर कुओं में रह गई। ऐसी हालत चिसना गांव की रही और तबाही मची। बांध बना लेकिन मैं राज्य सरकार को बता देना चाहता हूं कि पहली बारिश से ही बांध टूट गया है और काश्तकारों को भयंकर नुकसान होने वाला है। तो मैं सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूं कि उस गांव की तरफ ध्यान दिया जाय। अगर फिर एक बार तेज बारिश हो गई तो हजारों किसानों को बहुत नुकसान होगा, उनके कुए फिर मिट्टी में मिल जायेंगे और तबाही मचेगी। पिछली बार सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किये बांध की मरम्मत पर लेकिन फिर ऐसी घटना न हो इसलिए मंत्री महोदय यहां विराज रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि तुरन्त उसकी सुरक्षा के लिए विभागीय अधिकारियों को आदेश दिया जाय ताकि उसकी व्यवस्था हो सके।

औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मैंने निवेदन किया कि नवलगढ़ बहुत बड़ा शहर है। वहां काफी उद्योगपति रहते हैं, लेकिन नवलगढ़ अभी तक औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं किया गया।

मैं निवेदन करूंगा कि आज जो रोडवेज, बिजली और पुलिस हैं, तीनों विभागों में बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है। रोडवेज की बसें एक डिपो में खड़ी हैं, चलती नहीं हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सारी मांगों पर एक ही समय ...

श्री सभापति : उन्होंने पहले ही निवेदन किया है।

श्री नानालाल : आप सभी डिमांड्स पर बोलते हो और इन पर रोक लगाते हो।

एक माननीय सदस्य : केवल रिलीफ पर ही बोल सकते हैं।

श्री सभापति : दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नानालाल : आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं।

श्री नाथूसिंह : हम तो आपके फायदे के लिए बोलते हैं। हम तो आपकी अच्छाई के लिए बोलते हैं तो भी आपको बुरा लगता है।

श्री हीरालाल आर्य : हमको कोई एतराज नहीं, बोलिए आप।

श्री सभापति : आप बोलिए।

श्री भंवर सिंह : रोडवेज में भयंकर अव्यवस्था है, उसको अगर नहीं सुधारा गया तो रोडवेज विभाग बिल्कुल मिट जाएगा और जो सुविधा उससे लोगों को मिलने वाली है, वह नहीं मिल सकेगी।

बिजली विभाग में भी यही हालत है, लाइनमेन फ्यूज जोड़ने के लिए पैसा मांगता है। यदि इस तरह की अव्यवस्था और भ्रष्टाचार बढ़ता गया तो राजस्थान की जनता के दुर्भाग्य की इससे बड़ी बात नहीं होगी।

मैं पुलिस विभाग के लिए निवेदन करूंगा कि हर थाना अधिकारी के पास एक जीप का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि थाना अधिकारी का सीधा सम्पर्क आम जनता से होता है। उसके पास एक जीप हो तो वह तुरन्त कार्यवाही कर सकता है।

जो सूखे की स्थिति झुंझुनूं क्षेत्र में है उसके लिए मैंने निवेदन किया कि पुरोहित की ढाणी में टंकी के निर्माण के लिए आदेश सरकार से दिये गये लेकिन आज तक कार्य चालू करने का आदेश जिलाधीश ने नहीं दिया। वह कहते हैं कि मेरे पास आदेश नहीं पहुंचे जब कि वहां मोटर कुए में लग गई, पाइप लगा है, सीढ़ियां लग गई हैं, टूंटियां लग गई लेकिन आज तक उस कार्य के निर्माण की इजाजत नहीं दी गई।

यही हालत गोचर भूमि की झुंझुनूं जिले में है। उसको काश्तकार दबा रहे हैं किसी ने 5 बीघा, किसी ने 4 बीघा दबा ली। चारों तरफ से गोचर भूमि दबा रखी है और चरागाह की समस्या हो रही है अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। अभी जो पैमाइश कार्य चले हैं उनमें गड़बड़ी कर रहे हैं और काश्तकारों को बड़ी दिक्कत हो रही है। वह सही नामांकन भी पैसे लिए बगैर नहीं करना चाहते हैं। इस तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदया, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अक्सर अकाल पड़ता है, कभी कम बरसात होने से सूखा पड़ता है, कभी अधिक वर्षा होने से फसलें गल जाती हैं, कभी बाढ़ आती है और कभी ओलावृष्टि होने से फसल नष्ट हो जाती है। आगजनी और तूफान से भी नुकसान होता है। लेकिन अपने यहां पर तूफान से इतना नुकसान नहीं होता। सूखा या अकाल की स्थिति राजस्थान में हमेशा बनी रहती है। अकाल से किस तरह जूझा जाए, अकाल पीड़ित लोगों को किस तरह से राहत दी जाए इसके लिये, सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि अकाल या सूखा हर साल पड़ता है। हमें पता है कि किस इलाके में सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, उस इलाके में विपदाओं से निबटने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय किया जाना चाहिए। एक स्थाई हल इन सबसे निबटने के लिए निकाला जाना चाहिए। सभापति महोदया, अकाल से निपटने के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। अकाल पड़ जाता है तब अकाल से राहत पहुंचाने के लिए बड़ा बिलंब हो जाता है। इसलिए फैमिन कोड में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए ताकि जैसे ही सूखा पड़े अविलंब राहत कार्य प्रारंभ किए जा सकें।

(श्री हीरालाल आर्य)

दूसरा मेरा निवेदन है पेयजल के बारे में। जहां पर सूखा पड़ता है वहां अक्सर लोगों को पीने के पानी की कठिनाई रहती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वहां के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके, किस तरह से पानी समुचित और पर्याप्त मात्रा में पहुंचाया जा सके इसके लिए पहले से व्यवस्था करनी चाहिए।

तीसरा मेरा सुझाव है वहां के पशुओं के बारे में। पशुओं का वहां से निष्क्रमण हो जाता है, परेशान होकर पशु भाग जाते हैं। आप देखते हैं आए दिन जब निष्क्रमण होते हैं तो उनके रास्ते में पड़ने वाले गांव वाले उनको परेशान करते रहते हैं। आए दिन लड़ाई झगड़े उनके साथ मारपीट होना उनका रास्ता रोक देना अच्छी बात नहीं है। एक तरफ वे लोग अकाल से परेशान रहते हैं, उनके घर-बार छूटते हैं दूसरी तरफ रास्ते में उनके साथ कोई मारपीट कर दे, उनके भेड़ पशुओं को नहीं निकलने दे, यह बुरी बात है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल से पीड़ित लोगों के पशु किन रास्तों से निकलेंगे, चारे की क्या व्यवस्था होगी, यह पहले से ही व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये जो आए दिन उनके साथ घटना होती रहती है, वह नहीं हो।

इसी तरह से बाढ़ के बारे में निवेदन है कि जिस इलाके में बाढ़ आती है वहां पर पहले से ही व्यवस्था करनी चाहिए। जिस स्थान पर बाढ़ आने वाली है वहां के नागरिकों को वहां से हटाने के लिए पहले से सूचित किया जाना चाहिए। पूर्व व्यवस्था हो इसके लिए आवश्यक है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए भोजन व आवास की व्यवस्थायें समुचित होनी चाहिए। जिस इलाके में बाढ़ आती है वहां अक्सर बीमारियां फैलती हैं, पशु वगैरह मरते हैं। वहां चिकित्सा के लिए समुचित व्यवस्था पहले से ही अच्छी होनी चाहिए। जहां पर बाढ़ आती है वहां के पानी को इधर उधर निकाला जा सकता है, बांध बांध कर पानी को रोका जा सकता है, इसकी व्यवस्था की जा सकती है। जिन शहरों या कस्बों या गांवों को बाढ से नुकसान होता है उन शहरों के पास आवश्यकतानुसार प्रोटेक्शन वाल आदि बनायी जानी चाहिए। प्रोटेक्शन वाल बनायी जाने से बाढ़ पर नियन्त्रण करने के प्रयत्न किये जा सकते हैं।

सभापति महोदया, इसके अलावा मेरा एक दूसरा कटौती प्रस्ताव और है। वह कटौती प्रस्ताव अकाल राहत कार्यों के बारे में है। सभापति महोदया, इस वक्त न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अकाल पड़ रहा है। राजस्थान में पिछली राजस्थान सरकार ने अकाल के समय अकाल से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए फूड फोर वर्क, काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अकाल राहत कार्य चालू किये थे। पर सभापति महोदया, जो काम अकाल राहत कार्य के रूप में शुरू किये गये थे उन्हें अब इस सरकार ने बन्द कर दिया है। कई स्थानों पर इस काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कुएं बनाए गए, सडकें बनाई गयीं, मेरे खुद के पीपलदा क्षेत्र में 226 गांवों में से करीब 200 गांवों में अकाल घोषित किया गया था वहां पर कुएं बनाये गये। पर आज भी मेरे क्षेत्र में 15-20 कुएं

(श्री हीरालाल आर्य)

अधूरे पड़े हुए हैं। यह कार्य काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत चल रहे थे पर अब बन्द हो जाने से उनका कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा। उनमें अभी तक पानी निकला नहीं था। इस प्रकार अकाल राहत कार्य जो काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत शुरू किये गये उनमें हमारे क्षेत्र में पंचायत भवन और स्कूल भवन बनकर तैयार तो हो गये पर अभी तक उनमें पट्टियां नहीं पड़ी हैं। वह भवन अब काम बन्द किये जाने के कारण अधूरे पड़े हैं। इसी प्रकार, सभापति महोदया, जो सड़कें अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत काम के बदले अनाज योजना के तहत बन रही थीं वह भी अब काम के बदले अनाज योजना बन्द हो जाने के कारण अधूरी पड़ी हैं। इसलिए, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन अधूरे कार्यों को पहले पूरा किया जाना चाहिए ताकि उनका उपयोग हो सके अन्यथा जो अधूरे कार्य हैं उनसे अकाल पीड़ित जनता को कोई लाभ नहीं होगा और राज्य सरकार का जितना पैसा खर्च हुआ वह सारा का सारा बेकार जायगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन अधूरे कार्यों को पूरा करा कर जनता को उसका लाभ मिल सके, ऐसी व्यवस्था कराने की कृपा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, इसके अलावा जहां-जहां अकाल पड़ा है वहां पर वसूलियां स्थगित हों, इसके बारे में भी मेरा कटौती प्रस्ताव है। सभापति महोदया, हमारे यहां पर पिछले वर्ष भी अकाल पड़ा था और इस साल भी अकाल पड़ा हुआ है। राज्य सरकार यह आदेश दे चुकी है कि जहां जहां भी अकाल घोषित किया हुआ है वहां किसी प्रकार की कोई वसूलियां नहीं की जायं। लेकिन, सभापति महोदया, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद राज्य सरकार के आदेशों के मेरे पीपल्दा क्षेत्र में वसूलियां की जा रही हैं। सहकारी विभाग वाले भी वसूलियां किसानों से कर रहे हैं। बैंक के कर्मचारी किसानों को परेशान कर रहे हैं तथा सिंचाई विभाग वाले भी लोगों को परेशान कर रहे हैं जिससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। सभापति महोदया, वहां पर वसूलियां करने जो आते हैं वह किसानों को मुर्गा बना कर तथा तरह तरह की यातनायें देकर वसूलियां कर रहे हैं। किसानों के साथ गाली गलौज की जाती है। फिर उनसे जबरन वसूलियां की जा रही हैं। जब उनसे कहा जाता है तो वह लोग यह कहते हैं कि कोई वसूलियां स्थगित करने के आदेश नहीं हैं।

सभापति महोदया, यहां पर मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार ने ऐसे आदेश निकाले हैं कि जहां पर सिंचित क्षेत्र हैं वहां पर सिंचाई कर माफ नहीं किया गया। सभापति महोदया, वसूलियों के कारण वहां के किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। सभापति महोदया, मेरा क्षेत्र सिंचित क्षेत्र में जरूर आता है लेकिन, सभापति महोदया, पिछले वर्ष मेरे पीपल्दा क्षेत्र के अन्दर गांवों में भयंकर ओला वृष्टि हुई थी जिससे कि हमारे पीपल्दा क्षेत्र के गांव डूंगरली, लक्ष्मीपुरा, पीपल्दा, जलोदा, खातिगाना, मालबमारी आदि पंचायतों के गांवों में 75 से लेकर 100 प्रतिशत फसल

(श्री हीरालाल आर्य)

बरबाद हो गई, फसल जमीन पर ही दब गयी। वहां भयंकर ओला वृष्टि हुई, सभापति महोदया, जिससे फसलें बरबाद हो गई। सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से अकाल राहत मन्त्री जी से यह निवेदन है कि मेरा क्षेत्र सिंचित क्षेत्र तो है पर ओला वृष्टि से फसलें बरबाद होने के कारण जो गांव मैंने आपको बताये हैं उन गांवों में वसूलियां सिंचाई कर की स्थगित की जावें। इसके अलावा और जितनी वसूलियां हैं वह स्थगित की जाकर किसानों को राहत पहुँचाई जावे। सभापति महोदया, इन गांवों में 75 से लेकर 100 प्रतिशत फसल बरबाद हो जाने से स्थिति बहुत ही गम्भीर है। मेरा निवेदन है, राज्य सरकार तुरन्त उन गांवों में वसूलियां स्थगित करने के आदेश वहां के अधिकारियों के पास भिजवावे ताकि सिंचाई की वसूलियां पहले माफ की गई थीं वह किसानों से वसूल नहीं की जावें।

सभापति महोदया, इसके अलावा एक कटौती का प्रस्ताव मैंने और दिया था बाढ़ के बारे में। सभापति महोदया, मेरा क्षेत्र सब ओर नदियों से घिरा हुआ है। मेरे क्षेत्र के चारों तरफ काली सिन्ध, पार्वती नदी, चम्बल नदी, और बाण गंगा, खाड़ी नदी आई हुई है। उन नदियों में, सभापति महोदया, अक्सर बाढ़ आती रहती है जिससे उन गांवों में जो मकान आदि हैं वह गिर जाते हैं और लोगों को बहुत नुकसान होता है। इन नदियों से जो बाढ़ आती है उससे पीपल्दा, मांगरोल, खातोली, तथा इटावा के कस्बे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। सभापति महोदया, पीपल्दा तहसील हैडक्वार्टर है। बाढ़ आ जाने से लोग वहां आ जा नहीं सकते। इससे वहां की जनता को परेशानी होती है इसलिये मेरा, सभापति महोदया, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यही अनुरोध है कि उन कस्बों को बचाने के लिये राज्य सरकार प्रोटेक्शन वाल बना दे तो बहुत ही रिलीफ काश्तकारों को मिल सकता है। और जो नुकसान हर साल गांव वालों को होता है उस नुकसान से बचाया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अन्त में, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान एक बार और मैंने जो सुझाव दिये हैं उनकी ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि उनकी क्रियान्विति से लाभ होगा। बस इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री बनवारी लाल।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसिंह।

श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) : सभापति महोदया, मैंने डिमान्ड संख्या 28 व 34 के ऊपर सदन में कटौती प्रस्ताव रखे हैं। उन कटौती प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करते हुए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर जिले में सन् 67 से लेकर सन् 76 तक लगातार 11 साल तक अकाल पड़े हैं। अजमेर जिला, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा,

(श्री गोविन्द सिंह)

अकाल सम्भावित क्षेत्र है, सूखा सम्भावित क्षेत्र की परिधि में आता है इसलिये अजमेर जिले को डी.पी.ए पी. के कार्यक्रमों में शामिल किया जावे।

सभापति महोदया, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी कुछ वर्षों पहले अजमेर में भयंकर वर्षा हुई। अतिवृष्टि के कारण अजमेर जिले के जो भी बान्ध थे वह सभी करीब करीब या तो टूट गये या उन बांधों में दरारें पड़ गयीं। उन बांधों के टूट जाने से जो सिंचाई उन बान्धों द्वारा होती थी वह सिंचाई बन्द हो गई है। उन बांधों को ठीक नहीं कराने के कारण सिंचाई नहीं हो सकी। जो अनाज पैदा किया जाता था वह अनाज पैदा नहीं हो सका। आइन्दा भी उन बांधों को पूरा नहीं कराये जाने के कारण हम अनाज नहीं पैदा कर पायेंगे और हम जो अनाज पैदा करके शहरों में लाते थे उससे महरूम हो जायेंगे।

सभापति महोदया, अकाल राहत कार्य जो राज्य सरकार द्वारा अकाल के समय चलाये गये थे वह अब बन्द हो जाने से बहुत से काम अधूरे पड़े रह गये हैं। अधूरे काम पड़े रहने के कारण अब उनका कोई उपयोग नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि जो पैसा हमने उन कामों के लिये खर्च किया वह पैसा सारा का सारा व्यर्थ जायेगा। इसलिये, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो काम पक्के करने हैं वह पहले पूरे कराये जायं। सभापति महोदया, कई जगह स्कूल भवन अधूरे पड़े हैं, कई जगह पर बरामदे अधूरे हैं पंचायत घर अधूरे पड़े हुए हैं, कई जगह सड़कों के काम अधूरे पड़े हैं उन्हें पहले पूरा किया जाना चाहिये। और इन कामों के लिए सम्बन्धित पंचायतों ने काफी सामान, मैटीरियल खरीद कर रख रखा है जैसे चूना है, पत्थर है, मिट्टी है और बजरी है। यदि यह काम जो अभी सरकार ने बन्द कर दिये हैं, शीघ्र चालू नहीं किये गये तो यह सारा सामान, जो कि लाखों रुपयों की लागत का है, इस बरसात में बह जायगा या काम नहीं होने की हालत में दूसरे लोग उठा उठाकर ले जायेंगे और सारा रुपया, जो बड़ी मुश्किल से सरकार ने काम के लिए लगाया है, व्यर्थ चला जायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो पक्के काम हैं इनको तो कम से कम जारी रखने के लिए मंत्री महोदय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

इसी तरह से जो बांध सिंचाई विभाग के अन्तर्गत हैं वह मुख्य तौर से सीमेंट नहीं मिलने के बहाने से नहीं कराये जा सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बांध अधूरे पड़े हैं, जिनमें पानी इकट्ठा करके खेती की आबपाशी हो सकती थी उनको पूरा कराने की शीघ्र कोशिश करें।

सभापति महोदया, अजमेर जिले का आधा भाग ऐसा है जो कि अरावली की श्रेणी में आता है। वह इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पर पानी को पहुंचाना बहुत मुश्किल है। उसका नतीजा यह है कि अजमेर जिले में जो सिंचित भूमि है उसका रकबा बहुत ही कम है। अभी कुछ ही दिनों पूर्व सदन में पेयजल के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर काल में चर्चा आई थी राज महल योजना की। सभापति

(श्री गोविन्द सिंह)

महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजमहल योजना का जैसा पूर्व में आकार था उसके तहत लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा अजमेर जिले में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कराने की योजना थी। मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पुरजोर मांग करता हूं कि राजमहल योजना को शीघ्रातिशीघ्र केन्द्रीय सरकार से मंजूर करायें। बनास का पानी काफी मात्रा में बेकार जा रहा है उस पानी को अजमेर जिले में हरियाली और बहबूदी के लिए लाने की योजना को शीघ्रातिशीघ्र मंजूर करायें।

सभापति महोदया, गत वर्ष जब बाढ आई थी तो जिन लोगों के कुए खराब हो गए थे, टूट गये थे या मिट्टी और रेत से भर गये थे उनको सरकार ने राजस्व विभाग के जरिये कुछ राहत देने की योजना बनाई थी। मैं बहुत खेद के साथ, सभापति महोदया, यह कहना चाहता हूं कि इस योजना में काफी घोटाले हुए हैं और जो लाभ बाढ़ से ग्रस्त किसानों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला और पटवारी, तहसीलदार और दूसरे जो कारिन्दे हैं उन्होंने इसका लाभ उठाया है। कुछ लोगों, जो कि चालाक थे, वाचाल थे, ने झूठे बयान देकर इसका लाभ उठाया है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में सरकार विचार करे और यह तहकीकात करे कि जो मदद दी गयी है जो सहायता बाढ़ से ग्रस्त कुओं के लिए दी गयी है क्या उसका सदुपयोग हुआ है।

इसी तरह से, सभापति महोदया, अजमेर में करीब करीब हर वर्ष, जब भी ज्यादा बरसात की आशंका होती है, जब ज्यादा बरसात होती है, बाढ़ का बहुत बडा खतरा पैदा होता है। पूर्व में दो बार वहां बाढ आ चुकी है। उससे बचाव के कुछ काम सरकार ने किये भी हैं, एक योजना भी सरकार ने अजमेर को बाढ से बचाने के लिए बनाई है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस योजना के लिए वह वांछित धनराशि आवंटित करें ताकि अजमेर नगर को बाढ़ से जो खतरा हमेशा बना रहता है वह हमेशा-हमेशा के लिए दूर हो जाये। इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गत बाढ़ आई थी उससे जो लोग ग्रस्त हुए हैं और जो लोग बेघर हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है उनको नये तौर से ऐसी जगह बसाने के लिए जहां बाढ़ का खतरा नहीं हो, सरकार ने कुछ कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाकर गृह निर्माण की योजनायें बनाई थीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कुछ सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती थी और कुछ बैंक की तरफ से लोन दिया जाता था। लेकिन जनता सरकार के आने के बाद सब्सिडी जो सरकार द्वारा दी जाती थी वह बन्द कर दी गयी। उसका नतीजा यह हुआ कि जो गृह निर्माण सोसाइटीज बन रही थीं, बनने वाली थीं या जो योजनायें उस आधार पर बाढ़ग्रस्त आदमियों को बसाने की थीं उनमें काफी व्यवधान आ गया। जो सरकार की तरफ से सहायता मिलने वाली थी उसको रोकने की वजह से वह सोसाइटीज काम नहीं कर रही हैं। जहां बाढ़ का खतरा रहता है वहां भी अभी तक लोग रहने के लिए मजबूर हैं। इसलिए मैं

(श्री गोविन्द सिंह)
मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सहायता की राशि देकर सोसाइटीज, जो गृह निर्माण की बनी हुई हैं, को सक्रिय करें।

इसी के साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि जब प्राकृतिक विपदा आये या बाढ़ जैसी विभीषिका का हम सामना कर रहे हों उस समय भी सरकार के कारिन्दे, खास तौर से कोआपरेटिव बैंक वाले और रिकवरी विभाग या तहसील के रिकवरी विभाग वाले लोगों को बहुत बेजा तंग करते हैं। हालांकि अभी सरकार की तरफ से वसूली स्थगित की हुई है लेकिन मुझे निहायत ही अफसोस के साथ अर्ज करना पड़ता है कि वह रिकवरी की कार्यवाही बेजा तरीके से अभी भी जारी है और अमानवीय तरीके से वसूल करने की घटना यदा कदा सुनने को मिलती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदया, निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की कार्यवाही जो कर्मचारी करते हैं उनके ऊपर निगाह रखी जाये और जो दोषी पाये जायें उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री मेघराज !

श्री मेघराज (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदया, रिलीफ के हैड पर चर्चा की जा रही है। अकाल और बाढ़ यह दोनों राजस्थान के लिए अभिशाप हैं। इनके सम्बन्ध में बहुत से पूर्व वक्ताओं ने विचार व्यक्त किये हैं। इनका कोई न कोई स्थाई हल होना चाहिए। जो बाढ़ग्रस्त इलाका है वहां पानी रोककर बांध बांधकर बाढ़ पर नियन्त्रण किया जा सकता है। हर साल बांधों पर लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन वह पैसा सही उपयोग में नहीं आता है। इससे सही नियन्त्रण या स्थाई हल नहीं निकलता है। सभापति महोदया, हमारे राजस्थान में दोनों तरह के इलाके हैं बाढ़ग्रस्त इलाका भी है और सूखा भी पड़ता है। हमारे दक्षिणी इलाके, जो कि पहाड़ी इलाका है, में पुराने समय से लेकर अभी 33 साल तक सरकार जब भी अकाल पड़ता है, रिलीफ का काम खोलकर, टेम्प्रेरी कामों को खोलकर पैसा बरबाद करती है लेकिन स्थाई हल के काम नहीं होते हैं। सभापति महोदया, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कोटड़ा, गोगुन्दा और पूरे उदयपुर डिवीजन का जो पहाड़ी इलाका है वहां पर सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। जयसमन्द या और एक दो तालाब हैं उनको छोड़ दें, सभापति महोदया, इसके अलावा उस पहाड़ी इलाके में सिंचाई के लिए तो क्या पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदया, 30 साल तक कांग्रेस का राज्य रहा, ढाई साल जनता पार्टी का राज्य रहा लेकिन स्थायी योजना बनाने की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। केवल ध्यान दिया वोट लेने के लिये। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पहाड़ी इलाका है जहां नदियां बहती हैं जैसे बाखल नदी है बनास नदी है–इन नदियों पर बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई जायं जिससे नीचे के रहने वाले लोगों को पानी मिल सके, सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकें। आदिवासियों

(श्री मेघराज)

के पास जमीन नहीं है या केवल एक बीघा या आधा बीघा जमीन है, उस इलाके से माननीय भीखा भाई मंत्री रहे हैं उनके शब्दों में तो आदिवासी इलाकों में एक आदिवासी के पास औसतन आधा बीघा जमीन है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि चरागाह की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। सभापति महोदया, अतिक्रमण नहीं होगा तो क्या होगा, जंगल में रहने वाला किसान क्या करेगा ? जंगलात विभाग के लोग आज उनकी मार पिटाई करते हैं। सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं इन इलाकों में, स्थायी तौर से सिंचाई की समस्या को हल करने के लिए जो बड़ी नदियां हैं उन पर बड़े प्रोजेक्ट बनाकर बांध बांधे जायं और जो छोटी-छोटी नदियां हैं उन पर एनीकट बांधकर ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की योजना लागू की जाय।

सभापति महोदया, अकाल राहत के कार्यों के बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले सरकार ने यह कहा था और मंत्री महोदय ने भी कहा था कि 15 अगस्त तक काम बन्द नहीं किये जायेंगे। सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि काम बन्द नहीं होंगे और दूसरी तरफ सरकार ने तार के जरिये काम बन्द किये हैं। आदिवासी इलाके में उदयपुर जहां से मैं आ रहा हूं, कोटड़ा, गोगुन्दा और कुम्भलगढ़ से आप भी परिचित हैं वहां के लोगों के पास जमीनें न तो रबी की फसल के लिए हैं और न खरीफ की फसल के लिए है। उसके बाद भी जो रिलीफ का काम है, सभापति महोदया, आपको जान कर आश्चर्य होगा, जो रिलीफ के काम में, काम के बदले अनाज योजना में जो लोग लगे हुए हैं उनको 500 ग्राम अनाज एक दिन का दिया गया है। आप आश्चर्य करेंगे जिनके एक घर में 5-10 मेम्बर हैं उनको यदि 500 ग्राम अनाज एक दिन का मिले तो उस परिवार का गुजारा कैसे हो सकता है। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। सभापति महोदया, जब इस ओर उनका ध्यान दिलाया जाता है और मांग की जाती है तो भी तीन तीन महीने तक जिनके मस्टर रोल में नाम हैं, उनको पेमेन्ट नहीं किया जाता है। सभापति महोदया, सरकार ने यह कहा है कि काम के बदले अनाज में डेढ़ किलो अनाज प्रति परिवार दिया जायगा और श्रीमती इन्दिरा जी ने भी घोषणा की है कि चार किलो अनाज दिया जायगा। सभापति महोदया, चार किलो छोड़ दीजिये, तीन किलो छोड़ दीजिये यदि 500 ग्राम ही अनाज एक परिवार को देते हैं तो कहां सरकार का ध्यान इस ओर गया है ? जब सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है तब भी कुछ नहीं किया जाता है। सभापति महोदय, मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार की चमड़ी जालिम हो गई है जो मजदूरों की बात को सुनती तक नहीं है। खास तौर से अभी बरसात हो गई है, मुझे हंसी आती है इस बात पर कि जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारे जमाने में अकाल नहीं पड़ा और कांग्रेस वाले कहते हैं हमारे जमाने में बरसात हो गई। वर्षा हो गई तो क्या हो गया, कोई पहाड़ टूट गया। सभापति

(श्री मेघराज)

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं काम तब तक चालू रखे जायं जब तक नई फसल न आ जाय। कोटड़ा और गोगुन्दा के लिये मैंने कल भी बात कही थी। राजस्थान में मेवाड़ के कुवारिये लोग जो एक प्रकार की घास होती है, उसे खाकर ही जिन्दा रहते हैं। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिये उनके पास कोई माध्यम नहीं है। वे अपनी बात तक नहीं पहुंचा सकते हैं सरकार के पास। इसलिये आदिवासी इलाका आज तक पिछड़ा हुआ है। सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि उनके घरों को जाकर देखें, उनके झोंपड़ों को जाकर देखें। आपको पता लग जायगा कि क्या स्थिति है उनकी? क्या यही है उपलब्धि आपकी 30 साल की? अकाल राहत मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं, उदयपुर के पहाड़ी इलाके को वे अच्छे तरह से जानते हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और मैं जानता हूं, इस हाउस के सभी माननीय सदस्य भी मेरी बात से सहमत होंगे कि अकाल राहत कार्य तब तक रखे जायं जब तक नई फसल न आ जाय। बरसात आने से अभी कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करे और राहत कार्यों को नई फसल आने तक चालू रखे।

दूसरा, सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो राहत कार्य हुए हैं, उनमें जो घोटाले हुए हैं उनकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे सरपंच हैं चाहे वे जनता पार्टी के सरपंच हों, चाहे कांग्रेस के सरपंच हों और चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के सरपंच हो, जिन सरपंचों ने घोटाले किये हैं, जिन सरपंचों ने मजदूरों की मजदूरी खाई है उनको तुरन्त जेल भेजने की व्यवस्था करनी चाहिये। मेरे इलाके में जो पंचायत है उसके जो सरपंच हैं, सभापति महोदया, वह 19 बोरी का गबन कर गये, जो शक्कर का कोटा था मई माह का उसे नहीं उठाया। उसको इधर-उधर कर दिया। चार बोरी ब्लैक में बेच दी। जब कम्पलेन्ट की तो तीन बोरी वापस लाकर रख दी। एक बोरी नहीं मिली है-डी. एस. ओ. खुद...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो, सभापति महोदया, एक बोरी वापस नहीं ला सके, कोशिश तो पूरी की कि किसी तरह पूर्ति हो जाय।

सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान अब इस ओर आकर्षित कराते हुए सरकार को भी यह कहना चाहता हूं रिलीफ मे कम मजदूरी दी जा रही है वह पूरी दी जाय। आपके जो प्रधान मंत्री हैं वह हमारे भी प्रधान मंत्री हैं। प्रधान मंत्री ने जो घोषणा की है, उस पर कम से कम पाबन्द रहें। उनके कहे अनुसार न भी करें तो कम से कम तीन किलो अनाज तो मिलना ही चाहिए। राहत कार्य तब तक चालू रखे जायं जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती है। दुबारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे और नई फसल आने तक राहत कार्यों को प्रारम्भ रखे।

जो समय आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री रामा किशन !

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह ।

श्री घनश्याम जैन : सभापति महोदया, व्यवस्था का एक प्रश्न है । कटौती प्रस्ताव के जिस प्रकार नम्बर दिए गए हैं, उस हिसाब से आप नहीं पुकार रही हैं, दूसरे हिसाब से पुकार रही हैं · · ·

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : हमारी पार्टी के एक सदस्य बोले हैं। उधर से कितने सदस्य बोल चुके हैं · · ·

(व्यवधान)

जिनके 50 कट मोशन्स हैं उनके तो एक ही माननीय सदस्य बोले हैं और उधर से जिनके कट मोशन्स नहीं हैं कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं · · ·

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कटौती प्रस्ताव मैम्बर की इस एफीशिएन्सी का परिचायक है कि वह सदस्य कितनी जल्दी कटौती प्रस्ताव देता है । जो कटौती प्रस्ताव नहीं देते जो बिलकुल ओन डेकर हैं जिनको कुछ पता नहीं है कटौती प्रस्ताव के बारे में वे तो बोलें और जिन्होंने दिया वे सफर करें तो, सभापति महोदया, यह कौन सी व्यवस्था हुई ।

श्री सभापति : इसके लिए अध्यक्ष महोदय से बात करूंगी । आपको समय दिया जायेगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, हमने बड़े परिश्रम के साथ कटौती प्रस्ताव तैयार किये हैं, उन पर बोलने का हमें समय मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्ति रखें । आपको अभी समय देंगे ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सभापति महोदया, इसका एक तरीका है, तरीके से किसी सदस्य को समय दिया जाय, आपको तरीके से कार्यवाही चलानी पड़ेगी ।

एक माननीय सदस्य : समझदारी का ठेका तो इन्होंने ही ले लिया है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें ।

श्री नाथूसिंह : हमें समय मिलना चाहिए था 4 बजे और हमें समय मिलेगा 7 बजे, यह कौन-सा तरीका है ।

श्री सभापति : आपको भी समय मिलेगा । कृपया शांति रखें ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आदरणीय सभापति महोदया, सदन के समक्ष जो मांग हमने प्रस्तुत की है उसमें मांग संख्या 28 जो कि मुख्य शीर्षक 'सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम' के सम्बन्ध में है उस पर कटौती प्रस्ताव दिया है । कृषि भारतवर्ष का एक ऐसा धन्धा है जिस पर 80 प्रतिशत जनता निर्भर रहती है और यह निर्भरता आज नहीं सदियों से चली आती है और अब भी इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है । इसलिए एक महत्वपूर्ण धन्धे के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि, जैसा कि अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि 'एग्रीकलचरइज

(श्री हरिसिंह)

गैम्बलिंग इन रेन्स' है। आज भी अगर यह बात सत्य रहती है तो हमें उसके ऊपर बहुत ही गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। हम देखते रहते हैं कि मानसून इस वर्ष अच्छा होता है तो खेती अच्छी होती है, यदि मानसून किसी कारण से इस वर्ष नहीं होता है तो सूखा पड़ जाता है देश के अन्दर भयंकर अकाल पड़ जाता है। इसलिए यह कार्यक्रम 'सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम' सरकार के लिए विशेष रूप से एक विचार का विषय है।

इस सम्बन्ध में जो व्यय होता है, पहले तो शत प्रतिशत केन्द्रीय सरकार किया करती थी लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दो तिहाई केन्द्रीय सरकार करती है और एक तिहाई करती है राज्य सरकार। इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के ऊपर, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो पैसा मिलता है, राज्य सरकार उसे पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर पाती। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1971 से 1974 तक जो योजना बनी थी उसमें 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के ऊपर, लेकिन व्यय हुआ केवल 15 करोड़। उसके बाद अग्रिम 4 वर्ष की जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 45.24 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था, इस कार्यक्रम के लिए लेकिन व्यय हुआ केवल 26.14 करोड़ रुपया। इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसके लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार प्रावधान करती है, का पैसे लेकिन किन्हीं भी कारणों से वह पैसा पूर्ण रूप से व्यय नहीं हो पाता है।

भारतवर्ष में और राजस्थान की अगर आप स्थिति देखें तो राजस्थान में कुल 18 पर्सेन्ट सिंचित भूमि है। जितनी भी भूमि बोयी जाती है, राजस्थान के अन्दर, उसमें से केवल 18 पर्सेन्ट भूमि में यहां पर सिंचाई होती है। राजस्थान की जो एवरेज होल्डिंग है, सभापति महोदया, वह केवल 4·65 हैक्टेयर है और राजस्थान में जो औसत पैदावार है वह 238 किलोग्राम होती है। इन सब आंकड़ों को देखते हुए विचार का विषय यह है कि क्या इस 'सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम' है, उसमें किसी सुधार की आवश्यकता है। जैसा मैंने निवेदन किया कि अभी तक केवल राजस्थान में 13 जिले ऐसे हैं जिनमें यह कार्यक्रम चलता है। 13 जिलों के अलावा भी जिले ऐसे हो सकते हैं जहां इस वर्ष में मानसून न हो, अगले वर्ष न हो, वहां सूखा पड़ सकता है। गत वर्ष ही सम्पूर्ण राजस्थान सूखे के चपेट में आ गया। राजस्थान के 26 जिले सूखे की चपेट में आ गये अतः इन जिलों में, जहां पर सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम नहीं है वहां पर ये गतिविधि होनी चाहिये। सूखे के लिए किसानों को जो मिलता है उसे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम चलाना है, उन कार्यक्रमों को, उन जिलों में किसानों के लिए लाभ नहीं मिलता है। मेरा पहला सुझाव तो, सभापति महोदया, यह है कि जितने भी जिले राजस्थान के अन्दर हैं, जितने भी क्षेत्र राजस्थान के अन्दर हैं, जहां पर कि सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हैं, जहां पर कृषि सिंचाई से गारन्टेड नहीं हैं, वहां उन सभी क्षेत्रों में यह कार्यक्रम होना चाहिये। जैसा कि आपसे निवेदन कर रहा था कि जितना राज्य सरकार प्रावधान करती है, बजट में, उतना पैसा खर्च नहीं हो पाता उसके लिए आवश्यकता इस बात की हो रही है कि अभी

(श्री हरिसिंह)

तक राजस्थान सरकार ने इस मामले को सुपरवाइज करने के लिए कोई अलग से डायरेक्टोरेट नहीं है। जिलों के अन्दर तो यह कार्यक्रम जो जिला विकास अभिकरण है और जिसका अध्यक्ष जिलाधीश होता है, वह देखता है किन्तु राजस्थान के ऊपर कोई भी अथारिटी इस प्रकार की नहीं है जो इसे समुचित रूप से चला सके। तो मेरा सुझाव यह है कि इसके लिए अलग से डायरेक्टोरेट स्थापित किया जाना चाहिये, जो सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सुपरवाइज कर सके। इसके अतिरिक्त जिलाधीश महोदय को भी इतना समय नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास में और कई एक्टीविटीज हैं, लॉ एण्ड आर्डर की समस्या रहती है और भी अनेक समस्यायें उनके पास रहती हैं जिनके कारण से वह इतने महत्वशाली कार्यक्रम के लिए, जितना समय उन्हें देना चाहिये, नहीं देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रत्येक जिले के अन्दर कोई खास तौर से अधिकारी इस बात के लिए जिम्मेदार बनाना चाहिये जो इस कार्यक्रम की गतिविधियों को देखता रहे। इसके अतिरिक्त मैं आपसे आगे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ भरतपुर जिले का कुम्हेर क्षेत्र; उस क्षेत्र के अन्दर कोई भी पेरेनियल सोर्स आफ इरिगेशन नहीं है, कोई भी नहर नहीं है, कोई भी सिंचाई के साधन नहीं हैं और वहां पर बारानी कल्टीवेशन होती है इस प्रकार के कल्टीवेशन के लिए जरूरत इस बात की है कि वैज्ञानिक तरीकों से अन्वेषण करके इस प्रकार की वहां पर गतिविधियां चलायी जावें ताकि किसी प्रकार ड्राई फार्मिंग किसानों के हित में हो सके। ऐसे बीज निकाले जायें जिससे कि बारानी जमीन में, जिस किसी जमीन में पानी न हो, वहां पर किसानों के लिए इतनी पैदावार हो सके कि वह अपना जीवन-यापन कर सकें।

इसके अतिरिक्त, आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल के बजट में जो प्रोविजन है और जो गत वर्षों के प्रोविजन थे, वह प्रति वर्ष इस कार्यक्रम पर कम होता जाता है। 1978-79 में 13.66 का प्रावधान रखा गया था, उसके बाद 79-80 में 11.50 करोड़ रह गया। उसे और घटाकर इस वर्ष, आदरणीय सभापति महोदया, 10.80 करोड़ ही इसमें रखा गया है। तो यह कार्यक्रम इतना महत्वशाली है कि इसको बढ़ाने की आवश्यकता है लेकिन बजट में निरन्तर कमी होती चली जा रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से, आपके माध्यम से, सभापति महोदया, पहली बात तो यह है कि इसमें अधिक धनराशि रखने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि इस कार्यक्रम को राजस्थान के पूरे जिलों में और दूसरी तहसीलों में पहुंचा कर जहां पर सिंचाई का पेरेनियल सोर्स आफ इरिगेशन नहीं है वहां पर भी पहुंचा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जिलों के अन्दर एक खास अधिकारी इस बात के लिए जिम्मेदार रखना चाहिए।

जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री गोपाल पचेरवाल!

(अनुपस्थित)

जनता पार्टी की ओर से एक नाम आया है, श्री उम्मेदसिंह।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) : माननीय सभापति महोदया, मैं कटौती प्रस्तावों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सड़कें हैं, कोलिया, झुनझुना, खरेश, खोजास और तोसीना सड़क, ये बरसात में टूट जाती हैं। इन रास्तों से काफी आना जाना पड़ता है। उन गांवों में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं होने से वहां पर लोगों की काफी मोतें हो जाती हैं। इस सड़क पर दो कस्बे ऐसे हैं जो सरकार को आठ लाख रुपया टैक्स में देते हैं एक साल में फिर भी आज तक भी इस सड़क का कार्य पूरा नहीं किया गया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सड़क को शीघ्रातिशीघ्र बनवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। कोआपरेटिव की जो वसूलियां किसानों से हो रही हैं सरकार उनको भी स्थगित कराये जब तक नई फसल नहीं आ जाती है। अभी मेरे क्षेत्र में बाढ़ से भी बाठडी, साजू, लोरोली गांवों में खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है, किन्तु किसानों को सरकार की ओर से किसी प्रकार की रिलीफ नहीं मिला है। जो भी फेमिन रिलीफ के कार्य हो रहे थे वे भी सरकार ने बन्द करवा दिए हैं। जो पहले के अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करवाया जावे, यही सरकार से मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी !

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदया, राजस्थान में हर दूसरे और तीसरे वर्ष अकाल की स्थिति बनी रहती है। राजस्थान की अर्थ व्यवस्था पर अकाल हमेशा कु-प्रभाव डालता है। इस विधान सभा में कई अन्य अवसरों पर अंग्रेजों, सामंतशाही के समय बने हुए फेमिन कोड को बदलने की बात आती रही है परन्तु इस दिशा में कोई कारगर प्रगति नहीं हुई। इसलिए अकाल के कार्यक्रम को गांवों में चलाने में कई प्रकार की कठिनाइयां और कानूनी बाधायें आती हैं। मैं सर्वप्रथम तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल संहिता में बहुत बड़े परिवर्तन की मांग हमेशा आती रही है उस दिशा में मंत्री महोदय विशेष तौर से ध्यान दें।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल हमेशा दूसरे तीसरे वर्ष राजस्थान में पड़ते हैं यह निश्चित बात है। इसलिए कोई मास्टर प्लान और योजनाबद्ध कार्यक्रम हर क्षेत्र के लिए बना लेना चाहिए। उसके सर्वेक्षण वगैरह निरन्तर होते रहें ताकि यह कार्यक्रम ठीक प्रकार से चल सके। मेरी यह मान्यता है कि राजस्थान में अकाल पर, राहत कार्यों पर जितना खर्चा होता है, उसका यूटिलाइजेशन देखें, उसका सही ढंग से प्रयोग देखें तो बहुत बड़ी राशि का व्यय होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान में एक मास्टर प्लान और योजनाबद्ध कार्यक्रम बना कर रखें ताकि जब भी अकाल पड़े तत्काल उस आधार पर कार्यक्रम लागू हो जावे जिससे अपव्यय और दूसरी प्रकार की बातें, जो आम तौर से सामने आती रहती हैं, नहीं हों।

मेरे दोनों मांगों पर बोलने के लिए कटौती प्रस्ताव हैं इसलिए सीमित ही बोलने का प्रयास करूंगा। डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम राजस्थान के कुछ जिलों में लागू है और कुछ में नहीं है। मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले में पिछले दस सालों का रिकार्ड देख लें, दस सालों में से छः सात वर्ष अकाल

(श्री रतनलाल ताम्बी)

की चपेट में भीलवाड़ा जिला रहा है। इसलिए भीलवाड़ा जिले में डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम की योजना लागू की जाय, ऐसी मेरी मांग है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे-छोटे सिंचाई के कार्य, एनीकट तालाब आदि के काम लिए जावें। इसके साथ-साथ यह भी है कि जब भी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ हुए हैं तो वे लगभग अधूरे रहे हैं, कभी पूरे नहीं होते। उनको पूरा कराने का कार्यक्रम नहीं है यह स्थिति और भी खराब है। इसलिए इस ओर भी ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है।

बाढ़ की स्थिति राजस्थान में कई हिस्सों में होती है। अलग-अलग समस्यायें हैं अपनी अपनी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष जुलाई, 1979 में जहाजपुर नगर में स्थित बिलकुल नगर के ऊपर जो नागरी बांध है वह बांध, मैं समझता हूं, रात्रि के वक्त टूटा। अगर वह बांध दिन के वक्त में टूटता तो सैकड़ों महिलायें और व्यक्ति मर जाते। लगभग तीन चार लाख का नुकसान हुआ था। उस नुकसान को न तो पूरी तरह से कूंता ही गया और न कोई जांच ही हुई। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री कई दिनों बाद वहां जनता की निरन्तर मांग पर पहुंचे। उन्होंने थोड़ा बहुत देखा और कह दिया कि मैंने अधिकारियों को कह दिया है वे देख लेंगे। लेकिन आज तक उस बांध को देखा नहीं गया। मेरी राज्य सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से मांग है कि गत वर्ष जुलाई में नागदी बांध के टूटने से काफी नुकसान हुआ, देवस्थान, कई धर्मालय कई देवालय, कई कुए, डोलियां, खेत और मकान नष्ट हो गए। एक व्यक्ति भी मर गया। इस सारे मामले की जांच करायें और जांच करा कर प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने की बात आप करें, यह मेरी मांग है। उस क्षेत्र में इस बात को लेकर लोगों में बड़ा रोष और घोर असंतोष है।

इसके साथ-साथ अकाल राहत कार्यों के बारे में मेरा निवेदन है कि अभी बरसात नहीं हुई है, तालाब पूरे भरे नहीं हैं और लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए राहत कार्य 30 सितम्बर, तक चालू रखा जाना बहुत आवश्यक है। जब तक फसलें हाथों में नहीं आयेंगी तब तक लोग भूखे मर सकते हैं, इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए 30 सितम्बर तक अकाल राहत कार्य जारी रखने की मेरी राज्य सरकार से और मंत्री महोदय से मांग है।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि अकाल और बाढ़ राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। कभी बहुत बाढ़ आती है और कभी बहुत अकाल पड़ता है। इसके लिए एक स्थायी कोष, अकाल कोष की स्थापना की जावे जिसके जरिये से जब भी यह स्थिति आए लोगों को समय पर राहत मिल सके। इसके साथ ही मेरी यह भी मांग है कि राजस्थान में अभी जो काम चल रहे हैं, उनका भुगतान भी कई हिस्सों में तीन-चार महीनों से नहीं हुआ है। हमारे इलाके में भी दो तीन महीनों से भुगतान नहीं हुआ है। गेहूं नहीं पहुंचा है। इस दृष्टि से भी ध्यान दिया जाकर भुगतान जल्दी से जल्दी हो, इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

काम के बदले अनाज के मामले की बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन कामों

(श्री रतनलाल ताम्बी)

का भी कोई तकनीकी सर्वेक्षण नहीं हुआ और काफी अस्त व्यस्त ढंग से ये काम चले हैं। स्थायी कार्य नहीं हुए। पिछली सरकार के ये बंधु कहते हैं कि काम के बदले अनाज से हमने कायाकल्प गांवों में किया है। कई सड़कों पर मिट्टी डाल दी जो बरसात में बहती चली गई। पक्के काम होना इस दिशा में बहुत जरूरी है। मेरा निवेदन है कि इन कामों को पक्का करें, यह गांवों के लिए बहुत आवश्यक है। आप हर क्षेत्र में सर्वेक्षण करा कर इन कामों को महत्व देंगे। साथ ही काम के बदले अनाज योजना में काफी घपले-बाजी और घोटालेबाजी जगह-जगह पर हुई है उनकी ओर आप विशेष तौर से ध्यान देकर इस कार्यक्रम को बहुत व्यवस्थित ढंग से, योजनाबद्ध ढंग से गांवों में लागू करें ताकि स्थायी नेचर के काम हों और लोगों को राहत मिले। कई शिक्षण संस्थायें टूटी फूटी हैं, कई स्कूल भवन नहीं हैं, औषधालय नहीं हैं, कहीं बस स्टेंड नहीं है, कई दूसरे प्रकार के काम गांवों में नहीं हुए हैं। आप विशेष तौर से पंचायत समितियों को और जिला परिषदों को इन्वाल्व करके अधिक से अधिक काम चलायें ताकि काम अधिक गति से चलें, ठीक प्रकार से चलें। विकास के जो कार्य गांवों में आवश्यक हैं वह इस योजना के जरिये पूरे हों इस दिशा में आपका ध्यान जावे यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

एक अंतिम बात आपको यह कहना चाहूंगा कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के मामले में जैसा निवेदन किया था, उसको मैं वापस रिपोर्ट कर रहा हूं कि जहाजपुर के नागदी बांध जुलाई, 79 में टूटने से बहुत बड़ी प्रलयंकारी क्षति हुई थी उसमें एक व्यक्ति मरा था। ऐसे समय में बांध टूटा जब कि लोग आम तौर पर और विशेष रूप से महिलायें नहाती हैं, स्नान घाट है वहां पर नहाती हैं। इसकी जांच करायें और ऐसे लोगों को राहत देने की बात सोचें। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : कटौती प्रस्तावों में एक कामरेड और श्री रामकंवार बैरवा के नाम नहीं हैं, इसलिये मैं इजाजत नहीं दूंगी।

श्री त्रिलोकसिंह : नहीं, मैंने लिखा है।

श्री सभापति : कटौती प्रस्ताव में आपने नहीं लिखा है।

श्री त्रिलोकसिंह : मेरी पार्टी का नाम है।

श्री सभापति : मैं बाद में आपको वक्त दे दूंगी। आपने कटौती प्रस्ताव में नहीं लिखा है।

श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, हमारे ....

श्री सभापति : टाइम का ध्यान रखना है।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, हमारे देश में पहले ही गरीबी है, लेकिन वह गरीबी और बढ़ जाती है जब प्राकृतिक विपदाएं बार-बार हमारे ऊपर आती हैं। राजस्थान के, अभी-अभी संसद में जो नये आंकड़े प्राप्त हुए हैं गरीबी की रेखा से नीचे के, उनमें

(श्री नाथूसिंह)

हमारे प्लानिंग मिनिस्टर साहब श्री एन. डी. तिवाड़ी जी ने बताया है कि 306 मिलियन व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे हैं। पहला नम्बर बिहार का है एवं दूसरा नम्बर राजस्थान का है। इस गरीब प्रदेश में कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी अकाल इस तरह की परिस्थितियां होती रहती हैं। लेकिन दुःख की बात यह है कि इन परिस्थितियों से निबटने के लिये आज तक कोई स्थायी हल नहीं निकाला है।

सभापति महोदया, जितना पैसा इन चीजों पर खर्च किया गया, उसका ठीक ढंग से सद्उपयोग नहीं किया गया है। इस वर्ष भी जो बजट में प्रावधान रखा गया है, वह बहुत कम है।

सभापति महोदया, दुर्भाग्य यह है कि इतने साल पश्चात् भी, जब कि हर वर्ष यह समस्याएं आती हैं, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में आज भी पिछले तीन महीने से यह स्थिति हुई है। अकाल के कारण लोगों को पेड़ों की छाल खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। मवेशियों को छोड़ दिया गया है। मवेशी बाहर निकल रहे हैं। प्रदेश को छोड़ कर जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इन परिस्थितियों का आज तक कोई स्थायी हल नहीं निकाला गया। पिछले कई वर्षों से इस समस्या के चलते रहने के बावजूद आज तक इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जितनी चालू योजनाएं हैं, अकाल राहत कार्य, पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर लेने योग्य कार्यों की कोई एकीकृत सूची नहीं बनायी है।

इतना ही नहीं, जो फेमिन कोड बना है, वह पुराना है। नया कोड नहीं बना है। सरकारी प्रवक्ताओं ने पुराने कोड को समयानुकूल नहीं माना है, इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जो सरकार ने इस वर्ष बजट में प्रावधान रखा है, वह बहुत कम है।

(5.41 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

दोनों कह देता हूं महोदय प्लस महोदया।

सभापति महोदय, कुल जो इस बार एक्सपेन्डीचर होगा, 80-81 में वह 59.26 करोड़ रुपया आंका गया है। पांच करोड़ इसमें से मार्जिन मनी का निकाल दीजिये, 54 करोड़ बच जाता है। 16 करोड़ रुपया सैन्ट्रल असिस्टेन्स के रूप में हमको मिलेगा फिर भी करीब 38.21 करोड़ रुपया और इसके लिये खर्च करना पड़ेगा। 10 करोड़ रुपया आलरेडी बकाया देना है, इस तरह से मिलाकर कुल 48 करोड़ रुपया आता है। लेकिन जो बजट में प्रावधान रखा है, वह प्रावधान केवल 29.42 करोड़ रुपये का रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आता इस समस्या का समाधान कैसे होगा? इससे कैसे निपटेंगे। सभापति महोदय, इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में फेल हो जायेगी, सफल नहीं हो पायेगी, कुछ अधिक राहत जनता को नहीं दे पायेगी। इसलिये सरकार को कुछ करना चाहिये।

आज तक, सभापति महोदय, जब-जब अकाल पड़ा उस पर जो पैसा खर्च किया गया है, उसके कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। अकाल राहत पर कुल व्यय, 63-64 में 1.26 लाख, 64-65 में 4.16 लाख, 65-66 में 1.12 लाख, 66-67 में

(श्री नाथूसिंह)
12.17 लाख, 67-68 में 7.81 लाख, 68-69 में 13.21 लाख, 69-70 में 63.12 लाख, 70-71 में 49.70 लाख, 71-72 में 1.48 लाख और 72-73 में 10.24 लाख, 73-74 में 46.42 लाख, 74-75 में 2.55 लाख, 75-76 में 9 लाख. . .

एक माननीय सदस्य : करोड़ों में है।

श्री नाथूसिंह : नहीं, लाखों में है। 76-77 में 71 लाख, 77-78 में 42 लाख कुल मिलाकर। मैं यह आंकड़े इसलिए देना चाहता हूं, जो खर्चा हुआ कुल मिलकर 63 से लेकर 78 तक अकाल राहत पर खर्चा हुआ 223 करोड़ 45 लाख का। इसमें से अलग-अलग बताना चाहूं तो पेयजल व्यवस्था पर 12.45 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, पशु संरक्षण व चारा व्यवस्था पर 6.48 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, नकद अनुदानों पर 8.77 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और राहत कार्य पर कुल 175.24 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अकाल राहत कार्यों पर अभी तक कुल मिलाकर 175 करोड़ रुपया खर्च होने के पश्चात् भी परमानेन्ट असेट्स हमारे पास कुछ भी नहीं हैं। परमानेन्ट व्यवस्था कुछ नहीं कर पाये हैं। तो जितना अकाल राहत कार्यों पर पैसा खर्च किया है उसके परमानेन्ट असेट्स आज भी हमारे पास नहीं हैं। सभापति महोदय, इसका कारण यह है कि हर वर्ष बहुत सारा पैसा खर्च होता है लेकिन उसका उपयोग आने वाले वर्ष में बिल्कुल नहीं हो पाता है। मेरा निवेदन है कि जितना खर्च किया जाता है उससे कोई परमानेन्ट व्यवस्था की जाती तो जो पैसा पहले खर्च किया गया है, 175 करोड़, वह अब काम आ सकता था। लेकिन सरकार की सूझबूझ नहीं थी कि वह ऐसा करे, इस कारण यह स्थिति हुई है। इतना पैसा खर्च हो गया, लेकिन व्यवस्था के नाम पर नये सिरे से सोच रहे हैं। इस मामले से निपटने के लिए हमें फिर से पैसा खर्च करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, इन परिस्थितियों में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जितना पैसा खर्च होगा, पूरा का पूरा जैसा मैंने बताया, 48 करोड़ के करीब की आवश्यकता है, उसमें से 19 करोड़ का प्रावधान आपने बजट में किया है, बाकी पैसा कहां से लायेंगे। उसका एक तरीका है, आप केन्द्र के पास जायें। जैसा कि पहले भी, सभापति महोदय, एक पत्र राजस्थान सरकार, बिहार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, इन सरकारों ने मिलकर केन्द्र सरकार को लिखा था उस समय चीफ मिनिस्टर बिहार, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, चीफ मिनिस्टर एम.पी., चीफ मिनिस्टर राजस्थान सब ने मिलकर राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था और मांग की थी कि प्राकृतिक अपदाओं और अकाल से बचने के लिए कोई ऐसी स्थायी व्यवस्था की जाये कि राज्य को संरक्षण दिया जाये। उन्होंने दो मुख्य मांगे रखीं, कुल पांच मांगे थीं जो दो मुख्य थीं, वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है;

"The Government of India should provide adequate finanoial assistance to the State Governments under the second part of the recommendation of the 7th Finance Commission."

(श्री नाथूसिंह)

सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन का जो सैकण्ड पार्ट है, उसकी रिकमन्डेशन के अनुसार केन्द्र सरकार को चाहिये कि स्टेट को फाइनेन्शियल असिस्टेन्स दे। दूसरी उन्होंने मांग यह की कि फइनेन्शियल असिस्टेन्स दी जाये राज्य सरकारों को वह ग्रान्ट-इन-एड में बदल दी जाये। इसके लिये संविधान का सहारा लिया है। दूसरी मांग उन्होंने की है,

"The entire Central assistance should be available as grant-in-aid under Article 282 of the Constitution. . . . .'

आर्टिकल 282 कहता है –

"The Union or State may make any grants for any public purpose, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which Parliament or the Legislature of the State, as the case may be, may make laws."

तो, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस संविधान में भी ऐसा प्रोविजन है कि जो असिस्टेंस राज्यों को दी जाती है उसको ग्रान्ट-इन-एड में बदला जा सकता है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में भी ऐसी रिकमण्डेशन्स हैं। सरकारों को चाहिए कि रिकमण्डेशन के आधार पर केन्द्र के पास जायें, दबाव डालें। हम भी सहयोग देने को तैयार हैं लेकिन सरकार इस बारे में मुझे लगता है कि कोई कदम नहीं उठा रही है। अगर उठा रही है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे हमें अवगत करावें कि सरकार क्या कदम उठा रही है और आगे क्या कदम उठाने वाली है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस बारे में इतनी असिस्टेंस, ग्रान्ट-इन-एड यदि सरकार न दे तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार से आग्रह करे कि जो अकाल और प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचने के लिये केन्द्र को चाहिये कि फ्लड कन्ट्रोल सैन्टर का सब्जेक्ट बनाया जाय, केन्द्रीय विषय में इसको लिया जाय। इस बारे में मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, जो श्री केदार पाण्डे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी सहमति प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि फ्लड कन्ट्रोल सैन्टर का सब्जेक्ट होना चाहिये। इस बारे में उनका यह भी कहना है कि श्रीमती गांधी भी चाहती हैं कि ऐसा होना चाहिये। मैं इसे पढ़ कर आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं-Times of India dated 23rd July, 1980 :—

"The Irrigation Minister, Mr. Kedar Pandey today agreed with a Member in the Look Sabha that flood control should be made a Central subject."

यह उन्होंने एग्री किया है। आगे उन्होंने कहा है-

"According to him the present arrangement was the cause of many inter-state disputes and delay in the implementation of flood control schemes."

आगे उन्होंने कहा है- "Mr. Pandey said, the Prime Minister had given a favourable response to his suggestion."

(130)

(श्री नाथूसिंह)

यह उन्होंने कहा है। तो जब इस बात से इरिगेशन मिनिस्टर तैयार हैं, सहमत हैं, प्रधान मन्त्री भी सहमत हैं तो राज्य सरकार थोड़ा सा भी इस बारे में कदम उठावे, थोड़ी सी जागरूक रहे, रिकमण्डेशन्स भेजे, पीछे लगी रहे, बार-बार कहती रहे, दूसरे राज्यों को सहमत करे और जोइन्ट रूप से मिल कर केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले तो मैं कहता हूं केन्द्रीय सरकार इसकी स्वीकृति दे देगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि केन्द्रीय सरकार पहले से ही इस बात को मानती है।

इसी तरह से एक और निवेदन करना चाहता हूं। छठा वित्त आयोग था उसने भी कहा है कि स्टेट्स को जितना पैसा दिया गया, राज्यों ने उस पैसे का दुरुपयोग किया। उन्होंने परमानेंट असेट्स बनाये नहीं, परमानेंट स्कीम बनाई नहीं, ठीक तरह से उपाय किये नहीं। अकाल राहत कार्यों के लिये साधन दिये गये, पैसा दिया गया उसका दुरुपयोग किया। छठे वित्त आयोग ने इसके बारे में उल्लेख किया वह मैं पढ़ कर आपकी सेवा में निवेदन करना चाहूंगा–

"It is our distinct impression that there has been a good deal of avoidable waste in the expenditure incurred in the name of draught relief and also that with better planning and organisation, more enduring benefits could have been secured."

आगे लिखा है–

"What is most disturbing is that a good deal of relief expenditure has been incurred on schemes formulated in hurry which turn out to be largely unproductive without any appreciable effect on the permanent improvement of the areas prone to draught or floods."

आगे उन्होंने, सभापति महोदय, लिखा है–

"However, the practice envisaged in these Codes of keeping ready a list of works to be taken up for execution as relief programmes appears to have fallen into dis-use in many States. The result is that in an emergency relief works are in many cases taken up on ad-hoc basis."

एडहाक बेसिस उन्होंने लिखा है––

". . with inadequate attention to their long term utility."

तो, सभापति महोदय, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कोई भी परमानेंट असेट्स नहीं बनाये जाते, परमानेन्ट कोई हल नहीं निकाला जाता। एडहॉक बेसिस पर हल ढूंढे जाते हैं। समस्या बनी ही रहती है। वित्त आयोग ने सुझाव दिया है। उसने कहा है––

"We suggest that a detailed programme of both medium and long term significance for permanent improvement of the areas liable to

(श्री नाथूसिंह)

draught and flood should be drawn up with the utmost urgency of these programmes fully integrated with the Plan. These schemes prepared in advance and arranged in suitable order of priority can be taken up for implementation as soon as a natural calamity actually strikes a State."

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : एक मिनट, माननीय सदस्य, आपने 20 मिनट से अधिक समय ले लिया है। आप अपने दल के समय को ध्यान में रखकर बोलें, अन्यथा आपके अन्य सदस्य वंचित रह जायेंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : दो मिनट में समाप्त करता हूं।

आगे लिखा है—

"The need for the hour is of a massive time bound programme of the action which aims at substantially reducing, if not eliminating completely, the vulnerability of the draught and flood prone areas to these calamities."

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपस में बात न करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : तो, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने सुझाव दिया है कि इस तरह की आपदायें आने के पहले उनके बारे में सावधान रहा जाय, पहले तैयारी रखी जाय, स्थाई हल निकाला जाय और वह इस तरह का हो कि पैसा लगता है उसका आगे जाकर सदुपयोग हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार इस बारे में जो भी कार्यक्रम हों उनको ले। मैं मानता हूं कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। इसके लिये प्रयास किये जायें। 48 करोड़ का खर्चा आपके सामने आयेगा उसको किस तरह से पूरा करेंगे? केन्द्र पर दबाव डाल कर या केन्द्रीय विषय बनवाकर। अब आप जो अकाल राहत कार्य में इस तरह की योजना ला रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं, उनका स्थाई हल निकालें, परमानेन्ट असेट्स हों, इस प्रकार का कार्यक्रम करें।

इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत भी आती है, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं इन मामलों को विशेष रूप से सख्ती से निपटावें, उनकी जांच करायें और आगे के लिए एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनायें ताकि समस्या का स्थाई हल हो जाय। हर वर्ष सूखा पड़ता है तो जब आग लगती है तब कुआ खोदना शुरू करते हैं। इसका स्थाई हल निकालने के लिए एक कमेटी बनावें जो इसके बारे में विचार करे, सुझाव दे। अच्छी तरह से टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बना कर पूरा करें।

इसके अलावा थोड़ा सा मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र ही नहीं, जमवा रामगढ़ से बाण गंगा निकलती है उसमें जब भी बरसात होती है, बहुत जोरदार पानी आता है। वह सारे का सारा

(श्री नाथूसिंह)
खेती को नष्ट करता है। इसलिए मैं सुझाव देता हूं इस अकाल राहत कार्य के समय इस पर एक बड़ा बांध या कोई ऐसी योजना, जिससे पानी फैल नहीं पाये, इस प्रकार का कार्यक्रम हाथ में ले ताकि उन लोगों को नुकसान न हो।

मैं अन्त में विश्वास करता हूं कि सरकार इस बारे में कदम उठायेगी और स्थाई हल ढूंढेगी।

धन्यवाद।

श्री बिहारीलाल (माण्डल) : माननीय सभापति महोदय, मैंने मांग संख्या 28 और 34 पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं और इन दोनों विषयों पर निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में भीलवाड़ा एक जिला है जिसमें 11 तहसीलें हैं। मैं जहां से चुन कर आया हूं वह मांण्डल विधान सभा क्षेत्र है जो दो तहसीलों में बंटा हुआ है। इसमें कुल 46 पंचायतें और एक नगरपालिका है। मैं पहले मांग संख्या 28 पर निवेदन कर रहा हूं। अकाल राहत की जो स्थिति रही है वह मैं निवेदन करूं कि भगवान के कोप से भीलवाड़ा जिले में बराबर अकाल पड़ता रहा है। 30 साल में जो राज बदला, जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया और ढाई साल के करीब इनका राज रहा। इन्होंने सबसे पहले पंचायतों के चुनाव कराये। मैं भी जनता के आशीर्वाद से वहां की पंचायत का सरपंच बना। सबसे पहले इन्होंने अनाज योजना शुरू की। अनाज योजना में दो तहसीलों के बीच में, तीन तहसीलों के बीच में एक ओवरसीयर रखने का प्रावधान रखा गया जिससे इतनी अनियमितता हुई कि बगैर एस्टीमेट, बिना टैक्नीकल सैंक्शन के और प्रशासनिक स्वीकृति के सारे गांवों में काम हुए। काम के बदले अनाज योजना में एक गांव में 10,15,20 और कहीं तो एक भी काम नहीं हो सका। यह अनियमितता, गड़बड़ हुई। कहीं पर मस्टर रोल गलत बनाये गये। इनमें कई एक सरपंचों ने अनियमितता बरती है। मैं आपको निवेदन करूं कि जनता पार्टी का राज आ गया तो उन सरपंचों ने काफी अनियमितता बरती। स्थिति यह रही कि मस्टर रोल में हाजरी होती रही और काम नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे व्यवधान न डालें।

श्री बिहारीलाल : आप कृपा करके सुनें और वास्तविकता को मद्दे नजर रखें। उन्होंने तो यह समझ लिया कि यह सामन्तों का राज है। उन्होंने अभय होकर अनियमितता बरती। इसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ा और उन लोगों का पेमेंट बड़ी मुश्किल से हुआ। एक गांव में तो 11 महीने से पेमेन्ट नहीं हुआ है। 15–20 दिन पहले मैं उप मंत्री जी से मिला था जिनके जिम्मे 4-5 जिले हैं जिनमें एक भीलवाड़ा जिला भी है। मैंने अधिकारियों के समक्ष यह स्थिति रखी। मस्टर रोल में कच्ची हाजरी हुई। विकास अधिकारी को यह स्थिति बतायी। जनता रो रही है उनको पेमेन्ट आज दिन तक नहीं हुआ है···

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, ये कटौती प्रस्ताव पर नहीं बोल रहे हैं।··

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा, पहली दफा बोल रहे हैं। यह इनकी पहली स्पीच है। आप तो मंत्री रह चुके हैं। इस सदन की परम्परा रही है कि कोई माननीय सदस्य पहली दफा बोलते हैं तो उसमें कोई व्यवधान नहीं डालता है। आप बहुत योग्य हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार व्यवधान उपस्थित न करें। माननीय सदस्य आप जारी रखें।....

श्री बिहारीलाल : सभापति महोदय, दुर्भाग्य से वहां पर अकाल बराबर पड़ता रहा है। जो अनाज योजना थी वह अकाल राहत कार्य में बदल गयी। मैं निवेदन करूं कि 46 पंचायतें और एक नगरपालिका कुल 47 जगह हैं। फिर भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर अकाल राहत कार्य नहीं खुल सके। इसका कारण यह था कि वहां पर इन्होंने ओवरसीयर नहीं रखा। एस्टीमेट समय पर नहीं बन सके। स्थिति यह रही कि जो फायदा उन गांवों को मिलना चाहिए था वह अभी तक नहीं मिल सका है।

माननीय सभापति जी, जो कार्य अकाल राहत में खुले उनमें केवल 6 बड़ी सड़कें ली गई। मैं निवेदन करूं कि 46 पंचायतें हैं। इतनी लम्बी चौड़ी जगह है। वहां पर जनता इतनी गरीब है और अकाल की भीषण स्थिति है कि वहां की जनता तकलीफ में है। आपके जो अकाल राहत कार्य चल रहे थे उनको 31 तारीख से बंद कर दिया। मैं निवेदन करूं कि उन पंचायतों में आज की तारीख में 78 काम बाकी हैं। चूना, सीमेन्ट वहां पर मौजूद है और एकदम से वहां पर काम बंद हो गये हैं। इन स्थितियों में इतनी पंचायतों में केवल 78 काम चले थे। मैंने कई बार मंत्री महोदय को निवेदन किया है कि स्थिति बड़ी गम्भीर है। लोग बड़े परेशान हैं इसलिए आप वहां पर ज्यादा काम बढ़ाइये। मैंने वहां की जनता के माध्यम से वहां की स्थिति रखी है। हर रोड पर 50,30,40,15 आदमी काम कर रहे हैं। वे लास्ट स्टेज पर थे। बरसात का मौसम आ जाने पर भी वहां अकाल की छाया है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वहां के गांवों में अकाल की स्थिति बराबर पिछले तीन सालों से है। इसलिए वहां के लोग परेशान हैं। मंजदूरी के अलावा कोई चारा उनके सामने नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर जो रोड्स हैं उन पर कार्य चालू रखा जाए जब तक दूसरी काश्त न आ जाए ताकि वहां की जनता मजदूरी कर सके और अपने जीवन का निर्वाह कर सके। वहां के जो प्रपोजल्स बने हैं, वहां के अधिकारियों ने वे प्रपोजल्स राज्य सरकार को भेजे हैं परन्तु उनकी कोई स्वीकृति नहीं दी गई। यह प्रपोजल्स काफी समय पहले राज्य सरकार को भेज दिए गए थे। दुर्भाग्य इस बात का है कि राज्य सरकार का एक आदेश निकल गया कि 15 तारीख के प्रपोजल्स पास हों और उसके बाद किसी प्रपोजल्स की स्वीकृति नहीं दी जाए। दुर्भाग्य इस बात का है कि काफी समय पहले प्रपोजल्स दिए गए, उनको स्वीकृति न जाने से वहां पर कार्य होने से वंचित रह गए। मैं निवेदन करूंगा कि आज भी वहां पर अकाल है, अकाल की स्थिति है। इसलिए आप उन प्रपोजल्स की स्वीकृति प्रदान करेंगे तो मैं समझूंगा कि वहां की जनता को राहत मिलेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या आप समाप्त करेंगे ?

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री बिहारी लाल : सिर्फ 2-3 मिनट का समय दीजिये ।

श्री सभापति : अच्छी बात है ।

श्री बिहारी लाल : मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में एक पंचायत है उसमें करोड़ बांध जोड़ा जाने वाला है । देवगढ़ तहसील का एक वीढर तालाब पड़ता है । उस तालाब की अनियमितता के कारण उसका वैस वेरियर है उसको ऊंचा उठाने के कारण वहां जो रोड थी वह डूब गयी है, डूबने वाली है । वहां के सरपंच ने और मैंने जिलाधीश को काफी बार लिखा है कि इस तालाब का जो वैस वेरियर है उसको 2 फीट ही रखा जाये लेकिन उसको साढ़े तीन फीट कर रहे हैं जिससे रोड डूब रही है । मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करता हूं कि उस तालाब की वैस वेरियर को कम नहीं किया गया तो करीब 20-30 गांवों को जो रोड जाती है वह बंद हो जायेगी और उन गांवों को तकलीफ हो जायेगी । यह तालाब 73 में बना था और रोड उससे 6-7 साल पहले बनी थी । मैं अर्ज करूंगा कि अगर वैस वेरियर को कम कर दिया जाये तो वहां की जनता को लाभ मिलेगा । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय वैस वेरियर ने जो स्थिति पेश की है उसका ध्यान रखेंगे । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस पर अवश्य ध्यान देंगे और इस पर तवज्जह देंगे ।

इसके अलावा वहां के अधिकारी ने जो पांच स्कीम भेजी हैं वहां के विकास के लिए जो आपके पास भिजवायी हैं आप उस पर तवज्जह देंगे मैं चाहता हूं कि वहां का विकास हो ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आशा करता हूं कि अकाल राहत में ज्यादा पैसा देकर के स्कीम पास करके वहां का विकास करेंगे ।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : कुमारी पुष्पा । मैं आपको अध्यक्षीय व्यवस्था के अनुसार बोलने का अवसर दे रहा हूं । आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : मैंने कटौती प्रस्ताव दिये थे. . . .

श्री सभापति : माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है मुझे उसकी अनुपालना करनी है । आपको भी अवसर दूंगा ।

सुश्री पुष्पा जैन : अपने विषय से शायद कुछ विषयान्तर हो सकती हूं । मेरा स्थगन प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव दोनों ही साथ-साथ चलेंगे ।

मुझे यह समझ में नहीं आया कि मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार इस शासन काल में सूखा अकाल बाढ़ यह सब आया कैसे और चल भी कैसे रहा है । मुख्य मंत्री जी ने जैसा कि सदन में अपने वक्तव्य में कहा था कि उनकी पार्टी के लोग बड़ा धर्म करके, बड़ी तपस्या करके और बड़ी जनसेवा करके आये हैं फिर इस वर्ष यह विनाश लीला कैसे शुरू हो गयी है यहां पर . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री जी····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : ने वक्तव्य दिया था तब तो उनकी बात सच थी क्योंकि इससे पूर्व सरकार के सत्कर्मों का उन्होंने गलती से हवाला दे दिया था लेकिन उसके बाद उनके शासन में इतने पाप होने शुरू हो गये कि जिसके कारण से···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : इस साल जो सूखा और अकाल पड़ा, बाढ़ आयी बावजूद उसके मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन गरीब किसानों के मुख्य मंत्री बड़े रहनुमा बन कर आये थे, बड़े मेहरबां बन कर आयें थे उन लोगों को समय निकल जाने के बाद भी तकावी नहीं मिली और न उनको बीज मिला। मैं राजस्थान पत्रिका के 27-7-80 के वक्तव्य को पढ़कर सुना देना बहुत जरूरी समझती हूँ :

"सूखे के मारे किसानों को तकावी भी नहीं"

जयपुर 26 जुलाई। प्रदेश में भयंकर सूखे के मारे बहुत बड़ी संख्या में किसान इस वर्ष खरीफ की बुवाई के लिये तकावी नहीं मिलने से अपने खेतों को नहीं जोत सके। अब जब कि बुवाई का मौसम समाप्त भी हो चुका है। सरकार अपने स्रोतों से नहीं केन्द्र सरकार से तकावी के लिये रकम प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।

इस बार सूखे व बाढ़ के कारण जहां कर्जों की वसूली स्थगित की गई वहां किसान सरकारी कर्ज प्राप्त करने के भी अयोग्य हो गये। ऐसी स्थितियां पूर्व में भी आई हैं तब सरकार ने उन्हें तकावी बांटी है।

इस वर्ष कृषि विभाग ने इसी बात को ध्यान में रख कर मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव रखा था कि तकावी बांटने के लिए दस करोड़ रु. की रकम मंजूर की जाये। मंत्रिमंडल ने एक दो बार इस पर विचार भी किया और सहकारिता विभाग की राय भी इस पर मांगी। सहकारिता विभाग ने भी यह मंजूर किया कि तकावी दी जानी चाहिये पर उसका यह सुझाव था कि तकावी तहसीलदारों की मार्फत नहीं वंटवाकर सहकारी बैंकों की मार्फत वंटवाई जाये जो तकावी देने वाले लोगों के अलग से खाते खोलकर उसका हिसाब रखें।

मंत्रिमंडल में फिर इस बात पर विचार हुआ और अन्त में तकावी देने के प्रस्ताव को यह कहकर नामंजूर कर दिया गया है। जब कि अब बुवाई का मौसम खतम हो चुका है, तकावी देने से कोई फायदा नहीं है। पैसे की कमी भी इसका एक कारण बताया गया।

मंत्रिमंडल से प्रस्ताव नामंजूर होने के बाद कृषि विभाग ने अब केन्द्रीय कृषि मंत्री राव वीरेन्द्रसिंह को एक तार भेजकर उन्हें तकावी बांटने के लिये दस करोड़ रुपया राज्य सरकार को देने का आग्रह किया है।

(सुश्री पुष्पा जैन)

एक किसान को तकावी के रूप में एक हजार रुपया भी दिया जाता तो एक लाख किसानों को इसका फायदा हो सकता था।

सभापति महोदय, यह हाल है इस सरकार का जो किसानों और गरीब तबकों की अपने आपको बड़ी मददगार कहलाती है।

सभापति महोदय, मैं आपका बाढ़ की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगी, जो भयंकर बाढ़ इस समय चल रही है उसको देखने के बाद दिल कांप उठता है। सड़कें टूट गयी हैं। रास्ते बंद हो गये हैं। ऐसी स्थिति में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि न तो सरकारी तहसीलदार मिल रहा है और न पटवारी मिल रहा है। ऐसी व्यवस्था हो गयी है इस सरकार की स्थानान्तरण के कारण कि कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। अगर हम अधिकारी के पास जायें तो वह कहते हैं, माननीय सदस्या, हम क्या कर सकते हैं पलां का स्थानान्तरण हो गया है ? दूसरा आदमी आते ही भेज देंगे। जो भयंकर हालत हैं उस ओर ध्यान देना चाहिये। इसके कारण से सारे काम रुके हुये हैं। ऐसे समय में स्थानान्तरण करने की बात समझ में नहीं आयी। मैं समझ नहीं पायी कि इस तरह सरकार कैसे गरीबों की रहनुमा कहलाना चाहती है। माननीय सभापति महोदय, बड़े अफसोस के साथ इस बात को बार बार कहना पड़ता है कि ऐसी सरकार को गरीबों की रहनुमा कहलाने का कोई हक नहीं है। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहूँगी कि····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, हमने तो सुना था शताब्दियों के बाद ऐसा इन्सान मुख्य मंत्री बन कर आ रहा है जो वास्तव में गरीबों का मददगार कहलायेगा। लेकिन····

(व्यवधान)

लेकिन खेद के साथ मुझे खास तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी व उनके साथियों के लिये कहना पड़ रहा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज। वह आपको समझ में नहीं आयेगा।

सुश्री पुष्पा जैन : बेहतर तो यह होता कि मुख्य मंत्री जी स्वयं यहां आसीन होते, और सुनते और गौर करते। पर कोई अफसोस नहीं। माननीय सचेतक महोदय और माननीय अकाल मंत्रीजी यहां बैठे हैं। मैं समझती हूं कि उनके माध्यम से यह बात मुख्य मंत्रीजी तक जरूर पहुंच जायेगी।

'बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का
जो काटा तो कतरा-ए इक बूंद निकला'

श्री सभापति : आप अब समाप्त करें। आपकी बात को देख लेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं आपके माध्यम से··

(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज :

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, शेर इतना अच्छा था कि समझ में नहीं आया। फिर सुनाया जाये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को शायद यह पता नहीं है कि यह शेर उनकी तारीफ में नहीं कहा गया है बल्कि उनकी सरकार की नाकाबलियत पर कहा गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र में सूखा और अकाल के बारे में...

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज !

सुश्री पुष्पा जैन : मेरे तकावी और अकाल राहत के बारे में कटौती प्रस्ताव हैं। मैं निवेदन करूंगी कि यह सरकार बहुत शीघ्र ही यह व्यवस्था करें, समय पर पटवारी मिल सकें, समय पर गिरदावर मिल सकें ताकि गरीबों की समय पर मदद की जा सके। यही एक अच्छी सरकार का लक्ष्य होना चाहिए।

श्री सभापति : श्री छोगाराम !

(व्यवधान)

आपस में बातचीत नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री छोगाराम बाकोलिया (रेवदर) : माननीय सभापति महोदय, सिरोही जिले में प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित लोग रहते हैं उनको राहत दिलाई जा सकती है। सिरोही जिले में नदियां प्रचुर मात्रा में बहती रहती हैं। माउण्ट आबू होने के कारण सबसे अधिक वर्षा होती है। नदियों के प्रचुर मात्रा में बहने से बाढ़ आ जाती है। जो एग्रीकल्चर फार्म हैं, वह बह जाते हैं। नदियां बहने के कारण कोई बांध आदि बनाने की योजना तुरन्त नहीं की गई है। इसके लिए मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। ज्यादा नदियां बहने के कारण वहां टमाटर की खेती ज्यादा होती है। टमाटर की खेती सीजनल नहीं होने से और वर्षा और नदियों के बहाव से जो खेती का माध्यम होता है वह बह जाता है। इससे जो गरीब लोग टमाटर की खेती करते हैं, उनको बहुत हानि हो जाती है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, जो लोग नदियों के किनारे बसे होते हैं, वह टमाटर की खेती करते हैं उनको राहत दिलाने के लिए हर प्रकार की मदद देने का प्रयत्न करें।

इसके अलावा मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि अधिक नदियां बहने के कारण सिरोही जिले में डैम्स बनाने, एनीकट बनाने, वासका, आंगली खेड़ा, कार्य जो रेवदर के हैं, का कार्य चल रहा है उन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाय तथा उड़वारिया व सैलवाड़ा बांध की स्कीम भी फाइनेन्शियल सैंक्शन के लिए पड़ी हुई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनको तुरन्त लिया जाये ताकि प्रचुर मात्रा में जो नदियां बहती हैं, उनको रोका जा सके। इससे जिले को काफी फायदा हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि डैम्स बनाये जायेंगे तो आसपास के इलाके हरे-भरे हो सकते हैं।

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

इसके अलावा आसपास ज्यादा नदियां चलने से सड़क टूट जाती है इससे आवागमन के रास्ते बन्द हो जाते हैं । इसके कारण भटाना, सीलघर, आदि कट हो जाते हैं । कई गांवों के रास्ते बन्द हो जाते हैं । उन सड़कों पर नालों की व्यवस्था कराई जाये ।

बाढ़ के कारण कई प्रकार से मिट्टी बह जाती है । मिट्टी बहाव में चली जाती है और रेत आ जाती है । इससे भी खेती को बहुत नुकसान हो जाता है । वहां के रहने वाले गरीब किसान आदमी हैं । वह ट्राइबल एरिया में वहां रहते हैं तथा उनकी लैण्ड होल्डिंग कम होती है । उसमें से आधी जमीन बहाव में चली जाती है । ऐसी हालत में उन फार्मर्स को तुरन्त राहत पहुंचाई जाये । दूसरी जगह जहां कटाव नहीं हो, वहां जमीन अलॉट की जाये । इसके अलावा ज्यादा बरसात के कारण से आस पास के एरिया में बाढ़ आ जाती है । तो मैं निवेदन करूंगा कि माउण्ट आबू में कई स्कीमें सर्वे हो चुकी हैं । मिनीहाईडल पावर 1.5 मेगावाट की है जिसमें चार डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इरिगेशन, फिशरीज डिपार्टमेंट और टूरिस्ट डिपार्टमेंट इससे जो उनकी तलहटी में गांव हैं, वह बाढ़ में नहीं आयेंगे । टूरिस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से सौन्दर्य के रूप में आगे ला सकते हैं । टूरिस्ट पाइन्ट और अच्छा बना सकते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा निवेदन है कि इन स्कीमों को तुरन्त लिया जाये । इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां पर आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं । ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग जंगलों में झौंपड़ों में रहते हैं । बम्बू के टकराने से वहां आग लग जाती है । ट्राइबल लोग बहुत अकालग्रस्त हो जाते हैं । उन सब को राहत पहुंचाई जाये । मेडिकल एड पहुंचाई जाये । हर तरह से राहत पहुंचाई जाये । इसके अलावा जो क्लेम्स बनते हैं, उनको तहसील के माध्यम से सैटल करने की आथोरिटी दे दी जाये और तुरन्त ही राहत पहुंचायें । इस तरह से जिले के बारे में बता कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : श्री जेठमल !

श्री जेठमल (परबतसर) : माननीय सभापति जी, मैंने कृषि की मांग पर कटौती प्रस्ताव दिया है । सभापति महोदय, नागौर जिले में परबतसर एक ऐसी तहसील है, जहां काफी मात्रा में पहाड़ हैं । उन पहाड़ों से पानी बहकर जाता है । वह कई जगह खेत खराब कर देता है । कई जगह खेतों में पहाड़ों से मिट्टी आ जाती है । उपजाऊ जमीन बालू मिट्टी आ जाने से अनउपजाऊ हो जाती है । इसके लिये सरकार ने इस तहसील के अन्दर कई छोटे छोटे एनीकट और बांध बनाये हैं । पिछली साल परबतसर तहसील में, परबतसर पंचायत समिति में बांध बनाने की स्कीम के लिये सर्वे किया गया था । छोटे-छोटे बांध बनाने की योजना है । अगर उस योजना के द्वारा छोटे-छोटे बांध बनाये जायें तो जो हमारे यहां अकाल हर साल आ जाता है, उस अकाल से निपटने के लिये छोटे बांधों के द्वारा अच्छा साधन हो सकता है । बांधों के

(श्री जेठमल)

कारण हमारे जो कुए हैं, उन में पानी बढ़ जाता है, सिंचाई के साधन बढ़ जाते हैं। इसलिये सरकार से मैं निवेदन करूंगा परवतसर तहसील और परवतसर में जो बाढ़ का पानी आ जाता है, वह खेतों को खराब करता है। अगर ये बांध बन जायें तो इनके जरिये से किसानों को बहुत भारी लाभ होगा।

इसके अलावा, सभापति महोदय, एक हमारे यहां रोहल्डी में बांध बनाया गया था वह टूट गया। उससे काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा बजरिया गांव में कुओं में पानी नहीं था और भंडसोया में बांध के द्वारा कुओं के पानी की मात्रा बहुत बढ़ी। परन्तु वह बांध भी पिछले साल टूट गया। इस प्रकार से बांध टूट जाते हैं। इन्जीनियर लोग बांध बनाते हैं सरकार उनका कोई खयाल नहीं रखती है। इसके कारण जो गांव में अच्छी जमीन थी वह खराब हो चुकी है। बांध रात को टूटने से कई घर बह गये। कई वाड़े थे, वह बह गये। गांव में पीने के पानी का तालाब था वह भी बह गया, उसकी पाल टूट गई और खतम हो गया। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि नागौर जिले में परवतसर में बांधों का सर्वे हुआ है, उन बांधों को बनाया जाय और जो बांध टूट गये हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय।

इसके अलावा, सभापति महोदय, हमारी कान्स्टीट्यूएन्सी में एक गूलर गांव है वहां से एक नाला बह कर जाता है। उससे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के घर बह जाते हैं। एक दफा तो वहां भैंसें भी बह गईं, हर साल इस प्रकार से नुकसान होता है। घरों को बचाने के लिये उस नाले से प्रोटेक्शन जरूरी है इसकी व्यवस्था शीघ्र की जानी चाहिए।

इसके अलावा एक भकरी का बांध है उससे सिंचाई होती है और काफी लोगों को उससे मदद भी मिलती है। लेकिन नहरें नहीं होने की वजह से किसान लोग खुद ही नहरें खोद कर पानी ले जाते हैं अपने खेतों में लेकिन जो खेत बीच में आते हैं उनके मालिक दिक्कत पैदा करते हैं और वे मना करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पक्की नहरें बनायी जानी चाहिये जिससे अकाल के समय लोगों को मदद मिल सके।

इसके अलावा हमारे यहां पर बिजली गांवों में दी गई है लेकिन कई गांव बिना बिजली के रह गये हैं। वहां पर कई लोगों ने कुए खोद लिये हैं और खोदते जा रहे हैं, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिये जाने चाहिये। जो कुए अधिक गहरे हैं उनका पानी मीठा है, हरनावा और बड़ गांव में मोटरें लगानी पड़ती हैं। वहां पर लोग दो सौ और ढ़ाई सौ फीट से सिंचाई करते हैं। इसलिये सरकार को कुआ बनाने के लिये सब्सिडी देनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

इसके अलावा नागौर जिले के अन्दर जैसा कि अभी मेरे साथी रामरघुनाथजी ने बताया उनके गांव पूलौता में कई मीलों में जो पानी भरा हुआ है, हजारों बीघा जमीन

(श्री जेठमल)

पानी में डूबी हुई है उस पानी को सिंचाई के काम में लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय राजबहादुरजी ने आपके दल का पूरा समय ले लिया, तदुपरान्त भी आपको समय दिया गया है, कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री जेठमल : सड़कों की हालत परबतसर में ऐसी खराब हो गई है कि तीस साल पहले परबतसर से पुष्कर रोड बनी थी वह समाप्त हो गई है, पिछले साल बाढ़ आने से उसका नामोनिशान मिट गया है। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि 26 तारीख से परबतसर में पशु मेला लगेगा जो अपने प्रदेश में ही नहीं हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा मेला है। उस मेले में उस सड़क के द्वारा चारा लाया जाता है और व्यापारी लोग भी आते हैं। वह सड़क बिल्कुल खतम हो गई है, तीस पैंतीस साल पहले की बनी हुई है और कच्ची है, उस पर होकर रोडवेज की बस भी जाती है लेकिन उसको पक्का नहीं किया गया है, उसको पक्का कर के डामर रोड में परिवर्तित किया जावे।

आपने जो समय दिया उसके लिये आभारी हूं।

श्री सभापति : श्री धाराराम!

श्री धाराराम (सिवाना) : सभापति महोदय, कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे क्षेत्र सिवाना में अकाल राहत के अन्तर्गत बनी एक महत्वपूर्ण सड़क कल्याणपुरा से सिवाना वाया समदड़ी दो गांवों को मिलाती है। सिवाना और समदड़ी दो बड़े गांव और इनकी आबादी लगभग 12-12 हजार की है। दुर्भाग्यवश तीस साल हो गये लेकिन अभी तक ये दोनों गांव पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारे साथ सरकार का सौतेला व्यवहार रहा है। यह सड़क 1979 में स्वीकृत हुई थी और अकाल राहत कार्यों के तहत इसको एडवान्स प्लान में लिया गया है लेकिन इस पर इस साल नहीं के बराबर काम हुआ है, अब इस पर कार्य भी सरकार ने बन्द कर दिया है। बड़ी मुश्किल से 30 साल में जाकर तो इस सड़क की सैंक्शन हुई। इसके उपरान्त भी इसको बन्द कर दिया गया है और काम भी कुछ नहीं हुआ है, यह हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। सिवाना तहसील हैडक्वार्टर है वहां पर मुन्सिफ कोर्ट भी खुल गया है, उसके हिसाब से भी यह सड़क महत्वपूर्ण हो गई है। अगर यह सड़क जल्दी नहीं बनाई गई तो जिन लोगों को सिवाना पेशी पर जाना पड़ता है उनको मुश्किल ही नहीं होगी, उनका पैसा और समय नष्ट होगा। इसलिए पेशियों के हिसाब से, और दो गांवों को जोड़ने की दृष्टि से यह सड़क महत्वपूर्ण है। इसलिये इसको आगे चालू रखा जावे तथा शीघ्र बनाई जावे ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके और इस क्षेत्र की जनता का विकास हो सके। समदड़ी को दो साल से इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया जा चुका है लेकिन वहां पर पक्की सड़क नहीं है। बिना सड़कों के इण्डस्ट्रियल एरिया का विकास किस प्रकार से सफल हो सकता है? समदड़ी एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है

(श्री धाराराम)

जोधपुर डिविजन का। वहां पर एक रेलवे पुल भी है जो डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से मिलिट्री की गाड़ियां भी जाती हैं, भारत पाक युद्ध में मिलिट्री गार्ड भी वहां रहती थी। भगवान नहीं करे कभी लड़ाई हो। वह पुल अगर बम से या किसी तरह से टूट गया तो मिलिट्री पाइन्ट आफ व्यू से बड़ा आघात लग सकता है। उस पुल से हर साल नदी में पानी आता है। बड़ा लम्बा पुल है। लोग रोजमर्रा की चीजें भी उधर से ही होकर लाते हैं और ले जाते हैं। कई बार पानी को देख कर चक्कर भी आ जाते हैं। हर साल दस-बारह लाशें मिलती हैं इसलिए जनहित के दृष्टिकोण से, फौज के दृष्टिकोण से और विकास के दृष्टिकोण से सरकार से निवेदन है कि सरकार सड़क को महत्वपूर्ण समझते हुए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इस सड़क का निर्माण कार्य जारी रखें और जल्दी से जल्दी पूरी करने की कृपा करें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष हमारी लूणी नदी में बाढ़ आई थी जिससे कि जो गत वर्ष की जनता सरकार थी, उसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सुबह 8 बजे लूणी नदी में, लूणां जो गांव है वहां पानी आया और शाम तक समदड़ी गांव तक पहुंच गया। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इत्तला नहीं। पानी इतनी देर से और इतने भयंकर रूप से आया था, जिससे हजारों लोग देखते-देखते पानी में बह गये और लोगों की जो सम्पत्ति थी, लोगों के जो खेत थे सब नष्ट हो गये। बाढ़ में हजारों की सम्पत्ति और मकान बह गये, भारी नुकसान हुआ और लाखों लोग बेघरबार हो गये, जिसकी सरकार ने कोई इत्तला नहीं दी, यह सरकार की लापरवाही थी। इस लापरवाही के कारण लाखों लोग बेघरबार हो गये हैं।

इसके लिये सरकार गत वर्ष जो जनता पार्टी की सरकार थी, जिम्मेदार है। वास्तव में इसमें दो रायें नहीं हैं। गत वर्ष सरकार ने काफी लोगों को किसानों को कुछ सहायता भी दी है और मकान बनाने के लिये रु. दिये। लेकिन मकान बनाने के लिये दिये सिर्फ 3 सौ रुपये। एक तो वह बेघरबार हो गये, उनकी सम्पत्ति चली गई, उनके खाने पीने का कोई स्थान नहीं रहा। उनको तीन सौ रुपये की सहायता दे दी। निजी संस्थाओं के द्वारा हजारों लोगों को मदद दी गई, लेकिन सरकार की ओर से कोई मदद नहीं की गई। उस समय निजी संस्थाओं ने हजारों की तादाद में ट्रकों द्वारा खाने के लिये आटा, दालें, कम्बल और कपड़े पहुंचाये, लेकिन सरकार की ओर से कोई इन्तजाम नहीं हुआ। जिसके कारण सरकार फेल हुई और उस बाढ़ की वजह से जितने भी नदी के किनारे रहते थे, उन लोगों का बहुत कुछ नुकसान हुआ है। उनकी सब जमीन चली गई। उस पर 8–8 फीट रेत जम गई, जिससे खेती सब नष्ट हो गयी।

उस समय किसी को 4 हजार और किसी को 8 हजार तक सरकार द्वारा किसानों को देने की घोषणा की गई। उसमें भी घोटाले हुए। जिनका वास्तव में नुकसान हुआ उनको पैसा नहीं दिया गया। जैसे कि एक भोला किसान है जिसका एक लाख का नुकसान हुआ 85 बीघा जमीन जो एक मात्र

(श्री धाराराम)

कमाई का साधन थी वह सारी जमीन उस नदी में बह गई। .....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

...बिल्कुल नष्ट हो गयी। अभी तक उसको सहायता नहीं मिली है, वह बिल्कुल बेघरबार हो गया है। उसने कई बार सरकार से निवेदन किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। न तो इन्हें बदले में जमीन मिली है न आर्थिक सहायता।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं पानी की रोकथाम के लिए। हमेशा हर साल, 2–3 साल बाद बाढ़ आती है तो कई गांवों में पानी का ओवर फ्लो होता है। अगर तटबन्दी की जाये तो भविष्य में और ऐसा नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि वह गांवों की तटबन्दी कराने को जल्दी से जल्दी व्यवस्था करे और...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार सरकार से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र बड़ा ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उसका विकास कराने की कोशिश करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कटारिया जी।

श्री महावीर प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि कटौती प्रस्ताव में आपको समय दिया जायेगा।

श्री सभापति : धैर्य रखें।

श्री हरिसिंह : मेरा एक ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव है जिस पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि जब अकाल राहत की चर्चा होगी, उस समय आपको समय दिया जायेगा।

श्री सभापति : मैंने आपकी बात सुन ली है, माननीय सदस्य। मैं...

(व्यवधान)

मुझे व्यवस्था देने दीजिये। माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें।

आपने, माननीय सदस्य, जो प्रश्न उठाया है अगर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कोई व्यवस्था दी है तो मैं निश्चित रूप से अवसर दूंगा। जहां तक आपका सवाल है आप दोनों माननीय सदस्यों का कोई सवाल नहीं है। इसलिए मैं अवसर देने में असमर्थ हूं।

श्री त्रिलोकसिंह : यह कहा गया था कि पार्टी को समय दिया जायेगा।

श्री सभापति : मैं नहीं दूंगा। आप स्थान ग्रहण करें। आप सदन की परम्परा से वाकिफ नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय गुलाबचन्द कटारिया।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : इनको कहा गया था यह एक...

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

यह सदन की परम्परा के विपरीत है। मैंने आपसे निवेदन किया कि जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव नहीं हैं उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जायेगा। आसन की तरफ से कोई इस प्रकार की व्यवस्था न आ जाये, तब तक मैं मजबूर हूं, मैं असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। मैं आपको समय देने में असमर्थ हूं।

एक माननीय सदस्य : हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किया था।

श्री सभापति : मैं आपको समय दूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, मांग संख्या 28 के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, सूखे के कारण जब से आपकी सरकार पधारी है तब से लेकर आज तक राजस्थान परेशानी में पड़ा हुआ है। लेकिन दुःख मुझे इस बात का है कि आपने यहां आदेश इस बात का निकाला कि 31 जुलाई से अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये जायेंगे।

मैं मंत्री महोदय, जो उदयपुर से आये हैं, के ध्यान में लाना चाहता हूं, वहां का काफी इलाका आदिवासी है, डूंगरपुर पूरा आदिवासी है, बांसवाड़ा भी आदिवासी है तो आपने कभी विचार किया कि आज की स्थिति क्या है? शायद आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वहां की परेशानी किस प्रकार की है। आपके दल के विधायकों के स्टेटमेन्ट भी आपने अखबार में नहीं पढ़े जिनके आधार पर यह लगता है कि लोग भूखे मर रहे हैं।

श्रीमन्, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वहां पर किसी प्रकार की घटना हो जाये उसकी आपको जानकारी नहीं है। उसके पश्चात् अकाल राहत कार्य बन्द करने का प्रयास करें केवल अन्धे होकर आदेश निकाल कर तो राजस्थान का भला नहीं होगा। यह अगर आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। यह वहां के एक व्यक्ति का स्टेटमेंट है जिसको जिलाधीश ने माना है। वह इस प्रकार है:–

"भूख से परेशान गरीब आदिवासी लोग पुहाड नामक जंगली घास व एक मरे हुए पशु का मांस खा रहे हैं तथा इसके खाने से एक दो दिन तक उल्टी दस्त लगकर कई लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा इनकी मौत का कारण भूख से नहीं बताकर सिर्फ उल्टी व दस्त से बताया जा रहा है।"

एक माननीय सदस्य : आपके समय का तो नहीं, बताने की कृपा करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह 19 जुलाई का है।

एक माननीय सदस्य : पिछले वर्ष का होगा।

श्री सभापति : आपस में बात न करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसमें जो लिखा है क्या वह असत्य है?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राम सिंह बिश्नोई : सन् पूछ रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 1980। जब पहाड़ियाजी की सरकार थी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय बहुत कम है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो अकाल राहत कार्य खतम किए गए उसके कारण से आदिवासी भूखें मरने की स्थिति में आ गए, धन्धा करने के लिए पैसा नहीं, उनके पास खेती नहीं, रोटी रोजी की व्यवस्था नहीं, उस कारण से वे मारे-मारे फिर रहे हैं, यही नहीं आपके ही दल की एक विधायिका और आपके एम.पी. ने उदयपुर में स्टेटमेंट दिया उसको भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं :

"आदिवासी क्षेत्रों में भुखमरी की स्थिति"। एक तरफ लोग इस तरह पीड़ित हैं दूसरी ओर डूंगरपुर और बासवाड़ा में लोग मरे हुए जानवर का मांस खाकर अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। आपने स्वयं ने अखबारों में स्टेटमेंट दिया है कि 15 अगस्त तक कार्य चलेंगे। या तो उस समय आपका दिमाग खराब था या फिर अचानक ऐसी कौनसी बात हो गई कि वायरलेस मैसेज के आधार पर राहत कार्य बंद कराये ? क्या गरीब के पास वायरलेस मैसेज से कोई आमदनी का सोर्स पैदा हो जाता है ? किसी भी सरकार के लिए यह शोभा की बात नहीं है, यह मानवता का विषय है। मैं किसी और जाति के लिए नहीं कहता लेकिन आदिवासी जाति के लिए आप जरूर व्यवस्था करें। मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिया था उसमें मेरा मुख्य मुद्दा है कि इस समस्या का स्थाई हल किया जाए केवल टेम्प्रेरी काम करने से इस समस्या का निदान नहीं होगा।

मैं वर्ष 1973-74 की जो आडिटर जनरल की रिपोर्ट है उसके जो आंकड़े हैं, वह दूंगा, आपने जो खर्चा किया है, सूखा सहायता में 1951 से लेकर 1971 तक सहायता कार्यों पर किया गया उस कुल खर्च का योग 150.22 करोड़ रुपए था। यह आपने सूखे पर खर्च किया 1951 से लेकर। उसके पश्चात् मेरे पास आंकड़े हैं:—

1971-74	56.41 करोड़
1974-75	17.34 ,,
1975-76	20.45 ,,
1976-77	12.28 ,,
1977-78	12.84 ,,

यह सारा आवश्यक था जो आपने किया। लेकिन आप इस समस्या को इस प्रांत से कैसे निकालेंगे ? उसका लम्बा प्लान बनायें, मास्टर प्लान बनायें या समयबद्ध कार्यक्रम बनायें। 10 साल से जहां लगातार सूखा होता है, हर दूसरे साल सूखे के कारण जो अकाल की स्थिति आती है उसके लिए कम से कम आपको व्यवस्था करनी चाहिए लेकिन वह व्यवस्था आप नहीं कर पाए। अकाल सहायता और जो रिलीफ वर्क्स हैं, आपकी सरकार का नमूना इसके अन्दर बहुत स्पष्ट है। इतना समय नहीं मिला कि मैं एक एक केस को उठाता। इस ओर भी आप देखें कि किस ढंग से इसमें बेइमानी होती है। वह आज की नहीं 1973 की बेइमानियां हैं उन बेइमानों को आप सजा नहीं दे पाए। इन अकाल राहत कार्यों में बेइमानी किस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ढंग से है, जनता का गरीबों के नाम से पैसा उठाया गया पैसा, बड़े-बड़े अधिकारी किस तरह हजम कर जाते हैं और बाद में सूचना मिलती है कि वह रिटायर हो गया, वह स्वर्गवास हो गया उसके बाद कार्यवाही शुरू होती है आपकी वसूली की।

जिला संभाग, उदयपुर, में जहां 0.74 लाख रुपए की लागत के औजार और संयंत्र वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में खरीदे गए थे, राहत संकार्यों की समाप्ति के पश्चात श्रमिकों को औजार व संयंत्र दिए जाने तथा उनको वापिस लिए जाने का पूर्ण लेखा जोखा नहीं रखा गया। अतएव यह सुनिश्चित करना असंभव है कि सभी औजार और संयंत्र वापिस लौटा दिए गए थे।

ये थे लगभग तीन लाख औजार फावड़े इत्यादि, पता नहीं वे कहां गए? इस प्रकार की सरकार की स्थिति है, आप इसको ठीक करने की व्यवस्था करें। मेरे पास एक आध केसेज हैं, सड़क बनाने का ठेका हुआ वह सात लाख का था लेकिन आपके विभाग ने पेमेंट कितना किया? ठेका 7.78 लाख आवंटित किया गया और आपका पेमेंट हुआ 18.54 लाख का। ये सारी रिपोर्ट्स हैं। वसूली की कार्यवाही चली और आपके राज्य में चली, दिल्ली में उसका सिनेमा था जिस पर अटेचमेंट होने वाला था लेकिन आपकी मशीनरी ने समय से पहले उसको सूचना दे दी उस कारण से सिनेमा दूसरे के नाम से कर दिया और आप उससे एक पैसा वसूल नहीं कर पाए। ऐसे हजारों केसेज हैं, राहत कार्यों का पैसा है, इस कार्य के लिए, कुछ करने के लिए मुश्किल से पैसा जुटाया है लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ। अगर आप ठीक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें लगभग 60 प्रतिशत खर्चा होता है, 40 प्रतिशत आपके अधिकारीगण मिलजुल कर बांटकर खा जाते हैं। पहली बारिश में ही सड़क बह गई। किस ने कहा कि आप ऐसे काम करायें? कम से कम ऐसे कार्य करें जो स्थाई हों। एक बांध बनाया जा रहा है तो आप देखें कि तीन महीने में हो सकता है या नहीं। 4-5 महीने में भी पूरा नहीं होने के कारण नींव से ही ढह गया, राजस्थान का पैसा इस तरह से बहा दिया गया।

इतना ही नहीं, मैं बाढ़ के बारे में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर शायद बाढ़ से अधिक ग्रस्त नहीं है लेकिन पिछले 1973 की बाढ़ ने हम सब की आंखें खोल दीं। उदयपुर को बाढ़ से बचाने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी व्यवस्था सरकार ने की। इसके लिए सरकार को धन्यवाद कि उसने प्रोटेक्शन वाल बनाई लेकिन वह अभी किसी कोने तक जाकर रुकी है। यदि उदयपुर को बचाना चाहते हैं तो जहां सीमा आती है वहां तक प्रोटेक्शन वाल को बनायें। इस बाढ़ को कन्ट्रोल करने के लिए उदयपुर से लगभग 11-12 किलोमीटर दूर नादेश्वर बांध का प्रावीजन किया है जनता पार्टी ने जो एक साल में पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन जब से आपकी सरकार केंद्र में आई और आपने दखलअंदाजी शुरू की तब से कुछ नहीं हो रहा है। मुश्किल से 25-30 मजदूर वहां पर हैं उस कारण से जो कुछ हमने बनाया वह भी न ढह जाए।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपकी घंटी बार-बार बज रही है।

मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि आप किसी कार्यक्रम को बनायें तो वह पूरा करें। अगर हमने गलती की उसको लेकर बैठे रहने से राजस्थान का काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि आप राजस्थान की बाढ़ से, अकाल से, सूखे से निपटने के लिए कोई टाइम बांधें 10 साल का या 5 साल का। हमने पहले रिलीफ वर्क्स शुरू किए और कागजात पूरे किए। आपने अप्रेल और मई में रिलीफ कार्य शुरू किए थे और जुलाई से पहले बंद कर दिये थे उससे कोई काम नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि रिलीफ वर्क्स शुरू किए जायं तो एस्टीमेट्स बनाकर तैयार रखें ताकि जब कभी उस क्षेत्र में अकाल होगा तो सबसे पहले वह काम होगा। राजनैतिक आधार पर फेमिन के कामों को मत देखें, स्थाई व्यवस्था करें। यह बात कह कर मंत्री महोदय से फिर आग्रह करता हूं कि उदयपुर की जो तहसीलें आदिवासी बाहुल्य हैं वहां किसानों के घर वारिश होने से अन्न नहीं आता इसलिए कम से कम उन तहसीलों में व्यवस्था करें। जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा तब तक रोटी नहीं खा सकेंगे। उदयपुर में अकाल पड़ता है तो आदिवासी भूखे मरते हैं, वह बाहर निकलते हैं और आजीविका के लिए मारे मारे फिरते हैं। उनको जिंदगी की चिंता नहीं क्योंकि भूखा आदमी क्या नहीं करता ? समय रहते आदिवासियों को बचाना चाहिए, अगर वे चाहते हैं कि अच्छे इन्सान की जिंदगी व्यतीत करें तो अकाल राहत कार्य बंद न करें.,

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री गुलाबचंद कटारिया : यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मदेरना साहब; आप बोलना चाहेंगे आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में। अध्यक्ष महोदय ने उसके बारे में जो व्यवस्था दी है।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे वह मालूम है।

सभापति : श्री देवदत्त तिवाड़ी।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बाड़मेर जिले में चल रहे अकाल राहत कार्यों को बन्द करने के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में दिया था। उस पर माननीय अध्यक्ष ने मुझे यह निर्देश दिया कि जब डिमाण्ड संख्या 28 सदन में डिस्कस हो उस वक्त मैं इस पर चर्चा करूं। सभापति महोदय, मैं इसके लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब मई के महीने में अकाल की विभीषिका प्रारम्भ होने वाली थी उस समय हमारे राजस्थान में राज्यपाल महोदय की सरकार थी उस वक्त जो बड़े पदाधिकारी लोग थे उनसे मैं यहां आकर मिला। उस वक्त मैंने, सभापति महोदय, उन बड़े पदाधिकारियों को इस बात के लिये कनविन्स किया था कि जो अकाल राहत कार्य आप करवाने जा रहे हैं उन अकाल राहत कार्यों को पूरा करने की क्षमता राज्य सरकार की नहीं है क्योंकि अकाल राहत कार्य ऐसे नहीं हैं जो कि हमारे अकाल से पीड़ित 80 हजार लोगों को काम दे सकें। राज्य सरकार के जो अकाल राहत कार्य उस समय शुरू हुए थे वह तो, सभापति महोदय, अधिक से अधिक 20 हजार लोगों को ही काम दे रहे थे।

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

अगर और ज्यादा जोर लगायेंगे तो वे 40·50 हजार लोगों से अधिक लोगों को काम नहीं दे सकते थे। सभापति महोदय, मैंने उस वक्त स्पष्ट कह दिया था कि आप यह कार्य शुरू नहीं करें क्योंकि राज्य सरकार की इन कामों को पूरा करने की क्षमता नहीं है। इसके साथ साथ मैंने यह भी कहा था कि यह कार्य नियत समय में बन कर पूरे नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा जो काम राज्य सरकार चला रही है उनसे अकाल पीड़ित लोगों का गुजारा नहीं होने वाला है।

सभापति महोदय, यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने सुझाव के रूप में यह निवेदन किया था कि जहां आप अकाल राहत कार्य बाड़मेर में 10-12 करोड़ रुपये के खोलने जा रहे हैं उसके बदले सिर्फ 6 करोड़ रुपये के अनाज का प्रावधान अगर आप कर दें तो वहां के अकाल पीड़ित लोगों को काफी राहत मिल सकती है। सभापति महोदय, मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज प्रतिमाह के हिसाब से दिला दें। मैंने, सभापति महोदय, यह भी कहा था कि आप उन लोगों को वह उधार दिला दें। वह भी हमने कोई दान के तौर पर नहीं मांगा था। उधार लिया हुआ अनाज जब हमारी फसल होगी तो हम आपको वापस चुका देंगे। इतना ही नहीं मैंने यह भी निवेदन किया था कि आप चाहेंगे तो जब हमारी फसल होगी तब ड्योढ़ा या दुगना अनाज वापस कर देंगे पर आप जो यह काम के बदले अनाज योजना को चालू कर रहे हैं इससे इसका हल नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, जब भीषण गर्मी पड़ती है तब जो लोग अमीर होते हैं वह अपने को आराम देने के लिए शिमला और कश्मीर जाते हैं, दूसरी ओर ठन्डी जगहों पर जाते हैं उस वक्त तिलमिलाती गर्मी में बेचारा गरीब किसान अपने पेट को पालने के लिये फावड़ा और दूसरा सामान लेकर क्या नाड़ी और तालाब खोदेगा, क्या सड़कें बनायेगा ? सभापति महोदय, क्या कमजोर आदमी भीषण गर्मी में राज्य सरकार ने जो स्टेण्डर्ड कायम किया है जो नार्म्स कायम किये हैं उनको पूरा कर सकेगा। मैं समझता हूं नहीं कर सकेगा। इसलिये मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप उन्हें अनाज उधार दिलवा दें।

सभापति महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि सरकार ने अकाल राहत कार्य क्यों बन्द कर दिये। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये या वैसा नहीं करना चाहिये था। शायद माननीय सदस्यों को यह पता नहीं है कि ज्यों ही बरसात होती है फेमिन के काम बन्द हो जाते हैं। बरसात जब होती है तब पानी बरसता है अनाज नहीं बरसता है। पर जब भी बरसात होती है तो पहली बरसात होते ही किसान जहां कहीं होता है चाहे वह प्रदेश में कहीं मजदूरी करता हो चाहे बाहर कहीं काम करता हो अपना काम छोड़ कर वह वहां से अपने गांव में आ जाता है और खेती करने लग जाता है। अपना खेत जोतना शुरू कर देता है। सभापति महोदय, वह लोग काम पर आना भी बरसात होते ही बंद कर देते हैं। इसलिये माननीय सदस्यों ने जो यह कहा कि लोग काम पर आना बन्द हो जाते हैं यह उनका आइडिया सही था। मैं, सभापति महोदय, इस तरफ आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

चाहता हूं कि किसान को सिर्फ चार महीने बड़ी तकलीफ में निकालने पड़ते हैं उन चार महीनों में न तो किसान कुछ काम ही कर पाता है न ही उसके पास इन चार महीनों में कोई काम ही होता है। वह बेचारा भूखों मरता है तब दुःखी होकर काम करता है। तो, सभापति महोदय, जो व्यक्ति खुद कमजोर है वह कमजोरी की हालत में काम के बदले अनाज योजना में कितना काम कर सकेगा? सभापति महोदय, अभी मैंने सुना है कि जो अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये गये हैं उन्हें 15 अगस्त तक चालू रखने जा रही है। मेरा तो यही निवेदन है, जैसा कि मैंने सदन में भी सुझाव दिया है कि आप चाहे काम के बदले अनाज योजना को बन्द कर दें पर आप वहां प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो अनाज उधार दे दें। वह आपसे उधार मांग रहे हैं। मेहरबानी करके आप उन्हें यह अनाज दे दें। वह अनाज काश्तकार आपको चुका देगा आप मेहरबानी करके यह व्यवस्था कर दें। आप काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत काम पूरा करने पर पांच किलो के बदले तीन किलो अनाज ही दे रहे हैं। कभी चार किलो के बदले आप डेढ़ किलो अनाज ही दे रहे हैं। जो काम किया जाता है उस सारे काम का स्टेण्डर्ड के अनुसार उन्हें अनाज दिया जाता है। सभापति महोदय, इस काम के बदले अनाज योजना में जहां पर काम चलता है वहां पर आज भी जागीरदार लोग बैठे हैं जो कि पैसा खाते हैं। बीस पच्चीस मजदूरों के ऊपर आपको चार पांच मजदूर ऐसे मिलेंगे जो कि वहां हैं नहीं उनके नाम भी उसमें एडजस्ट होते हैं। उन चार पांच आदमियों के नाम से पैसा ले करके अधिकारियों में बांटा जाता है। उसके बिना उन अधिकारियों की तृप्ति नहीं होती है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम के बदले अनाज योजना कोई अच्छी पद्धति नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, आप मेरे बोलते समय जल्दी जल्दी घन्टी बजा रहे हैं जब दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे थे तो आपने जल्दी जल्दी घन्टी नहीं बजाई। उनको तो आपने ज्यादा समय दिया था। क्या उनको ही अपने क्षेत्र की समस्यायें रखने का अधिकार है? अपने हमें क्षेत्र की समस्याओं को रखने का अधिकार नहीं है। हमारा भी अधिकार है। हम भी बोलेंगे और अपनी बात यहां पर पूरी कहेंगे।

सभापति महोदय, अकाल के बारे में आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल हमेशा हमारे यहां पर पड़ता है। उसका हल हमें निकालना होगा। इसके दो हल हो सकते हैं। एक तो स्थायी हल अकाल का दूसरा अस्थायी हल अकाल का। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल का हमें स्थायी हल निकालना चाहिए। स्थाई हल निकालने की यह तरकीब नहीं है। सभापति महोदय, आज जो अकाल हमारे रेगिस्तान में पड़ता है उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान का पश्चिमी इलाका हमेशा से ही रेगिस्तान नहीं था। सभापति महोदय, राजस्थान पहले रेगिस्तान नहीं था, हम लोगों ने ही इसे रेगिस्तान बनाया है। अभी जब सदन में राजबहादुर जी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तब उन्होंने यह कहा

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

था कि पश्चिमी राजस्थान में पहले सरस्वती नदी बहती थी। यह इलाका पहले सरसब्ज था जो कि बाद में रेगिस्तान हो गया। शास्त्रों में लिखा है कि यहां पर सरस्वती नदी थी, सन् 1735 तक सरस्वती नदी बह रही थी। सभापति महोदय हो सकता है नदी नहीं हो कोई पानी की धारा ही बहती हो। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरस्वती नदी बहती थी चाहे वह नदी नहीं हो, पर सरस्वती का मतलब है नालेज। तो यहां ज्ञान की नदी बहती थी। मेरा निवेदन है कि ऐसे क्षेत्र के लिये आप चाहे गंगा से पानी लावें या आप सतलज से पानी लावें या और कहीं से लावें पर पानी लाकर आप उस क्षेत्र को सिंचित करने की व्यवस्था करावें। यह तो आज आप चम्बल और लूनी नदी की बात करते हैं यह कोई नदियां नहीं हैं यह तो नाले हैं। अपने आप इन्जीनियर्स से काम लेकर वहां पानी लावें वरना मैं समझता हूं कि आपके इन्जीनियर्स की अक्ल का दिवाला निकल गया है जो इस चम्बल और लूनी नदियों से समस्याओं का हल निकालने जा रहे हैं।

यहां पर माननीय सदस्यों ने वन लगाने की बात कही कि अगर ज्यादा वन लगाये जायेंगे तो बरसात होगी। मैं यह नहीं कहता कि वन नहीं लगाये जायें। वन लगाना अच्छी बात है पर वन लगाते ही बरसात थोड़े ही हो जाती है। वन पैदा ही तब होते हैं जब कि वर्षा हो। अगर वर्षा नहीं होगी तो वन कैसे होंगे? इसलिये पहले वर्षा होनी चाहिये नहीं तो यह उल्टा चक्र कैसे घूमेगा कि वन लगाओ तो वर्षा हो। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं वन लगाये जायें तो आप हमारे साइन्टिस्टों की मदद से आर्टिफिशियल रेन कराने की व्यवस्था करावें जैसा कि बम्बई और मद्रास में मई जून के माह में जब कच्चे बादल आते हैं आर्टिफिशियल रेन्स कराई जाती है। आप भी हमारे यहां पर आर्टि-फिशियल-रेन्स करावें। हमारे यहां एक कहावत है बूठोड़ा बरसे मेंऊड़ा, रीठा रांचे चोर, उसके अनुसार अगर बरसात नहीं होती, वर्षा होगी ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। आप जो कहते हैं वेस्टर्न रेगिस्तान में बरसात नहीं होती है तो मैं कहता हूं आपको चाहिये कि मई और जून के महीने में जब कि कच्चे बादल आते हैं तब ऐसे साइन्टिफिक मैथड्स अडाप्ट किये जायें, उन कच्चे बादलों पर कोई ऐसी ठन्डी चीज क्लोरिन या क्लोराइड छिड़की जावे; क्या चीज छिड़की जानी चाहिये वह तो साइन्टिस्ट जानें। वह हमारे यहां भी इस तरह की वर्षा करा सकें...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें कृपया।

श्री देवदत्त तिवाडी : समय का मुझे ध्यान है।

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिए।

श्री देवदत्त तिवाडी : समाप्त करता हूं।

यह आप नहीं कर सकते तो यह देखिए कि जब पोकरण के अन्दर अणु बम का विस्फोट किया गया था उसके बाद तीन, चार साल तक बराबर अच्छी बरसात होती रही। तो पुनः भारत सरकार को इस बात के लिए आप कहें कि इसी प्रकार का फिर

(150)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

विस्फोट किया जाये, इसी तरह का परीक्षण किया जाये और देखा जाये कि बरसात हो सकती है या नहीं। इस तरह से हमें वह तरीका भी काम में लेना चाहिए जो कि आधुनिक से आधुनिक है।

इसके उपरान्त मैं निवेदन करूंगा कि रूस हमारा मित्र है। उसने समुद्र के खारे पानी को एटमिक इनर्जी से मीठा करने की पद्धति निकाली है और उजबेकिस्तान को हरा भरा कर दिया है। बाड़मेर से 90 मील दूर पर समुद्र है वहां से पानी को मीठा कर पाइपों द्वारा लायें तो धोरों को, टीबों को बराबर करने की बात भी नहीं रहेगी और जहां जैसा है वहां वनस्पति पैदा कर सकते हैं। आज बहुत से स्थान हो सकते हैं जहां अकाल पड़ता हो। मैंने पहले भी कहा है और फिर घोषणा करता हूं कि आने वाले लोग शायद नहीं मानेंगे कि अकाल कोई दैवी प्रकोप है या ईश्वर की तरफ से अकाल पड़ता है। नहीं, नहीं यह हमारे विज्ञान और अकाल की कमी होगी। धन्यवाद।

सभापति : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, मेरा भी काल अटेन्शन मोशन है...

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य का काल अटेन्शन मोशन मेरे साथ था। इस समस्या की जानकारी वह रखते हैं। अध्यक्ष महोदय ने मुझे जैसा आदेश दिया था वैसा ही माननीय सदस्य, जो गुडामालानी से आते हैं, को भी दिया था। सभापति जी, अभी अणु विस्फोट वाली बात कही उसका भी ध्यान रखा जाये। इनका विस्फोट यह हो रहा है और वहां की हालत बहुत खराब है...

श्री सभापति : मैं इनको अवसर दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय, हमारे कोलायत क्षेत्र के अन्दर अकाल राहत का काम चला था अकाल राहत कार्य के लिए सरकार के आदेश हुए थे ताकि लोगों को मजदूरी मिले। वहां पर मजदूरों ने रात दिन एक करके, और रात दिन पसीना बहाकर काम किया और मजदूरी की। वहां पर उन्होंने अपनी गाड़ियां भी लगाई। जब वह अपनी मजदूरी मांगने लगे तो पंचायत समिति की तरफ से आदेश आए कि 15 दिन ठहर जाओ, एक हफ्ता ठहर जाओ आपको आपकी मजदूरी मिल जायेगी। अब बेचारा भला आदमी किस को कहे? उसके लिए जाने को कहां जगह है? वह धोरे में पड़े रहे और मजदूरी पाने के लिए इन्तजार करते रहे। 15 दिन बीते, सभापति महोदय, महीना बीता। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि चार चार महीने हो गए उनको एक भी पैसा मजदूरी का नहीं मिला है। सभापति महोदय, आज अगर वह गरीब झोंपड़ी वाला किसान किसी सहकारी समिति या पंचायत समिति से सौ रुपये की तकावी ले लेता है या कर्जा ले लेता है तो फिर सिपाही को लाकर हांडी और कपड़ा तक ले जाते हैं। आज स्थिति यह है वह बेचारे सिर्फ मजदूरी मांगते हैं, वह कोई चोरी नहीं कर

(श्री देवीसिंह भाटी)
रहे हैं, कोई डाका नहीं मार रहे हैं सिर्फ अपना हक ही मांगते हैं किन्तु एस.डी.एम., कलेक्टर और सरकार ने एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया। कोलायत क्षेत्र के गड़ियाला, मोटासर, बीठनोक, गोविन्दसर, बीकमपुर, रणजीतपुरा में चार-चार महीने हो गये हैं। वहां मजदूरों ने अपनी गाड़ियां तक मजदूरी पर लगा रखी थीं। आज एक ऊंट को चराने के लिए रोज का 40 रुपया चाहिये। आज अनाज फिर भी 1½ रु. किलो का मिल सकता है लेकिन चारा 1½ रुपया किलो नहीं मिलता। वह आज कहां से चारा लेकर आये और कैसे अपना पेट पाले। सभापति महोदय, अगर यह सरकार सचेत है और गरीबों और मजदूरों का भला सोचती है तो मेरा अर्ज करना यही है कि मजदूरों के जल्दी से जल्दी भुगतान की व्यवस्था करायें। सभापति महोदय, मैं आपसे बहुत ज्यादा आशा रखता हूं विशेष रूप से मेरे क्षेत्र के लोगों को मजदूरी दिलाने के लिए आप कुछ करेंगे।

सभापति महोदय, आज वहां यह स्थिति हो गयी है, एक तरफ तो कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि जहां बरसात नहीं हुई है वहां काम चालू रहेंगे दूसरी तरफ, सभापति महोदय, 1–8–80 को बीकानेर जिलाधीश की तरफ से बी. डी. ओ. के आदेश निकले हैं वह पंचायतों के माध्यम से चलाये गये समस्त राहत कार्य बन्द करने के संबंध में हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की बात को सही मानूं या जिलाधीश की बात को सही मानूं, मेरी समझ में नहीं आया। मैं हालांकि नया सदस्य हूं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। जब हम यहां आये तो हमारे अन्दर बड़ा भारी जोश था, हमारे कुछ ख्वाब थे। हम सोचते थे कि हम अपने क्षेत्र के लोगों की कठिनाई यहां कहेंगे तो हमारी जरूर सुनाई होगी लेकिन यहां सदन में कोई बात कहते हैं तो इस कान में आई और उस कान से गयी। फिर हमारे यहां आने का क्या उद्देश्य हुआ? सभापति महोदय, हम यहां पर जो भी बात अर्ज करते हैं कम से कम उसकी तरफ ध्यान तो सरकार को देना चाहिए। हम कोई बात कहते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय यह तो कहते हैं कि चैम्बर में मिल लें लेकिन यहां कोई बात कहते हैं तो सरकार उस तरफ ध्यान ही नहीं देती है।

सभापति महोदय, हम नये सदस्य आये हैं, हम जब यह देखते हैं तो हम को बहुत दुःख होता है। हम कोई प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों को ऐसा लगता है कि हम जन प्रतिनिधि हैं, यहां आकर हम उनकी बात कहेंगे और उनके लिए आदेश करायेंगे। सभापति महोदय, मुझे व्यवस्था के ऊपर रोना आता है। जब हमारी बातें यहां नहीं सुनी जातीं तो फिर कहां जाकर अर्ज करें?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मैं बहुत आशा लेकर आया था। आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

मजदूरों के भुगतान के लिए मंत्री महोदय थोड़ा सा कष्ट करके जरूर खड़े हों और जरूर कोई निश्चित तारीख बतायें कि फलां तारीख तक सारा पेमेन्ट हो जायेगा। मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी था। प्रशा-

(श्री देवीसिंह भाटी)
सन ने सूचना दे दी होगी कि किस कारण से उनको मजदूरी नहीं मिली। चार पांच महीने हो गये हैं और नहीं मिली तो लोग हमें जूतों से ठोकेंगे····

श्री खेतसिंह राठौड़ : चार पांच महीने तो नहीं हुए।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं दावे के साथ कहता हूं अगर चार-पांच महीने नहीं हुए हों तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं···

कोई माननीय सदस्य : अब बोलो।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी यह बताया गया है कि 31 मई तक पेमेन्ट हो चुका है···

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय मुख्य सचेतक महोदय जितने बुजुर्ग हैं उतनी गैर-जिम्मेदाराना बात करते हैं। कड़ुवा सच दोरा सुना करते हैं।

मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि कल मुख्य मंत्रीजी ने यहां फर्माया कि जहां वर्षा नहीं हुई वहां काम चालू रहेंगे। अब प्रशासन ने काम बन्द कर दिये तो किस को सही मानें। कल मुख्य मंत्री जी ने फर्माया उसको सही मानें या इसे सही मानें?

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी या बात नहीं कही, मुख्य मंत्री जी या कही जठे ट्राइबल सब प्लान है वा क्षेत्रां में राहत कार्य प्रारम्भ होवेला बाकी दूसरी बात नहीं कही। म्हारी तो थारे साथ बहुत सहानुभूति है। अब जो आसू आ रह्या है···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आपने काफी विस्तार से बात कह दी है। अब आप समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह भाटी : मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं।

माननीय परसरामजी ने फर्माया कि कल मुख्य मंत्री जी ने यह बात नहीं कही। इस सदन में मेरी मुख्य मंत्री जी से बात हुई है। अगर यह बात नहीं है तो जहां वर्षा नहीं हुई है वहां काम शुरू होंगे यह लिखकर दे दो। मैं किस बात को सही मानूं?

श्री परसराम मदेरणा : सदन में आपसे जो बात हुई है, वह अलग है···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति जी, अगर अधिकारियों ने यह सूचना दी है कि सिर्फ दो माह से पेमेन्ट नहीं हुआ तो यह भी शर्म की बात है। इस बात को भी यह छाती ठोक कर कह रहे हैं कि दो महीने का पेमेन्ट नहीं किया है। आधा दिन मजदूर गायब रहे उनकी आधी मजदूरी काट ली। फिर छाती ठोक कर कह रहे हैं कि पेमेन्ट नहीं हुआ।

श्री तेतसिंह राठौड़ : चार महीने की मजदूरी बाकी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अगर मेरी बात सही नहीं हो तो मैं अब भी इस्तीफा देने के वास्ते तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी बात सरकार के ध्यान में आ गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो फैक्ट्स माननीय सदस्य ने दिये हैं उनको आप वेरीफाई करके इस सदन में ले आयें।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मैं तो चेलेन्ज मानता हूं इस बात को। मैं नाम गिनाऊं···

श्री सभापति : मैंने सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर दिया है। आपने जो बात कही है उन फैक्ट्स को माननीय मंत्री महोदय वेरीफाई कर लेंगे और अपने उत्तर में कह देंगे। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : किस एजेन्सी के थ्रू यह काम हो रहा है जिनका पेमेन्ट बाकी है?

श्री देवीसिंह भाटी : अकाल राहत के अन्तर्गत काम हो रहा है···

(व्यवधान)

थोड़ा मंत्री महोदय जोर से बोलें, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है···

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : किस एजेन्सी के थ्रू यह काम हो रहा है?

श्री देवीसिंह भाटी : सरकार के आदेश से, जिलाधीश के आदेश से···

एक माननीय सदस्य : सिंचाई विभाग के आदेश से है या राज्य सरकार के आदेश से है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत सारे जिलों में काम चल रहे हैं। सब की जानकारी रखना मुश्किल है इसलिये माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देना कठिन हो जाता है। किस एजेन्सी के थ्रू काम हो रहा है, यह बता दें, क्योंकि कई एजेन्सियों के थ्रू काम किया जा रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह जिलाधीश आदेश से कार्य हुआ है।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। बहुत समय हो गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : मुझे यह बात कहनी है लास्ट में कि चार-चार महीने का पेमेन्ट नहीं हुआ है। एक दो महीने की बात नहीं है।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, आपने इतना समय दिया, मैं उसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति : गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य।

(154)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : सभापति महोदय, मुझे दो विषयों के बारे में बोलना है। एक तो बाड़मेर जिले में सूखा आशंकित क्षेत्र के अन्तर्गत पेड़ लगवाने की आवश्यकता के बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव है और एक बाडमेर में अकाल राहत बन्द किये जाने और मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने तथा मजदूरों के पेमेन्ट में भारी कटौती किये जाने के बारे में है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का तथा अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला इस साल अकाल की भयंकर चपेट में आया हुआ है। वहां पर लोगों की आज यह हालत है कि उनके पास खाने को दाना नहीं है, अनाज खरीदने के लिये पैसा नहीं है। जिन श्रमिकों को काम पर लगाया गया था अकाल में उनका दो महीने से पेमेन्ट बाकी पड़ा है। जिन लोगों ने अकाल राहत में काम किया उनको जो अनाज का भुगतान किया गया है और जो मजदूरी चुकाई गई है वह मजदूरी एक किलो, आधा किलो और 500 ग्राम अनाज के रूप में दी गई है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और अकाल राहत मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि क्या वजह है कि मजदूरों को इतना कम पेमेन्ट किया जा रहा है? सभापति महोदय, वहां पर अकाल राहत काम जिनके माध्यम से हो रहे हैं, जो प्रशासन वहां पर काम कर रहा है वह प्रशासन बिलकुल शिथिल है, उसमें जान नहीं है, जान-बूझकर परेशान कर रहा है और मजदूर के पेमेन्ट में कटौती कर रहा है। सभापति महोदय, जो प्रशासन वहां पर लगा हुआ है वह जनता पार्टी ने अपने शासन काल में लगाया है। जब जनता पार्टी का शासन चला गया तो इस तरह की कोशिश कर रहा है कि लोगों में भारी असन्तोष फैले और किसी प्रकार की राहत नहीं मिले। प्रशासन वहां किसी भी तरह लोगों को सहायता पहुंचाने में मदद नहीं कर रहा है। मैं अकाल राहत मंत्री का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस प्रशासन के प्रति क्यों नहीं कड़ा रुख अपनाया जाता है, आदेश की सख्त पालना करने के लिये क्यों नहीं कहा जाता है ताकि वह पूरा ध्यान दे।

सभापति महोदय, एक मजदूर जो सुबह से शाम तक काम करता है उसको एक किलो और आधा किलो अनाज दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा जो अधिकारी वहां पर अकाल राहत काम करवाते हैं–ए.ई एन., एक्स ई एन., उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की जाती है? क्यों नहीं वे मजदूरों से ठीक काम ले रहे हैं? प्राइवेट ठेकेदार जैसे अपने मजदूरों से काम लेता है वे चाहे तो वैसे ही मजदूरों से काम ले सकते हैं। जो मेंजरमेंट होता है, उसका उनको कोई तरीका ही मालूम नहीं है। मैं निवेदन करूं जब उनसे पूछा गया कि आप आधा-आधा किलो अनाज कैसे दे रहे हैं और इसके लिये आपके पास क्या मेंजरमेंट है तब उन्होंने बताया कि हमारे पास मेंजरमेंट करने के लिये कोई स्टाफ ही नहीं है, किस प्रकार मेंजरमेंट करें। जब स्टाफ नहीं है आधा किलो अनाज देने के लिये मेंजरमेंट का क्राइटेरिया क्या है? उनका जवाब था, हमने अन्दाज लगा लिया। अब

(श्री हेमाराम चौधरी)

यह तो उनका अन्दाज था मजदूरी देने का ? जैसे कोई किलो, आधा किलो पुण्यदान किया जा रहा हो। सभापति महोदय, जो गरीब मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है, इस बारे में पूरी जांच की जाय और जांच की जाकर जो दोषी पाये जायें, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। उन्होंने 100 ग्राम और 500 ग्राम अनाज देने का किस प्रकार का अन्दाज कर लिया। कई मजदूरों ने दिन भर काम किया है। मैं मानता हूं फेमिन में कुछ ऐसे भी व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं जिन्होंने कम काम किया हो। जिन्होंने कम काम किया है, उनको कम मजदूरी दी जाय, कम भुगतान होना चाहिये। जिन्होंने सारा दिन काम किया उनको भी वही भुगतान किया जो अन्य को। इस तरह से मैजरमेंट का तरीका था, उससे वहां के मजदूरों को बहुत भारी नुकसान हुआ है और उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। मैं मुख्य मंत्री जी का और अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस बारे में जांच करायें। बाड़मेर जिले में, मैं समझता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे। उन्होंने 15 अगस्त तक बांसवाड़ा जिले में ट्राइबल एरिया में काम चालू रखने की बात कही है। मैं यह समझता हूं कि जो बाड़मेर जिला है वहां लोगों की हालत उन लोगों से भी ज्यादा खराब है। अगर उन लोगों से ज्यादा खराब नहीं है तो कोई भी अधिकारी वहां भेज कर इस बात की जांच की जा सकती है। अगर उनसे ज्यादा खराब नहीं है तो मैं हमेशा के लिए गलत बात कहने के लिये सदन से माफी मांगने के लिए तैयार हूं।

माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर जिले में अकाल की यह फिजा आज से नहीं है, कई वर्ष से है। वहां पर आज अकाल नहीं पड़ा है, निरन्तर अकाल पड़ते रहते हैं। हमेशा वहां अकाल पड़ते रहते हैं, पर जो इस अकाल में वहां के लोगों की हालत हुई है, वह आज से पहले कभी भी नहीं हुई। 1975 में वहां अकाल पड़ा, सम्वत् 2026 में वहां अकाल पड़ा। दो अकाल लगातार पड़े, उन दो अकालों में भी लोगों की हालत इतनी बुरी नहीं हुई जितनी कि इस बार हुई। लोगों की उन दो अकालों में बहुत मदद की गयी, लोगों पर कोई आंच नहीं आयी लेकिन इस बार लोगों की हालत बहुत ही खराब हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, इस सारी स्थिति का, इसका श्रेय जनता पार्टी को है कि उसने इसकी कोई परवाह नहीं की। हमारी कांग्रेस सरकार इस बात को जानती थी कि प्रकृति का क्या भरोसा, फेमिन कभी भी पड़ सकता है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो उस समय उसने जो अनाज का भण्डार भर कर रखा था, जनता पार्टी के शासन में, इन लोगों के शासन में उस अनाज के भण्डार को खाली कर दिया। आज यह हालत हो रही है। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार इस मुसीबत में ऐसी स्थिति में नहीं है कि अनाज समय पर दे सके। इसका श्रेय जनता पार्टी को है। इसी वजह से ये लोग उन बेंचेज पर बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी जानता हूं कि किसी भी तरीके से मदद दी जाय, आज हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिये, चाहे हमें कितनी ही कठिनाइयां उठानी पड़े,

(श्री हेमाराम चौधरी)

चाहे केन्द्र से मदद लेनी पड़े। आज हमें उन गरीबों की मदद करनी है जिनकी आज यह हालत हो रही है कि 2-2 दिन तक भूखे रहते हैं। तीन दिन में उनको अनाज मिलता है, वे इधर-उधर से लेते हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। इसमें कोई फर्क हो तो जांच कराइये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और अकाल राहत मन्त्री जी से पहले भी कई बार मिला हूं कई बार मुझे आश्वासन भी मिले हैं लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई सहायता वहां नहीं पहुंची है। इसलिये सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर लोगों को राहत पहुंचायी जाये और अकाल राहत कार्य बन्द नहीं किये जायें। अभी थोड़े ही दिन पहले 24 जुलाई की बात है, अभी मैं अकाल राहत मन्त्री जी से मिला था वहां पर 5 सड़कें मंजूर कीं, हमारी अकाल राहत समिति की बैठक हुई जिसमें समिति के अध्यक्ष मौजूद थे, जिलाध्यक्ष महोदय मौजूद थे, वहां के सभी अधिकारीगण मौजूद थे, उन्होंने यह महसूस किया कि वहां पर अकाल की बहुत ही स्थिति बिगड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में वहां पर सड़कों के कार्य को अविलम्ब, तुरंत चालू किया जाय और पुराने जो कार्य हैं उनको भी चालू रखा जाय। मैं वहां से लैटर लेकर मुख्य मन्त्री के पास आया। मुख्य मंत्री महोदय ने उस पर आदेश दिया कि 11 सड़कों का काम चालू किया जाय। लेकिन उनमें कटौती करके केवल 5 सड़कों की स्वीकृति दी और उन 5 सड़कों की स्वीकृति देने पर भी वहां पर एक भी मजदूर नहीं मिला। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह से आप सड़क बनाने की स्वीकृति दे दोगे तो उन गरीबों की क्या हालत होगी, गरीब मजदूरों की क्या हालत होगी? आप वहां पर अकाल राहत कार्य खोलिये और उन लोगों का भुगतान करने की व्यवस्था कीजिये। मैं यह बात कहना चाहता हूं सदन के सामने। कोई यह न समझे कि सत्ता पार्टी के लोग इस तरह से यहां बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, वहां के लोगों की हालत बहुत खराब है। वहां लोगों की ट्राइबल एरिया के लोगों की हालत से भी खराब बनने से रोकिये। बाड़मेर की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब है।

माननीय सभापति महोदय, अकाल की समस्या के बारे में आपने बताया कि को स्थायी हल निकाला जाय। आपका 30 साल का शासन था, उस समय आप कोई स्थायी हल की योजना बना लेते तो उस योजना को हम क्रियान्वित करते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में ही बात समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के सदस्य बार-बार यह आरोप लगाते हैं कि हमारे समय में सूखा पड़ा ही नहीं है, अकाल पड़ा ही नहीं है। इस तरह से आरोप

(श्री हेमाराम चौधरी)
लगाने से गरीबों की समस्या हल नहीं होगी। सरकार इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे, इस ओर ध्यान दे और इस समस्या को हल करे। विपक्ष के लोगों के इस तरह से हल्ला करने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर मुख्य मंत्री जी और अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे हमारे जिले की समस्या की ओर विशेष ध्यान दें।

एक विषय पर और बोलना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, हमारा बाड़मेर जिला जो है, वह बिलकुल सूखा जिला है उसके अन्दर पेड़ों की बहुत कमी है, उसमें किसी तरह के पेड़ नहीं हैं इसी वजह से उस जिले के अन्दर बरसात नहीं होती है बरसात न होने का यह बहुत बड़ा कारण है। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, हमारे जिले के अन्दर पेड़ अगर भारी तादाद में लगाने की योजना बनायी जाये तो वहां पर बरसात होने की गुंजाइश हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, संजय गांधी के जो 5 सूत्री कार्यक्रम हैं, अगर हम उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उन पर अमल करना चाहते हैं तो, माननीय सभापति महोदय, वहां पर पेड़ों को लगाने की ओर विशेष ध्यान दिया जावे। अगर इस कार्यक्रम को हम चलायेंगे तो वहां पर बरसात होगी और अकाल की समस्या हल हो सकेगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और अकाल राहत मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे युवा नेता, स्वर्गीय युवा नेता संजय गांधी के जो 5 सूत्र थे, उनमें पेड़ लगाना एक सूत्र था इसलिये वहां पेड़ लगाने की योजना बनाई जावे। जब वहां पर पेड़ लगाये जायेंगे तो अकाल की समस्या हल हो सकती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, इस बात पर दूसरे सदस्यों को बहुत नाराजगी हो रही है लेकिन, सभापति महोदय . . .

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप समाप्त करें, माननीय सदस्य। आपको काफी समय दिया है।

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट . . .

श्री सभापति : आप एक-एक मिनट करके काफी समय ले चुके हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे यहां अकाल राहत के कार्यों के तहत जो इस तरह की कटौती और घोटाले हुए हैं उनकी जांच करायी जावे और गरीब मजदूरों के साथ न्याय किया जावे। बरसात होने के साथ अनाज हुआ नहीं है। वहां पर अनुसूचित जातियों और गरीब तबके के ऐसे लोग हैं जिनके पास आज खाने को एक दाना नहीं है। अगर उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो उनकी हालत क्या होगी ? इसलिए आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से और अकाल राहत मंत्रीजी से फिर निवेदन कर रहा हूं,

(श्री हेमाराम चौधरी)

कि अगर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो उनकी हालत बहुत खराब होगी। इसका नतीजा कोई और नहीं भुगतेगा, मुझे तो भुगतना ही पड़ेगा।×

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद। इसके बाद मंत्री महोदय का उत्तर होगा।

(व्यवधान)

आपके दल का समय समाप्त हो गया है। आपको मैंने काफी समय दे दिया है। जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, उन सभी को समय दिया जाय, यह आसन के लिए सम्भव नहीं है। जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, जो बोले नहीं हैं, उनके लिये आसन से सरकार को आदेश दिया है।

श्री महावीर प्रसाद, इसके बाद सरकारी उत्तर आरम्भ होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आप जो समय दे रहे हैं यह वाद-विवाद के समय में से नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके दल का काफी समय समाप्त हो चुका है।

एक माननीय सदस्य : मुझको समय नहीं मिला है। मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : अगर, माननीय महावीर प्रसादजी, आप न बोलें तो मैं आपका समय इनको दे दूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप इनको कितना समय दे देंगे ?

× राजस्थानी का हिन्दी रूपान्तरण।

श्री सभापति : मैं इनको 5 मिनट दूंगा। श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : सभापति महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था पहले मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान में जो 27 जुलाई तक कार्य करने के आदेश दिये गये और 29 जुलाई को विथड्रा कर लिये गये इसके कारण से स्कूलों, औषधालयों के और दूसरे कई काम चालू हो गये, उनके आदेश दे दिये गये और उन्होंने छेनी, बजरी और मिट्टी वगैरह खरीद ली। अब ये जो आपके आदेश गए हैं उसके कारण से चूना खराब हो जाएगा। उसके कारण से बजरी खराब हो जाएगी। उसके कारण से जो अधूरे काम पड़े हुए हैं, भवन बने हैं वे गिर जायेंगे। इसलिए मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था कि राजस्थान में टोंक तहसील में ही करीब 20 गांव ऐसे हैं जिनकी सूचना मुझे मिली है, अनपुरा खेड़ा, शक्करपुरा, खेड़ाअमीरपुर, दादीया, लगदर, करीरया, डारडातुर्की, हाडी खुर्द, सनेड़ा· · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री माधवसिंह दीवान : ये रामायण का पाठ कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें रामायण के पाठ की बात नहीं है।

इस प्रकार के जिन गावों की सूचना मिली है मुझे वह बता रहा हूं। वहां पर अधूरे काम पड़े हुए हैं तो मैं समझता हूं कि

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सारे राजस्थान में ही अधूरे काम पड़े हुए होंगे। राज्य सरकार का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना बहुत उचित समझता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान देकर जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उनको पूरा करायेगी। ये दस पन्द्रह दिन के कार्य हैं। इसलिए, सभापति महोदय, यदि 10-15 दिन कार्य और चलाये जावें तो यह कार्य कम्पलीट हो जायेंगे। इनसे राजस्थान का विकास होगा और हमारे वहां पर वेस्टेज आफ मनी, जो पैसे की खराबी हो रही है वह भी नहीं होगी और प्रदेश का विकास होगा, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, बाकी समय उजला जी को दे दें तो मैं समाप्त कर दूं।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, यह पक्षपात नहीं चलेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, बहुत शीघ्र समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दे रही हूं।

श्री सभापति : आपको और भी अवसर मिलेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, यहां पर जो बातें कहीं गई हैं उन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात कहती हूं। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बाड़मेर के सूखा संभावित क्षेत्र के लिये कोई योजना हाथ में लेनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूं, माननीय सभापति महोदय, एक अपना विभाग एरिड जोन का जोधपुर में काम करता है। 7 करोड़ रुपया प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार के माध्यम से उसे मिलता है। मरुस्थल का जो विस्तृत क्षेत्र है वहां उसको काम करना है। उनका यह आरोप है कि सरकार के द्वारा उनको कोई कोआपरेशन नहीं दिया जाता। मैं समझती हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। वह मरु क्षेत्र की योजना रखते हैं वह विस्तृत रूप से फैला हुआ है, और जोधपुर से लेकर बाड़मेर और जैसलमेर तक है। कोआपरेशन के अभाव में सात करोड़ रुपया यों ही चला जाता है। इसलिए उस सारे रुपये को लेकर मरु स्थल के विकास के कार्यक्रम में उसका उपयोग किया जाय तो मरुस्थल का ज्यादा विकास हो सकता है। यह कार्यक्रम मात्र अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ने का ही नहीं है। बड़ी अच्छी अंग्रेजी किताबों की लायब्रेरी है। यह विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का कार्यक्रम है। हम थोड़ा सा ध्यान दें तो जो मरुस्थल में पौधे लगाये जाते हैं उसका काम आधे से अधिक सात करोड़ रुपये से हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, 10 करोड़ 80 लाख रुपया इस बार इसमें रखा गया है। आप सभी को मालूम है कि जो इलाका जोधपुर का है वह इलाका ही उसका इतना बड़ा भाग ले जाएगा कि बाकी सूखा सम्भावित क्षेत्र में किस प्रकार का कार्य और उपयोग हो सकेगा, यह मैं नहीं समझ पाती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं, माननीय सभापति महोदय, जिस समय यहां पर कमेटी आई उसने यह निर्णय लिया कि इस

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पूरी पट्टी में जो इलाका ज्यादातर सूखाग्रस्त है जोधपुर से लेकर झुंझुनूं तक का वह शामिल किया जावे। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूं वहां पर निरन्तर सूखा पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, मैंने इस बात की जानकारी करने का प्रयास किया तो मुझे मालूम हुआ है कि पिछले वर्ष जयपुर ग्रामीण में सूखा पड़ता रहा है, यह जानकारी मुझे मिली है। तो जयपुर जिले को भी उसमें शामिल किया जाय, मरु विकास में यह पट्टी भी शामिल हो जाय तो वहां पर भी कल्याण के कार्य हो सकते हैं। लेकिन उसे नहीं लिया गया है। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि..

श्री रामसिंह बिश्नोई : आपकी ये पट्टी कौन सी है? किस पट्टी की बात आप कह रही हैं?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसकी भी मेरे पास जानकारी है। आप यह नहीं समझें कि मेरे पास जानकारी नहीं है।

जोधपुर से लेकर जो बाकी के क्षेत्र हैं जोधपुर, नागौर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीम, देवगढ़, खेरवाड़ा, ब्यावर, जोधपुर, यह सारी पट्टी है। माननीय सदस्य समझते होंगे कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं सदन का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती थी इसलिए नाम नहीं बताए। मैं सुझाव देना चाहूंगी...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो अनुसंधान एरिड जोन केन्द्र के माध्यम से किए जा रहे हैं उनका उपयोग जहां-जहां पर मरुस्थल हैं, रेतीले टीबे हैं, वहां पर घास उगाकर किया जा सकता है।

यहां पर बरसात वाली बात कही गई। मुझे जानकारी मिली है कि पोकरण के क्षेत्र में अनुसंधान किया गया अणु विस्फोट किया गया था वहां पर केवल पांच इंच वर्षा होने पर उन्होंने दो वर्षों का मेरा धान पैदा कर लिया था। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने जानकारी दी है मैं उसी की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो अकाल, आग, अनावृष्टि आदि आपदायें हैं उनके लिए एक कोष स्थापित किया जाये ताकि जैसे ही जानकारी मिले वैसे ही उस कोष से सहायता पहुंचाई जा सके। जिलाधीश से जानकारी प्राप्त हो उसके बाद ऊपर की अनुमति लेकर जब तक कार्यवाही करते हैं तब तक तो आग लग जाती है, उनके छप्पर जल जाते हैं, उनको खाने को नहीं बचता है, अग्नि विध्वंसक रूप धारण कर लेती है। उसी समय वहां सहायता पहुँचाने की आवश्यकता होती है। उस कोष में से अविलम्ब सहायता पहुंचाई जा सकती है। पैसा दिया जा सकता है। बाढ़ के समय में भी तत्काल सहायता पहुंचाई जा सकती है। मैं कहना चाहूंगी कि सूखे की स्थिति में भी तुरन्त सहायता पहुंचाई जा सकती है। बिजली पड़ने आदि पर भी सहायता पहुंचाई जा सकती है। इसलिए इस प्रकार का कोष

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

निश्चित रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में जो पैसा इस बार रखा गया है, 7 करोड़ 74 लाख रुपया, पिछले साल भी इतना ही पैसा रखा गया था····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि उस पैसे को बढ़ा कर गत वर्ष 23 करोड़ 28 लाख कर दिया गया था। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस बार भी आप पहले से ज्यादा रुपया नियोजित करें। इसको भी सूखा सम्भावित कार्यक्रम में शामिल करके पैसा बढ़ाया गया था। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि जिस समय यह मांग पूरी हो या बाद में जब इसमें सुझाव शामिल किये जावें तो पैसा बढ़ाया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगी कि जब यहां पर बाढ़ आई तब नाहूरी के नाका का नाला बनाने के लिए काम प्रारम्भ किया गया। वह काम आज भी अधूरा पड़ा हुआ है उस पर अब कोई पैसा नहीं लगाया जा रहा है। इसी तरह के 21 बांध फूटे थे उन 21 बांधों का तखमीना बनाया गया था। जब तखमीने बनाये गये तो यह सम्भावना लगी थी कि यहां काम चलेगा। जब यहां पर काम चालू होना था तभी आदेश आ गये कि अब काम बन्द कर दिया जावे। यह गत वर्ष की बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो कुछ घटना घटी है वह मैं आपके सामने कहना चाहूंगी। माननीय मंत्री महोदय, निश्चित रूप से उस समय तखमीने बनाये गये थे तो अब आप उस काम को पूरा करा दें। जिस समय भी ऐसा होता है हर बार अकाल का पैसा डूबता है; लैप्स होता है, वह लैप्स नहीं हो यह मेरा आप से आग्रह है। इस बात का आप निश्चित रूप से ध्यान रखें कि इस वर्ष तखमीने शीघ्र पूरे हों।

मेरे यहां पर राहोरी सड़क थी···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं, मुझे कहने दीजिए। आठ साल पहले यह सड़क बनाई जा रही थी। उस समय मैं नहीं थी, मेरा तो कहीं अता पता ही नहीं था। मैं कहना चाहूंगी कि वह माननीय भूतपूर्व सदस्य सहदेव जी के जमाने की सड़क बनाई जा रही थी। वह राहोरी सड़क अभी तक अधूरी पड़ी रह गई, उसको पूरा नहीं कर सके। तो अब जब आप कार्य चालू करें तो, माननीय सभापति महोदय, उसको पक्का करके छोड़ें। जिस तरह से आज सड़क है उससे तो सड़क नहीं होती तो ही अच्छा था। अकाल राहत कार्यों में वह सड़क बनीं, मजदूरों की मेहनत लगी। अगर उस पर डामर कर दी जाती तो आवागमन के काम में आती लेकिन आज उस पर एक साइकिल भी नहीं चल सकती है। कोई सवारी नहीं कर सकता है। तो मेरा सुझाव है, माननीय मंत्री महोदय···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समाप्त करने की ओर ही हूं, माननीय सभापति महोदय।

मैं कहना चाहूंगी कि काम शीघ्र करने की दृष्टि से कोष स्थापित किया जावे। एरिड जोन से सारी सूचनायें लेकर उन क्षेत्रों में काम किया जावे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : अकाल राहत मंत्रीजी !

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (अकाल राहत मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, पहले मैं मांग संख्या 28 को लूंगा और उसके बाद में 34 को।

राजस्थान राज्य में वर्ष 70-71 में रूरल वर्क्स के नाम से कार्यक्रम चालू किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाना था; आय के स्रोतों में वृद्धि तथा ऐसी परि-सम्पत्ति का सृजन करना था कि जिससे कुछ जिलों में निरन्तर पड़ते रहते अकाल के क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव से राहत मिल सके। सन् 74-75 से यह कार्यक्रम सूखा सम्भावित क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। इस कार्यक्रम में दस पूर्ण जिले तथा तीन जिलों की छः तहसीलों को सम्मिलित किया गया था···

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह भाषण पढ़ रहे हैं या जवाब दे रहे हैं।

(7.50 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पीठासीन)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं जवाब दे रहा हूं। इसमें आंकड़े हैं। निश्चित रूप से आंकड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, रेफर कर रहे हैं, कुछ पेपर्स।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी भी डिमाण्ड पर जब बहस होती है उसका जवाब देते समय उत्तर पूरा का पूरा पढ़ कर नहीं दिया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : कोट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्रीमती शान्ति पहाड़िया : बीच में ही बोलने लग जाते हैं आप लोग। मंत्रीजी को बोलने ही नहीं देते हैं, बीच में ही बोलने लग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह : आप पहले बोलने तो दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इसमें फिगर्स हैं, जिनको मौखिक रूप से बताना मेरे लिये मुश्किल है। मैं, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था चाहूंगा···

श्री अध्यक्ष : रेफर कर सकते हैं। कुछ हिस्से को पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है।

श्री नाथूसिंह : रेफर कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह पढ़ भी सकते हैं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, रूल्स · ·

श्री अध्यक्ष : रूल्स बिलकुल स्पष्ट हैं।

श्री सुरजपाल सिंह : व्यवस्था के बाद भी बोलने का · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

श्री माणकलाल मेहता : सदन की यह परिपाटी नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

भाषण पूरा का पूरा पढ़ना नियमानुसार नहीं है, पर · · ·

(व्यवधान)

ताली बजाने की बात नहीं है।

अपने जो आरग्यूमेन्ट्स हैं, उनको स्ट्रेन्दन करने के लिये आंकड़ों को व कुछ हिस्सा पढ़ा जा सकता है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम के सम्बन्ध में कई कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनमें से एक-एक कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में पहले कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

नागौर जिले में डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत हो रही धांधली के सम्बन्ध में एक कटौती प्रस्ताव आया है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस जिले के अन्दर वर्ष 74-75, 77-78, 78-79, 79-80 में इस प्रकार व्यय किया गया है, 74-75 में 269 लाख, 78-79 में 80 लाख, और 1979 में 125 लाख रुपये। इस प्रकार करीब 475 लाख रुपये विभिन्न योजनाओं में व्यय किये गये हैं। इस वर्ष के लिये, 1980 के लिये 124 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। तो डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत हो रही धांधली के के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव का जहां तक प्रश्न है, उस पर वक्ता महोदय ने प्रकाश नहीं डाला है। मैंने यह बात बताने का प्रयास किया है कि नागौर जिले में डी.पी.ए.पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत कितनी रकम खर्च हो रही थी और हमने इस बजट में क्या प्रावधान रखा है।

इसके बाद दूसरा कटौती प्रस्ताव जो आया है, वह भू-संरक्षण कार्य को सूखा आशंकित कार्य के अन्तर्गत लेने का आया है।

(164)

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 54,400 हैक्टेयर क्षेत्र की जल संधारण के आधार पर परियोजना बनाने का लक्ष्य है और 6600 हैक्टेयर क्षेत्र में जल संधारण कार्य किया जायेगा जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष में 44.21 लाख रुपये का प्रावधान किया।

इसके बाद तीसरा कटौती प्रस्ताव है, सूखा आशंकित कार्यक्रम के अन्तर्गत जालौर जिले में कृषि क्षेत्र में उन्नति हेतु व्यापक प्रचार और प्रसार न किये जाने के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिले में इस वर्ष कुल 240 के..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सुविधानुसार उनको उत्तर देने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक-एक कटौती प्रस्ताव का कब तक चलेगा?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय, अध्यक्ष महोदय, यह लिखकर भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करिये। जवाब देने का अपना-अपना तरीका होता है। जिसको वह सुविधाजनक समझते हैं, तरीके से उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, लगभग 50 कटौती प्रस्ताव कुल हैं। इनमें से मेरा निवेदन है कि कई माननीय सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव तो रख दिये, लेकिन वह कटौती प्रस्ताव नहीं पर बोले। उनका भी जवाब···

क माननीय सदस्य : हां, जवाब तो सबका देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

साधारण सा नियम है, जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये थे, सुबह व्यवस्था यह दी गई थी कि वह सदन अन्दर प्रस्तुत हुए समझे जायेंगे। इसके मायने यह हुए कि उनके ऊपर वाद-विवाद हो सकता है। चाहे कोई माननीय सदस्य उस कटौती प्रस्ताव पर बोले हों या नहीं बोले हों लेकिन एक दफा सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह सदन की सम्पत्ति हो जाता है। उसके बाद उस पर रिप्लाई दिया जा सकता है। कृपया इसमें व्यवधान उपस्थित न करें। मंत्री महोदय अधिक जवाब देना चाहते हैं, सब कटौती प्रस्तावों का जवाब देना चाहते हैं तो यह और भी अच्छी बात है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : समय खराब हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : व्यर्थ में समय न गंवायें। ऐसी कोई नियम-विरुद्ध बात नहीं हो रही है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइण्ट आफ आर्डर उठाया है।

जब डिबेट चल रही हो, एक सदस्य या मन्त्री बोल रहे हैं तो बीच में बाधा सिवाय पाइन्ट आफ आर्डर के अन्य किसी तरीके से नहीं डालें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर, पाइन्ट आफ आर्डर ही होना चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा तो पाइन्ट आफ आर्डर ही है। मेरा निवेदन है कि आपने व्यवस्था दी थी कि जितने प्रस्ताव यहां रखें जायें उन सब पर माननीय सदस्य नहीं बोल सकते हैं। अब जब माननीय मन्त्री महोदय जवाब देने लगे तो उन्होंने कहां कि धांधली के बारे में एक प्रस्ताव है, पर इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, इसलिये मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आग्यूमेंट करने वाले की भूल हो सकती है, लेकिन यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। जिस विषय को माननीय मंत्री महोदय महत्वपूर्ण समझते हैं, उसके बारे में उत्तर दे रहे हैं, इसकी उनको छूट है।

श्री नाथूसिंह : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अब आप बैठ जाइये, भला इसी में है।

एक माननीय सदस्य : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं बाधा उपस्थित नहीं करने दूंगा। कोई पाइन्ट आफ आर्डर हो तो बतायें। बीच में बाधा उपस्थित न करें।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। जब भी कोई मंत्री महोदय जवाब देते हैं सदन में—

श्री अध्यक्ष : आप नियम कोट कीजिये पहले।

श्री नाथूसिंह : मैं नियम बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(166)

श्री नाथूसिंह : माननीय मंत्री महोदय, द्वारा बहस का उत्तर आता है तो उसमें दो प्रश्न पैदा होते हैं, एक तो बहस में जो मुद्दे उठे वे और दूसरे जो कट मोशन्स दिये थे। दो तरह का जवाब देना है। तो मैं जानना चाहता हूं––

श्री अध्यक्ष : यह आप जानना––

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। स्थान ग्रहण करें। मैं इसे डिसअलाउ करता हूं।

मेरा निवेदन यह है कि पाइन्ट आफ आर्डर रेज करने से पहले नियम कोट किया जाय। वास्तव में पाइन्ट आफ आर्डर हो तो सदन का समय लिया जाय। व्यर्थ की बातों में सदन का समय जाया न किया जाय।

मंत्री महोदय।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : इसके बाद सूखा संभावित क्षेत्र की समस्या का स्थाई हल निकालने के लिये।

श्री अध्यक्ष : बीच में बात न करें। उप मंत्री महोदय, बात न करें। आर्डर, आर्डर।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सूखा संभावित क्षेत्र की समस्या का हल निकालने के लिये राज्य सरकार ने न केवल राजस्थान नहर बल्कि दो और योजनाएं भी मंजूर की हैं। ये योजनाएं हैं सूखा संभावित क्षेत्र योजना और मरु विकास योजना। इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत भू-संरक्षण, वन विकास, विद्युतीकरण, डेयरी विकास, भूमिगत जल दोहन, पशुपालन, पेय जल आदि विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह तो पढ़ कर सुना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पूरा उत्तर आने दीजिये। घंटे दो घंटे में जवाब नहीं आवेगा।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समय के लिये तैयार हैं लेकिन जो कुछ रिपोर्ट में आया है वह तो सदन के माननीय सदस्यों ने पढ़ लिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने पढ़ लिया होगा। मैंने नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ लिया हो तो पधार जाय।

श्री नाथूसिंह : बहस में जो मुद्दे खड़े हुए हैं उनका जवाब दे दीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : जवाब अपने ढंग से देने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : सुनना हो तो सुनें नहीं तो बाहर चले जायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कौन से पेज से बोल रहे हैं ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : पेज नहीं है।

इसके बाद सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम को वैज्ञानिक स्वरूप देने के संबंध में एक कटौती प्रस्ताव मूव किया गया है। इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि मरु विकास योजना और सूखा संभावित योजना ये दोनों योजनाएं चालू हैं। दोनों ही योजनाओं का आधार वैज्ञानिक है। ये दोनों योजनाएं आरम्भ हो गई हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरु विकास के आधार पर इस योजना को तैयार किया था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह योजना कब से चालू है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सूरजपालसिह : जब आपको टोका जाता है तो आपको वही तकलीफ होती है।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम को और गतिशील बनाने के लिये इसकी व्यवस्था के अन्दर परिवर्तन-

(व्यवधान)

यह प्रश्नोत्तर काल नहीं

श्री भैरोंसिह शेखावत : भारत सरकार ने योजना बनाई है। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि यह डी. पी. ए. पी. स्कीम कब से चालू है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम को और गतिशील बनाने की दृष्टि से-

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह चालू कब से है??

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न का जवाब दिया जाये। काफी अरसे से....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : हर एक बात का जवाब देना-

श्री अध्यक्ष : जरूरी नहीं है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये राज्य सरकार ने कुछ प्रमुख डिवीजन हैड क्वार्टर्स लिये हैं वहां उच्च स्तरीय आई. ए. एस. अधिकारी को लगाकर विकास के सारे काम को चाहे वह डी. ए. पी. पी. हो या दूसरे कार्यक्रम उनको सफल बनाने के लिये-

एक माननीय सदस्य : और दूसरे कौन से कार्यक्रम हैं?

श्री माणकलाल मेहता : आसन के माध्यम से जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है। यह कोई परम्परा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह डी. ए. पी. पी. नहीं है यह डी. पी. ए. पी. है।

श्री भलू खां : आपको सुनाई देता है?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर आप पूरे कटौती प्रस्तावों पर नहीं सुनना चाहते हैं तो संक्षिप्त में।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इनसे बढ़िया तो बिना तैयारी के खेतसिंह जी बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

(168)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको सुनने की तैयारी होनी चाहिये ।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : बहस के दौरान कुछ सदस्यों ने नागौर में लिफ्ट सिंचाई योजना के संबंध में चर्चा उठाई । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है न कोई ऐसा प्रस्ताव है ।

इसके बाद एक दो हैक्टेयर जमीन के ऊपर भेड़ों का सवाल उठाया गया । मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि दो भेड़ नहीं वहां पर 400 भेड़ें रहती हैं और उसी हिसाब से उसका समावेश है ।

इसके बाद भू-जल विभाग को तोड़ने की बात बहस के दौरान उठाई गई । उसको तोड़ने का कोई प्रश्न आज की स्थिति में नहीं है, यह स्पष्टतः निवेदन करना चाहता हूं ।

कुछ जगह यह कहा गया कि सिंचाई योजनाएं जो बनाई जाती हैं उसका बी.सी. रेश्यो कम किया जाय और उसके आधार पर कुछ जगह बी. सी. रेश्यो के बिना भी काम शुरू किया जाय । मैंने आपसे कहा कि यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा जो निर्देश दिये जाते हैं उनके आधार पर बनाई जाती है इसलिये बी. सी. रेश्यो को कम करने का प्रश्न।····

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह गलत सूचना है । यह केन्द्रीय सरकार तय करती है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । बीच में किसी प्रश्न के उत्तर नहीं दिये जायेंगे ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आपको जानकारी नहीं हो तो जानकारी कर लीजिए । बहुत दिन हो गये इसलिए आपकी स्मृति कमजोर हो गई है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, कृपया आप हमको देख कर सम्बोधित करें ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया कि चर्म उद्योग के कारखाने डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत लगाये जाने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : कृपया आसन को सम्बोधित करें ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं य निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का प्रावधान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं है ।

जैसा कि मैंने कहा है इस कार्यक्रम को गति देने के लिये उच्च स्तरीय अधिकारियों को लगाया जायेगा । कुछ स्थानों पर आई.ए.एस. अधिकारियों को लगाया गया है । इस काम को और तेज करना होगा और जैसे जैसे आवश्यकता होगी, राज्य सरकार अनुभव करेगी, उसी तरह से अधिकारियों की कार्य क्षमता, दक्षता, योग्यता इन सब बातों को देखते हुए इसका निर्धारण किया जायेगा और इस पर यथा संभव विचार किया जायेगा ।

एक बात यहां पर यह कही गयी कि डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम का 80 प्रतिशत व्यय प्रशासन पर होता है । यह सर्वथा गलत है । गत वर्ष का प्रशासन व्यय का औसत 29

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

प्रतिशत रहा है। इस वर्ष का औसत आधार कह नहीं सकता परन्तु गत वर्ष का 29 प्रतिशत रहा है। इसलिए यह कहना कि 80 प्रतिशत व्यय प्रशासन पर होता है, सर्वथा गलत है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

इसके बाद गोचर भूमि पर से कब्जा हटाने के बारे में कहा गया है। यह राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रश्न है और डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसके साथ-साथ यहां पर यह कहा गया है कि डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाना सरल है। विरोधी दल के पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। यदि कोई स्पष्ट रूप से आरोप लगाये गये तो उसकी जांच करवाना राज्य सरकार का काम है। इतना ही मैं निवेदन कर सकता हूं। केवल भाषण के दौरान भ्रष्टाचार की बात कह कर किसी पत्रिका में अपना नाम प्रकाशित करवाने की इच्छा हो तो अलग बात है। वे इस प्रकार अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं परन्तु जहां तक ऐसे आरोप राज्य सरकार के सामने स्पष्ट रूप से आयेंगे तो उसकी जांच करवाने में हम को कोई आपत्ति नहीं होगी।

एक बात यहां पर यह कही गयी है कि जिला विकास अधिकरण में विधायकों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। इन योजनाओं में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। हम स्वयं इस बात को चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधित्व होना चाहिये। हर जिला विकास अधिकरण के अन्तर्गत दो दो सदस्यों को मनोनीत करने का माननीय अध्यक्ष को अधिकार है और हम उनको यह निवेदन करने जा रहे हैं कि जो जिला विकास अधिकरण है उसमें वे दो दो सदस्यों का मनोनयन करें।

यहां पर अजमेर और भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत इन दो जिलों को भी सम्मिलित किया जाए। अजमेर जिले का जहां तक सवाल है, उसकी ब्यावर तहसील इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आती है। ब्यावर के अलावा कोई भाग नहीं है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भाग, तहसील, जिला को लेने के लिए दस साल की वर्षा का औसत आधार है, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है अकाल की स्थिति कैसी है? और क्या क्या कार्यक्रम वहां पर लिए जा सकते हैं, इन सब आधारों पर किसी जिला, तहसील को लेने पर विचार होता है। राज्य सरकार की ओर से—जहां तक अजमेर जिले की स्थिति है, मैं निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार को इसमें कोई संकोच नहीं है। भीलवाड़ा, अजमेर चाहे उसका कोई भाग यदि ले सकते हैं, तो राज्य सरकार पूरा प्रयत्न करेगी। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। हां, छबड़ा तो इसमें आने वाला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो आपसे निवेदन नहीं किया है। अपन समझौता कर लेते हैं। आप मावली को ले आवें और फिर छबड़ा की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं अपना घर, जिला छोड़कर नहीं गया हूं। जिनको अपने जिले में जगह नहीं मिलती है वे दूसरी जगह जाते हैं।

(व्यवधान)

आप झूंठ बोलते रहे तब भी हम नहीं बोले और सही बात कहते हैं तो आप व्यवधान पैदा करते हैं। आपकी सुनने की तैयारी होनी चाहिए।

श्री नन्दलाल मीणा : आप भी मावली में बाहर से आकर बैठे हैं।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन सर, माननीय मंत्री जी की म्युनिसिपैलिटी के चुनावों में जमानत जब्त हुयी थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इन सब के बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है, इस कार्यक्रम को जितना व्यवस्थित किया जा सके, इस कार्यक्रम को जितनी अधिक जनसंख्या में–किसान, आदिवासी, शिड्यूल्ड कास्ट, इस तरह के लोगों को जितना अधिक लाभ मिल सके, उसके लिए प्रयत्न होगा। इन्हीं बातों के बाद यह जो मांग प्रस्तुत की गई है और जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं उनको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इसलिए इस मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए।

अकाल राहत का जो प्रश्न है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में जो मुख्य मुख्य बिन्दु उठाये गये हैं, उनमें एक प्रश्न तो यह उठाया गया कि अकाल राहत कार्य जल्दी बन्द कर दिए गए जब कि किसानों की, आदिवासियों की, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की, गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे बाजार से धान खरीद सकें और अपना गुजारा कर सके। इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि 1973–74 में भी अभाव की स्थिति रही और 1974–75 में भी और इनमें 31 जुलाई को अकाल राहत के कार्य बन्द कर दिये गये। इसी प्रकार वर्ष 1977–78 में भी 31–7–79 को काम बन्द किए गए। वर्ष 1978–79 में भी 31 जुलाई को काम बन्द कर दिये गये। और वर्ष 1979–80 में भी 31 जुलाई को काम बन्द करने के आदेश दिए गए। जहां तक अकाल राहत कार्यों को बन्द करने का प्रश्न है, जब भी अकाल की स्थिति आई है, जुलाई के बाद अकाल के निमित्त कोई काम नहीं हुए हैं। किन्तु जैसा मैंने कहा है, राज्य सरकार की यह नीति है–आदिवासी जो पिछड़े हुए रहे हैं...

श्री नन्दलाल मीणा : पहले उनका चुकारा कर दो।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : हमेशा ही 31-7 तक हमारे काम बन्द होते रहे हैं। इस बार राज्य सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि आदिवासी क्षेत्रों में चाहे वह डूंगरपुर जिला हो, सिरोही जिला हो या अन्य आदिवासी जिले हों जहां पर आदिवासी बहुत अधिक संख्या में रहते हैं

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

वहां पर 15 अगस्त तक काम चलाये जायें इसी आधार पर 15 अगस्त तक काम चलाने का निर्णय किया गया। मैं समझता हूं कि अब तक जो कदम उठाये जाते रहे हैं हम उनसे एक कदम आगे हैं पीछे नहीं हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी उदयपुर…

(व्यवधान)

से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आदिवासियों के हम हितैषी हैं। माननीय सदस्य को शायद इस बात का पता नहीं है कि जो आदिवासियों का शोषण करने वाले लोग हैं, तबका है, जो आदिवासियों का शोषण करता है····

(व्यवधान)

जो इस तरह के लोग हैं उन्हें शायद इस बात का पता नहीं है। वे कहते हैं कि आदिवासियों····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आपस में बातचीत न करें। उत्तर आने दीजिये।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इसलिये मैंने कहा है कि उदयपुर से आये हुये माननीय सदस्य ने आदिवासियों की पूरी वकालत की है। आज उनके दिल और मस्तिष्क के अन्दर आदिवासियों के लिये सहानुभूति जग गयी किन्तु उन्हें शायद इस बात का पता नहीं है कि उनकी पार्टी के समर्थक लोग हैं वे ही उनके सबसे ज्यादा शोषक हैं····

(व्यवधान)

आज उनके मन में आदिवासियों के लिये तड़पन जागी है…

(व्यवधान)

आदिवासियों के मन में जो तड़प है वह आज नहीं तो कल जागेगी और एक बगावत के रूप में आयेगी आप उसके लिये तैयार रहें····

एक माननीय सदस्य : और वह आपको ले डूबेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : भुगतान का जहां तक सवाल है मैंने आपसे कहा कि मई तक का पेमेण्ट हुआ है। एक माननीय सदस्य, जो शायद कोलायत से आते हैं, ने कहा कि 5 महीने से पेमेण्ट नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा कि हमारे यहां अकाल राहत अलग-अलग एजेन्सियों द्वारा होता है, पी. डब्ल्यू. डी, सिंचाई विभाग अलग चला रहा है और पंचायत समिति अलग चला रही है मुझे स्पेसिफिक बतायें कि कौनसी एजेन्सी का भुगतान नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : बाहर निकल जाइये।

(172)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय कृपया स्थान ग्रहण करें ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि 5-6 घण्टे तक बहुत ही गम्भीरता से सदन में अपन लोगों ने विचार किया । बहुत सदस्यों ने अच्छे-अच्छे सुझाव दिये । माननीय मंत्री महोदय उनका विस्तार से उत्तर देना चाहते हैं, तो ऐसे वातावरण से क्या कुछ प्राप्त हो सकता है । रोज 51 रुपया देते हैं तो उस दिन इतनी तो सेवा करके जाइये । सदन में यह क्या तरीका है बीच में बोलने का । बड़े अफसोस की बात है माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, माननीय सदस्य । आप भी बैठ जाइये । कृपया स्थान ग्रहण करिये । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें, मैं इस तरह अलाऊ नहीं करूंगा :

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय मंत्री महोदय फर्मा रहे हैं. . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय फर्मा रहे हैं तो उनकी सुनिये ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : तो मैंने आपसे कहा कि भुगतान के मामले में मैं मानकर चलता हूं कि मई तक का भुगतान हुआ है । उसके बाद भुगतान करने में दिक्कत हुयी है । हमारा प्रयत्न इस बात का होगा कि आखिर जिस मजदूर ने ठेठ गर्मी में अपना पसीना बहाकर काम किया है उसको उसका भुगतान समय पर हो जाये । हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितना भुगतान हो सके उतना भुगतान हम करने की कोशिश करेंगे . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । मैं अलाऊ नहीं करूंगा ।

(व्यवधान)

मैं किसी को भी अलाऊ नहीं करूंगा । आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण करिये ।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बता दीजिये कि कितना समय लगेगा . .

श्री अध्यक्ष : माननीय नाथूसिंह, स्थान ग्रहण करें । यह कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का. . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारी तरफ से ही कह रहे हैं । हमारी तरफ के सदस्य बोलते हैं तो आप उनको कहते हैं । पर वे बोलते हैं तो उनको कुछ नहीं कहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं सबको कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनसे भी कहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं उनसे भी बराबर कह रहा हूं।

उत्तर आने दीजिये। खड़े मत होइये।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाइये। उनसे भी मैं कह रहा हूं। आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : कितना समय और लगेगा।

श्री अध्यक्ष : एक घंटा और लगेगा जवाब में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक घंटा तो हम नहीं बैठना चाहते

(व्यवधान)

(वहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया हाथों से इशारे न करें। कृपया माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इसके बाद एक माननीय सदस्य ने उदयपुर के समाचार-पत्र में से यह समाचार पढ़कर सुनाया कि वहां मौतें हुयी हैं और जिलाधीश ने इसको मंजूर किया है। मैं सदन में स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो श्रामक समाचार अखबार में प्रकाशित हुआ था। उसका बड़े जोर से उल्लेख सदन में किया गया। उसका प्रतिवाद जिलाधीश महोदय ने किया है। इसी तरह से उस अखबार में जो समाचार छपा था कि आदिवासी घास खा रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं। इस तरह का समाचार निराधार है। क्योंकि स्वयं जिलाधीश ने इसका प्रतिवाद कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

मैं कुछ भी अलीऊ नहीं करूंगा। बाधा उपस्थित न करें। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह : मतलब यह है कि आप सुनना नहीं चाहते हैं। हम चुप नहीं रहेंगे। जो सच बात है उसको कहेंगे। . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में भाषण नहीं दें। आर्डर प्लीज। यदि आप पधारना चाहते हैं तो जा सकते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिलोकसिंह : आपका पक्षपातिपूर्ण रवैया है उसके लिये मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

174

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। यह कैसा वातावरण आप बना रहे हैं ?

श्री त्रिलोकसिंह : आपकी नादिरशाही चल रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मजदूरों को कम मजदूरी मिलने का सवाल बड़े जोरों से उठाया गया। यह सही है कि कई स्थानों पर आधा किलो का भुगतान कम हुआ है। मुझे मंजूर करने में कोई शर्म नहीं है। परन्तु जैसा कि अकाल राहत का कानून है कि एक काम पर 15–20 या 50 या ज्यादा आदमी काम पर लगे हुये होते हैं और उनके काम को नापने के बाद जो औसत भुगतान बनता है वह दिया जाता है। यह कहा जा सकता है कि एक आदमी ज्यादा काम करता है और एक आदमी कम काम करता है, दोनों को इसमें समान माना जाता है। पर काम को अलग-अलग व्यक्ति तो कर नहीं सकता है और न ही अलग-अलग व्यक्तियों का काम नापा जाता है। अकाल राहत के जो नियम हैं उन्हीं के अनुसार भुगतान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, आप व्यवधान के लिए मुझे क्षमा करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

60 का गेंग होता है, उसमें बहुत से फर्जी आदमी होते हैं। तो जो कोई मजदूरी नहीं करे उसको 10 पैसे ही रोज मिल जायें तो उसको तो कोई नुकसान नहीं लेकिन जो काम करने वाला है, उसका कोई नुकसान नहीं नहीं हो, इसका कोई तरीका आप निकाल सकें तो अच्छा होगा।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो सुझाव दिया है, वह मैंने मंजूर किया। इसमें इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि काम करने वाले व्यक्ति को किसी तरह की हानि नहीं हो। मगर यह हो सकता है, क्योंकि काम करने की एजेन्सियां कई हैं। ग्राम पंचायतें भी हैं। पंचायत समितियां भी हैं। कई प्रकार की एजेन्सी हैं। सवाल यह हो सकता है कि उनका सुधार कैसे किया जा सकता है ? इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है। देखा जाये तो इसका कारण मैनुअल है। प्राकृतिक विपदाओं और वित्तीय मामलों में मैन्युअल के सम्बन्ध में पुनर्विचार की स्थिति में मान कर चलता हूं। राहत कार्यों के मामले में और प्राकृतिक विपदाओं के मामले में जो कानून बने हुये हैं वे काफी पुराने हैं। जैसा कि मैंने दिन में निवेदन किया था, एक मकान है, उसमें आग लग जाती है, एक मकान है, गिर जाता है, उसमें चाहे कितनी भी हानि हो जाये, उसको 500 रुपये से अधिक नहीं दिया जा सकता है। मकान गिर जायेगा तो मकान वाले को 300 रुपये से अधिक नहीं दिया जा सकता है। इन परिस्थितियों में ये कानून मुझे उचित नहीं लगते। आज कल के देशकाल में मुझे तो ये कानून उचित नहीं लगते हैं। एक मन्त्री के नाते मैं इन्हें मन्त्रिमण्डल में रखूंगा, मन्त्रिमण्डल जो भी निर्णय करेगा, वह सदन के सामने आ जायेगा। इन सभी प्रश्नों पर विचार करना चाहिए।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

इसके साथ-साथ कुछ और प्रश्न उठाये गये हैं उनके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार काफी हुआ है। इसके कारण ढील हुई है, मैं मानता हूं। 10 लाख मजदूर काम पर लगे हुए हैं। अलग-अलग एजेंसीज के द्वारा काम पर लगे हुये हैं। तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है, यह मैं स्वीकार करके नहीं चलता हूं। मैंने यह कहा कि अकाल राहत में लक्ष्य यह है कि इन्सान भूखा नहीं रहे। विकेन्द्रीकरण जितना किया जा सकता है, कामों में उतना किया गया है। केन्द्रीकरण करने में भी हानियां हैं, और विकेन्द्रीकरण करने में भी हानियां हैं। इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए कोई स्थिति आएगी तो विचार किया जा सकता है।

इसके साथ-साथ एक प्रश्न कामों के बारे में उठाया गया। काम इस प्रकार के किये जायें जो कि स्थायी हल हो। मैं निवेदन करूंगा कि यह अलग-अलग जिलों की अलग-अलग परिस्थिति पर निर्भर करेगा। हम 25% मैटीरियल कम्पोनेन्ट देते हैं। इससे अधिक मैटीरियल कम्पोनेन्ट अकाल राहत कार्यों पर हम देते नहीं हैं। इसमें यह मानकर चलिये कि कोई पंचायत सक्षम है या कोई क्षेत्र सक्षम हो। जहां मैटीरियल कम्पोनेण्ट ज्यादा मिल जाये तो वहां तो पक्के काम हो सकेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा, इसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है। जैसा कि 30 हजार से ज्यादा का काम किया गया। इससे मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। तो हमारे दो तरीके हैं, काम कराया जाये, उस का स्थायी हल निकाला जाये। दूसरे अधिक से अधिक मजदूरों को मजदूरी दी जाये। जहां तक सरकार का प्रश्न है, स्थायी हल निकाला जाना चाहिए। स्थायी काम कराये जाने चाहिए। इससे पहले एक और प्रश्न है, इन्सान को भूख से नहीं मरने दिया जाये। तो इस लक्ष्य की दृष्टि से काम किया जाता है। मिट्टी डाली जा रही है या और कुछ काम किया जा रहा है तो वह करना अनिवार्य होगा। इससे हम मना नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किया गया तो कई जगह काम नहीं हो सकेंगे। इस विषय में परिस्थितियां अलग अलग हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मांगें प्रस्तुत की हैं, जो कटौती प्रस्ताव आये हैं, उन सब को अस्वीकार करते हुये मैं सदन से आग्रह करता हूं कि मांगों को स्वीकार कीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बताया, फैमिन के अन्दर जो मजदूरी का काम करते हैं, राजस्थान के अन्दर ऐसे ऐसे भाग हैं, जहां बिल्कुल काम नहीं होने पर भी बराबर उनको पैसा मिलता है। आप उनको बन्द करेंगे या नहीं करेंगे ? राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ? जब उनको बन्द नहीं करती हैं तो जो गरीब आदमी पेट की खातिर ऐसा करता है, क्या उसका पेमेन्ट काटना चाहिए ? क्या यह न्यायोचित है ? जिन अधिकारियों के पास काम नहीं है सरकार उनको भी पैसा देती है। घर बैठे उन पर सरकार लाखों रुपया खर्च करती है। इसी तरह से जैसे 2000 गाड़ियां हैं जो ड्राइवर हैं, कण्डक्टर हैं, उनको घर बैठे पैसा देते हो तो एक गरीब

(श्री रामसिंह विश्नोई)

आदमी जो देश के लिए अच्छा काम करते हैं उनको क्यों नहीं दे सकते हैं ?

श्री सूरजपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय मंत्री महोदय ने टास्क बेसिस पर कहा है, यह अच्छा है। पर यह ग्रुप में क्यों हो ? इंडिविजुअली लें और इस प्रकार की व्यवस्था थी। इसी प्रकार से सन् 69-70 से पूर्व और 69-70 में भी काम चलते थे। टास्क इंडिविजुअल लेबर का लेना चाहिए था। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि किसी को दस पैसा भी नहीं मिले और दूसरे को 5 रुपया मिल जाये इस बारे में विचार करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री रामसिंह विश्नोई ने सुझाव दिया है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। राज्य कर्मचारी हैं जो काम नहीं करते हैं, फिर भी उनको पैसा दिया जाता है, जब किसानों के लिये यह है तो कर्मचारियों के लिए यह क्यों नहीं अपनाया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, राज्य में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो सिर्फ हस्ताक्षर करके चले जाते हैं। उनके पैसों की कटौती नहीं होती है। जो गरीब मजदूर हैं उनका पैसा काट लिया जाता है। ऐसा कब तक चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बोलें नहीं बीच में।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है। गरीब आदमी काम करता है, उसकी मजदूरी की सरकारी पुरानी रेट चल रही है। सरकार उस रेट को बढ़ाना चाहती है या नहीं बढ़ाना चाहती है ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सदन में चर्चा चल रही है। 100 ग्राम या 500 ग्राम गेहूं दिया गया। मेरा सुझाव है कि मजदूरी की 7 रुपया रेट हो। मजदूर के साथ अन्याय होता है, यह अच्छा नहीं है। मेरा सुझाव है कि मजदूरी 5 रु. या 7 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री बजारी।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि अकाल राहत के अन्दर काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जितने अधूरे कार्य हैं, जो परमानेन्ट नेचर के वर्क हैं, उनको अधूरा नहीं छोड़ा जाये। उनको पूरा किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्र।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सारी गड़बड़ी अधिकारी करते हैं। जो मजदूर हैं, उनको मजदूरी समय पर दे दी जाये तो काम अच्छी तरह से हो जाये। अधिकारी लोग वहां क्या करते हैं, जो लोग उनको कुछ पर्सेण्ट दे देते हैं, वह तो ठीक है और जो नहीं देते हैं उनके लिए अधिकारी गड़बड़ी करते हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इसको दूर किया जाये। मजदूर को नाप तोलकर काम दें।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख 23 को पी. डब्ल्यू. डी. का काम चल रहा था रोड्स का, वहां पर मजदूरों को एक किलो डेढ़ किलो का पेमेन्ट

(श्री देवेन्द्र कुमार)

तो हुआ है, उसके बाद मजदूरों ने पेमेन्ट लेना बन्द कर दिया, जब विभाग से अधिकारियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि 12 गेंगों में से 4 गेंगों का पैसा तो ठीक मिला, तीन किलो अनाज मिला और दूसरों को डेढ़ किलो मिला तो इस बारे में सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

श्री बिहारीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिचाई योजना के तहत पंचायतों के मार्फत जो काम किये गये उसमें 25 पर्सेन्ट मेटीरियल कम्पोनेन्ट राशि का जो प्रावधान है वह बहुत देरी से मिलती है। 25 पर्सेन्ट की वजह से सारे काम अधूरे रह गये और अनाज भी साफ हो गया, कहीं पर पट्टी नहीं पड़ी। आयुर्वेदिक अस्पताल बन रहा था उसकी दीवार पूरी नहीं बन सकी। ऐसी जगह मेरे क्षेत्र में 40 हैं जहां पर मेटीरियल कम्पोनेन्ट की राशि की व्यवस्था नहीं होने से काम अधूरे रह गये हैं। क्या मंत्री महोदय उनके लिए कोई प्रावधान करेंगे ? दूसरी बात 25% से गांव वालों का उद्धार नहीं होगा इसको 50% कर दिया जाय तो कुछ फायदा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य। आप तो भाषण देने लग गये।

श्री बिहारीलाल : जिन रोड पर काम हुआ है, और जिन लोगों ने वहां पर काम नहीं किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी ? जिन्होंने काम किया है, उन लोगों को 15-15 दिन में 90 पैसे मिले हैं, जिन मजदूरों ने अच्छा काम किया उनको पूरा पैसा भी नहीं मिला, क्या आप उनको पूरा पैसा दिलवायेंगे, जिससे गरीबों को राहत मिल सके ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्हिप महोदय की राय है, कि इस तरह से तो दुबारा चर्चा शुरू हो जायगी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस तरह की कोई परम्परा नहीं है।

श्री नानालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा सुझाव है।

श्री परसराम मोरदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि फूड फार वर्क्स के अन्तर्गत जो काम चला और उसके अन्तर्गत या अन्य जो विकास की योजनायें हैं पंचायतों के माध्यम से, उनमें सरपंचों को अधिकार देने से गरीबों और हरिजनों के मोहल्लों में कोई विकास नहीं होता है। अतः मेरा निवेदन है कि.....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मोरदिया : सरपंचों को अधिकार नहीं दिये जावें। जिन मोहल्लों में काम की आवश्यकता है वहां पर काम कराये जाने चाहिये आवश्यकतानुसार। जैसे पम्प सेट जहां पर लगे वहां पर तो पानी पहुंच गया लेकिन हरिजनों के मोहल्लों में लोग प्यासे ही रह गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रामीण माननीय सदस्य को कहने दीजिये। श्री रामकरण।

श्री रामकरण (जायल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव वालों को सीमेन्ट नहीं मिला, 20 साल से सड़कों की वहां पर टूट फूट हुई है लेकिन कोई प्रबन्ध नहीं है, बिजली नहीं है, कनेक्शन नहीं है, किसी तरह के विकास कार्य नहीं हुए हैं। जो काम अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) यह तो हनुमानजी की पूंछ की तरह बहुत बड़ा हो गया (व्यवधान) आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री नानालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि पी. डब्ल्यू. डी., इरिगेशन और अकाल राहत के तहत जो कार्य कराये जाते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है कि भूखे मरने की नौबत आती है तब ही ये किये जाते हैं? यह पहले से करा लिये जायं तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, गोचर भूमि के बारे में और बीकानेर हैडक्वार्टर पर अग्नि शमन संयन्त्र की कमी है, उसके बारे में मन्त्री महोदय का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास।

एक मिनट।

श्री भगवानदास (चौहटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अनुभव से कहता हूं कि टास्क बेसिस पर जो काम होता है, उसमें काम लेने वाले की भी गलती रहती है, चार-पांच आदमी निठल्ले रहते हैं, इसलिए पेमेन्ट नहीं होता है। जो काम करे उसका भी वही हाल होता है और नहीं करे उसका भी वही हाल होता है। इसलिए काम नहीं हो तो एक-एक आदमी चाहे ओवरसियर हो, असिस्टेन्ट इन्जीनियर हो, चाहे एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हो उसका भी पर्सेंटेज काटा जाना चाहिए क्योंकि काम तो लेते नहीं हैं। दूसरा मेरा सुझाव है कि कम से कम 50% तो होना ही चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। धन्यवाद। लास्ट, बॉर्डर से आने वाले माननीय सदस्य, इसके बाद कोई नहीं बोलेगा।

श्री असलम खां : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर बाढ़ से कुए नष्ट हो गए, जिसके लिए केवल 8 हजार की सहायता दी गई है और उसकी भी एक ही किस्त मिली है, दूसरी किस्त अभी तक नहीं दी गई है। अगर बाकी किस्त नहीं दी गई तो किसान बरबाद हो जायेंगे, सारे नहीं तो कुछ जरूर हो जायेंगे। सरकार किस्त देना चाहती है या उनका लोन समाप्त करना चाहती है? क्या व्यवस्था की जायेगी, इस बारे में मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (अकाल राहत मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो चर्चा का उत्तर दिया था उसके बाद तीन-चार बिन्दु ऐसे आये हैं जिनका उत्तर देना मैं उचित समझता हूं।

एक प्रश्न जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करने के सम्बन्ध में उठाया। इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि नेशनल रूरल एम्प्लायमेन्ट प्रोग्राम सेण्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 15 अगस्त से सारे देश में लागू हो रहा है,

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

उसमें 33 परसेंट नगद, भारत सरकारी की तरफ से 33 परसेंट अनाज और 33 परसेंट प्रान्तीय सरकार की तरफ से दिया जायेगा। उसके अन्तर्गत जो अधूरे काम हैं उनको प्राथमिकता दी जायेगी।

इसके साथ ही एक प्रश्न गोचर भूमि के सम्बन्ध में उठाया गया। मैं इसमें निवेदन कर चुका हूं कि नाजायज कब्जों को हटाने का काम राजस्व विभाग का है, उसका सम्बन्ध अकाल राहत से नहीं है, यह जानकारी मैं अपने उत्तर में ही दे चुका हूं, शायद माननीय सदस्यों ने सुना नहीं।

फायर ब्रिगेड के बारे में निवेदन है कि नगरपालिकाओं के लिए तो ठीक है, लेकिन पंचायत स्तर पर रखना बहुत मुश्किल काम हो जायेगा, यह मुमकिन नहीं है और उचित भी नहीं है।

कुओं के बारे में एक सवाल बताया गया। मैं इसकी जानकारी करूंगा कि एक किस्त दे दी गई है और बाद में क्यों नहीं दी गई ? इसका उत्तर तत्काल तो मैं नहीं दे सकता हूं, जानकारी करके ही मैं निवेदन कर सकता हूं।

इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सुझाव यह आया कि श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए, यह बात सही है। समाज के किसी भी वर्ग का शोषण नहीं होना चाहिए। जो अपने सिद्धान्त और आदर्श के लिए लड़े उसका शोषण नहीं होना चाहिए। हम लोग ऐसे दल के हैं, माफ कीजिए, राजस्थान के जन प्रतिनिधि बनकर आये हैं, हम पिछड़े वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करें, और मिलजुल कर करें, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः निवेदन करता हूं कि मांग स्वीकार की जाय।

मांग सं. 28 व 34 का पारण

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28-सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,80,00,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री खेत सिंह राठौड़ : सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,41,97,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाई कल दिनांक 6 अगस्त, 1980 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.50 बजे बुधवार दिनांक 6 अगस्त, 1980 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

१८०

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 324 का विज्ञापन

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण निदेशालय,

राजस्थान जयपुर।

अल्पावधि विज्ञप्ति

सन् 1979 से सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के अधीनस्थ 18 महीने का सर्टिफाइड रेडियोजीकल असिस्टेन्ट (रेडियोग्राफर) प्रशिक्षण कोर्स आरम्भ किया जा रहा है अतः सभी इच्छुक एवं योग्य व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन एक रुपये का पोस्टल आर्डर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के नाम से प्रशिक्षण चिकित्सा शाखा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अहाते में जमा करवा कर अथवा डाक द्वारा भेज कर प्राप्त किये जा सकते हैं। डाक द्वारा आवेदन पत्र मंगवाने के इच्छुक प्रार्थी अपना पूर्ण पता लिखा एक 4"×9" साइज का लिफाफा प्रार्थना पत्र के साथ भेजें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर निम्न कार्यालय में दिनांक 30-4-79 तक प्राप्त हो जाने चाहिये। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

आवेदक के लिए निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है :—

1. मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान के साथ पास हो।
2. एक मई सन् 1979 को आयु 17 वर्ष से कम व 25 वर्ष से अधिक न हो।
3. पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो।

प्रत्येक चयनित प्रशिक्षणार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में 5 वर्ष तक कार्य करना अनिवार्य होगा। जिसके लिये भर्ती से पूर्व नियमानुसार बांड भरना होगा। प्रशिक्षण काल में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 60/- रुपये (अंके साठ रुपये मात्र) प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जावेगी।

उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिये यदि बुलाया गया तो निर्धारित दिन व समय पर अपने स्वयं के खर्चे से आना होगा।

निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 327 की

स्थानान्तरण की नीति

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प. 8 (35) शिक्षा/ग्रुप-2/79 दिनांक 23 मार्च, 1979

स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्देश

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित स्थानान्तरण संबंधी आदेशों के अतिक्रमण में निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं जो तत्काल प्रभावी होंगे :—

1. स्थानान्तरण के इच्छुक व्यक्ति अपने प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-अ) पर 1 अप्रेल, से 15 मई, तक की अवधि में सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। 15 मई, के बाद प्राप्त अथवा गलत प्रपत्र में प्राप्त अथवा अपूर्ण सूचना वाले प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र में यदि कोई ओवर राइटिंग हुई तो भी स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र रद्द माना जायेगा।

2. स्थानान्तरण के इच्छुक व्यक्ति प्रार्थना-पत्र में केवल दो स्थानों के लिये ही आवेदन कर सकेंगे, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अन्तर जिला स्थानान्तरण चाहता है तो वह अपना आवेदन स्थान विशेष के लिये न कर केवल जिला विशेष के लिये ही कर सकेगा। ऐसे व्यक्ति केवल एक जिले के लिये ही आवेदन करेंगे। अन्तर जिला स्थानान्तरण के प्रार्थी का चाहे गये जिले में किसी भी स्थान पर स्थानान्तरण किया जा सकता है एवं यदि वह स्थानान्तरित स्थान पर नहीं जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3. इस प्रकार 15 मई, तक प्राप्त स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्रों को स्थानान्तरणकर्ता अधिकारी अपने कार्यालय में जनरल रिसीप्ट में दिन प्रतिदिन रिसीप्ट करेंगे। उसे पदवार रजिस्टर में पंजीकृत करेंगे (परिशिष्ट-ब) पदवार रजिस्टर में दर्ज करने के बाद इन प्रार्थना-पत्रों को विषयवार रजिस्टर बनाकर उसमें स्थानवार दर्ज रजिस्टर करेंगे। (परिशिष्ट-स) इस प्रकार स्थानवार एवं विषयवार रजिस्टर में दर्ज कर उसकी सूचना आवेदक को दी जावेगी कि उसका प्रार्थना-पत्र किस क्रम पर दर्ज रजिस्टर हुआ है। विषयवार दर्ज रजिस्टर करने हेतु निम्न प्रक्रिया होगी :—

(1) वरिष्ठ अध्यापकों के विषयवार अलग-अलग रजिस्टर तैयार किये जायेंगे।

(2) द्वितीय वेतन शृंखला के अध्यापकों के लिये निम्न विषयों के अलग-अलग रजिस्टर तैयार किये जायेंगे :--

(1) विज्ञान-भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, और गणित
(2) विज्ञान-जूलोजी, बोटनी और रसायन शास्त्र
(3) गृह विज्ञान (4) वाणिज्य (5) अंग्रेजी
(6) संस्कृत (7) उर्दू (8) सिन्धी
(9) पंजाबी (10) गुजराती (11) शेष सामान्य अध्यापक
(12) उद्योग (13) संगीत (14) व्यायाम शिक्षक
(15) चित्रकला

नोट :--एक व्यक्ति का एक ही विषय में नाम दर्ज होगा।

(3) तृतीय वेतन शृंखला अध्यापकों के लिए निम्नानुसार अलग रजिस्टर होंगे :--

(1) विज्ञान (2) यूनिसेफ प्रशिक्षित (3) उर्दू
(4) सिन्धी (5) पंजाबी (6) गुजराती
(7) सामान्य अध्यापक (8) संगीत (9) उद्योग
(10) चित्रकला (11) व्यायाम शिक्षक (12) संस्कृत

(4) 1 अप्रेल से 15 मई तक प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को विषयवार एवं स्थानवार अलग कर उनकी वरीयता बनाई जायेगी। वरीयता निर्धारण हेतु निम्न प्रक्रिया होगी:--

(1) प्रत्येक प्रार्थी का शहर एवं गांव का ठहराव महीनों में गिना जायेगा दिनों की गणना को छोड दिया जायेगा।

(2) इस प्रकार गांवों के ठहराव अवधि में से शहरों की ठहराव अवधि को घटाया जायेगा। शेष बची अवधि के अनुसार ही वरीयता गिनी जायेगी।

अतः इस प्रकार जिसकी गांव की ठहराव अवधि सबसे अधिक है उसका नाम सबसे ऊपर रहेगा एवं शहर की अवधि यदि अधिक है तो उसका नाम नीचे आयेगा। उदाहरणतः यदि एक अध्यापक का गांवों का ठहराव 18 माह एवं शहर का ठहराव 12 माह है तो 18-12=6 एवं दूसरे अध्यापक का गांव का ठहराव 20 माह एवं शहर का ठहराव 18 माह है तो 20-18=2 एवं तीसरे अध्यापक का ठहराव गांव का 3 माह और शहर का 6 माह हो तो 3-6=(-)3 इन तीनों अध्यापकों की वरीयता सबसे पहले-6 उसके बाद 2 और फिर इसके बाद 3 होगी।

नोटः-(1) यह ठहराव शिक्षा विभाग के सम्पूर्ण सेवाकाल अवधि से गिना जायेगा न कि किसी पद विशेष का।

(2) शहर उस स्थान को माना जायेगा जो कि नगरपालिका सीमा में आता हो एवं शेष सभी स्थान गांव माने जायेंगे।

(3) यदि कोई गांव नगरपालिका क्षेत्र में परिणित हुआ है तो जिस तारीख से वह स्थान शहर में परिणित हुआ है उस तारीख से वहां का ठहराव शहर के ठहराव में गिना जायेगा एवं इससे पूर्व के ठहराव को गांव के ठहराव में गिना जायेगा।

उपरोक्त ठहराव के आधार पर वरीयता निर्धारित कर वरीयतानुसार सम्बन्धित विषय एवं स्थान के लिये आवेदकों के नाम दर्ज कर दिये जायेंगे एवं इच्छित स्थान पर सम्बन्धित विषय में जैसे जैसे पद रिक्त होते हैं वैसे वैसे वरीयतानुसार इन लोगों के स्थानान्तरण किये जायेंगे।

4. इस प्रकार जो नाम दर्ज रजिस्टर किये जाते हैं उनके सामने स्थानान्तरणकर्ता कार्यालय के किसी राजपत्रित अधिकारी के लघु हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक होंगे।

चूंकि जिले के अन्दर स्थानान्तरण चाहने वाले व्यक्ति दो स्थानों के लिये आवेदन कर सकेंगे। अतः प्रत्येक आवेदक का नाम दो जगहों पर होगा। यदि चाहे गये दो स्थानों में से किसी एक स्थान पर आवेदक का स्थानान्तरण हो जाय तो दूसरे स्थान की सूची में से इस व्यक्ति का नाम काट दिया जायेगा।

जिस व्यक्ति का भी स्थानान्तरण कर दिया जाता है तो नियंत्रक अधिकार स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के तीन दिवस के अन्दर अन्दर ऐसे व्यक्ति को कार्यमुक्त कर देंगे अन्यथा नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेशों की अवहेलना मानी जायेगी।

नये स्कूल खुलने के कारण यदि कोई व्यक्ति 15 मई तक दिये गये अपने प्रार्थना-पत्र में इच्छित स्थान में परिवर्तन कराना चाहे तो वह 31 अगस्त तक स्थान में परिवर्तन कराकर जहां नये विद्यालय खुले हैं वहां के लिये पुनः प्रार्थना-पत्र दे सकेगा। ऐसा करने पर पूर्व में प्रार्थी द्वारा दिये गये इच्छित स्थान पर से आवेदक का नाम हटा कर नये स्थान पर जोड़ दिया जायेगा।

यदि किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण उसके द्वारा चाहे गये दो स्थानों के अलावा और किसी जगह किया जाता है तो उसका नाम चाहे गये दोनों स्थानों पर यथावत बना रहेगा।

5. 15 मई तक प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार वरीयतानुसार दर्ज रजिस्टर का 10 जून तक प्रार्थी को सूचित कर दिया जायेगा कि उसका नाम किस स्थान के लिये किस क्रम पर दर्ज रजिस्टर हुआ है।

6. स्थानान्तरण करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् जो नाम बच जाते हैं उनके नाम को यथावत दर्ज रजिस्टर रखा जायेगा एवं आगामी वर्ष में निर्धारित अवधि में जो प्रार्थना-पत्र आयेंगे उन्हें बचे हुए नामों के नीचे दर्ज रजिस्टर किया जायेगा। आगामी वर्ष के प्राप्त प्रार्थना-पत्र गत वर्ष के बचे प्रार्थना-पत्र के नीचे ही दर्ज होंगे एवं उनकी आपसी वरीयता ठहराव के आधार पर ऊपर बताए अनुसार निर्धारित की जायेगी। आगामी वर्ष के प्रार्थी पहले वाले प्रार्थियों (यानी गत वर्ष के प्रार्थियों) से, चाहे उनका ठहराव अधिक हो तो भी, वरीयता में ऊपर नहीं रखे जायेंगे।

7. ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार वरीयता सूची बना लेने के पश्चात् निम्न कारणों से लोगों को अतिरिक्त वरीयता लाभ दिया जाएगा :–

(1) अच्छे कार्य के आधार पर वरीयता में 4 क्रम का लाभ देना होगा। यह लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को देय होगा जिनकी बोर्ड की परीक्षा परिणाम (बोर्ड की जितनी कक्षाएं पढ़ा रहे हों उन सब का) गत 3 वर्षों तक 75% से अधिक रहा हो। जो व्यक्ति बोर्ड की कक्षाएं नहीं पढ़ाते उनको यह लाभ देय नहीं होगा।

(2) सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत व्यक्तियों के संबंधियों (पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री एवं भाई बहिन) की वरीयता में 2 क्रम का लाभ देय होगा।

नोट :–(1) सशस्त्र सेनाओं से मतलब थलसेना, जलसेना एवं वायुसेना से है। अन्य अर्द्ध-सैनिक संगठनों जैसे सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., टेरिटोरियल आर्मी आदि को सशस्त्र सेना में नहीं माना जाएगा। सशस्त्र सेना के नाम पर वरीयता लाभ प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को सेना की यूनिट के कमांडिंग ऑफीसर का मूल प्रमाण-पत्र एवं सशस्त्र सेना में कार्यरत व्यक्ति से क्या संबंध है, इस आशय का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) उपरोक्त में से केवल एक व्यक्ति को किसी एक ही कारण से वरीयता लाभ देय होगा।

(3) जो भी वरीयता लाभ देय होता है उस लाभ को रजिस्टर में आवेदकों के नाम के सामने लिख दिया जायेगा जिसको कि स्थानान्तरण करते समय कन्सीडर किया जायेगा। इस अतिरिक्त वरीयता लाभ के कारण वरीयता सूची में नाम ऊपर नीचे नहीं किये जायेंगे।

8. 30 सितम्बर के पश्चात् कोई भी स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। 30 सितम्बर के पश्चात् होने वाले खाली पदों पर सीधी भर्ती/पदोन्नति देकर पद भरे जायेंगे यह पदस्थापन सत्र के अन्त तक के समय के लिये होगा एवं सत्र के अन्त में ऐसे व्यक्तियों को स्थानान्तरित

किया जाकर नीति के अनुसार पदस्थापन किया जायेगा। इस तथ्य का स्थानान्तरण आदेश में ही वर्णन कर दिया जाय।

9. प्रशासनिक कारणों से किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण एक स्थान से बाहर किया जा सकेगा लेकिन 30 सितम्बर के बाद इसके लिये उच्च अधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। प्रशासनिक कारणों से जिस व्यक्ति को किसी स्थान से हटाया जाता है तो उसका स्थानान्तरण केवल ऐसे स्थान पर ही किया जायेगा जहां के लिये किसी व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया है।

10. पदोन्नति दिये जाने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को पदोन्नति त्यागने की छूट नहीं होगी। जो व्यक्ति आने वाले सत्र में पदोन्नति नहीं चाहते वे 15 मई तक अपने पदोन्नति अधिकारी को लिखित सूचना इस आशय की दे दें। 15 मई तक इस प्रकार की लिखित सूचना नहीं देने के बाद यदि कोई व्यक्ति पदोन्नति आदेश की पालना नहीं करता तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी एवं उसे वर्तमान स्थान से स्थानान्तरित भी कर दिया जायेगा।

11. पारस्परिक स्थानान्तरण 30 सितम्बर तक सक्षम अधिकारी द्वारा किये जायेंगे लेकिन जो व्यक्ति पारस्परिक स्थानान्तरण करवा लेते हैं उनका नाम आवेदकों की वरीयता सूची में से दोनों स्थानों में से हटा दिया जायेगा।

12. उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर स्थानान्तरण के लिये 3 वर्ष का माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का अनुभव वांछनीय होगा एवं इस पद पर कार्यरत रहने का अधिकतम समय 3 वर्ष होगा।

पदोन्नति पर पदस्थापन वर्तमान स्थान पर न करके नये स्थान पर किया जायेगा एवं किसी शहर में भी पदस्थापन नहीं किया जायेगा। सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्ति पर भी पदस्थापन शहर में नहीं किया जायेगा।

यदि विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के आदेशानुसार या नेशनलाईजेशन अथवा अन्य किसी कारण से किसी का स्थानान्तरण आवश्यक हो तो उस स्थान से अधिकतम ठहराव वाले व्यक्ति को हटाया जायेगा। अधिक ठहराव उस स्थान विशेष से गिना जायेगा न कि शाला विशेष से। यदि कोई व्यक्ति एक स्थान पर लगातार कार्यरत था लेकिन बीच में किसी अन्य स्थान पर 6 माह से कम अवधि पर कार्यरत रहा है तो ऐसी स्थिति में इस 6 माह से कम अवधि के ब्रेक को नहीं गिना जायेगा उसका वर्तमान स्थान का ठहराव लगातार ही माना जायेगा। लेकिन यदि वह इस बीच में किसी अन्य स्थान पर 6 माह से अधिक कार्यरत रहा है तो वर्तमान स्थान में उसका ठहराव लगातार नहीं माना जायेगा। अधिकतम ठहराव के निम्न व्यक्तियों को नहीं हटाया जायेगा:–

(अ) पति पत्नी यदि साथ ही कार्यरत हों।

(ब) यदि कोई व्यक्ति अथवा उसका पति, पत्नी, उस पर आश्रित माता पिता एवं संतान कैंसर रोग से पीड़ित हों।

(स) यदि किसी व्यक्ति की सेवा निवृत्ति में दो साल अथवा उससे कम समय शेष हो।

13. प्रदत्त शक्तियों के आधार पर स्थानान्तरण करने के लिये निम्नांकित अधिकारी उनके समक्ष अंकित शिक्षकों/अधिकारियों के लिये सक्षम अधिकारी माने जायेंगे:–

1. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र)	(क) तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के समस्त प्रकार के स्थानान्तरण (अन्तर्जिला, अन्तर मण्डल आदि)। (ख) द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के जिले के अन्दर ही।
2. उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) (क्षेत्र)	तृतीय वेतन श्रृंखलाओं की अध्यापिकाओं के लिये जिले के अन्दर ही।
3. मण्डल अधिकारी (क्षेत्र) (छात्र) या (छात्रा)	द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के अन्तर जिला एवं अन्तर मण्डल और वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापिकाओं के समस्त स्थानान्तरण।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा)	द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण जिले के अन्दर ही।
5. निदेशक	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाएं, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक।

नोट:–

(1) छात्र वर्ग से छात्रा वर्ग एवं छात्रा वर्ग से छात्र वर्ग में अध्यापक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण बिना निदेशक की पूर्व अनुमति के नहीं किये जायेंगे।

(2) उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) किसी भी तृतीय श्रेणी की अध्यापिका का माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय से स्थानान्तरण या ऐसे विद्यालय में पदस्थापन करने से पूर्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/उपनिदेशक/संयुक्त निदेशक/छात्रा से अनुमति प्राप्त करेगी।

(3) यदि कोई अध्यापक, प्रधानाध्यापक स्वयं उसका पति/पत्नी, संतान एवं आश्रित माता पिता कैंसर अथवा हृदय रोग से पीड़ित हैं तो ऐसे व्यक्ति पर इन प्रावधानों

का कोई बिन्दु लागू नहीं होगा। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिये उक्त निर्देशों का अपवाद तभी लागू होगा जब वह उस सत्र में एक माह के लिये उक्त रोग से पीड़ित होकर अस्पताल में उपचार के लिये इन्डोर रोगी के रूप में भर्ती रहा हो। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को मेडिकल कालेज से संबंधित अस्पताल के अधीक्षक का प्रमाण-पत्र देना होगा। ऐसे व्यक्तियों को उनके रोग के इलाज को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित किया जायगा।

(4) ये स्थानान्तरण निर्देश शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों एवं उनके समकक्ष अधिकारियों पर ही लागू होगी।

(5) राज्य सेवा में कार्यरत पति-पत्नी को उक्त स्थानान्तरण निर्देशों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी कर्मचारी के हितों को क्षति पहुंचाये यथासंभव एक स्थान पर रखने का प्रयत्न किया जायगा।

(6) यदि कोई व्यक्ति स्थानान्तरण पर यह महसूस करे कि उसका स्थानान्तरण निर्देशों के विरुद्ध हुआ है तो वह स्थानान्तरण आदेशों की पालना करने के पश्चात ही संबंधित सक्षम अधिकारी से नये स्थान पर कार्यभार सम्भालने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कार्यभार संभालने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर भीतर स्थानान्तरण अधिकारी से ऊपर वाले अधिकारी का लिखित प्रतिवेदन दे सकता है एवं स्थानान्तरणकर्ता अधिकारी से ऊपर वाला अधिकारी प्रतिवेदन की जांच कर यदि स्थानान्तरण निर्देशों के विरुद्ध पाया जाये तो इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदन प्राप्त करने की तिथि से एक माह के भीतर भीतर संशोधन कर सकता है। सक्षम अधिकारी ऐसे सभी प्रतिवेदनों का एक रजिस्टर में रिकार्ड रखेगा तथा उक्त अवधि में अपने निर्णय से प्रतिवेदन को अवगत करायेगा।

ह./-
(ललित किशोर)
उप शासन सचिव,
शिक्षा (प्रथम)।

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांकः–शिविरा/संस्था/ई/11472/79/61 दिनांकः–19-4-79

प्रतिलिपिः—

1. निदेशक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
2. निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी (महिला सहित)
4. प्रधानाचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर/अजमेर।

5. प्रधानाचार्य, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस्/संगीत संस्थान, जयपुर।
6. उप निदेशक, पत्राचार पाठ्यक्रम, राज्य शिक्षण संस्थान, उदयपुर।
7. उप निदेशक, व्यावसायिक एवं निर्देशन केन्द्र, उदयपुर।
8. प्रधानाचार्य, सादूल पब्लिक स्कूल, बीकानेर।
9. समस्त अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी/वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र एवं छात्रा संस्थाएं)।
10. विशिष्ठ शिक्षण संस्थाएं/कार्यालय/सम्पादक, शिविरा पत्रिका।
11. निदेशालय के समस्त अनुभाग।

जनार्दन प्रसाद शर्मा,
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट अ

स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र

1. आवेदक का नाम व पद
   पति/पिता का नाम
2. गृह जिला
3. विषय अध्यापक
4. वर्तमान कार्यरत होने का स्थान मय तिथि के
5. वेतन श्रृंखला
6. घर का स्थायी पता
7. जन्म तिथि
8. योग्यता

	परीक्षा	विषय	श्रेणी	वर्ष
(अ) शैक्षणिक				
(ब) प्रशिक्षण				
(स) अन्य विशिष्ठ योग्यता				

9. स्थानान्तरण चाहने का कारण (प्रमाण सहित)
10. स्थानान्तरण हेतु इच्छित स्थान
    (1) (2)
11. अन्तर्जिला स्थानान्तरण के लिए चाहे गए जिले का नाम
    (केवल एक जिले का ही)

12. यदि पत्नी/पति राज्य सेवा में हैं तो उनका
नाम
पद

कार्य स्थल एवं वहां पर कब से कार्यरत हैं।

13. आपसी स्थानान्तरण के लिए दोनों प्रत्याशी उपरोक्त बिन्दुओं पर अपने पृथक प्रार्थना-पत्र उचित मार्ग द्वारा एक साथ प्रेषित करेंगे।

14. सेवाकाल में नियुक्ति के प्रत्येक स्थान पर कार्य करने का विवरण:–

पद	स्थान	ठहराव तिथि से	तिथि तक	अवधि (माह में) गांव	शहर	स्थानान्तरण का कारण (स्वयं की इच्छा से, प्रशासनिक, पदोन्नति अथवा अन्य जो भी)

15. पिछले तीन वर्षों में पढ़ाये जाने वाले विषय एवं कक्षा तथा वार्षिक परिणाम प्रतिशत (केवल बोर्ड की परीक्षाओं का)

सत्र	शाला	कक्षा	विषय	परिणाम का प्रतिशत

हस्ताक्षर
पद
तिथि

प्रधानाध्यापक अथवा नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी:–

हस्ताक्षर
तिथि

नोट:– (1) यदि स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में चाहा जा रहा है तो कृपया कालम 10 न भरें। एवं यदि स्थानान्तरण जिले के अन्दर ही किसी अन्य स्थान पर चाहा जा रहा है तो दो स्थान से ज्यादा अंकित न करें एवं कालम 11 भी न भरें।

(2) यदि इस पत्र में दिये गये कोई तथ्य गलत होंगे तो प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जायगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

(3) कालम 14 को भरने हेतु उदाहरण दिया जा रहा है उसी के अनुसार इसकी पूर्ती की जाय:–

"सेवा काल में नियुक्ति के प्रत्येक स्थान पर कार्य करने का विवरण (जब से शिक्षा विभाग में नियुक्त हुए हैं तब से)"

(190)

पद	स्थान	ठहराव		अवधि (माह में)		स्थानान्तरण का कारण (स्वेच्छा, प्रशासनिक, पदोन्नति अथवा अन्य जो भी)
		तिथि से	तिथि तक	गांव	शहर	
उदाहरण	जयपुर	10-1-65	20-1-67	–	24	
	हरमाड़ा	21-1-67	25-2-68	13	—	

4. वे सभी स्थान शहर होंगे जो नगर पालिका क्षेत्र में हों।

5. कालम संख्या 8 में उस विषय का नाम लिखें जिसके लिए आप योग्यता धारी हैं एवं वह विषय आप पढ़ाते रहे हैं। विषयों का वर्गीकरण स्थानान्तरण नीति में दिया गया है। केवल एक ही विषय का नाम लिखें।

परिशिष्ट-ब

आवेदन रजिस्टर

स्थानान्तरण चाहने वाले अध्यापकों (प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी/तृतीय श्रेणी) के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप (वर्णमालाक्रम में)

क्र. सं.	अध्यापक का नाम व पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	योग्यता	वरीयता रजिस्टर की पृष्ठ संख्या जहां प्रार्थी का नाम दर्ज किया गया है		आवेदन प्राप्त होने का रिसीट नं. व दिनांक	विशेष विवरण
				(1)	(2)		
1	2	3	4	5	6	7	8

परिशिष्ट-स

वरीयता रजिस्टर

विषय.................... स्थान.........................

(स्थानवार स्थानान्तरण चाहने वालों का विवरण वेतन श्रृंखला (प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी)

क्रम सं.	आवेदन रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	अध्यापक का नाम एवं जन्म तिथि	ठहराव अवधि (माह में)			वरीयता क्रम	वरीयता क्रम में लाभ		दूसरे स्थान का नाम जहां पर प्रार्थी का नाम अंकित है	स्थानान्तरण आदेश की संख्या एवं दिनांक	विशेष विवरण
			गांव	शहर	+ शेष —		कितना	कारण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

अधिशाषी अधिकारी, केशोरायपाटन के निलम्बन काल के वेतन का प्रकरण

328. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री मांगीलाल अधिशासी अधिकारी, केशोरायपाटन इससे पूर्व जिला उदयपुर की राजसमन्द नगरपालिका में कार्यरत थे ? यदि हां, तो कब से कब तक और राजसमन्द से इनका स्थानान्तरण कब और कहां किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि श्री मांगीलाल, अधिशासी अधिकारी केशोराय पाटन आने से पूर्व निलम्बित रहे हैं ? यदि हां, तो कृपया निम्न जानकारी सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें :—

(क) निलम्बन का कारण

(ख) निलम्बन काल की अवधि

(ग) निलम्बन आदेश की प्रति तथा निलम्बन से पूर्व दिये गये आरोप-पत्र की प्रति।

(घ) निलम्बन आदेश रद्द कर पुनः सेवा में लेने की प्रति।

(3) क्या निलम्बन के कारणों की जानकारी हेतु विभाग द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार उक्त अधिकारी के निलम्बन काल का भुगतान करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्यों और कितनी राशि का ?

उत्तर

1. जी हां। दि. 20-9-75 से 24-1-80 तक कार्यरत रहे तथा राजसमन्द में इनका स्थानान्तरण नगरपालिका केशोरायपाटन में दिनांक 4-2-80 द्वारा किया गया। (दिनांक 1-12-76 से 24-1-80 तक निलम्बनाधीन रहे)

2. जी हां। जानकारी निम्नानुसार है:—

(क) निलम्बन का कारण आरोप-पत्र में है, जो (ग) के अनुसरण में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) निलम्बन काल की अवधि 37 माह 24 दिवस रही।

(ग) निलम्बन आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। आरोप-पत्र निलम्बन के बाद दिये गये थे, उसकी प्रति भी संलग्न है।

(घ) प्रति संलग्न है।

3. जी हां। जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखदी गई है।

4. उक्त अधिकारी के निलम्बन को जांच अधिकारी द्वारा उचित नहीं ठहराया गया है। अतः पुनः पदस्थापन करदी गई है। निलम्बित समय का भुगतान अभी नहीं किया गया है।

प्रतिलिपि

श्री मांगीलाल जाट, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजसमन्द के विरुद्ध लगाये गये आरोप

आरोप संख्या:—1

नगरपालिका, राजसमन्द में अधिशाषी अधिकारी के पद पर कार्य करते समय आपका स्थानान्तरण पिण्डवाड़ा में किया गया था। आपने आदेशों की पालना नहीं की व राजसमन्द ही रहने के लिए बहाने करते रहे व 4 माह तक उक्त पालिका को न छोड़कर अनुशासनहीनता दिखाई।

आरोप संख्या:—2

नगरपालिका, राजसमन्द में अधिशाषी अधिकारी पद पर रहने के समय आपको विभागीय आदेश क्रमांक एस्टे, (एम) पी. एफ. 77/डी/एलबी/76/157552 दिनांक 1-12-76 द्वारा निलम्बित किया गया था। आपने नियमानुसार, अधिशाषी अधिकारी पद का कार्य किसी को नहीं सम्भलाया व कार्यालय छोड़कर चले गये जबकि आपकी उपस्थिति मुख्यावास पर ही अनिवार्य थी।

ह.
(जे. एस. तंवर)
निदेशक, स्थानीय निकाय,
राजस्थान, जयपुर।

श्री मांगीलाल जाट अधिशाषी अधिकारी पर लगाये गये आरोपों का विवरण

आरोप संख्या:—1

नगरपालिका राजसमन्द में वर्ष 1976 में जब आप अधिशाषी अधिकारी के पद पर कार्यरत थे उस समय आपका स्थानान्तरण विभागीय आदेश संख्या एस्टे (एम) एफ. 18 (ए) (2) डीएलबी/ 102419 दि. 9-8-76 द्वारा नगरपालिका, पिण्डवाड़ा में किया गया था। आप आदेशों की पालना में 2 माह तक रिलीव नहीं हुए व माह अक्टूबर में अध्यक्ष, नगरपालिका, राजसमन्द से स्थानान्तरण निरस्त कराने हेतु पत्र लिखवाया। अध्यक्ष, नगरपालिका को पुनः एक और पत्र क्रमांक एस्टे, (एम) पी. एफ. 77/डी एलबी/69/154577 दिनांक 25-11-77 लिखा गया, लेकिन आदेशों की पालना नहीं हुई। इस प्रकार आपने राजकीय आदेशों की अवहेलना कर अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य विमुखता दिखाई।

आरोप संख्या:—2

नगरपालिका, राजसमन्द में रहने के समय आपको विभागीय आदेश संख्या एस्टे, (एम) पी. एफ. 77/डी एलबी/76/157552 दिनांक 1-12-76 द्वारा निलम्बित किया गया था। आप उक्त आदेश प्राप्त होते ही नियमानुसार बिना चार्ज सम्भलाये पालिका कार्यालय छोड़कर बाहर चले गये व कार्यालय में ड्यूटी पर नहीं गये, जबकि आपकी उपस्थिति मुख्यावास पर अनिवार्य थी। आपकी यह कार्यवाही कर्तव्य हीनता एवं लापरवाही का प्रतीक है।

ह.
(जे. एस. तंवर)
निदेशक, स्थानीय निकाय,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एस्टे/एम/पी एफ/77/डी एलबी/76/157752 दिनांक 1-12-76

आदेश

श्री मांगीलाल जाट, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजसमन्द को तुरन्त प्रभाव तिथी से निलम्बित किया जाता है।

ह.
निदेशक स्थानीय निकाय,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एस्टे, (एम)पी.एफ./77/डीएलबी/69-II, 223 दिनांक 24-1-80

आदेश

श्री मांगीलाल जाट, अधिशाषी अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की जांच हेतु क्षेत्रीय सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय, उदयपुर को विभागीय आदेश क्रमांक एस्टे, एम.एफ.18 (ए)(77)डी.एल.बी./69/5530 दिनांक 4-12-78 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त अधिकारी ने मामले की जांच कर जो रिपोर्ट भेजी है, उसके आधार

पर अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये हैं, अतः उन्हें निलम्बन तिथि से सवेतन बहाल किया जाता है।

श्री मांगीलाल जाट, पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा राजसमन्द में ही करेंगे।

ह.
(जे. एस. तंवर),
निदेशक,
स्थानीय निकाय,
राजस्थान, जयपुर।

संख्या: एस्टे. एम., पी. एफ/77/डी.एल.बी./69-II/223-228 दिनांक 24-1-80 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रशासक, नगरपालिका, राजसमन्द।
3. क्षेत्रीय सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय, उदयपुर।
4. श्री मांगीलाल जाट, भू. अ. अ./निल./नगरपालिका, राजसमन्द।
5. सुरक्षित पत्रावली।

ह.
उप निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

<u>प्रतिलिपि</u>

यह विभागीय जांच निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर के आदेश संख्या एस (एस) एफ. 18(ए) (77) डी.एल.बी./79/5532, दिनांक 4-12-78 के क्रम में जांच श्री मांगीलाल जाट (निलम्बित) भूतपूर्व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, राजसमन्द के विरुद्ध निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर के द्वारा निम्न दो आरोपों पर आधारित है:—

<u>आरोप संख्या :— 1</u>

नगरपालिका, राजसमन्द में अधिशाषी अधिकारी पद पर कार्य करते समय आपका स्थानान्तरण नगरपालिका पिण्डवाड़ा में किया गया था। आपने आदेशों की पालना नहीं की व राजसमन्द ही रहने के लिए बहाने करते रहे व चार माह तक उक्त पालिका को छोड़ कर अनुशासन हीनता दिखाई।

नगरपालिका, राजसमन्द में अधिशाषी अधिकारी पद पर कार्य करने के समय आपको विभागीय आदेश संख्या क्रमांक एस्टे (एम) पी. एफ. 77/डीएलबी/76/157552, दिनांक 1-12-78 द्वारा निलम्बित किया था आपने नियमानुसार अधिशाषी अधिकारी पद

का चार्ज किसी को नहीं सम्भलाया व कार्यालय छोड़ कर चले गये जब कि आपकी उपस्थिति मुख्यावास पर ही अनिवार्य थी ।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा मांगीलाल जाट के बयान उपरोक्त आरोपों के आधार पर दिनांक 7-6-79 को कराये गये जिसमें श्री जाट ने आरोप सं. 1 का उत्तर पेश किया कि नगरपालिका राजसमन्द से मेरा स्थानान्तरण उक्त आदेश द्वारा नगरपालिका, पिण्डवाड़ा में किया गया था किन्तु अध्यक्ष नगरपालिका श्री भंवरलाल बडोला ने कार्य मुक्त नहीं किया और मुझे यह कहा कि जब तक दूसरे अधिशाषी अधिकारी न जायेंगे तब तक मैं आपकों रिलीव करने में असमर्थ हूं क्योंकि बिना अधिशाषी अधिकारी के नगरपालिका का कार्य मैं नहीं चला सकता और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को पत्रों एवं तार द्वारा लिखना भी बताया । मुझे चेयरमैन श्री बडोला से लिखित आदेश की प्रति एन्डोर्स नही की गई । मैंने अध्यक्ष को अपने आप रिलीव हेतु लिख कर नहीं दिया, मौखिक बार-बार कहता रहा । अतः आरोप स्वीकार नहीं है ।

आरोप सं. 2 का श्री जाट ने उत्तर पेश किया कि निलम्बित आदेश से मुख्यालय निश्चित नहीं किया गया था मेरे पास कोई चार्ज नहीं था केवल चाबियां थीं जो श्री भंवरलाल बडोला चेयरमैन को सम्भलाई गई । चाबी सम्भलाने की कोई रसीद प्राप्त नहीं की गई । मुझे यहां अध्यक्ष ने ठहरने नहीं दिया । अतः मुख्यालय छोड़कर चला गया । मैंने किस तारीख को चाबियां सम्भलाई, याद नहीं । परन्तु निलम्बित आदेश प्राप्त होते ही दूसरे दिन चाबियां अध्यक्ष महोदय को सम्भलायी थीं । इस प्रकार श्री जाट ने अपने को बेगुनाह बताया है एवं यह व्यक्त किया है कि यह सारी कार्यवाही आपातकाल स्थिति में मुझे नाजायज परेशान करने के लिये की गई ।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24-7-79 के अधीन दस्तावेजात एवं गवाहान की सूची दी है । इस सूची के अनुसार स्थानान्तरण का आदेश आदि पेश किये गए । विभागीय प्रतिनिधि ने भूतपूर्व अधिशाषी अधिकारी श्री पारस मल जैन को पेश किया गया जिनके द्वारा एक्जीविट 1 से एक्जीविट 4 के कागजात पेश किये गये । अपने बयान में श्री जैन ने कहा है कि उनके पूर्व यू.डी.सी. श्री मदनलाल शर्मा अधिशाषी अधिकारी का कार्य कर रहा था उन्होंने कहा है कि श्री मांगीलाल जाट अपने निलम्बन काल में यहां रहे या नहीं, मेरी जानकारी में यह भी नहीं है कि कोई हाजरी भरी या नहीं, अध्यक्ष श्री बडोला की उपस्थिति में अधिशाषी अधिकारी के क्वार्टर का ताला तुड़वाकर खाली कराया गया जिसका पंच-नामा बनवाया गया । जो-जो सामान निकला यह स्टोर रूम में रखवाया गया ।

इसके बाद जिरह पर कहा कि श्री मांगीलाल जाट अपने निलम्बन काल में मुझसे कार्यालय में कई दफा मिल चुके हैं या मिलते रहते थे । मुझे याद नहीं कि जाट ने मुझसे निदेशक महोदय से प्राप्त किसी आदेश के लिये जानकारी प्राप्त की हो, मेरी जानकारी में कार्यालय द्वारा यह नहीं लाया गया कि श्री जाट द्वारा कोई फाइल अथवा कागजात कार्यालय

में नहीं होकर श्री जाट के पास हैं। श्री जाट के निलम्बित चार्ज नहीं देने के कारण दैनिक कार्य में अथवा नगरपालिका के कार्य में कोई अड़चन या रुकावट पैदा नहीं हुई। मैंने चार्ज श्री मदन जी वर्मा से प्राप्त कर लिया था।

श्री जाट ने अपने पक्ष की बहस में निम्नलिखित दस्तावेज पेश किया जो रेकार्ड पर किये गये।

पहला पत्र अध्यक्ष श्री बडोला द्वारा निदेशक महोदय को लिखा गया, दिनांक 31-8-76 को, पुनः दिनांक 6-9-76 को, फिर 5-10-76, 16-10-76 तथा एक पत्र दिनांक 16-10-76 को उप जिलाधीश महोदय को भी लिखा गया। इन पत्रों के अलावा श्री जाट ने भूतपूर्व अध्यक्ष श्री बडोला को एक शपथ पत्र भी दिनांक 10-7-76 को पेश किया गया।

श्री जाट द्वारा दो गवाहान पेश किये गये। 1- श्री शंकरलाल डी. डब्ल्यू. 1, 2. श्री मांगीलाल डी. डब्ल्यू.-2 पेश किये गये। विभागीय प्रतिनिधि एवं आरोपित अधिकारी की बहस सुनी गई एवं दोनों ने अपनी बहस लिखित में भी पेश की है। इसके अनुसार आरोप वाइज स्थिति निम्नलिखित है :—

आरोप सं. 1

जहां तक आरोप सं. 1 का प्रश्न है श्री जाट को स्थानान्तरित आदेश प्राप्त हो गया था। परन्तु उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा रिलीव नहीं दिया जाना, अध्यक्ष के पत्र दिनांक 31-8-76, 6-9-76, 5-10-76, व 16-10-76 से विधिवत साबित होता है और यही बात अध्यक्ष ने अपने शपथ पत्र में दिनांक 14-6-76 में व्यक्त की है जो दिनांक 16-7-76 को पेश किया गया है, यह लक्ष्य की पुष्टि होती है।

विभागीय प्रतिनिधि ने कहा है कि स्थानान्तरित व्यक्ति अपना चार्ज किसी वरिष्ठ व्यक्ति को देकर आदेश की पालना कर सकता है बराबर व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता। खासतौर से जबकि उस नगरपालिका का अध्यक्ष, उस अधिशाषी अधिकारी को रिलीव नहीं होने बाबत, पत्र निदेशक महोदय को लिखकर और उस पत्र से, उस व्यक्ति को सूचित कर दे। जैसा कि पत्र दिनांक 31-8-76 से पाया गया है और इसी क्रम में तत्कालीन अध्यक्ष बराबर लिखते रहे। फिर रिलीव होने का सारा वजन अधिशाषी अधिकारी पर डाला जाना न तो व्यवहारिक लगता है और न ही न्याय संगत। इस प्रकार यह आरोप किसी हालत में भी श्री जाट के विरुद्ध साबित होना नहीं पाया जाता है।

आरोप सं. 2

जहां तक आरोप सं. 2 का सवाल है यह भी श्री जाट के अपने स्थानांतरण आदेश को मानने के कारण निलम्बित किया जाना व अपना चार्ज किसी को नहीं सम्भलाने एवं

मुख्यालय पर उपस्थिति नहीं देने बाबत है और इस प्रकार किसी हद तक एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं।

श्री जाट को निलम्बित आदेश दिया गया कि श्री मांगीलाल जाट अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, राजसमन्द को तुरन्त प्रभाव से तिथी निलम्बित किया जाता है, श्री जाट ने अपनी बहस में यह कहा है कि इस आदेश में न तो किसी को चार्ज देने बाबत निर्देश हैं, और न ही मुख्यालय, कहां होगा के बाबत कोई निर्देश हैं। विभागीय प्रतिनिधि भी अपनी बहस में इस बारे में कोई खास तथ्य, सिवाय इसके कि श्री जाट अपने तौर पर अवश्य आदेश प्राप्त कर लेने की बात कही है।

आरोप सं. 2 व 1 एक दूसरे पर आधारित हैं और श्री जाट की यह दलील भी किसी हद तक वजन रखती है कि उन्हें निलम्बित आदेश में कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं। इसके साथ साथ श्री जाट के गवाहान ने भी अपने बयान में कहा है कि श्री जाट निलम्बित काल में कार्यालय में आया जाया करता था और इस बात की पुष्टि पैरवी के गवाहान पी. डब्यू. 1 श्री पारसमल जैन ने की है। पैरवी का यह कहना कि निलम्बन आदेश के पश्चात् श्री जाट आवश्यक आदेश व निर्देश प्राप्त करते। यह एक निलम्बित व्यक्ति से आशा करण न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त सूरत में यह आरोप भी श्री जाट के विरुद्ध साबित होना नहीं पाया जाता। अतः उन्हें दोनों आदेशों से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

क्षेत्रीय सहायक निदेशक
स्थानीय निकाय, उदयपुर
11-1-79.

सहकारी बैंकों व समितियों के व्यवस्थापकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में कार्यवाही

3.29. श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़):—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीजलाराम चौधरी, व्यवस्थापक केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर की शाखा सांचोर के विरुद्ध कई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब एवं क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी?

(2) क्या यह सही है कि श्री सदाराम चौधरी, व्यवस्थापक सेवा सहकारी समिति ग्राम धमाणा के विरुद्ध भी कई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी।

(श्री सुशील कुमार विश्नोई)

(3) क्या सरकार जनता एवं प्रशासन के हित में उक्त दोनों बैंक कर्मचारियों को पहले पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर से बाहर तबादला करके फिर निष्पक्ष जांच करना उचित समझेगी ? यदि हां तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम शिकायत दिसम्बर, 1979 में प्राप्त हुई जिसकी जांच सहायक रजिस्ट्रार ने कर ली है। जांच रिपोर्ट प्रशासक केन्द्रीय सहकारी बैंक को भिजवा दी गई है एवं विभाग द्वारा प्रशासक को एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं। द्वितीय शिकायत 4-7-80 को प्राप्त हुई। विभाग द्वारा प्रधान व्यवस्थापक को लिखा गया है कि एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही करें। तृतीय शिकायत 19-7-80 को प्राप्त हुई बैंक कर्मचारी होने के कारण प्रधान व्यवस्थापक को आवश्यक जांच करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(2) जी हां, श्री सदाराम चौधरी व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति, प्रमाणा के विरुद्ध भी दिनांक 4-7-80 को सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जालौर से शिकायत प्राप्त हुई थी। श्री सदाराम बैंक कर्मचारी है अतः प्रधान व्यवस्थापक केन्द्रीय सहकारी बैंक को शिकायत भेजकर उनसे जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध कर दिया है। विभाग द्वारा प्रधान व्यवस्थापक को एक सप्ताह में जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये हैं।

(3) जी नहीं। जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी, करौली द्वारा नियुक्त प्रधानाध्यापक

330. श्री भरत लाल (गंगापुर) :— क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी करौली (सवाई माधोपुर) द्वारा अंग्रेजी व संस्कृत विषय के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक शालाओं में प्रधानाध्यापक बनाये गये हैं ? उन्हें कब-कब किन-किन उच्च प्राथमिक शालाओं में लगाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि अंग्रेजी व संस्कृत विषय के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक शालाओं में प्रधानाध्यापक लगाना विभागीय नीति के विरुद्ध है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सीधी भर्ती के विषय के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रधानाध्यापक बनाकर बनावटी रिक्त स्थान बताये गये तथा विभागीय पदोन्नति से अन्य सामान्य अध्यापकों को रोका गया ?

उत्तर

(1) संस्कृत एवं अंग्रेजी विषय के किसी भी अध्यापक को प्रधानाध्यापक पद पर नहीं लगाया गया है। वर्तमान में कोई भी इस प्रकार के विषय अध्यापक प्रधानाध्यापक नहीं हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

आवासन मण्डल को टोंक के लिये योजना

331. **श्री महावीर प्रसाद (टोंक)**—क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या टोंक में हाऊसिंग बोर्ड की स्कीम स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो कितने लोगों ने अब तक पंजीयन करवाया है तथा यह स्कीम कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

उत्तर

जी हां। कुल 30 आवेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि कुल 30 आवेदन प्राप्त हुए, इसलिए योजना की क्रियान्विति नियमानुसार नहीं की जा सकती।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में महाविद्यालयों के साथ छात्रावासों की व्यवस्था

332. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में कितने महाविद्यालय कहां कहां हैं ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या प्रत्येक महाविद्यालय के साथ छात्रावास हैं ? यदि हां, तो छात्रों को क्या सुविधा उपलब्ध है ? नहीं, तो कब तक छात्रावास की व्यवस्था संभव है ?

उत्तर

(1) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में चार महाविद्यालय हैं।

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	जिला
1	राज. महावि. बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
2	राज. महावि. डूंगरपुर	डूंगरपुर
3	राज. महावि. प्रतापगढ़	चित्तोड़गढ़
4	राज. महावि. आबूरोड	सिरोही

(2) जी नहीं, केवल बांसवाड़ा व डूंगरपुर में छात्रावास हैं। यहां छात्रों को आवास व भोजन आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। शेष 2 स्थानों पर वित्तीय व्यवस्था सुलभ होने पर व्यवस्था की जा सकेगी।

जहाजपुर रेफरल अस्पताल में अतिरिक्त शैय्याओं की व्यवस्था

333. **श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)**: क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर अस्पताल के रैफरल अस्पताल में क्रमोन्नत होने के बाद नये वार्ड्स जन सहयोग से निर्मित हुए हैं और अपेक्षित मरीज शैय्याओं की स्वीकृति के अभाव में बड़ी संख्या में रोगी बरामदों में तथा बाहर खुले मैदान में रहने को विवश हैं ?

(2) ऐसी स्थिति में क्या रोगी शैय्याओं की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(श्री रतन लाल ताम्वी)

(3) रोगियों की सुविधार्थ क्या सरकार 50 अतिरिक्त शैय्याओं की अविलम्ब व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

रेफरल अस्पताल 30 बेड्स का है और उसकी स्वीकृति दे दी गई है।

(2) 30 से अधिक बीमार आने पर कभी कभी उन्हें बरामदों में पलंगों पर रखने की भी अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

सांचोर नगरपालिका क्षेत्र में आबादी भूमि का सुनियोजित विकास

334. श्री कनकराज मेहता (सांचोर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

सांचोर नगरपालिका क्षेत्र में विकास हेतु कितनी आबादी भूमि है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ? नहीं, तो क्यों ? अब इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

सांचोर नगरपालिका क्षेत्र में आबादी विकास हेतु जो योजनाओं के अन्तर्गत 282 भू-खण्ड उपलब्ध हैं। इन भू-खण्डों के नियमानुसार आवंटन या नीलामी द्वारा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

जिला कोटा की पंचायतों का पुनर्गठन

335. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समिति चेचट, जिला कोटा की ग्राम पंचायतों के कुछ गांव पंचायत मुख्यालय से बहुत दूर दूर है जिससे ग्रामवासियों को भारी कठिनाई होती है ? क्या ऐसी स्थिति में पंचायतों का पुनर्गठन करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। पंचायत समिति चेचट में स्थित ग्राम पंचायत घाटोली का एक ग्राम जिसका नाम खणी है को पुनर्सीमा निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 18-7-80 को लिए गए निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत आलोद में मिलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार ग्राम खणी को ग्राम पंचायत आलोद में मिलाया गया है।

ग्राम खणी अपनी पूर्व की ग्राम पंचायत घाटोली के मुख्यालय घाटोली से 18 कि. मीटर दूर है एवं वर्तमान ग्राम पंचायत आलोद के मुख्यालय आलोद से केवल 8 कि. मीटर दूर है। पंचायत समिति चेचट के और किसी भी ग्राम को अन्य पंचायत में मिलाने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बीकानेर शहर में नये प्राथमिक विद्यालय खोलना

336. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री बुलाकी दास कल्ला)
करेंगे:—

(1) प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में सरकार की नीति, कार्यक्रम और आधार क्या हैं?

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि गत तीन वर्षों में बीकानेर शहर में एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया है?

(3) क्या सरकार बीकानेर शहर में नये विद्यालय खोलने और वर्तमान विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रश्न पर विचार करेगी यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय हो सकेगा?

उत्तर

(1) राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं का निरंतर विस्तार करेगी तथा स्थान विशेष की आवश्यकता, जनसंख्या, भवन की व्यवस्था एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय खोलेगी।

(2) जी हां।

(3) इस प्रश्न पर नये विद्यालय खोलते समय विचार किया जावेगा।

कृषि विस्तार कार्यक्रम (कलस्टर)

337. गोविन्दसिंह (नसीराबाद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने विश्व बैंक के अनुदान से संचालित "कृषि विस्तार कार्यक्रम" (कलस्टर) योजना के कार्यों की उपयोगिता की दृष्टि से कोई मूल्यांकन किया है? यदि हां, तो व्यवहार में इसके निष्पादन के क्या परिणाम सामने आये हैं?

(2) क्या सरकार इस कार्यक्रम को विकास विभाग (पंचायतों व पंचायत समितियों) द्वारा संचालित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां, मूल्यांकन विभाग ने 1977-78 की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिससे विदित होता है कि किसान ज्यादा से ज्यादा तकनीकी ज्ञान अपना रहा है।

(2) जी नहीं।

कस्बा बाड़ी में महाविद्यालय खोलना

338. श्री शिवसिंह (बाड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या धौलपुर उपखण्ड के एक मात्र प्रमुख घनी आबादी के कस्बा बाड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोलने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। बजट में नया महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

राष्ट्रपति शासन में निलम्बित सरपंच

339. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में कितने सरपंचों को निलम्बित किया गया है?

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(2) 6 जून, 1980 के पश्चात् राज्य में कितने सरपंचों को निलम्बित किया गया है व कितनों के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 17 (4) के अन्तर्गत निलम्बन के अतिरिक्त अन्य कार्यवाही, जांच आदि विचाराधीन है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) गत राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में 14 सरपंचों को निलम्बित किया गया है।

(2) 6 जून, 1980 के पश्चात् राज्य में 4 सरपंचों को निलम्बित किया गया है तथा 25 मामलों में सरपंचों के विरुद्ध धारा 17 (4) की कार्यवाही विचाराधीन है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची सरपंचों की जिन्हें 6 जून, 1980 के पश्चात् निलम्बित किया गया है।

क्र.सं.	नाम सरपंच	ग्राम पंचायत व जिला
1.	श्री गोकुल चन्द	गागोदा (भीलवाड़ा)
2.	श्री देवकरण सोमाणी	कालियास (भीलवाड़ा)
3.	श्री रामनाथ	ग्राम पंचायत मंडालियाभिदा (जयपुर)
4.	श्री बजरंग लाल	ग्राम पंचायत बेगस (जयपुर)

सूची 6-6-80 के पश्चात् विचाराधीन केसेज की जिनके विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 17(4) की कार्यवाही विचाराधीन।

क्र.सं.	नाम सरपंच	ग्राम पंचायत	जिला
1	2.	3	4
1.	श्री बलवीर सिंह	बास कृपालनगर	अलवर
2.	,, भूपतसिंह	मुण्डाना	जोधपुर
3.	,, लाखाराम	बारनाऊ	जोधपुर
4.	,, कोकसिंह	माडापुर	भरतपुर
5.	,, देवनारायण	खेड़ली	सवाई माधोपुर
6.	,, नाथूलाल	पाचोलस	सवाई माधोपुर
7.	,, हंसराज	कुंउरा	सवाई माधोपुर
8.	,, गोकल चन्द	गागेड़ा	भीलवाड़ा
9.	,, कन्हैयालाल सागावत	सुठेया	भीलवाड़ा

(204)

1	2	3	4
10.	श्री सुखदेव	लक्ष्मीपुरा	भीलवाड़ा
11.	,, उगमलाल	बराणा	भीलवाड़ा
12.	,, रामप्रसाद	अटरू	कोटा
13.	,, कैलाशचन्द	खेड़लीगंज	कोटा
14.	,, गंगाराम	सेमलोहर	झालावाड़
15.	,, रामनारायण	रटलाई	भीलवाड़ा
16.	,, सीताराम	रोहिड़ा	सिरोही
17.	,, देवाराम	कोठार	पाली
18.	,, सतनारायण	हंसगढ़न	जयपुर
19.	,, बालाब[illegible]स	रायसर	जयपुर
20.	,, फेलीराम	गांगलियावास	जयपुर
21.	,, बद्रीनारायण	वाडासदमपुरा	जयपुर
22.	,, रामदयाल	सिरोहीकलां	जयपुर
23.	,, हरिनारायण	कलवाड़ा	जयपुर
24.	,, जगदीश प्रसाद	राजोली	जयपुर
25.	,, सीताराम	रूघनाथगढ़	सीकर

ग्राम हरिया माली (सोजत) में डिस्पेन्सरी खोलना

341. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हरिया माली तहसील सोजत में जन सहयोग से डिस्पेन्सरी का एक भवन बनाया गया है? यदि हां, तो क्या उसका निरीक्षण किया जाना उपयुक्त समझा गया?

(2) ऐसी स्थिति में क्या सरकार ग्रामवासियों की सुविधा के लिए इस वर्ष वहां डिस्पेन्सरी खोलने पर विचार करेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

निरीक्षण किया जा चुका है।

(2) इस वर्ष अन्य स्थानों के साथ इस पर भी विचार किया जायेगा।

भूमि पर निरन्तर काबिज व्यक्तियों को पट्टे दिया जाना

342. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नगरपालिका बालोतरा ने उन नगरवासियों को जिनका भूमि पर 1960 से निरन्तर कब्जा है, पट्टे दिये हैं? यदि हां, तो

(श्री अमराराम चौधरी)

कितने व्यक्तियों को पट्टे दिए गए और कितने व्यक्ति शेष हैं ? शेष व्यक्तियों को कब तक पट्टे दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

226 व्यक्तियों को पट्टे दे दिए गए हैं। शेष 776 व्यक्तियों के मामलों में कार्यवाही जारी है।

जोधपुर डेयरी के कर्मचारियों को महंगाई व किराया भत्ते का भुगतान

343. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा): क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि डेयरी विकास निगम के जिन कर्मचारियों को 27 अक्टूबर, 1977 के समझौते के अन्तर्गत पद वेतन श्रृंखला का न्यूनतम वेतन दिया गया उनमें से जिन कर्मचारियों को नियमित वेतन, महंगाई भत्ता व मकान किराया नहीं दिया जा रहा है उनको दिनांक 7 मार्च, 1980 से महंगाई भत्ता व नियमानुसार मकान किराया भत्ता देना स्वीकार किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समझौते के अन्तर्गत बीकानेर डेयरी के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता व मकान किराया दे दिया गया है जबकि जोधपुर डेयरी के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

हरिजन, निर्धन एवं कमजोर तबकों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा

344. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार हरिजन, निर्धन एवं कमजोर तबकों के व्यक्तियों के लिए उनकी आवासीय समस्या के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर कोई योजना बनाने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार की ओर से मकान बनाकर उनकी कीमत ब्याज मुफ्त किश्तों अथवा रियायती दर पर वसूल करने पर विचार करेगी ?

(3) क्या प्रस्तावित योजना में श्री गंगानगर शहर को सम्मिलित करने पर विचार किया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, क्योंकि कम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए नगर विकास न्यासों की प्रत्येक योजना में आवंटन के लिए आरक्षित भूखण्डों में से 70 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किये जाते हैं जिनमें से भी 15 प्र. श. भूखण्ड अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को दिया जाना अनिवार्य है। ये भूखण्ड 150/– प्रति माह आमदनी वाले व्यक्ति को सुरक्षित दर की 1/4 एक चौथाई राशि पर दिये जाते हैं। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भी 14 प्र. श. भवन अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों के सुरक्षित रखे जाते हैं।

(नगर आयोजना मंत्री)

(2) पूर्व में गन्दी बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत बड़े शहरों में कुछ मकान बनाये जाकर हरिजनों को आवंटित किये गये थे।

(3) जी नहीं।

पाली जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर्स का पदस्थापन

345. श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने वर्तमान सहायक शल्य चिकित्सकों के पदोन्नति हेतु कोई नियम या आदेश प्रसारित किये हैं ?

(2) यदि हां, तो पाली जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उक्त आदेश के अन्तर्गत डाक्टर की नियुक्ति कब तक करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार ने दिनांक 8–7–71 को आदेश प्रसारित किये थे।

(2) वरिष्ठता के आधार पर इन पदों पर पदोन्नति हेतु शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

भीलवाड़ा नगर परिषद् सीमा में दो नये सड़क क्रासिंग

346. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भीलवाड़ा नगर परिषद् सीमा के भीतर पिछले 3 वर्षों में पुराने सड़क क्रॉसिंग के स्थान पर कितने नये सड़क क्रॉसिंग बनाये गये ? जितने क्रॉसिंग बनाये गये, उनके पुराने लोहे के गर्डर परिषद् स्टोर में कितने जमा किये गये ? यदि नहीं, तो वे कहां गये?

उत्तर

नगरपरिषद् भीलवाड़ा की सीमा में पिछले 3 वर्षों में पुराने क्रॉसिंग के स्थान पर 66 क्रॉसिंग बनाये गये। इसके अलावा 35 नये क्रॉसिंग भी बनाये गये। पुराने क्रॉसिंग के सभी गार्डर परिषद् स्टोर में जमा कराये जा चुके हैं।

भवानी मंडी चिकित्सालय में नये एक्स-रे मशीन की व्यवस्था

347. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में भवानी मण्डी कस्बे के चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन खराब पड़ी हुई है ? यदि हां, तो कितने समय से व क्यों ?

(2) जनता की असुविधा को देखते हुए वहां के लिए दूसरी एक्स-रे मशीन कब तक लगाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह मशीन दिसम्बर 1975 से, इसका ट्रान्सफारमर जल जाने के कारण खराब पड़ी हुई है।

(2) नई मशीन क्रय करने की स्वीकृति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 19-6-80 को दे दी गई है व क्रय करने की प्रक्रिया चालू है।

कन्या विद्यालय के भूतपूर्व बस चालक के पेन्शन का प्रकरण

348. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गांधी नगर गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल, जयपुर की छात्राओं को लाने ले जाने हेतु बस की व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि 31 मार्च, 1980 को इस बस के चालक के सेवा निवृत्त हो जाने के उपरान्त भी उससे अप्रेल, 1980 में कई दिनों तक सेवा ली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस अल्प वेतन भोगी बस चालक को माह अप्रेल में सेवा निवृत्त किये जाने के उपरान्त आज तक भी इसका वेतन निर्धारण नहीं किया गया और न ही पेन्शन के कागजात तैयार किये गये ?

(4) उस बस चालक को पेन्शन अभी तक नहीं स्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं एवं इसके लिये कौन उत्तरदायी है एवं अब इनकी पेन्शन कब तक स्वीकार कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 31 मार्च, 1980 के पश्चात बस चालक से कोई कार्य नहीं लिया गया।

(3) वेतन निर्धारण सेवा-निवृत्ति से पूर्व किया जा चुका है। बस-चालक द्वारा पेन्शन के कागजात अभी तक प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पेन्शन के कागज़ात तैयार नहीं किये गये।

(4) बस चालक द्वारा पेन्शन के कागजात प्रस्तुत न होने के लिये वह स्वयं उत्तरदायी है। इनके द्वारा कागज़ात प्रस्तुत करने पर पेन्शन स्वीकृत की कार्यवाही शीघ्र कर दी जावेगी।

खातोली-केथोड़ा सड़क पर बसेज का संचालन

349. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खातौली-केथोड़ा सड़क का निर्माण हुए करीब 2 वर्ष हो गए हैं तथा उस सड़क पर बस चलाने हेतु बार बार निवेदन किया जाता रहा है ?

(2) यदि हां, तो अभी तक उक्त सड़क पर बस नहीं चलने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार आय में वृद्धि तथा जनता के हित में उक्त सड़क पर शीघ्र बसेज चलाने के आदेश प्रदान कर देगी ?

उत्तर

(1) खातौली केथोड़ा सड़क का निर्माण दिसम्बर, 1979 से पूरा हुआ है। इस सड़क पर बस मार्ग खोलने हेतु प्रार्थना-पत्र सरपंच ग्राम पंचायत वागली की ओर से प्राप्त हुआ है।

(2) इस मार्ग पर बस सेवा प्रारम्भ करने की दृष्टि से मार्ग का सर्वेक्षण कराया गया है। मार्ग खोलने का निर्णय प्रादेशिक

(श्री यातायात मंत्री)
परिवहन प्राधिकार द्वारा दिनांक 29-8-80 की निर्धारित बैठक में लिया जायेगा।

(3) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा उक्त बैठक में मार्ग खोलने की स्वीकृति होने के पश्चात वाहन स्वामियों को परमिट जारी कर बस सेवा उपलब्ध कराई जायेगी।

विद्यालयों की क्रमोन्नति

350. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर, पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) इस सत्र में क्या किन्हीं विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा रहा है ?

(2) ऐसे कितने माध्यमिक विद्यालयों को हायर सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कृपया उन पाठशालाओं के नाम बतलावें।

(3) क्या यह सही है कि विगत सरकार ने अजमेर के राजकीय राजेन्द्र विद्यालय को हायर सैकेण्डरी में क्रमोन्नत करने की सिफारिश की था ? यदि हां, तो वर्तमान सरकार उसको कब से क्रमोन्नत करने जा रही है ?

उत्तर

(1) इस सत्र में 200 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 200 उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने का प्रावधान है।

(2) इस सत्र में किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय को हायर सैकेण्डरी विद्यालय में क्रमोनत करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

(3) ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। नये प्रस्तावों पर विचार अभी नहीं किया गया है।

परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 296 की सूचना)

(30-7-80) की स्थिति

क्रमांक	नाम आगार	अनुसूचित सेवाओं के संचालन हेतु आवंटित वाहनें	कार्यरत वाहनें
1	2	3	4
1.	अलवर	121+2	89+2
2.	भरतपुर	80+2	64+2
3.	धौलपुर	28	24
4.	कोटपूतली	57+3	45+3
5.	जयपुर	63+30	57+23
6.	हिन्डौन	42	30
7.	द्रुतगामी	73+8	63+1
8.	उप-नगरीय	0+17	0+14
9.	नगर वाहन सेवा	109	92
10.	सीकर	67+3	55+2
11.	खेतड़ी	37	26
12.	झुन्झुनू	59	39
13.	कोटा	70	43
14.	झालावाड़	71	46
15.	बून्दी	54	35
16.	टौंक	45+4	31+1
17.	अजमेर	111	85
18.	भीलवाड़ा	64	55
19.	ब्यावर	64+2	50+2
20.	नागौर	68	49
21.	जोधपुर	72+2	58+2
22.	आबूरोड़	48	30
23.	सिरोही	47	37
24.	जालौर	37	33
25.	बाड़मेर	39	31
26.	फलौदी	35	28

210

1	2	3	4
27.	उदयपुर	60	52
28.	चित्तौड़गढ़	48+2	45
29.	डूंगरपुर	62	52
30.	बांसवाड़ा	50+2	34
31.	गंगानगर	94+1	74+1
32.	हनुमानगढ़	68	47
33.	बीकानेर	61+9	34+4
34.	सरदार शहर	54	37
		2058+87 निजी अनुबन्धित वाहन = 2145	1566+57 निजी अनुबन्धित वाहन = 1623

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 298 की सूचना)

परिशिष्ट "अ"

पाली बस स्टेण्ड से रवाना होने वाली वाहनों का विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम	प्रस्थान का समय
1.	पाली से आबू	2-30 बजे
2.	,, जालौर	4-15 बजे
3.	,, सिरोही	7-00 बजे
4.	,, सिरोही	7-45 बजे
5	,, अहमदाबाद	8-15 बजे
6.	,, आबू रोड	8-45 बजे
7.	,, उदयपुर (वाया रणकपुर)	9-30 बजे
8.	,, सिरोही	9-45 बजे
9.	,, सिरोही	10-45 बजे
10.	,, सिरोही	12-45 बजे
11.	,, उदयपुर (वाया चारभुजा)	13-45 बजे
12.	,, सिरोही	14-30 बजे
13.	,, सिरोही	14-45 बजे
14.	,, जालौर	16-00 बजे
15.	,, सिरोही	16-30 बजे
16.	,, तख्तगढ़	17-45 बजे
17.	,, देसूरी	18-30 बजे
18.	,, सिरोही	19-00 बजे
19.	,, बांसवाड़ा	23-00 बजे
20.	,, अहमदाबाद	20-30 बजे
21.	,, जोधपुर	2-45 बजे
22.	,, जोधपुर	7-00 बजे
23.	,, जोधपुर	9-00 बजे
24.	,, जोधपुर	8-45 बजे
25.	,, जोधपुर	9-15 बजे
26.	,, जोधपुर	10-15 बजे

क. सं.	मार्ग का नाम	प्रस्थान का समय
27.	पाली जोधपुर	11-15 बजे
28.	,, जोधपुर	11-45 बजे
29.	,, जोधपुर	12-00 बजे
30.	,, जोधपुर	13-15 बजे
31.	,, जोधपुर	14-15 बजे
32.	,, जोधपुर	15-15 बजे
33.	,, जोधपुर	15-45 बजे
34.	,, जोधपुर	16-30 बजे
35.	,, जोधपुर	17-30 बजे
36.	,, जोधपुर	18-15 बजे
37.	,, जोधपुर	19-00 बजे
38.	,, जोधपुर	20-15 बजे
39.	,, ब्यावर	5-15 बजे
40.	,, ब्यावर	6-30 बजे
41.	,, ब्यावर अजमेर	7-15 बजे
42.	,, अजमेर	8-00 बजे
43.	,, जयपुर	8-45 बजे
44.	,, जयपुर	10-45 बजे
45.	,, अजमेर	10-15 बजे
46.	,, ब्यावर	11-45 बजे
47.	,, बर	13-00 बजे
48.	,, ब्यावर	13-30 बजे
49.	,, अजमेर	14-15 बजे
50.	,, ब्यावर	14-45 बजे
51.	,, ब्यावर	16-45 बजे
52.	,, जैतारण	17-15 बजे
53.	,, सोजत	18-30 बजे
54.	,, सोजत	19-30 बजे
55.	,, सोजत	20-15 बजे
56.	,, जयपुर	22-45 बजे
57.	,, जयपुर	24-00 बजे
58.	,, ब्यावर	15-45 बजे

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 300 की सूची)

द्वारा श्री महावीर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा

टौंक जिलों के मिडिल एवं सैकण्डरी स्कूलों के रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	नाम विद्यालय जहां पद रिक्त हैं।	पद का प्रकार	रिक्त पद की संख्या	पद कब से रिक्त है
1.	रा. उ. मा. वि., उनियारा	व. अ.	2	11/70 से
2.	„ लाम्बाहरिसिंह	„	1	3/80 तक
3.	„ टौंक	„	1	11/79
4.	„ मालपुरा	„	1	1-7-80
5.	„ निवाई	„	1	1-7-80
6.	रा. ब. उ. मा. वि., टौंक	„	1	13-10-79
7.	रा. बा. मा. वि., पीपलु	द्वि. वे. श्रृं.	1	11/79
8.	„ कामां	„	1	„
9.	„ नगरपोर्ट	„	1	„
10.	„ बनेटा	„	1	„
11.	„ दलेज	„	1	„
12.	„ अलीगढ़	„	1	„
13.	„ अरीनीयामवास	„	1	10/79
14.	„ कालेड़ा	„	1	1-7-80
15.	„ पचलिया	„	1	4-7-79
16.	„ पचेवर	„	1	1-7-80
17.	„ खेरड़ा	„	1	1-7-80
18.	„ कडमाना	„	1	1-7-80
19.	रा. मा. वि., टौंक	„	2	1-7-80
20.	रा. मा. वि., टोडारायसिंह	„	1	14-10-79
21.	रा. वि. उनियारा	„	1	अप्रेल, 1979
22.	रा. मा बा. उ. मा. वि., टौंक	„	2	जुलाई, 80
23.	रा. बा. मा. वि., टौंक निवारिया	तृ.वे.श्रृं.	1	1-7-80
24.	रा. मा. वि., दरबार		1	समायोजन द्वारा खाल भरा जाना है
25.	रा. मा. वि., पीपल	„	1	—
26.	रा. मा. वि., पंचालिया	„	1	„

———

परिशिष्ट_7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 301 की सूची)

सैकण्डरी स्कूल केशवराय पाटन (बूंदी) में पढ़ाये जा रहे विषयों की सूची

बिन्दु (1) अनिवार्य विषय : हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, प्रारम्भिक गणित।

(2) तृतीय भाषा :- संस्कृत।

(3) कला एवं उद्योग :- फल एवं शाक उत्पादन।

(4) कला वर्ग :- प्रारम्भिक अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, संस्कृत, इतिहास, गणित, विशेष हिन्दी, चित्रकला।

(5) विज्ञान वर्ग :- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित।

(6) वाणिज्य वर्ग :- बहीखाता, व्यापार पद्धति, वा. भूगोल।

(7) कृषि वर्ग :- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान।

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 303 की सूची)

क्रम संख्या	नाम कार्य	स्वीकृत राशि
1	2	
1.	पानी की खेली व टूंटी स्टेंड ताऊसर	7000
2.	सड़क व पुलिया निर्माण रामसिया	8500
3.	सड़क निर्माण अतूसर से रतनसागर ताऊसर	52500
4.	रतन सागर तालाब सुदारी ताऊसर	7000
5.	गावाई कुआ मरम्मत अमरपुरा	5000
6.	तालाब खुदाई अमरपुरा	5000
7.	सार्वजनिक मेघवालों के होज की मरम्मत भदाणा	5000
8.	सांडघर निर्माण जोधियासी	7000
9.	तालाब खुदाई जोधियासी	95650
10.	राज. प्रा. वि. पेरावा किवाड़ निर्माण	2000
11.	राज. प्रा. वि. झोरडा किवाड़ निर्माण	2000
12.	पियाणा नाडी खुदाई चाऊ	5000
13.	सार्व. होज मरम्मत मकोड़ी	1000
14.	राज. प्रा. वि. मकाड़ी 2 भवन मरम्मत	4000
15.	दूडिया नाड़ी खुदाई	7000
16.	घोड़गण गवई कुआ मरम्मत	5000
17.	पंचायत भवन व बरामदा निर्माण ऊंटवालिया	7000
18.	छात्रावास के दरवाजे निर्माण ,,	5000
19.	राज. प्रा. वि. गोरेड़ा होज मरमत	5000
20.	पंचायत भवन श्यामसर मरम्मत	7000
21.	राज. प्रा. वि. लाड़िया भवन विस्तार	3000
22.	समोलाई नाड़ी लाड़िया	5000
23.	मुलकाना नाड़ी गोरेड़ा	7000
24.	तुलछी नाड़ी श्यामसर	59000
25.	राज. प्रा. वि. रोहिणी भवन मरम्मत	7000
26.	पाडरिया नाड़ी खुदाई रोहिणी	3000
27.	गावांई कुआ मरम्मत बिरमसर	5000
28.	मनकाना तलाब रोहिणी	49000

1	2	3
29.	गवांई कुआ मरम्मत सेवड़ी	3000
30.	रा. प्रा. वि. छिला	7000
31.	रा. प्रा. वि. सेवड़ी मरम्मत	7000
32.	रा. प्रा. वि. छिला बरामदा मरम्मत	5000
33.	रा. प्रा. वि. सेवड़ी भवन विस्तार	19500
34.	करनी सागर कुआ मरम्मत छिला	3000
35.	कुआ मरम्मत खारीया	5000
36.	रा. प्रा. वि. नम्बर 2 श्री बालाजी मरम्मत	1000
37.	डावर सागर कुआ श्री बालाजी	500
38.	रा. प्रा. वि. खारीया भवन मरम्मत	1000
39.	राता नाड़ा खुदाई श्री बालाजी	7000
40.	सार्वजनिक कुए से चिकित्सालय तक सड़क नि. श्री बालाजी	15000
41.	छात्रावास मरम्मत आलाय	1000
42.	रातड़ी नाड़ी खुदाई आलाय	5000
43.	नथोलाई खुदाई आलाय	5000
44.	काला नाड़ा खुदाई आलाय	7000
45.	किनारा नाडा खुदाई आलाय	5000
46.	डेलबों वाला नाड़ा खुदाई आलाय	5000
47.	रा.प्रा.वि थलाजू भवन विस्तार	7000
48.	रा प्रा.वि. खारी भवन मरम्मत	5000
49.	रा.प्रा.वि. खारी होज मरम्मत	1500
50.	रा.प्रा.वि. थलाजू दरवाजा निर्माण	2500
51.	रामोलाई नाड़ी खुदाई कालड़ी	7000
52.	नवोड़ी नाड़ी खुदाई डेरवा	5000
53.	गावाई तालाब जालानिया	7000
54.	रा.प्रा.वि. सथेरण नम्बर 3 होज निर्माण	4000
55.	रा.प्रा.वि. मून्डासर होज मरम्मत	1000
56.	रा.प्रा.वि. सथेरण नं. 2 भवन मरम्मत	4000
57.	पिथलाई नाड़ी खुदाई मून्डासर	7000
58.	पाड़ाना नाड़ी खुदाई सथेरण	7000
59.	रामतलाई नाड़ी सथेरण	5000
60.	सुरजाना नाड़ी सथेरण	5000
61.	सांखला नाड़ी खुदाई सथेरण	5000

1	2	3
62.	नई नाड़ी खुदाई मून्डासर	5000
63.	संवलाई नाड़ी खुदाई सथेरण	5000
64.	रीणीयाली नाडी खुदाई सथेरण	5000
65.	सागर तालाब खुदाई सथेरण	55100
66.	बोलिया नाड़ी सथेरण	5000
67.	रा.प्रा.वि. भवन मरम्मत ईदास	4000
68.	रा.प्रा.वि. होज मरम्मत भाराजी	5000
69.	नाडी खुदाई बाराणी	7000
70.	गावाई नाड़ी खुदाई ईदास	7000
71.	ऊनाकी ढाणीयों का नाडा गोगोलाव	3000
72.	रा.प्रा.वि. लूमदा होज निर्माण	3500
73.	रा.प्रा.वि. सींगड़ 2 भवन मरम्मत	2000
74.	रा.प्रा.वि. सींगड़ 2 होज मरम्मत	1000
75.	रा.प्रा.वि. लूणदा भवन मरम्मत	2100
76.	सार्व. होज निर्माण जाजोलाई ढारीसर	7000
77.	रा.प्रा.वि. जटेरा बाउण्ड्री निर्माण	5000
78.	रा.प्रा.वि. मांझवास भवन निर्माण	5000
79.	नालिया निर्माण बासनी	54000
80.	रा.प्रा.वि. बासनी तर्क निर्माण	7000
81.	सड़क निर्माण गोवा कुमारी मार्ग बासनी	7000
82.	दिलवाली मोहल्ला नाली निर्माण बासनी	7000
83.	नाड़ी खुदाई बुड़ी	7000
84.	नाड़ी खुदाई बसवानी	7000
85.	रा.प्रा.वि. मेढ़ बाउण्ड्री निर्माण	4000
86.	रा. प्रा. वि. गिगसरा मरम्मत	2000
87.	सार्वजनिक कुआ मरम्मत गोदन	2000
88.	काला नाड़ी खुदाई गोदन	7000
89.	नवोड़ी नाड़ी खुदाई मेढ़	7000
90.	सड़क निर्माण गिगसरा	9700
91.	रा. प्रा. वि. रायधनू भवन मरम्मत	2000
92.	रा. प्रा. वि. रायधनू होज मरम्मत	2000
93.	रा. प्रा. वि. रायधनू भवन विस्तार	7000
94.	रा. प्रा. वि. पो. मांदरा भवन मरम्मत	2000

1	2	3
95.	रा. प्रा. वि. नन्दवाणी भवन मरम्मत	2000
96.	रा. प्रा. वि. गुढ़ा 2 नम्बर भवन मरम्मत	3250
97.	सार्वजनिक हरिजन होज मरम्मत गलनी	7000
98.	रा. प्रा वि. गुढ़ा नम्बर 2 होज मरम्मत	5000
99.	रामसागर कुआ मरम्मत गुढ़ा	5000
100.	हनुमान सागर कुआ मरम्मत गुढ़ा	5000
101.	मांजलिया नाडी गुढ़ा	5000
102.	सींवालिया नाडी गुढ़ा	5000
103.	रा. प्रा. वि. भुंडेर भवन विस्तार	7000
104.	रा. प्रा. वि. चावन्डिया भवन विस्तार	9400
105.	सांडघर निर्माण निम्बोला	7000
106.	रा. प्रा. वि. मुंडेर बरामदा दरवाजा निर्माण	7000
107.	मोती नाडी खुदाई चावन्डिया	7000
108.	नेनकी नाडी खुदाई चावन्डिया	7000
109.	दीवाला कुआ मरम्मत देऊ	5000
110.	रा. प्रा. वि. दातिणा भवन मरम्मत	4000
111.	बामणिया वाला कुआ मरम्मत	5000
112.	कोटालिया नाडा दातिणा	7000
113.	ऊना नाडी खुदाई देऊ	7000
114.	भगालिया नाडा खुदाई बागणिया वाला	7000
115.	डेडोलाई नाडो दातिणा	5000
116.	बिनालिया नाडा देउ	7000
117.	धर्मशाला निर्माण दातिणा	7000
118.	अंकालिया नाडा ,,	5000
119.	वेऊ नाडी खुदाई देऊ	81500
120.	बिराणी नाडी खुदाई दांतला	7000
121.	गावांई कुआ मरम्मत तांतवास	7000
122.	गावांई कुआ मरम्मत भोजास	7000
123.	रामरिया नाडा खुदाई भोजास	5000
124.	खेगडी वाली नाडी तांतवास	5000
125.	मोरड़िया नाडी भोजास	7000
126.	पंचायत भवन मरम्मत करनू	6545

1	2	3
127.	मंडली नाड़ी खुदाई करनू	15000
128.	जूनकी ऊना नाड़ी खुदाई करनू	7000
129.	सांडघर मरम्मत सूखवासी	2000
130.	रा. प्रा. वि. सुखवासी भवन मरम्मत	5000
131.	पंचायत भवन मरम्मत सुखवासी	1500
132.	गावांई कुआ मरम्त चूंटीसरा	7000
133.	बोरा नाड़ी खुदाई मालगांव	5000
134.	कुआ मरम्मत चक घिलनिया डेग	5000
135.	गावांई नाड़ी चूंटीसरा	7000
136.	भुरामभी नाड़ी खुदाई बालवा	5000
137.	गावांई नाड़ी खुदाई बालवा	7000
138.	गावांई नाड़ी खुदाई भदवासी	5000
139.	सादोलाई नाड़ी खुदाई चक घिसनीय डेर	5000
140.	गवांई नाड़ी खुदाई सलेऊ	5000
		11,55,245
141.	पतलाई नाड़ी खुदाई करनू	7000
142.	पावू नाड़ा खुदाई करनू	7000
143.	सार्वजनिक नाड़ी खुदाई फागली	5000
144.	संचलाई नाड़ी खुदाई तांतवास	59900
145.	सांड घर निर्माण चेनार	5000
146.	पंचायत भवन गंठीलासर	15000
147.	रतन सागर तालाब खुदाई कुमारी	7000
148.	गिगंसरा तालाब खुदाई	33700
149.	कादरपुरा नाड़ी खुदाई	7000
150.	सरची नाड़ी गुदाई मेड़	32900
151.	निम्बाई नाड़ी खुदाई गुढ़ा	43500
		1,89,600
152.	पूलीया निर्माण बासनी	13250
153.	स्वर्णवास नाड़ी खुदाई	23000

1	2	3
154.	जाजोलाई नाड़ी खुदाई	83100
155.	लाडिया नाड़ी खुदाई	22000
156.	टांकला तलाब खुदाई	14450
157.	शाला भवन निर्माण कंवलीसर	19740
158.	कंवलीसर कुआ मरम्मत	17750
159.	लाखानिया से आलाय सड़क निर्माण	40000
160.	खारी तालाब खुदाई	67200
161.	मगरमनोता शाला होज मरम्मत	500
162.	शाला भवन विस्तार सेवड़ी	19500
163.	गंगोलाई कुआ मरम्मत कंटवालिया	13700
164.	पनोती नाड़ी खुदाई	28200
165.	पंचायत भवन रोहिणी	14900
		3,81,790
166.	सार्वजनिक कूप निर्माण चाऊ	22000
167.	आबादी सड़क निर्माण कुमारी	7000
168.	जिया नाड़ा खुदाई चाऊ	17300
169.	हेमलाई नाड़ी खुदाई पिपासर	10000
170.	करमाणा नाड़ी खुदाई श्यामसर	15000
171.	नाड़ी खुदाई गोरारण	10000
172.	पंचायत भवन निर्माण सिगड़	25700
173.	गार्वाई नाड़ी खुदाई सुखवासी	14900
174.	बड़ोई नाड़ी खुदाई कालड़ी	25700
175.	रिदवाली नाड़ी खुदाई भंडेल	55250
176.	जनता सागर कूप निर्माण गुढ़ा	10000
177.	रा. प्रा. वि. भदाणा	7000
178.	सार्वजनिक कूप मरम्मत दूकोसी	5000
179.	सार्वजनिक कूप मरम्मत आटियासन	10400
180.	दूकोसी नाड़ी खुदाई	10000
	योग	2,35,570
	महा योग	19,62,205.00

1	2	3
181.	पंचायत भवन निर्माण जोधियासी	15600
182.	शाला बाउन्ड्री निर्माण कंवलीसर	25000
183.	सार्वजनिक कूप मरम्मत मांजवास	16100
184.	पशु चिकित्सा निर्माण बासनी	67000
185.	झंडा तालाब खुदाई साऊसर (नागौर)	55000
186.	रा. मा. वि. विस्तार ताऊसर	50900
187.	जल योजना होज निर्माण सींगाणी	6700
188.	रा. मा. प्रा. बाउन्ड्री गोगोलाव	16250
189.	सार्वजनिक कूप निर्माण मालगांव	88990
190.	रा. मा. वि. विस्तार भदवासी	37500
191.	रा. उ. वि. भवन विस्तार सथेरण	40950
192.	गांधीसागर खुदाई सथरण	25500
193.	सार्वजनिक लालवाला कूप निर्माण छिला	49800
194.	सार्वजनिक कूप निर्माण सेवड़ी	88990
195.	पाडाना नाड़ी कूप निर्माण छिला	36560
196.	धोलिया नाडा कूप निर्माण श्री बालाजी	36350
197.	रा. मा. वि. भवन निर्माण श्री बालाजी	226600
198.	डाक्टर आवास गृह श्री बालाजी	36500
199.	नर्स एवं कम्पाउण्डर क्वार्टर श्री बालाजी	58600
200.	ग्राम सेवक क्वाटर निर्माण श्री बालाजी	28350
		10,07,030
201.	मकोड़ी होज पुन: निर्माण	12000
202.	उच्च प्रा. शाला निर्माण करनू	32050
203.	धोलिया डेहर कुवा निर्माण करनू	19800
204.	झाडली कूप निर्माण भोजास	31690
205.	पशु चिकित्सालय निर्माण अलाय	12300
206.	रा. मा. वि. अलाय	24300
207.	पंचायत भवन निर्माण रायधनु	14900
208.	जाजोलाई नाड़ी खुदाई ,,	10000
209.	कटारियों की ढाणी कूप निर्माण दांतीणा	81990
210.	डडोलाई कूप निर्माण दांताणा	81300

1	2	3
211.	रा. उच्च प्रा. शाला भवन विस्तार घेऊ	16000
212.	रामसागर कूप निर्माण दांतीणा	45000
213.	रा. उ. प्र. शाला ऊंटवालिया	29120
214.	रोखानिया कूप मरम्मत घोडारण	13700
215.	सार्वजनिक कूप निर्माण वीरमसर	42850
216.	जन्ता सागर कूप निर्माण नवाब	44050
217.	राउडी नाड़ी खुदाई गोधन	10000
218.	रा. प्रा. वि. बाउन्डरी निर्माण गोधन	25400
219.	पंचायत भवन बाउन्डरी एवं मरम्मत सिणोद	4000
220.	राज. प्रा. वि. नं. 1 भवन मरम्मत टांकला	3000
221.	राज. प्रा. वि. भवन निर्माण नैणाऊ	10350
222.	रामसागर नाड़ी खुदाई गुड़ा	10000
223.	गिलाबी तालाब खुदाई चैनार	10000
224.	शाला चारदीवारी निर्माण चैनार	12000
225.	रा प्रा. वि. रोहिणी	88100
226.	गोर्धन सागर तालाब खुदाई कुमारी	10000
227.	सिणोद तालाव विस्तार	15900
228.	पंचायत भवन निर्माण बरणगांव	15000
229.	सड़क निर्माण बरणगांव	39500
230.	फठेरा सार्वजनिक कूप मरम्मत	16650
231.	चारागाह विकास श्रीबालाजी	511
232.	राज. प्रा. विद्यालय बाउन्डरी निर्माण बारानी	12250
	योग	3893924

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या डी. आर. सी. 85 द्वारा श्री महाराम चौधरी पंचायत समिति मूण्डवा में कितनी कितनी लागत में कौन कौन से कार्य अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत खातों की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	बिरलोका	हनुमान सागर कुआ	5,000

1	2	3	4
2.	विरलोका	माता सागर कुआ खुदाई	14,300
3.	,,	गंगा सागर खुदाई	9,829
4.	,,	गावांई नाड़ी आंघायावलियड	7,000
5.	,,	गावांई नाड़ा खुदाई	7,000
6.	,,	पंचायत भवन निर्माण	14,880
7.	,,	जसनाथ सागर कुआ खुदाई खेली कोटा	11,940
8.	,,	माता सागर कुआ खुदाई एवं खेलीकोटा	32,870
9.	,,	चौथीणा कुआ मरम्मत	9,350
10.	जनाना	प्रा. शा. बाउन्डरी बराबता	7,000
11.	,,	प्रा.शा. बाउन्डरी मिरजाऊ	7,000
12.	,,	सोंडगर निर्माण जनाना	7,000
13.	गवालू	सोंडगर निर्माण	5,000
14.	,,	प्रा.शा. बाउन्ड्री गोलिया	7,000
15.	,,	प्रा.शा. टाका निर्माण	7,000
16.	,,	पंचायत भवन गवालू	11,440
17.	,,	कोहला तालाब खुदाई	32,740
18.	,,	प्रा. शा. मरम्मत बुटाका	5,300
19.	,,	साडगर गोलियासनी	10,760
20.	,,	प्रा.शा. भवन नया	65,290
21.	,,	प्रा.शा. भवन मरम्मत मटनोखा	12,030
22.	असावरी	फाटक निर्माण असावरी	7,000
23.	,,	रप्ट निर्माण चितानी	7,000
24.	,,	असावरी से धुआ ग्रेवल रोड	48,290
25.	,,	केरिया नाड़ा छिगावास	7,000
26.	,,	ग्राम सेवक आवास भवन	16,030
27.	कुडछी	पंचायत भवन निर्माण	15,340
28.	,,	गवाई नाड़ी खुदाई इसरनावड़ा	9,350
29.	,,	प्रा. शा. इसरनावड़ा	18,306
30.	,,	सांडगर वरबटा	7,000
31.	,,	उ.प्रा. शा. भवन निर्माण	59,160
32.	,,	प्रा.शा. भवन गोडावरी की ढाणी	23,560
33.	,,	छतरी नाड़ी खुदाई	20,000
34.	,,	आथुणी सार्वजनिक कुआ	13,020

1	2	3	4
35.	गोठड़ा	सांडगर निर्माण	7,000
36.	,,	गवांई सड़क निर्माण	7,000
37.	,,	प्रा.शा. गोठड़ा	7,000
38.	,,	प्रा.शा. फिरोजपुरा	16,370
39.	नागड़ी	सांडगर निर्माण खुडाला	11,060
40.	,,	सांडगर निर्माण धारणावास	7,000
41.	,,	सांडगर निर्माण लालास	7,000
42.	,,	तालाब खुदाई खुडाला	31,775
43.	,,	पंचायत भवन निर्माण	15,000
44.	,,	प्रा.शा. में कमरा निर्माण धारणावास	31,160
45.	मानकपुरा	प्रा.शा. बाउण्डरी निर्माण	7,000
46.	,,	सांडगर निर्माण मानकपुरा	7,000
47.	कांठिया	प्रा.शा. कांठिया नं.	7,000
48.	,,	नया कुआ हनुमान सागर	11,600
49.	,,	पीपली नाड़ी खुदाई	10,313
50.	,,	नाटवा कल्ला खुदेगी साउट नाली	9,350
51.	,,	काला नाडा अलवास	7,000
52.	,,	सांडगर थाकुडिया ढाणी	7,000
53.	,,	प्रा.शा. भवन नाटवा खुर्द	14,460
54.	,,	सार्वजनिक कुआ नाटवा खुर्द	20,800
55.	,,	प्रा.शा. काली गांव	14,250
56.	सेनणी	उप-स्वास्थ्य केन्द्र डियाबड़ी	17,372.61
57.	,,	प्रा.शा. बाउण्ड्री हिलोडी	7,000
58.	,,	गवांई सड़क निर्माण	7,000
59.	,,	गवांई तालाब डियाबड़ी	7,000
60.	,,	कांकड़ी नाड़ी खुदाई	42.480
61.	,,	प्रा.शा. ककडांल में कमरा	23,560
62.	थिरोड	सांडगर निर्माण प्रजन्डा	7,000
63.	,,	पंचायत भवन निर्माण थिरोड	15,340
64.	,,	प्रा.शा. बाउन्डरी टांका प्रजन्डा	7,000
65.	,,	प्रा.शा. पांचडी पिचकिया	23,560
66.	खजवाना	खजवाना तालाब खुदाई	7,000
67.	,,	गुड़िया तानलबा खुदाई	7,000

1	2	3	4
68.	खजवाना	पंचायत भवन निर्माण	14,675
69.	खरनाल	पुलिया निर्माण	7,000
70.	"	पक्का खुर्द खरनाल	7,000
71.	"	बस स्टेण्ड से पालासरा मार्ग तक ग्रेवल	7,000
72.	"	सार्वजनिक कुआ खरनाल	26,740
73.	खींवसर	प्रताप सागर तालाब खुदाई	7,000
74.	"	जोठड़ी नाड़ी खुर्द	7,000
75.	"	गवांई नाड़ी खुर्द	7,000
76.	"	बखता सागर तालाब खुदाई	41,000
77.	भावन्डा	रोहिन्डी नाड़ी खुदाई	7,000
78.	"	सांडगर निर्माण ताड़ास	7,000
79.	"	गवांई नाड़ी खुदाई चरड़ा	29,433
80.	"	हिंगाणिया नाड़ी खुदाई बरास	33,950
81.	"	सार्वजनिक देवलिया टांका निर्माण	7,000
82.	रूण	नाड़ी की खुदाई	7,000
83.	"	गवांई तालाब इन्डोकली	7,000
84.	"	पिथोलाई नाड़ी की आड़ खुदाई	7,000
85.	फिरोड़	तालाब पक्का निर्माण	7,000
86.	"	इमरतिया नाड़ा खुदाई त्रिमरानी	7,000
87.	"	मोरवा तालाब खुदाई बिरवाल	7,000
88.	"	गवांई कुआ की मरम्मत	3,050
89.	पांचोड़ी	हनुमानजी तालाब खुदाई	7,000
90.	"	बस स्टेन्ड से मन्दिर तक ग्रेवल रोड	9,975
91.	"	महाती कुआ मरम्मत पांचोड़ी	7,000
92.	"	जाटों वाला कुआ मरम्मत पांचोड़ो	7,000
93.	"	शिवसागर कुआ खुदाई पांचोंडी	15,150
94.	"	सुथारों की किलावू वाला कुआ	36,354
95.	"	प्रा. शा. भवन निर्माण आथुणी ढाणी	25,660
96.	संखवास	खोखरा नाड़ा खुदाई	7,000
97.	"	अलाला मोडी बाउन्डरी	7,000
98.	"	बान्डा नाड़ा खुदाई खेड़ा धांधलास	7,000
99.	"	देवन्डा तालाब खुदाई	25,975
100.	"	गवांई तालाब खेड़ा धांधलास	28,287

श्र२६

1	2	3	4
101.	संखवास	पटवार घर मरम्मत संखवास	4,850
102.	"	सांडगर संखवास	14,800
103.	"	पंचायत भवन संखवास	16,720
104.	"	सांडगर खेड़ा धांधलवाल	10,760
105.	खटोड़ा	प्रा. शा. भवन निर्माण खटोड़ा	15,000
106.	"	भोपालव तालाब खुदाई	50,500
107.	"	हनुमान सागर कुआ खुदाई	25,000
108.	"	गोबली नाड़ी खटोड़ा	7,000
109.	"	जुठिया कुआ मरम्मत	7,000
110.	"	रूपा लाई नाड़ी खुदाई	7,000
111.	माड़पुरा	आचींणा से माडपुरा से ग्रेवल रोड़	77,460
112.	"	पंचायत भवन माडपुरा	15,000
113.	"	गुजरों की ढाणी टांका व ढाणी	7,000
114.	सीलगांव	गवांई सड़क निर्माण	7,000
115.	"	सिवलाई नाड़ी मेडास	7,000
116.	"	गवांई नाड़ी गोवा कल्ला	7,000
117.	"	सांडगर निर्माण बीलगांव	14,060
118.	"	गोवा से सिलगांव ग्रेवल रोड	63,525
119.	मुडियाड़	सांडगर पालडी याला	7,000
120.	"	तालाब घाट मुन्डियाड	7,000
121.	"	प्रा. शा. कमरा मुन्डियाड	23,227
122.	"	तालाब घाट बलाया	39,700
123.	पांचला सिद्दा	प्रा. शा. उठाणी मरम्मत	8,135
124.	"	बिशनोई ढाणी मरम्मत	7,000
125.	कड़लुम	आमन्डा तालाब खुदाई	7,000
126.	"	गावांई नाड़ी खुड़खुड़ा	7,000
127.	"	लठियान्डा तालाब खुदाई	7,000
128.	"	राजलोवता तालाब खुदाई	15,000
129.	खेरायल	बरवल्ला नाड़ी खुदाई	7,000
130.	कल्ला	इन्दोक नाड़ा खुदाई	7,000
131.	"	जोटे वाला तालाब खुदाई आंकला	7,000
132.	इनाना	असावरी नाड़ी खेण	7,000

1	2	3	4
133.	इनाना	प्रा. शा. इनाना अ'गोर	12,000
134.	,,	गवाई नाड़ी खुदाई	20,890
135.	,,	राम नाड़ी खुदाई इननाना तालाब खुदाई सेण	7,000
136.	,,	जाजड़ा नाडी खुदाई सेण	7,000
137.	पालड़ी जोधा	सांडगर निर्माण	7,375
138.	,,	पंचायत घर बाउन्डरी	7,000
139.	डहुर्ल	सांडगर निर्माण जोरापुरा	7,000
140.	,,	सांडगर तालाब लालाग	7,000
141.	,,	प्रा. शा. बाउन्डरी बोडवा	7,000
142.	,,	पंचायत भवन निर्माण	15,690
143.	खेण	प्रा. शा. हान्डोकली	14,590
144.	कांठिया	नाठवा कल्ला सांडगर निर्माण	10,760
145.	,,	सांडगर नाटवा खुर्द	10,760
146.	फिड़ोद	प्रा. शा. खाड़ा	25,660
147.	बैराथल कल्ला	सांडगर निर्माण	8,050
148.	,,	आंकले में सांडगर निर्माण	8,050
149.	सीलगाव	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण गों	16,050
150.	भावन्डा	पुलिस थाना मरम्मत	8,990
151.	माडपुरा	उ. प्रा. भवन निर्माण	68,400
152.	पाचोडी	उ. प्रा. भवन निर्माण	68,400
153.	भरेण्डा	पंचायत भवन निर्माण	14,635
154.	खीवसर	ग्रेवल रोड बना सागर से बस स्टेण्ड	12,000
155.	पांचला सिद्धा	धीमडियां भवन प्रा. शा. भवन	14,570
156.	जनाना	प्रा. शा. भवन निर्माण	63,030
157.	फिड़ोद	सांडगर सोलियासतीया	7,000
		कुल योग	23,53,121.61

परिशिष्ट 'ख'

कार्यालय पंचायत समिति मूंडवा (नागौर)

विधान सभा प्रश्न सं. डी. आर. सी. 82 श्री महाराम चौधरी नं. 3 का उत्तर सम्बन्धी सूचना

क्रम.सं.	नाम पंचायत	निर्माण कार्य का नाम जिसका विलम्ब से भुगतान हुआ	सम्पूर्ण की तिथि	मजदूरी का चुकारा एक माह बाद	भुगतान तिथि	विलम्ब का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिरलोका	हनुमान सागर कुआ मरम्मत	15-12-79	30 दिन बाद हुआ	12-3-80	मजदूरी हेतु गेहूं का
2.	असावरी	फाटक निर्माण	31-12-79	" " "	7-3-80	आवंटन विलम्ब के कारण
3.	गवालू	सांडघर निर्माण गवालू	31-12-79	" " "	7-3-80	" " "
4.	गोठड़ा	गावांई सड़क भडाणा	31-12-79	" " "	7-3-80	" " "
5.	कांटिया	प्रा. शा. भवन कांटिया	15-1-80	" " "	13-3-80	" " "
6.	गवालू	प्रा. शा. बाउन्ड्री गोलियासनी	15-1-80	" " "	7-3-80	" " "
7.	गोठड़ा	सांडघर निर्माण भडाणा	15-1-80	" " "	7-3-80	" " "
8.	जनाणा	प्रा. शा. बाउन्ड्री बूनरावता	15-1-80	" " "	7-3-80	" " "
9.	नागड़ी	सांडघर खुन्डाला	27-1-80	" " "	14-3-80	" " "
10.	" "	सांडघर धारणास	30-1-80	" " "	14-3-80	" " "
11.	माणकपुर	प्रा. शा. बाउन्ड्री निर्माण	30-1-80	" " "	14-3-80	" " "
12.	" "	सांडघर माणकपुर	31-1-80	" " "	14-3-80	" " "
13.	बिरलोका	गंगासागर कुआ खुदाई	20-1-80	" " "	12-3-80	" " "

1	2	3	4	5	6	7
14.	कांटिया	पीपली नाड़ी खुदाई	14-1-80	30 दिन बाद हुआ भुगतान	13-3-80	गेहूं का आवंटन विलंब से होने के कारण
15.	सेनणी	उपस्वास्थ्य केन्द्र दियावड़ी	23-1-80	" "	20-3-80	
16.	" "	प्रा. शा. वाउन्डरी हिलोड़ी	30-1-80	" "	20-3-80	" " "
17.	कुड़छी	गावांई नाड़ी ईस रतावड़ा	31-1-80	" "	12-3-80	" " "
18.	भावन्डा	रूड़ी नाड़ी खुदाई	28-1-80	" "	19-3-80	" " "
19.	रूणा	पियोलाई नाड़ी की आड़	31-1-80	" "	7-3-80	" " "
20.	" "	गावांई नाड़ी इन्दोकली	31-1-80	" "	7-3-80	" " "
21.	फिडोद	तालाव का पठा निर्माण	31-1-80	" "	11-3-80	" " "
22.	पांचौड़ी	हनुमानजी तालाव खुदाई	31-1-80	" "	12-3-80	" " "
23.	संखवास	खोखरानाड़ा खुदाई	31-1-80	" "	7-3-80	" " "
24.	ईनाणा	प्रा. शा. ईनाणा अंगोर	29-3-80	" "	7-6-80	हिसाब देरी से देने के कारण स्टाफ की कमी के कारण
25.	" "	असवारी नाड़ी खेण	24-3-80	" "	7-6-80	" " "
26.	खटौड़ा	भोपोलाव तालाब खुदाई	15-5-80	" "	18-6-80	" " "
27.	असावरी	असावरी से घवा ग्रेवल रोड	8-5-80	" "	8-6-80	" " "
28.	गवालू	कोलाव तालाब खुदाई	4-5-80	" "	8-6-80	" " "

ह.
विकास अधिकारी,
मूंडवा।

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 304 की सूची)

बकाया रही समितियां तहसील सांचौर जिला जालौर

दिनांक 30-6-80 को आडिट से शेष रही सहकारी समितियों की कारणवार सूची

क्रमांक	नाम समिति	आडिट नहीं होने का कारण
1.	पूर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	समिति का रिकार्ड गत वर्षों से उपलब्ध नहीं हो रहा है।
2.	चितलावाना ,, ,,	समिति का रिकार्ड गबन के मामले में पुलिस थाना, चितावाना व सी. आई. डी. ब्रांच जोधपुर में पड़ा है।
3.	रामदेव बहुधन्धी सह. स. लि. पूर	समिति का रिकार्ड पंजीयन से ही उपलब्ध नहीं हो रहा है।
4.	बाबरला ग्राम सेवा स. स. लि.	समिति का रिकार्ड गबन के मामले में सी. आई. डी. ब्रांच जोधपुर में पड़ा है।
5.	जाणती ग्राम सेवा स. स. लि.	समिति का रिकार्ड गत वर्षों से उपलब्ध नहीं हो रहा है।
6.	देवड़ा तेल घाणी उत्पा. स. स.	समिति का रिकार्ड निरीक्षक (खादी बोर्ड) श्री पुरुषोत्तम द्वारा
7.	सांचौर स. श्रमिक ठेका स. स. भवन निर्माण सहकारी समिति	समिति का रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है।
8.	डाबल बहुधन्धी सहकारी स. समिति	समिति का रिकार्ड खाद बीज प. स. सांचौर के मामले में बालोतरा कोर्ट में पड़ा है।

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 305 की सूची)

छात्रावासों की सूची जिला सिरोही

क्रमांक	श्रेणी छात्रावास	योजना	स्थान	स्वीकृत छात्र संख्या	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
1.	राजकीय छात्रावास	अनुसूचित जन जाति	सिरोही	50	
2.	"	"	आबूरोड	50	
3.	"	अनुसूचित जाति	सिरोही	60	
4.	अनुदान प्राप्त	अनुसूचित जन जाति	पिण्डवाड़ा	35	
5.	"	"	माउन्टआबू (कन्या)	25	

छात्रावासों की सूची जिला उदयपुर

क्रमांक	श्रेणी छात्रावास	योजना	स्थान	स्वीकृत छात्र संख्या	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
1.	राजकीय छात्रावास	अनुसूचित जन जाति	धरियावाद		115
2.	"	"	छाणी		50
3.	"	"	कोटड़ा		125
4.	"	"	खेरवाड़ा(कन्या)		80
5.	"	"	उदयपुर(कन्या)		90
6.	"	"	फलासिया		105
7.	"	"	झाड़ोल		80
8.	"	"	भवराना		60
9.	"	अनुसूचित जाति	उदयपुर		135
10.	"	"	रेलमगरा		85

1	2	3	4	5	6
11.	अनुदान प्राप्त छात्रावास	अनुसूचित जन जाति	आदी. छात्रा. कुम्भलगढ़	25	
12.	"	"	" सलुम्बर	35	
13.	"	"	" कनोड़	35	
14.	"	"	" च्यवंड	30	
15.	"	"	" सेमारी	30	
16.	"	"	" गोगुन्दा	25	
17.	"	"	" भदेव	30	
18.	"	"	" कुण	30	
19.	"	"	" टीडी	50	
20.	"	"	जवाहर छा. खेरवाड़ा	40	
21.	"	"	बापाभील छा ऋषभदेव	40	
22.	"	"	महिला मण्डल उदयपुर	85	
23.	"	"	श्री माणिक्य लाल वर्मा आदिवासी छा. उदयपुर	83	
24.	"	"	रामगिरी छा. उदयपुर	35	
25.	"	"	बनवासी छा. उदयपुर	60	
26.	"	"	सवीना	25	
27.	"	अनुसूचित जाति	उदयपुर (कन्या)	25	
28.	"	विमुक्त जाति	पिछड़ी जाति छा. भीम	25	
29.	"	अनुसूचित जाति	भीण्डर	25	

छात्रावासों की सूची जिला–चित्तौड़गढ़

क्रमांक	श्रेणी छात्रावास	योजना	स्थान	स्वीकृत छात्र संख्या	वि. वि.
1	2	3.	4	5	6
1.	राजकीय छात्रावास	अनुसूचित जन जाति	प्रतापगढ़	95	
2.	"	"	प्रतापगढ़ (कन्या)	60	
3.	"	"	बेगूं	60	
4.	"	अनुसूचित जाति	निम्बाहेड़ा	80	

1	2	3	4	5
5.	अनुदान-प्राप्त छात्रावास	अनुसूचित जन जाति	बीरावा	25
6.	,,	,,	बड़ी सादड़ी	25
7.	,,	,,	अरनोद	40
8.	,,	अनुसूचित जाति	कपासन	30
9.	,,	घुमन्तु जाति	चित्तौड़गढ़	1765

छात्रावासों की सूची

जिला-डूंगरपुर

क्रमांक	श्रेणी छात्रावास	योजना	स्थान	स्वीकृत छात्र सं.	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
1.	राजकीय छात्रावास	अनुसूचित जन जाति	सागवाड़ा	130	
2.	,,	,,	सागवाड़ा (कन्या)	60	
3.	,,	,,	साबला	70	
4.	,,	,,	बनकोड़ा	60	
5.	,,	,,	चिखली	70	
6.	,,	,,	भासोर	85	
7.	,,	,,	कुंवा	45	
8.	अनुदान प्राप्त छात्रावास	,,	आदिवासी छात्रावास गलियाकोट	50	
9.	,,	,,	,, सीमलवाड़ा	80	
10.	,,	,,	नूतन बापा भील छा. डूंगरपुर	60	
11.	,,	,,	वागड़ विद्यापीठ छा. डूंगरपुर	45	
12.	,,	,,	आदिवासी छात्रावास बिछीवाड़ा	75	
13.	,,	,,	आदिवासी कन्या छा. सीमलवाड़ा	40	
14.	,,	,,	आदिवासी छात्रावास कनवा	35	
15.	,,	,,	,, ,, थोथरी	35	
16.	,,	,,	,, ,, करावाड़ा	35	
17.	,,	,,	बापा आदिवासी छा. डूंगरपुर	35	
18	,,	,,	कस्तूरबा कन्या छात्रावास डूंगरपुर	45	
19.	,,	,,	श्री गोवर्धन विद्या बिहार छा. खड़गदा	50	

छात्रावासों की सूची जिला–बांसवाड़ा

क्रमांक	श्रेणी छात्रावास	योजना	स्थान	स्वीकृत छात्र सं.	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
1.	राजकीय छात्रावास	अनुसूचित जन जाति	बांसवाड़ा	100	
2.	,,	,,	बांसवाड़ा (कन्या)	70	
3.	,,	,,	सज्जन गढ़	70	
4.	,,	,,	गढ़ी (कन्या)	50	
5.	,,	,,	गढ़ी	100	
6.	,,	,,	घाटोल	125	
7.	,,	,,	कुशलगढ़	60	
8.	,,	,,	दानपुर	50	
9.	,,	,,	बोरी	60	
10.	,,	,,	लुहाडिया	35	
11.	अनुदान प्राप्त छात्रावास	,,	आदिवासी छात्रावास वागीड़ोरा	25	
12.	,,	,,	गांधी आश्रम छात्रा खमेरी	35	
13.	,,	,,	आदिवासी छात्रावास जैलान	25	
14.	,,	,,	,, ,, गनोड़	25	
15.	,,	,,	,, ,, अरधुना	25	
16.	,,	,,	,, ,, चांदरवाड़ा	25	
17.	,,	,,	गांधी आश्रम कुशलगढ़	30	
18.	,,	,,	आदिवासी छात्रावास लोहरीया खट्टू	25	
19.	,,	अनुसूचित जन जाति	,, ,, परतापपुरा	50	
20.	,,	,,	,, ,, लोडन	30	
21.	,,	,,	,, ,, करजी	25	
22.	,,	,,	,, ,, भुगड़ा	25	
23.	,,	,,	,, ,, भुखिया	25	

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 306 की सूची)

परिशिष्ट 'अ'

कृषि पर्यवेक्षक के पद हेतु अभ्यर्थियों की सूची

(अ) नियोजन कार्यालय, श्री गंगानगर द्वारा प्रेषित सूची

क.सं.	नाम अभ्यार्थी	योग्यता	जन्म तिथि
1	2	3	4
1.	श्री मुखराम गोदारा	कृषि स्नातक	2-8-52
2.	,, भागीरथ शरण	,,	1-8-52
3.	,, जनकराज	,,	11-10-55
4.	,, जगदीशलाल	,,	17-11-54
5.	,, सोहनलाल	,,	5-1-57
6.	,, गोपीराम शाहू	,,	3-1-58
7.	,, रणजीतसिंह	,,	16-8-54
8.	,, वासूदेव मंगलानी	,,	8-3-57
9.	,, जयवीरसिंह	,,	25-6-58
10.	,, रामकुमार सुतार	,,	14-1-54
11.	,, इन्द्रजीत विश्नोई	,,	8-8-57
12.	,, विपन कुमार टिन्ना	,,	28-6-57
13.	,, जोगेन्द्र सिंह	,,	28-1-53
14.	,, नरेन्द्र कुमार	,,	9-10-55
15.	,, वातूराम	,,	11-6-54
16.	,, रामप्रतापसिंह	,,	5-3-56
17.	,, भीमराज	,,	25-7-57
18.	,, रामजस जखार	,,	1-11-57
19.	,, बालमुकुन्द सोनी	,,	15-1-56
20.	,, गुरुवन्तसिंह भूपाल	,,	1-5-55
21.	,, सुरेन्द कुमार गोयल	,,	28-10-52
22.	,, तलवीरसिंह	,,	1-2-56

1	2	3	4
23.	श्री बद्रीप्रसाद खोर	कृषि स्नातक	2-8-57
24.	,, मोहिन्द्रसिंह छाल	,,	7-7-56
25.	,, रमेशकुमार गवारी	,,	11-7-57
26.	,, कुलदीपसिंह साराहा	,,	21-9-58
27.	,, रामचन्द्र साहू	,,	9-6-55
28	,, अमरीतसिंह	,,	6-7-53
29.	,, रामरतन भादू	,,	1-2-56
30.	,, सुखदेवसिंह	,,	30-6-55
31	,, इन्द्रमोहन वर्मा	,,	22-6-58
32.	,, जगानन्दसिंह	,,	3-8-56
33.	,, मदनमोहन शर्मा	,,	5-9-59
34.	,, सुरेन्द्रपाल चौधरी	,,	26-3-59
35.	,, श्रीराम शर्मा	,,	1-6-58
36.	,, दाउलाल माथुर	,,	11-7-[illegible]5
37.	श्री रणवीन्द्र कुमार गुप्ता	,,	20-8-54
38.	,, अनूप कुमार	,	5-8-58
39.	,, अशोक कुमार	,,	7-7-57
40.	,, ओम प्रकाश	,,	10-7-56
41.	,, सुल्तान सिंह	,,	16-7-55
42.	,, अरुण कुमार	,,	2-7-56
43.	,, रघुवीर सिंह	,,	1-11-57
44	,, काशी राम यादव	,,	1-8-54
45.	,, धन्ना लाल	,,	12-11-54
46.	,, प्रदीप सिंह	,,	14-8-58
47.	,, राम लाल वर्मा	,,	1-6-56
48.	,, सुभाष चन्द्र	,,	16-1-57
49.	,, इन्द्र भान शर्मा	,,	1-1-58
50.	,, ओम वीर सिंह	,,	2-2-58
51.	,, सुरेन्द्र कुमार	,,	10-7-58
52.	,, भूप सिंह	,,	6-7-59
53	,, हरि किशन	,,	3-7-56
54.	,, हेत राम साहू	,,	10-7-51

1	2	3	4
55.	श्री देवी लाल विश्नोई	हायर सैक. (कृषि)	2-10-58
56.	,, राम कुमार	,,	4-8-56
57.	,, देवी लाल	,,	15-12-56
58.	,, गुरु बचन सिंह	,,	21-10-55
59.	,, राय सिंह बुदानिया	सैकण्ड्री कृषि	1-5-60
60.	,, राम किशन वर्मा	,,	1-5-60
61.	,, ओम प्रकाश पूनिया	हायर सैकण्ड्री, कृषि	14-6-58
62.	,, बाल राम	बी. ए. /हायर सैकण्ड्री, कृषि	12-12-52
63.	,, भागीरथ खोर	हायर सैकण्ड्री, कृषि	7-8-57
64.	,, हर फूल सिंह	सैकण्ड्री, कृषि	19-6-54
65.	,, राम किशन	हायर सैकण्ड्री, कृषि	1-1-60
66.	,, पाबू दान सिंह	प्रथम वर्ष टी. डी. सी., कृषि	5-7-53
67.	,, राज बहादुर सिंह	सैकण्ड्री, कृषि	7-9-58
68.	,, दर्शन सिंह	हायर सैकण्ड्री, कृषि	30-7-57
69.	,, दीन दयाल वर्मा	प्रथम वर्ष टी. डी. सी., कृषि	15-5-57
70.	,, हनुमान प्रसाद भादू	हायर सैकण्ड्री, कृषि	15-9-59
71.	,, प्रमोद कुमार अवस्थी	,,	5-11-57
72.	,, सुखपाल सिंह तोमर	इन्टर, कृषि	1-7-55
73.	,, जगदीश चन्द्र साय	हायर सैकण्ड्री, कृषि	27-7-59
74.	,, मनोहर लाल मंजुल	,,	7-8-56
75.	,, ब्रज मोहन	,,	10-5-60
76	,, शीतल सिंह थालीवाल	,,	1-1-59
77.	,, जगदीश	,,	1-7-56
78.	,, सूरज मल विश्नोई	हायर सैक. कृषि (बी काम)	8-7-56
79.	,, मनीराम करवासरा	सैकण्ड्री, कृषि	7-3-60
80.	,, ओम प्रकाश पटारिया	,, ,,	22-6-56
81.	,, ओम प्रकाश वर्मा	हायर सैकण्ड्री, कृषि	15-8-58
82.	,, अमर सिंह सारण	,, ,,	1-12-59
83.	,, ओम प्रकाश वर्मा	,, ,,	4-10-59
84.	,, प्रभी राम	सैकण्ड्री, कृषि	15-8-62
85.	,, ओम प्रकाश	,,	18-7-58
86.	,, चन्द्र प्रकाश	इन्टर, कृषि	5-8-54
87.	,, नरेश पाल सिंह	,,	13-4-55

1	2	3	4
88.	श्री बलदेव राज भादू	हायर सैकण्ड्री, कृषि	3-12-59
89.	,, वेद प्रकाश गोदरा	,,	1-7-60
90.	,, भूप सिंह मारी	,,	20-1-61
91.	,, गिरधारी लाल	,,	15-2-58
92.	,, महेन्द्र कुमार	,,	12-7-59
93.	,, हंस राज स्वामी	,,	5-6-58
94.	,, पथ राम गोदरा	,,	20-7-58
95.	,, जय नारायण शर्मा	,,	18-2-61
96.	,, राम कुमार शर्मा	,,	9-9-57
97.	,, अरुण कुमार शारदा	पी. पी , कृषि	2-7-56
98.	,, भूप सिंह	हायर सैकण्ड्री, कृषि	7-7-56
99.	,, झण्डू राम	,,	1-7-57
100.	,, नरेन्द्र कुमार	,,	20-7-58
101.	,, मान सिंह	सैकण्ड्री, कृषि	20-11-60
102.	,, नरसिंह सियाग	हायर सैकण्ड्री, कृषि	6-7-54
103.	,, राजेन्द्र कुमार बैरवाल	सैकण्ड्री, कृषि	9-1-63
104.	,, कृष्ण लाल डेडू	हायर सैकण्ड्री, कृषि	17-7-58
105.	,, हरिराम	सैकण्ड्री, कृषि	15-10-54
106.	,, शिव दयाल	हायर सैकण्ड्री, कृषि	1-7-55
107.	,, ओम प्रकाश भादू	,,	11-7-60
108.	,, गंगजीत सिंह	,,	2-8-59
109.	,, बीर बल राम	,,	1-6-57
110.	,, डूंगर लाल शर्मा	,,	3-8-57
111.	,, कुल दीप	,,	1-1-60
112.	,, जसवन्त राय	,,	1-7-60
113.	,, बलदेव राज	,,	7-1-62
114.	,, गोपाल कृष्ण व्यास	,,	30-6-57
115.	,, महेन्द्र पाल शर्मा	,,	2-6-61
116.	,, वेद प्रकाश बूंबक	,,	26-1-61
117.	,, जय देव	,,	17-11-56
118.	,, जग्गा सिंह	,,	12-11-59
119.	,, जस करण सिंह	,,	15-3-56
120.	,, शफी मोहम्मद	,,	15-12-61

1	2	3	4
121.	श्री सुशील कुमार अरोड़ा	सैकण्ड्री, कृषि	2-8-63
122.	,, लाभ राम	,,	26-5-61
123.	,, अनन्त राम वर्मा	हायर सैकण्ड्री, कृषि	15-3-59
124	,, चरण जीत सिंह	,,	1-5-59
125.	,, रामस्वरूप कुम्हेर	सैकण्ड्री, कृषि	20-11-61
126.	,, विजय कुमार	हायर सैकण्ड्री, कृषि	2-4-60
127.	,, सुख्वा सिंह	,,	15-10-61
128.	,, राकेश कुकर	,,	20-9-59
129.	,, नवत्तर सिंह	,,	30-6-60
130.	,, बजरंग लाल शर्मा	,,	8-7-56
131.	,, मोहर सिंह कुलहरी	,,	1-12-58
132.	,, राम कुमार विश्नोई	हायर सैकण्ड्री, कृषि	7-9-60
133.	,, रामेश्वर लाल विश्नोई	,,	25-7-56
134.	,, रामलाल वर्मा	द्वितीय वर्ष टीडीसी, कृषि	1-7-53
135.	,, ओम प्रकाश वर्मा	सैकण्ड्री, कृषि	5-5-62
136.	,, भूपसिंह सुथार	हायर सैकण्ड्री, कृषि	25-10-62
137.	,, सुखदेव सिंह सन्धू	,,	30-6-56
138.	,, रामावतार	सैकण्ड्री, कृषि	1-2-56
139.	,, चेतराम	,,	12-8-62
140.	,, दीपचन्द	,,	12-1-63
141.	,, राजा राम	हायर सैकण्ड्री	12-12-61
142.	,, कृष्ण कुमार	,,	30-5-62
143.	,, देशराज	सैकण्ड्री, कृषि	1-8-61
144.	,, राम प्रताप व्यास	प्रथम वर्ष टी. डी. सी, कृषि	10-7-55
145.	,, रोहितास कुमार	हायर सैकण्ड्री, कृषि	2-3-61
146.	,, जगदीश प्रसाद	,,	24-2-60
147.	,, ओम प्रकाश	,,	20-4-63
148.	,, सत्य नारायण	,,	20-11-59
149.	,, कृष्ण लाल करवाना	,,	1-7-62
150.	,, इन्द्र सिंह	,,	17-7-58
151.	,, खेम चन्द मेहरा	,,	16-8-60
152.	,, पृथवी राज	,,	17-1-58
153.	,, नरेन्द्र कुमार	,,	12-6-60

1	2	3	4
154.	श्री सत्य पाल विश्नोई	सैकण्ड्री, कृषि	28-7-62
155.	,, बलताज सिंह	हायर सैकण्ड्री, कृषि	22-6-58
156.	,, जगदीश राम	हायर सैकण्ड्री, कृषि	20-7-59
157.	,, रणजीत छीपा	प्रथम वर्ष टी. डी. सी., कृषि	20-12-55
158.	,, राम लाल	हायर सैकण्ड्री, कृषि	18-9-59
159.	,, रोशन लाल पावा	सैकण्ड्री, कृषि	9-9-63
160.	,, मलकियत सिंह वर्मा	हायर सैकण्ड्री, कृषि	19-11-61
161.	,, हंस राज यादव	सैकण्ड्री, कृषि	20-1-63
162.	,, बलवन्त राम	सैकण्ड्री, कृषि	25-10-61
163.	,, रोहिताश कुमार	,,	29-6-58
164.	,, सुधाकर सिंह	,,	1-12-55
165.	,, चाणन सिंह	हायर सैकण्ड्री, कृषि	13-9-61
166.	,, गुरु दीप सिंह	सैकण्ड्री, कृषि	6-8-61
167.	,, वेला सिंह	हायर सैकण्ड्री, कृषि.	1-8-58
168.	,, दाता राम	हायर सैकण्ड्री, कृषि	2-9-59
169.	,, हरजीतसिंह	बी. ए., एग्रीकल्चर	7-1-58
170.	,, प्रतापसिंह	इन्टर, कृषि	1-5-56
171.	,, देवीलाल जनूज	सैकण्ड्री, कृषि	6-9-61
172.	,, ब्रजलाल	सैकण्ड्री, कृषि	28-12-63
173.	,, रामेश्वरलाल	हायर सैकण्ड्री, कृषि	13-8-61
174.	,, हीरालाल	सैकण्ड्री, कृषि	30-7-62
175.	,, राम कुमार	हायर सैकण्ड्री, कृषि	3-9-59
176.	,, मोहेन्द्र सिंह	हायर सैकण्ड्री, कृषि	30-7-58
177.	,, गणेशराम	,,	1-7-62
178.	,, शीशपाल	,,	17-8-59
179.	,, बजरंगीलाल	हायर सैकण्ड्री कृषि	2-10-61
180.	,, कृष्ण कुमार शर्मा	,,	1-7-58
181.	,, राम कुमार	सैकण्ड्री कृषि	5-8-58
182.	,, राम सिंह	हायर सैकण्ड्री कृषि	7-5-62
183.	,, वीरसिंह	हायर ,,	3-5-55
184.	,, अमीन चन्द	,,	30-12-60
185.	,, ओम प्रकाश	,,	10-4-57

1	2	3	4
186.	श्री रामेश्वरलाल	सैकेण्ड्री, कृषि	1-4-62
187.	,, इन्द्र पाल	हायर सैकण्ड्री, कृषि	20-2-58
188.	,, राजा राम	द्वितीय वर्ष टी. डी. सी. कृषि	8-8-57
189.	,, कालूराम सारण	,,	5-7-59
190.	,, टेक चन्द	हायर सैकण्ड्री, कृषि	3-8-59
191.	,, श्रीकृष्ण डूडी	,,	1-9-61
192.	,, पृथ्वीराज	द्वितीय वर्ष टी. डी. सी., कृषि	2-6-59
193.	,, दलीपसिंह	हायर सैकण्ड्री कृषि	2-7-62
194.	,, कृष्ण कुमार	हायर सैकण्ड्री, कृषि	12-9-55
195.	,, गोरी शंकर सियाग	सैकण्ड्री, कृषि	3-7-62
196.	,, वालाराम	हायर सैकण्ड्री, कृषि	5-9-62
197.	,, ईश्वरसिंह भारिया	,,	17-8-59
198.	,, मोहनलाल शर्मा	,,	2-7-58
199.	,, सुभाष चन्द	सैकण्ड्री, कृषि	20-9-61
200.	,, शाहिब राम	हायर सैकण्ड्री, कृषि	6-7-60
201.	,, विजय कुमार	,,	4-8-57
202.	,, सुशील कुमार	सैकण्ड्री, कृषि	7-2-62
203.	,, सुभाष कुमार गेरा	,,	10-1-61
204.	,, सत्यपाल	,,	1-8-62
205.	,, दूलाराम	हायर सैकण्ड्री, कृषि	1-2-62
206.	,, धर्मपाल	सैकण्ड्री, कृषि	7-8-60
207.	,, राजपाल सिंह	हायर सैकण्ड्री, कृषि	12-3-61
208.	,, दुर्गादास	सैकण्ड्री, कृषि	1-2-57
209.	,, ताराचन्द	हायर सैकेण्ड्री, कृषि	1-4-58
210.	,, सुख महिन्दर सिंह	सैकेण्ड्री, कृषि	20-8-56
211.	,, छिन्दर पाल सिंह	,,	1-8-56
212.	,, अनूप कुमार	कृषि स्नातक	5-8-58
213.	,, अमर जीत सानी	बी. ए.	13-7-53
214.	,, लालचन्द	सैकण्ड्री, कृषि	4-2-63
215.	,, हरगोपाल सिंह	हायर सैकण्ड्री, कृषि	17-2-58
216.	,, मोहिन्दर सिंह	सैकण्ड्री, कृषि	1-8-59
217.	,, भीम सिंह सुण्डाना	सैकण्ड्री, कृषि	17-5-62
218.	,, देवी लाल	हायर सैकण्ड्री, कृषि	15-7-58

1	2	3	4
219.	श्री ओम प्रकाश	सैकण्ड्री, कृषि	6-5-59
220.	,, कृष्ण चन्द	,,	15-7-58
221.	,, सीतेन्द्र कुमार	,,	12-6-61
222.	,, इन्द्र राज सिंह	हायर सैकण्ड्री, कृषि	2-9-61
223.	,, बलवन्त सिंह	,,	24-7-57
224.	,, लाल चन्द	सैकण्ड्री, कृषि	10-2-59
225.	,, महावीर प्रसाद	हायर सैकण्ड्री, कृषि	1-12-55
226.	,, प्रताप सिंह	,,	10-10-61
227.	,, भूप सिंह	,,	20-1-61
228.	,, राम कुमार	,,	2-8-61
229.	,, राम किशन	सैकण्ड्री, कृषि	11-6-61
230.	,, रिछपाल	,,	4-7-61
231.	,, बलवन्त सिंह	हायर सैकण्ड्री, कृषि	24-7-57
232.	,, राम गोपाल	सैकण्ड्री, कृषि	3-9-62
233.	,, दीप राम बेहा	,,	1-5-60
234.	,, साहिब राम	,,	10-12-62
235.	,, कृष्ण लाल शर्मा	,,	20-12-62
236.	,, मनफूल सिंह	हायर सैकण्ड्री, कृषि	30-3-56
237.	,, गुरमेल सिंह	सैकण्ड्री, कृषि	20-12-59
238.	,, राजेन्द्र कुमार	हायर सैकण्ड्री, कृषि	9-12-62
239.	,, विजय सिंह	,,	2-7-57
240.	,, राजेन्द्र कुमार	,,	1-6-57
241.	,, रणजीत सिंह	,,	1-8-61
242.	,, मदन सिंह	द्वितीय वर्ष, कृषि	7-9-54
243.	,, मदन लाल कुम्हार	सैकण्ड्री, कृषि	27-4-61
244.	,, निर्मल सिंह	हायर सैकण्ड्री, कृषि	3-5-59
245.	,, पावन दान चारण	,,	15-7-63
246.	,, हनुमान राम	,,	15-8-57
247.	,, पृथ्वी सिंह	,,	15-5-62
248.	,, बलवेन्द्र सिंह	,,	3-5-59
249.	,, जगतार सिंह	,,	10-8-53
250.	,, गुरुदयाल सिंह	,,	23-8-61
251.	,, नानक चन्द	सैकण्ड्री, कृषि	1-8-63

1	2	3	4
252.	श्री ओम प्रकाश	हायर सैकण्ड्री, कृषि	3-8-60
253.	,, श्रवण कुमार	,,	30-4-59
254.	,, जयदर्थ	,,	22-10-59
255.	,, महला सिंह	प्रथम वर्ष टी. डी. सी., कृषि	10-8-58
256.	,, राधेश्याम	सैकण्ड्री, कृषि	8-7-59
257.	,, ओम प्रकाश	हायर सैकण्ड्री, कृषि	28-6-60
258.	,, ,,	हायर सैकण्ड्री, कृषि	15-4-62
259.	,, राजेन्द्र कुमार	हायर ,,	13-2-60
260.	,, राधेश्याम	सैकण्ड्री, कृषि	3-5-58
261.	,, रमेश चन्द्र रावल	द्वितीय वर्ष कृषि टी. डी. सी.	12-10-55
262.	,, सुरेन्द्र कुमार	हायर सैकण्ड्री, कृषि	11-10-59
263.	,, रघुवीर सिंह	,,	14-2-61
264.	,, मनीराम	सैकण्ड्री, कृषि	1-9-62
265.	,, मदनलाल	हायर सैकण्ड्री, कृषि	7-9-55
266.	,, रणवीर	हायर सैकण्ड्री, कृषि	18-12-60
267.	,, राजाराम गोदारा	,,	5-7-60
268.	,, भारत भूषण	,,	4-11-58
269.	,, मोहिन्द्र कुमार	,,	2-7-57
270.	,, शीशपाल विश्नोई	,,	1-7-60
271.	,, जगदीश प्रसाद	सैकण्ड्री, कृषि	25-1-62
272.	,, कुन्दनराम वर्मा	हायर सैकण्ड्री, कृषि	29-3-61
273.	,, महावीर प्रसाद	सैकण्ड्री, कृषि	7-8-59
274.	,, रणजीत कुमार	,,	15-9-60
275.	,, पूर्णराम	,,	1-1-59
276.	,, अजीत कुमार	हायर सैकण्ड्री, कृषि	24-8-62
277.	,, राम कुमार जाखर	सैकण्ड्री, कृषि	13-11-61
278.	,, रामजीलाल	,,	12-7-60
279.	,, कृष्ण लाल	हायर सैकण्ड्री, कृषि	15-1-61
280.	,, रामेश्वर लाल	,,	15-8-56
281.	,, मोहन लाल	,,	1-1-61
282.	,, महावीर प्रसाद	हायर सैकण्ड्री, कृषि	10-7-58
283.	,, काशी राम	सैकण्ड्री, कृषि	15-7-60
284.	,, धर्मचन्द स्वामी	,,	18-5-55

1	2	3	4
285.	श्री विनोद कुमार मित्तल	सैकण्ड्री, कृषि	29-11-61
286.	,, भजन लाल	हायर सैकण्ड्री, कृषि	4-7-58
287.	,, राजाराम गोदारा	,,	6-11-53
288.	,, वंशीधर पारीक	,,	6-4-60
289.	,, देशबन्दु गहलोत	प्रथम वर्ष टी. डी. सी., कृषि	12-8-52
290.	,, महेश कुमार	सैकण्ड्री, कृषि	17-12-63
291.	,, राकेश कुमार	,,	28-11-60
292.	,, जयलाल	हायर सैकण्ड्री, कृषि	21-2-62
293.	,, राजेन्द्र कुमार	,,	10-10-60
294.	,, जगदीश राय	,,	15-3-58
295	,, महावीर सिंह	सैकण्ड्री, कृषि	1-1-57
296.	,, जगदीश चन्द	हायर सैकण्डरी, कृषि	16-9-59
297.	,, जुगल किशोर	सैकण्ड्री, कृषि	10-8-63
298.	,, प्रताप सिंह	इन्टर पार्ट II, कृषि	22-7-57
299.	,, मनीराम	हायर सैकण्ड्री, कृषि	14-11-61

अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यार्थी

1	2	3	4
300.	श्री चाणन राम	कृषि स्नातक	1-1-55
301.	,, शंकर लाल	हायर सैकण्ड्री, कृषि	1-7-61
302.	,, सन्त लाल	,,	25-7-58
303.	,, ,,	सैकण्ड्री, कृषि.	26-2-60
304.	,, जगदीश चन्द्र	हायर सैकण्ड्री, कृषि	20-7-56
305.	,, नन्द राम	,,	25-2-60
306.	,, शिव भगवान	सैकन्ड्री, कृषि	8-10-60
307.	,, नाथू राम	हायर सैकण्ड्री, कृषि	14-8-58
308.	,, गोपी राम	सैकण्ड्री, कृषि	15-1-59
309.	,, हरी राम	,,	2-9-62
310.	,, शिव भगवान	,,	10-8-60
311.	,, जगदीश चन्द्र	हायर सैकण्ड्री, कृषि एवं बी.ए.	15-7-57

सीधे प्राप्त आवेदन-पत्रों वाले अभ्यार्थी

1	2	3	4
312.	श्री तिलक सिंह	सैकण्ड्री, कृषि	10-11-53
313.	,, सूरजपाल सिंह	इन्टर, कृषि	11-6-52

1	2	3	4
314.	श्री बृज लाल	हायर सैकण्डी, कृषि	15-3-55
315.	,, गौरी शंकर	सैकण्डी, कृषि	5-8-60
316.	,, जसवन्त सिंह	,,	22-3-59
317.	,, गोवर्धन लाल	हायर सैकण्डी, कृषि	17-6-51

परिशिष्ट 'ब'

चयनित व्यक्तियों की सूची

क्रमांक 1	चयनित व्यक्ति का नाम 2	शैक्षणिक योग्यता 3	जन्म दिनांक 4.
1.	श्री जोगिन्दर सिंह	कृषि स्नातक	18-1-53
2.	श्री भागीरथ	,,	1-8-52
3.	श्री हरी कृष्ण	,,	3-7-56
4.	श्री ओम प्रकाश	उच्च माध्यमिक, कृषि	14-6-58
5.	श्री राम कुमार	,,	4-8-56
6.	श्री शीतल सिंह धालीवाल	,,	1-1-59
7.	श्री ओम प्रकाश पगारिया	माध्यमिक, कृषि	22-7-55
8.	श्री ओम प्रकाश	,,	18-7-58
9.	श्री महेन्दर कुमार	उच्च माध्यमिक, कृषि	12-7-59
10.	श्री नरेन्द्र कुमार	,,	20-7-58
11.	श्री किशन लाल	,,	17-7-58
12.	श्री हरी राम	माध्यमिक, कृषि	15-10-54
13.	श्री बीरबल सिंह	उच्च माध्यमिक, कृषि	2-2-59
14.	श्री डूंगर लाल	,,	3-8-57
15.	श्री बसन्त राम	,,	15-3-61
16.	श्री देश राज	माध्यमिक कृषि	1-8-61
17.	श्री किशन लाल करवासरा	उच्च माध्यमिक, कृषि	1-7-62
18.	श्री मलकियत सिंह	,,	19-11-61
19.	श्री दाता राम	,,	2-2-59
20.	श्री राम कुमार चाहर	,,	3-8-59

1	2	3	4
21.	श्री राम सिंह	उच्च माध्यमिक, कृषि	7-5-62
22.	श्री रामेश्वर लाल	माध्यमिक, कृषि	1-4-62
23.	श्री टेक सिंह	उच्च माध्यमिक, कृषि	3-8-59
24.	श्री ओम प्रकाश	माध्यमिक, कृषि	6-5-59
25.	श्री मलफूल सिंह	उच्च माध्यमिक कृषि	30-3-56
26.	श्री पवन दान	,,	15-7-63
27.	श्री जगतार सिंह	,,	10-8-53
28.	श्री मनी राम	माध्यमिक, कृषि	1-9-62
29.	श्री मदन लाल	उच्च माध्यमिक, कृषि	7-9-55
30.	श्री महावीर प्रसाद	माध्यमिक, कृषि	7-8-59
31.	श्री मोहन लाल	उच्च माध्यमिक, कृषि	1-1-61
32.	श्री भजन लाल	,,	4-7-58
33.	श्री बंशी धर पारीक	,,	6-4-60
34.	श्री शंकर लाल अनु. जाति/अनु. जन. जाति	,,	1-7-61
35.	श्री नन्द राम ,,	,,	25-2-60
36.	श्री नाथू राम ,,	,,	14-8-58
37.	श्री गोपी राम ,,	,,	15-1-59
38.	श्री हरि राम ,,	माध्यमिक, कृषि	2-9-62
39.	श्री तिलक सिंह ,,	,,	10-11-53
40.	श्री सूरजपाल सिंह ,,	इन्टर, कृषि	11-6-52
41.	श्री गोवर्धन लाल ,,	उच्च माध्यमिक, कृषि	17-6-58

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 307 की सूची)

जिलेवार सूची जनस्वास्थ्य रक्षकों की जिनकी बकाया राशि देय है

क्र. सं.	जिले का नाम	जन स्वास्थ्य रक्षकों की संख्या	बकाया राशि
(1)	बाड़मेर	156	70,200.00
(2)	भीलवाड़ा	170	37,358.00
(3)	डूंगरपुर	172	8,600.00
(4)	गंगानगर	232	53,000.00
(5)	जैसलमेर	85	21,250.00
(6)	जालौर	170	8,000.00
(7)	झालावाड़	178	62,300.00
(8)	झुंझुनूं	183	2,058.00
(9)	जोधपुर	149	29,800.00
(10)	कोटा	140	7,000.00
(11)	सवाईमाधोपुर (करौली)	184	8,300.00
(12)	सीकर	212	1,06,000.00
		योग:-	4,13,850.00

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 308 की टेण्डर की शर्तें)

कार्यालय नगरपालिका प्रतापगढ़ (राजस्थान)

निर्माण कार्य की शर्तें

1. धरोहर राशि के बगैर निविदा ग्राह्य नहीं होगी, ऐसी प्रस्तुत निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदा के साथ चैक मान्य नहीं होगा, डिमाण्ड ड्राफ्ट व नकद राशि के साथ प्रस्तुत किये गये मान्य होगी।
3. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार नहीं हुई वह निविदादाता प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर चार माह की अवधि में धरोहर राशि रिफण्ड करा कर राशि प्राप्त कर सकता है।
4. निविदा के जमा होने वाली राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
5. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की गई उसे वर्क आर्डर दिया जाने पर निर्धारित समय में काम नहीं करता है तो जमा शुदा धरोहर राशि बगैर सूचना के जब्त हो जावेगी।
6. निविदा पत्र के साथ प्रथक् से कोई पत्र नहीं लगाया जावे। न ही कोई शर्तें निविदादाता लगावेंगे न ऐसी कोई शर्तें मान्य होंगी।
7. कोई प्रार्थना-पत्र पर निविदा खोले जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया जावेगा न ऐसे प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार होगा।
8. निविदा के सम्बन्ध में 'जो' शिडयुल के रेट्स कम/ज्यादा प्रतिशत के अंक स्पष्ट बगैर काट फांस के होने चाहिये। काट फांस होने पर तस्दीक शुदा ही मान्य होगा।
9. निविदा में अंकित कार्य निर्माण बाबत निर्धारित समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे कम रेट्स से निविदा स्वीकार की गई हो।
10. निर्माण कार्य राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) चित्तौड़गढ़ सर्कल द्वारा व निर्धारित व निर्देशित गणना अनुसार व निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
11. डामर पालिका भन्डार से उपलब्ध होने पर ही सप्लाई किया जावेगा तथा खाली डामर ड्रम पालिका भण्डार को जमा कराना होगा।

12. ठेकेदार के खर्चे से पालिका मिकर मशीन सीमेंट कार्य हेतु या रोड रोलर की व्यवस्था कर सकेगी यदि रोड रोलर/मशीन उपलब्ध होता जिसका किराया वी एस. आर. जी. सा. नि. वि. द्वारा अनुमोदित व निर्धारित के अनुसार चार्ज व किराया वसूल किया जावेगा। अन्यथा ठेकेदार स्वयं इसकी व्यवस्था करेंगे।

13. निर्माण कार्य के रेट्स जो निविदा में दिये गये हैं कार्य निर्माण के सम्बन्ध में कोई विवाद रेट्स/कार्य बावत पैदा होगा तो उसका निराकरण पालिका या अभियन्ता द्वारा होकर जिसका अनुमोदन अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा हो जायगा तो वह ठेकेदार को मान्य होगा।

14. पालिका सीमेंट निर्माण हेतु सीमेंट करने के लिये पालिका वाहन नहीं है यदि पालिका भन्डार से सीमेंट उपलब्ध हो तो सीमेंट का मूल्य स्टोर व सुपरविजन चार्ज ठेकेदार द्वारा जमा कराने पर सप्लाई की जावेगी।

15. ठेकेदार निर्माण कार्य में काम करने वाले मजदूरी/कारीगरों को राज्य सरकार के श्रम कानून के अन्तर्गत जो भी भुगतान/सुविधा है वह देगा। इस सम्बन्ध में कोई विवाद होगा तो स्वयं ठेकेदार जिम्मेदार व पाबंद होगा।

16. सब प्रकार के टैक्स/रायल्टी जो भी बिल में कटने योग्य होगा बिल के भुगतान के पूर्व बिल में से कटौती करली जावेगी।

17. कोई रेट्स में भूल त्रुटि/कमीशन बावत विचार योग्य मामले पर पालिका व ठेकेदार दोनों पक्षकार पाबन्द हैं, जिसका निपटारा बी. सी. आर. जिसके आधार पर 'जी' शिड्यूल बनाई गई है को देखकर निपटारा किया जावेगा।

18. जिस निविदादाता ठेकेदार को निविदा स्वीकार की जावेगी उसे पालिका अभियन्ता के निर्देशानुसार उक्त शर्तों के, ध्यान में रखते हुए बन्धक पत्र स्टाम्प पर पालिका के पास से सम्पादित करना होगा। इस अभाव में भी धरोहर राशि जप्त की जा सकेगी।

19. पालिका अध्यक्ष/प्रशासक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बगैर कारण बताये कम रेट्स का समस्त प्राप्त निविदाओं को रिजेक्ट कर सकते हैं।

20. निविदा कम/ज्यादा रेट्स के जैसे भी ग्राह्य किये जा सकेगी। जिसके बगैर कोई कारण नहीं बताया जायेगा।

21. निविदादाता तकनीकी अनुमान, नक्शे डिजाइन, स्थल निविदा देने के पूर्व सोच कर सन्तोष करले बाद में कोई क्लेम या कन्डीशन मान्य नहीं होगी।

21. निविदादाताओं को निविदा के साथ 2% धरोहर राशि अनुसार रुपये के अनुसार जैसा कि निविदा सूचना-पत्र में अंकित है जमा होगी। जिस ठेकेदार द्वारा निर्माण

कार्य किया जायेगा उसे भुगतान योग्य रनिंग/अन्तिम बिल में भुगतान करते समय 8%सिक्यूरिटी डिपोजिट के रूप में काटे जावेंगे । जिसका भुगतान 6 माह बाद, कार्य निर्माण सन्तोष जनक पाये जाने पर किया जावेगा । इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा ।

23. भवन निर्माण के कार्यों के सम्बन्धित भुगतान के समय काटी गई सिक्युरिटी की राशि अगली वर्षा ऋतु के पश्चात् कार्य संतोषप्रद होने पर किया जावेगा ।

24. कार्य निर्माण कम/ज्यादा जैसी भी स्थिति हो पालिका निर्देशानुसार किया जावेगा ।

दिनांक

ह. ठेकेदार

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 312 की सूचना)

पीपल्दा क्षेत्र में कैचमेन्ट के नाम जहां पर ओ.एफ.डी. कार्य हो रहा है (वर्ष 1979-80)

परिशिष्ट "अ"

		अरनियां	लुहावद	अथवा 20 'ए' (फतेहपुर प्रथम)
1.	नाम	अरनियां	लुहावद	अथवा 20 'ए' (फतेहपुर प्रथम)
2.	पता	लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी लुहावद माइनर अरनियां माइनर के द्वारा सिंचित	लुहावदमहन सभा हानियां माइनर द्वारा सिंचित	गेंवा डिस्ट्रीब्यूटरी तथा रामपुरा माइनर द्वारा सिंचित
3.	कुल जमीन	1,45,576 बीघा	2082.35 बीघा	2038.97 बीघा
4.	कार्य	प्रति बीघा रुपये में	प्रति बीघा	प्रति बीघा
	(अ) ड्रेम	रु. 70-87	रु. 73-14	रु. 62-14
	(ब) धोरा	रु. 74-76	रु. 65-05	रु. 52-59
	(स) लैंड लेवलिंग (मय गांव की कांकड़ ताड़ना स्रोतों की पुरानी मेंड़े तोड़ना स्रोतों की नई मेंड़े बनाना तथा जमीन को समतल करना सम्मिलित है)	रु. 177-99	रु. 197-06	रु. 183-50
	(द) अन्य			
	(1) मरम्मत कार्य होने तक	@ 1% 203-24	रु. 03-24	रु. 2-91
	(2) तकनीकी एवं प्रशासनिक खर्च	@ 20% 65-55	रु. 65-69	रु. 60-19
	(3) भौतिकी विविध	@ 15% रु. 44-03	रु. 49-35	रु. 45-15
	(4) मुआवजा वसूल	150/-प्रति है. रु. 24-27	रु. 24-27	रु. 24-27
	कुल खर्च	रु. 465-69	रु. 467-80	रुपये 430-75

परिशिष्ट "ब"

पीपल्दा क्षेत्र में केवमेन्ट के नाम सही मी. क्षेत्र एक कार्य क्षेत्र होना है (वर्ष 1980–81)

1. नाम	सनमानपुरा ई. एवं एफ.	फसेलपुरा द्वितीय इटावा बी	सती प्रथम	सती द्वितीय	हरी नगर	सुमेरपुरा	बजरंगपुरा
	1	2	3	4	5	6	7
2. पता	इटावा ब्रांच तथा साथडी माइनर द्वारा सिंचित	रामपुरा माइनर ब्रांच एवं उडवाडा माइनर द्वारा सिंचित	गेंता डिस्टी. एवं रामपुरा माइनर द्वारा सिंचित	डिस्टीब्यूटरी बबूलिया तथा रामपुरा माइनर द्वारा सिंचित	बारानाली डि. ब्रांच एवं कालोनी माइनर के टेल द्वारा सिंचित	बारानाली डि. सुमेरपुरा माइनर द्वारा सिंचित	इटावा ब्रांच तथा बंजरी माइनर आडा मेला रास्ते से समरपुरा ग्राम
3. कुल जमीन	1268–63 बीघा	3590–33 बीघा	3708–00 बीघा	3755–46 बीघा	1483–2 बीघा	1665–51 बीघा	26691 बीघा
4. खर्च	प्रति बीघा	प्रति बीघा	प्रति बीघा	प्रति बीघा	प्रति बीघा	प्रति बीघा	प्रति बीघा
(अ) ड्रेन	61–81	63–92	57–77	65–37	72–49	57–12	69–74
(ब) धारा	141–10	55–99	49–68	44–01	45–63	55–50	44–98
(स) लेवलिंग (मय गांव को फांवड तोडना, पुरानी मंडी को तोडना खेतों की नई मेंडे बनाना तथा जमीन को समतल करना सम्मिलित है)	144–17	181–72	187–06	182–20	178–16	193–37	181–72

(द) अन्य							
1. मरम्मत कार्य होने तक	—	2–91	2–91	2–91	2–91	3–07	2–91
2. तकनीकी एवं प्रशासनिक खर्च	69–42	60–84	59–55	58–90	59–87	61–81	59–87
3. भौतिकी विविध	62–46	43–63	44–66	44–17	44–88	46–28	44–98
4. फसल मुआवजा	24–27	24–27	24–27	24–27	24–27	24–27	24–27
कुल खर्च	503–23 रु.	433–28 रु.	425–90 रु.	421–83 रु.	420–21 रु.	441–42 रु.	428–47रु.

(वर्ष 1980-81)

पीपल्दा क्षेत्र में कैचमेन्ट के नाम जहां पर ओ. एफ. डी. कार्य होना है

1.	फतेहपुरा बंजारी	सञ्जीपुरा	गणेशखेड़ा प्रथम	गणेशखेड़ा द्वितीय	श्रीपुरा
2.	आडागेला तलाब गांव का रास्ता व तलाब माईनर बंजारी माईनर द्वारा सिंचित	इटावा ब्रान्च तथा बंजारी व माईनर द्वारा आडागेला रास्ता तक	बंजारी माईनर तथा तलाब माईनर द्वारा सिंचित	इटावा ब्रान्च एवं तलाब माईनर द्वारा सिंचित	इटावा ब्रान्च निमोला डिस्ट्री सुमेरपुर माईनर द्वारा सिंचित
3.	1316-34 बीघा	2910-78 बीघा	2750-10 बीघा	1903-44 बीघा	1563-54 बीघा
4.	प्रति बीघा	प्रति बीघा	प्रति बीघा	प्रति बीघा	प्रति बीघा
	(अ) 74-11	66-83	69-26	58-25	65-86
	(ब) 41-59	41-42	48-54	46-93	48-54
	(स) 183-91	180-91	181-88	181-23	181-58
	(द)				
	(1) 2-91	2-91	3-07	2-75	3-07
	(2) 60-36	58-41	60-52	57-93	59-55
	(3) 45-31	43-85	45-41	43-37	44-66
	(4) 24-27	24-27	24-27	24-27	24-27
	(च) 431-56 रु.	418-60 रु.	433-01	414-73 रु.	426-53 रु.

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 315 का आदेश की प्रति)

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

संख्या एस्टे (एम) एफ 18 (ए) (1) स्वा.शा.वि./80/362, दिनांक 4-2-80

आदेश

निम्नलिखित अधिशासी अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित नगरपालिकाओं में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :–

क्र.सं. 1	नाम अधिकारी 2	कहां से 3	कहां को 4
1.	श्री बलवन्त दान हांडा	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका भीनमाल	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका जालौर
2.	श्री केदारनाथ गोयल	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका जालौर	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, भीनमाल
3.	श्री गोविन्दनारायण शर्मा	प्रशासक, नगरपालिका, अनूपगढ़	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, भादरा
4.	श्री मनालाल जैन	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, भादरा	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका लक्ष्मणगढ़
5.	श्री चाननसिंह	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, नोहर	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़
6.	श्री रामलाल शर्मा	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, नोहर
7.	श्री मांगीलाल आट	अधिशासी अधिकारी, आदेशों की प्रतीक्षा में	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका केशोरायपाटन

1	2	3	4
8.	श्री राधेश्याम मामोडिया	प्रशासक, नगरपालिका लक्षमणगढ़	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू
9.	श्री नन्दलाल शर्मा	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, फलौदी	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, आमेट (उदयपुर)

सम्बन्धित अधिकारीगण नव नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर विभाग को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। श्री बनवारीलाल शर्मा, अधिशासी अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में अग्रिम आदेश की प्रतिक्षा करेंगे।

आज्ञा से,
ह.
(जे. एस. तंवर)
उप शासन सचिव ।